दशम माला, खंड 42, अंक 41

शुक्रवार, 2 जून, 1995
12 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 27.1.97

तेरहवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 42 में अंक 41 और 42 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा के दिनांक 2 जून, 1995 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
45	15-17	'जिसके अंतर्गत ...... संशोधन कर दिया गया है' का लोप कीजिए ।	
46	25	समीक्षा अध्यन	समीक्षा-अध्ययन
69	2	श्री छीतूभाई गामीत	श्री छीतू भाई गामीत
83	25	परीसंघ	परिसंघ
85	नीचे से 14	श्री डी• वेंकटेश्वर राव	श्री डी• वेंकटेश्वरराव
92	16	(ग) और (ङ)	(ग) से (ङ•)
99, 124, और 221	15, 16 और नीचे से 12	श्री एम• वी• चन्द्रशेखर मूति	श्री एम• वी• चन्द्रशेखर मूर्ति
102	9	श्री ज्जी. वेंकट स्वामी	श्री जी• वेंकट स्वामी
112	12	घातक	द्योतक
116	नीचे से 6	31-12-1993 से पहले (क) पढ़िए ।	
123	2	डा० पी• बल्लाल पेस्मान	डा• पी• वल्लल पेरुमान
124	12	प्रसिवेदन संख्या ,	प्रतिवेदन संख्या .
158	18	व्याणिज्य	वाणिज्य .
193	13	श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिमाठी	श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी
237	7	नागर विमानन और पर्यकन मंत्री	नागर विमानन और पर्यटन मंत्री
268, 270	20, 2	अधिारसूचनाएं	अधिसूचनाएं
275	4 और 5	लोक प्रतिनिधि त्व (संशोधन) विधेयक	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
275	13	अठाइसवें	अट्ठाईसवां
275	6	उन्नीसवें	उन्नीसवें
280	पाद टिप्पण शब्द के पश्चात "के" पढ़िए ।		
350	नीचे से पंक्ति 11 का लोप किया जाए ।		
354, 373,	नीचे से 11 और 10	नायक, श्री सुबाष चन्द्र / श्री सुबास चन्द्र	नायक, श्री सुभाष चन्द्र
373	9	द्रोष, श्री जगत बीर सिंह	द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
373	नीचे से 8	नारायण, श्री पी• जी•	नारायणन, श्री पी• जी•

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद नही माना जाएगा)

विषय सूची

दशम माला, खंड 42, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 41, शुक्रवार, 2 जून, 1995/12 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
×तारांकित प्रश्न संख्या :	821, 822 और 824	1-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	823 और 825 से 840	27-45
अतारांकित प्रश्न संख्या :	8279 से 8508	45-256
संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक के बारे में		257-266
सभा पटल पर रखे गए पत्र		266-273
राज्य सभा से संदेश		274
प्रसुति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित – **सभा पटल पर रखा गया**		274
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
कार्यवाही सारांश–**सभा पटल पर रखा गया**		274
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
इक्तीसवां प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**		274
गृह कार्य संबंधी समिति		
उन्नीसवां प्रतिवेदन – **सभा-पटल पर रखा गया**		275
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां और अठाईसवां प्रतिवेदन –**सभा पटल पर रखे गए**		275
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित की जा रही विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना, के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में **याचिका - प्रस्तुत**		275-277

×किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

कालम

विधेयक-पुरः स्थापित 277

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 277

(दो) रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीकरण) संशोधन विधेयक 306

(तीन) कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीकरण) विधेयक 307

(चार) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक 397

संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक 279
(अनुच्छेद 16 में संशोधन)

विचार हेतु प्रस्ताव 279-280

श्री सीताराम केसरी 279-280

श्री रूपचन्द मुरमु 280-282

श्री कालका दास 284-289

डा. आर. मल्लू 291-297

श्री नीतीश कुमार 297-301

श्री के. पी. रेड्डया यादव 301-305

श्रीमती गीता मुखर्जी 305-306

डा. मुमताज अंसारी 307-311

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 311-315

श्री रतिलाल वर्मा 316-318

श्री पी. जी नारायणन 318-320

श्री सैयद शहाबुददीन 320-324

श्री माणिकराव होडल्या गावीत 324-326

श्री जी. एम. सी. बालयोगी 326-329

श्री छेदी पासवान 329-331

श्री सूरज मंडल 331-335

श्री अनादि चरण दास 336-338

श्री चित्त बसु 338-339

श्री याइमा सिंह युमनाम 340-341

श्री कमला मिश्र मधुकर 341-342

श्री श्रीकान्त जेना 342-343

श्री दत्तात्रेय बंडारू 343-345

श्री मोहन रावले 345-346

श्री सीताराम केसरी 346-350

खण्ड 2 और 1

पारित करने हेतु प्रस्ताव, यथासंशोधित

श्री सीताराम केसरी 382

	कालम
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने संबंधी उदघोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	399-423
श्री एस. बी. चव्हाण	399-402
श्री जसवन्त सिंह	402-405
श्री रामविलास पासवान	405-410
श्री सैफुद्दीन चौधरी	410412
श्री गोपी नाथ गजपति	412-415
श्री ई० अहमद	415-417
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी	417-420
श्री बी. अकबर पाशा	420-423

लोक सभा

शुक्रवार, 2 जून, 1995/12, ज्येष्ठ 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : स्थगन प्रस्ताव या चर्चा करने के लिए आज मैने प्रश्न–काल के निलम्बन हेतु एक नोटिस दिया है क्योंकि दो गम्भीर रेल दुर्घटनाऐं हो गई है:.. .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया जायेगा।

...(व्यवधान)...

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क में रियायतें

***821. श्री राम सिंह कस्वा' :**

श्री सत्य देव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीतल पेयों सहित अनेक आम उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हा', तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठायें गये हैं कि इस उत्पाद शुल्क में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे ;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड) क्या सरकार को इस बात की कोई शिकायत मिली है कि शीतल पेयों का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित कई कम्पनियों ने उपभोक्ताओं को इन रियायतों के अनुरूप लाभ नहीं दिया है ; और

(च) यदि हां' तो सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) से (च). एक विवरण सभा–पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क). जी, हाँ।

(ख) सरकार ने वर्ष 1995-1996 के बजट में आम उपभोग की बहुत सी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की है। ब्यौरे, बजट भाषण और वित्त विधेयक, 1995 में उपबंधों के विश्लेषणत्मक ज्ञापन में दिए गए हैं। वे मुख्य–मुख्य मदें जिन पर उत्पाद शुल्क कम किया गया है और कमी की राशि से संबंधित ब्यौरे अनुबन्ध–1 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). वस्तुओं का मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है और यह उत्पादन की लागत, मांग तथा पूर्ति की स्थिति और कराधान के स्तर सहित बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। उत्पाद शुल्क उत्पादन के स्तर पर लगाया जाता है और उत्पादन के स्तर से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने के लिए विचौलियों की एक लम्बी श्रृंखला होती है जिनसे कारखाना मूल्य में इनकी लागत और लाभ जुड़ जाता है। तथापि पहले से पैक की हुई वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए है :–

1. राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें पहले से पैक की गई वस्तुओं के विनिर्माताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वे हाल में गई कर–कटौतियों का लाभ उपभोक्ताओं को पहुँचाएं।

2. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों के अंतर्गत ऐसे आवश्यक उपाय करें जिनसे उपभोक्ताओं से विनिर्माताओं द्वारा घोषित संशोधित मूल्य से अधिक राशि न ली जाए।

3. सभी चार शीर्षस्थ उद्योग संघों के अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि उनके सदस्य शुल्क रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को पहुँचाएं।

4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में माप–तोल विभाग के सभी प्रभारी सचिवों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि माप–तोल (पैक की हुई वस्तुओं) नियमावली, 1977 के मानक उपबंधों को कड़ाई से लागू करें।

5. औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों से यह अनुरोध किया गया है कि वह यह जांच करने के लिए अध्ययन करे कि क्या उद्योगों ने नमूने के आधार पर कुछेक चुनिन्दा वस्तुओं के सम्बन्ध में कर–रियायतों के लाभ उपभोक्ताओं को पहुँचाएं हैं अथवा नहीं।

(ड) यह सूचित किया गया है कि सामान्यतया बजट के बाद सॉफ्टड्रिंकों के खुदरा मूल्यों में कमी नहीं हुई है।

(च) फिलहाल , किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई विशेष कानूनी कार्यवाही करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से इस मामले पर उन उद्योगों के साथ विचार विमर्श करने के लिए हो जाएगा, जिनके बारे में वे प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार है।

अनुबन्ध

वे मुख्य आम उपभोग की वस्तुएं जिन पर वर्ष 1995-96 के बजट में शुल्क में कमी की गई थी

1	2	3
वस्तु	उत्पाद बजट पूर्व	शुल्क बजटोत्तर
वातित जल	50%	40%
एंटीसैप्टिक क्रीमें	30%	20%
एल्यूमीनियम और उसकी वस्तुएं	20%	15%
एस्बेस्टस सीमेन्ट की वस्तुएं	30%	25%
ऑडियो टेप डैक मैकेनिज्म	25%	20%
ऑडियों/वीडियों मैगनेटिक टेप्स	30%	20%
बॉल बियरिंग्स	20%	15%
सेरेमिक लेबोरेट्री वेयर	30%	20%
कुछेक प्रकार के कालीन	30%	20%
कोको और उससे, बनी निर्मितियां	25%	20%
सौन्दर्य प्रसाधन	50%	40%
डेकोरेटिव लेमिनेट्स	30%	25%
ड्राई सेल बैट्रीज	25%	20%
पटाखे	20%	15%
ग्लास कंटेनर्स	30%	20%
माउथ ब्लोन प्रक्रिया द्वारा निर्मित ग्लास और ग्लास वेयर	20%	10%
ग्लेजड सिरेमिक्स	30%	20%
ग्लेजड टाईल्स	40%	30%
हाऊसहोल्ड पोसर्लिन और चायनावेयर	30%	15%
इसूंलेटिड वायर्स और केबल्स	30%	25%
लेदर क्लाथ	35%	25%
माल्ट आधारित खाद्य निर्मितियां	25%	20%
बिछाने की वस्तुएं, मैटरस सप्पोर्ट्स	30%	25%
मोटर वाहनों और दुपहिया वाहनों के पुर्जे	20%	15%
बालों का सुगंधित तेल	30%	20%
प्लास्टिक रेजिन	30%	25%
पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न	69%	57.5%
पोलीमर आधारित पेंट्स	30%	20%
रबर पाईप्स एवं ट्यूब्स	30%	25%
सिलाई का धागा नाइलोन या पोलिएस्टर बलेडिडे	34.5% /69%	23%
शरबत, ठंडाई और ऐसे ही उत्पाद	50%	20%
वैयक्तिक प्रसाधन के लिए यात्रा सैट्स	50%	40%

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन शुल्क कम करके सरकार औद्योगिक विकास को गाति और उपभोक्ताओं को राहत देना चाहती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जिस अनुपात में शुल्क में राहत प्रदान की है, क्या उसी अनुपात में कीमतों में कमी आई है? बिचौलियों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना तैयार की है ताकि अधिकतम फायदा उपभोक्ता को हो सके?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : सरकार ने हाल ही में 1995-96 के बजट में आम उपभोग की अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की है। किये गये अध्ययन के अनुसार पेन्ट्स और वानिश सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री कागज और गैत्ते (पेपर बोर्ड) हस्त निर्मित रेशे (फिलामेन्ट) सेरेमिक उत्पाद शीशा और शीशे के सामान एल्युमिनियम और उससे निर्मित वस्तुओं इमप्रेगनेटेड और कोटेड टेक्सटाइल्स, साबुन और आर्गेनिक एक्टीवेटर के मूल्यों में कमी आने का पता लगा है।

[हिन्दी]

श्री राम सिह कस्वां : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने उत्तर के भाग ई में बताया है कि शीतल पेय की कीमतों में कमीं नहीं आई है। मैं जानना चाहता हूँ शुल्क में रियायत देने के बाद भी कीमतों में कमी क्यों नही आई है? यह कमी न करने के लिए सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ क्या कारवाई की है?

[अनुवाद]

श्री एम वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। यह बाजारी ताकते तथा

उत्पादन लागत माँगें और आपूर्ति की स्थिति जैसे अन्य अनेक धटको और कर निर्धारित के स्तर पर भी निर्भर करती है तथा मंत्रालय की ओर से हमने कई कदम उठाये है। इसके अतिरिक्त नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अनेक कदम उठाये गये है। उन्होंने सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया है और उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों और सचिवों को पत्र लिखे है तथा उन्होंने चार शीर्ष औद्योगिक संघों के अध्यक्षों को भी पत्र लिखे हैं उन्होंने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों को भी एक पत्र लिखा है जिसमें उससे एक अध्ययन करने और उन्हें रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है। हमने कई कदम उठाये है। मै माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद–शुल्क संबंधी रियायते उपभोक्ताओं को मिलें।

[हिन्दी]

प्रो. सत्यदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइनैन्स बिल में एक्साइज डयूटी में जो कनसैशन्स दिये गये हैं, उसके पीछे सरकार की यह भावना रही है निर्माता इस प्रकार से प्राइसीज पर नियंत्रण रखे कि कंज्यूमर्स को कुछ इसका लाभ मिले। माननीय मंत्री जी ने किसी भी आइटम पर और साफ्ट ड्रिंक पर साफ–साफ स्वीकार किया है कि

[अनुवाद]

यह पता लगा है कि बजट के बाद शीतल पेय के खुदरा मूल्य आमतौर पर कम नहीं हुए हैं

[हिन्दी]

और आप बिचौलियों की बात कर रहे है। सवाल एक्साइज डयूटी में कनसैशन मैन्यूफैक्चर्रज और कंज्यूमर्स को देने का है। आपने क्या उपाय किये है, इसके बारे में भी जवाब में बताया लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। आपने यह भी कहा कि एक्साइज ऐक्ट में ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है जिस के कारण एक्साइज डयूटी के लाभ को कानून कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। माननीय वित्त मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कंज्यूमर्स के इंटरस्ट को प्रोटैक्ट करने के लिये क्या इस प्रकार का कोई कानून बनाने का विचार है? आप राष्ट्रीय हित में जो एक्साइज कनसैशन देते है उसका लाभ अगर आम आदमी तक नहीं पहुंचता है तो उसके लिये आप क्या करने जा रहे है? आप मल्टी नैशनल को साफ्ट ड्रिंक में इनवाइट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जनता को लाभ नहीं मिलता है। एक्साइज कनसैशन देकर दूसरे तरीके से जनता पर ज्यादा टैक्स लगाने की आपकी दोहरी नीति का क्या लाभ है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मेरे सहयोगी ने उल्लेख किया है। वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के कई घटकों पर निर्भर करती है और अप्रत्यक्ष करें जिसमें उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क भी शामिल हैं उत्पादन लागत का केवल एक घटक है। यदि उत्पादन लागत की अन्य मदें जैसे श्रम लागत विद्युत और अन्य कच्चा माल प्रभार अधिक होते है, तो कोई यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि उत्पाद शुल्क संबंधी रियायतों से मूल्यों में आवश्यक रूप से कमी आयेगी यह कहा जा सकता है कि उन मामलों मे जहाँ अन्य उत्पादन लागतें बढ़ रही है उत्पाद शुल्क रियायतों से मूल्यों में वृद्धि को कम किया जा सकता है। फिर भी हमने सिंथेटिक धागों के मामले में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों को एक अध्ययन कराने के लिए कहा है कि क्या निर्माता अनावश्यक रूप से मुनिफाखोरी कर रहे है। हमें उस अध्ययन के परिणाम का इन्तजार करना चाहिए यदि उस अध्ययन से यह पता चलता है कि गलत करंणों से यह उद्योग उत्पाद शुलक रियायतों के लाभों को आगे नहीं दे रहा है तो हम स्थिति की जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न का एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा यह है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह देख सके कि उत्पाद शुल्क में दी गई रियायते मूल्यों में यदि परिलक्षित नहीं होता है तो क्या........

श्री मनमोहन सिंह : इस सम्बंध में मेरा विनम्र निवेदन है यह कि यह विषय बहुत जटिल है क्योंकि उत्पाद शुल्क रियायतें केवल कारखाना बाहय मूल्यों को ही प्रभावित कर सकती है तथा कारखाना बाहय मूल्यों से थोक व्यापारीयों तक और थोक व्यापारियों से खुदरा व्यापारियों तक उसमे कई चरण है और इसके लिए कठोर कानून लाना व्यावहारिक नहीं होगा कि कोई भी उत्पाद शुल्क रियायत उपभोक्ता मूल्यों में आवश्यक रूप से परिलक्षित होनी ही चाहिए कभी कभी रियायते मूल्यों को कम करने के लिए नहीं दी जाती बल्कि रूग्ण उद्योग की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए दी जाती है। यदि कोई उद्योग ठीक ढंग से नहीं चल रहा होता और उत्पादन शुल्क रियायत यह सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है कि इसकी लाभप्रदता उचित स्तर पर बनी रहे ताकि रोजगार को बनाये रखा जा सके उन मामलों में यह सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा कि उत्पाद शुल्क संबंधी सभी रियायतें मूल्यों में आवश्यक रूप से कमी लायें।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है कि हम लॉ नहीं बनाने जा रहे है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : जबसे हमने आर्थिक सुधार करने शुरू किये है, शुल्कों के रूप में रियायते दी जा रही हैं। देश में यह बहुत ही आपतिजनक बात है कि इसे उन वस्तुओं के मूल्यों में परिलक्षित नहीं किया जा रहा है जिन पर उत्पाद शुल्क रियायत दी जाती है

माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है वह उपभोक्ताओं की अपेक्षा व्यापारी के रूप में अधिक सोच रहे हैं। जब श्री एन्टनी उपभोक्ता मामले संबंधी मंत्री यहां थे तो उन्होंने कई अवसरों पर कहा था कि चूकि इससे मूल्यों पर पर्याप्त रूप से प्रभाव नही पड़ता है इसलिए सरकार को इस संबंध में एक कानून बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या वे उसी मंत्री मंडल के सदस्य हैं या नहीं। अतः मेरा प्रश्न यह है उत्पाद शुल्क में कमी के बाद भी बहुत सी वस्तुओं की गुणवता और मात्रा में कमी आ रही है। मंत्री जी इस बात की गारन्टी नहीं दे सकते कि रियायते देने से उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह भी जैसा कि उन्होंने कहा है इसका कारण बाजार धटक भी है की माल की गुणवत्ता मे भी कमी आई है अतः जब सम्पूर्ण प्रक्रिया से निर्माताओं को भारी मुनाफा मिल रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मुद्रा–स्फीति को कम करने तथा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के बारे में सोच रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न घुम हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं प्रश्न रख रहा हूँ। मेरा प्रश्न सीधा है। यह सब सुनने के बाद सरकार इस समस्या इस स्थिति पर कैसे विचार करेगी जिससे कि इसका एक हिस्सा.................

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरे प्रश्न की जरूरत नहीं है अपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आने दीजिए। अगर सरकार का ख्याल है कि कन्ज्युमर को एक्साइज डयूटी कम करके मदद करनी है और वह नहीं हो रही है, तो किस प्रकार से करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं केवल सरकार के रूख के बारे में पूछ रहा हूँ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एटिचूड मदद करने का है और यह कैसे करना है वह अलग बात है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : पिछले वर्ष औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों को उत्पाद शुल्क रियायतों के प्रभाव के बारें में एक अध्ययन कराने के लिए कहा गया था। ब्यूरों ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि उत्पाद शुल्क रियायतो के फलस्वरूप 'कई क्षेत्रों में मूल्यों में कमी हुई है। कुछ मामलों में कमी नहीं हुई। इसलिए विभिन्न मंत्रालयों को इन मामलों पर सम्बंधित निर्माताओं के साथ चर्चा करने के लिए कहा गया था मैं इस वर्ष भी ऐसा ही करने का प्रस्ताव करता हूँ।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मंत्री ने अनुबंध एक पर अपने उत्तर में बताया है कि आम उपभोक्ता की 35 मुख्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क रियायतें दी गई। मैं कागज के बारे में जानना चाहता हूं। देश में आम उपभोग की वस्तुओं में कागज मुख्य वस्तु है। इन 35 वस्तुओं में कागज थे। शामिल किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उन्हें उत्पाद शुल्क में कुछ रियायत देने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है यह दी गई रियायतों के बारे में है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैं जानना चांहूगा कि क्या सरकार कुछ रियायत देने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सोफ्ट ड्रिंक का नहीं है, लेकिन एक्साइज डयूटी से संबंधित है। आप अलाउ करेंगे तो मैं पूछगा।

अध्यक्ष महोदय : वह स्ट्रांग हो या सोफ्ट हो एक्साइज होना चाहिए।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, स्माल स्केल में जो इलैक्ट्रिकल आइटम्स बनाई जाती है। जैसे स्वीचिस वगैरह है उनको घर में भी बनाया जाता है। क्या उस बारे में रिप्रजंटेशन और मेमोरंडम आपको मिल चुका है और क्या आप रिवाइंडिंग ऑफ स्विंग थ्रेड की एक्साइज डयूटी कम करने वाले है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मेरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री के उत्तर से ही संबंधित है। उन्होंने कहा है, उन्होंने सदन को केवल यह आश्वासन दिया है कि वह उन निर्माताओं से एक बार फिर इस संबंध में चर्चा करेंगे जिन्हें उत्पाद शुल्क में रियायतें दी जाती है, और यदि इसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है तो वह पुनः निर्याताओं के साथ चर्चा करेंगे। मैं वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि अपने बजट भाषण के दौरान और बजट भाषण के बाद चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की कई बैठकों को संबोधित करते समय उन्होंने बहुत स्पष्ट रुप से कहा था कि कुछ मामलों में कम से कम एक प्रयोजन यह भी था कि उपभोक्ता लाभन्वित हो। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि लाभ उपभोक्ताओं

तक नहीं पहुचते तो सरकार दी गई रियायतों को वापिस लेने पर गंभीरता से विचार करेगी। मैं जानना चांहूगा कि क्या वह उस वचनबद्धता पर कायम है या नहीं।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं उस वचन बद्धता का समर्थन करता हूँ। किन्तु मेरे कथन का आशय यह था कि हमें किसी एक विशिष्ट मुद्दे को सभी पहलुयों से देखना चाहिये। कुछ ऐसे कारण हैं जो उद्योग के नियंत्रण से बाहर है। कुछ कारणवश कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। तकर्सगातता की दृष्टि से केवल इतना कह देने से कि क्योंकि हमने उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है इसलिए कीमतों में भी वास्तव में कमी आयेगी, ऐसा होने की आशा नहीं की जा सकती। उस स्थिति में उत्पाद शुल्क में कटौती करने से कीमतों में वृद्धि को कम करने में मदद मिलती है। किन्तु जहां अन्य कीमतें बढ़ रहे है। कच्चे माल, बिजली और मजदूरी संबंधी लागतों में वृद्धि हो रही है तो मेरे विचार में यह सदैव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उत्पाद शुल्क के परिणाम स्वरूप कीमतों में निश्चित रुप से कमी आए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार अपनी नीति के अंतर्गत उपभोक्ताओं का राहत देने के लिए तरह–तरह के उपाय करती आई है और निश्चित रुप से एक्सीज ड्यूटी में राहत देने के लिए जो राहत घोषित की जाती है, उपभोक्ताओं को पता नही होता है कि वह किस प्रकार से उसके पास पहुंच रही है। महोदय मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो उपभोक्ता वस्तुओं की हर आइटम पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है उसके साथ एक्साइज ड्यूटी का उल्लेख कर दें। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कोई व्यावहारिक सुझाव नही दे रहे है। कृपया बैठ जाइए।

...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : एक्साइज ड्यूटी का उल्लेख करने से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को यह पता लगा जाएगा कि उनको कितना लाभ मिल रहा है।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : महोदय, अभी मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इसमें एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम की गई है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिले। मै। एक बांत जानना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जब नियम बनाती है या कोई पालिसी बनाती है तो उस वक्त कोई लक्ष्य रखती है और वह लक्ष्य रख करके छूट प्रदान करती है कि इस छूट के प्रदान करने से हमको यह–यह लाभ प्राप्त होगा या हमारे देश की जनता का यह लाभ प्राप्त होगा। इसमें मेरा कहना यह है कि आपने जब यह छूट प्रदान की थी उस समय कौन सा लक्ष्य रख करके छूट प्रदान की थी, कृपया यह बताने की कृपा करें ? आपने क्या लक्ष्य रखा था? यह जो एक्साइज ड्यूटी में छूट कर रहे है इससे हमारे देश की जनता को क्या लाभ प्राप्त होगा? आपने किस सोच से किया था, यह बताने की कृपा करे।

अध्यक्ष महोदय : यह तो इन्होंने बताया था।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय मैं बता चुका हूँ कि इसके कई उद्देश्य थें। उनमें एक तो यह था कि जहां संभव हो, उपभोक्ता द्वारा देय कीमतों में कमी लाई जाए। तथा मेरे साथी ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि कुछ मामलों में कीमतों में वास्तव में कमी आई है। कुछ अन्य मामलों में कुछ ऐसे उद्योग है जिन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उत्पाद शुल्क में रियायत का प्रयोजन उद्योगो को अपना अस्तित्व बनाए रखने, उचित लाभ दर अर्जित करने हेतु सक्षम बनाना तथा उन उद्योगों में नियोजन स्तर को कायम रखना है। यह सुनिश्चित कर पाना संभव नही कि उत्पाद शुल्क में रियायतों के परिणाम स्वरुप कीमतों में आवश्यक रुप से कमी हो।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : मान्यवर, इसमें कम्पनी को फायदा मिल गया, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिली।

श्री हाराधन राय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि रा–मेटीरियल और विद्युत की दरें बढ़ने से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ौतरी हुई है, इसलिए एक्साइज ड्यूटी में कमी का लाभ आम उपभोक्ता को नही मिल पा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मिल–मालिकों के कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंपंशिएट करने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, उपभोक्ता को राहत देने के लिए नही, यह स्पष्ट करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि ऐसा नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : महोदय माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा है कि निर्माता भी लाभन्वित होंगे। क्या हम जान सकते है कि जब से ये रियायतें दी गई उन उत्पाद शुल्क संबंधी रियायतों के द्वारा कितने रोजगार–अवसरों का सृजन हुआ? इसके अलावा कौन–कौन से नए एकक क्षेत्र उतरे है?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, अभी कुछ बता पाना संभव नही है।

मेरे विचार में वित्त विधेयक अभी पिछले सप्ताह ही पारित हुआ है तथा उत्पाद–शुलक रियायतें केवल दो महीनों से ही दी

जा रही है। अतः इतने कम समय में यह आकलन नहीं किया जा सकता कि उन रियायतों के परिणामस्वरूप रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के भाग "ग" तथा "घ" में बताया है कि उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुचाने के लिए बिचौलियों की एक श्रंखला होती है, जिससे वस्तु के लागत मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मै मंत्री महोदय से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि बिचौलियों की संख्या में कमी करने के लिए आपने क्या उपाय किए है, या आप इन बिचौलियों से उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए कोई कानून बनाने जा रहे है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हमें स्वयं को स्मरण कराना चाहिए कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को विनियमित करने से संबंधित सभी दायित्व छोड़ दिए है। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं। जब यह प्रश्न पूछा जाता है 'कि क्या आप इस तथ्य की जाच करेंगे कि जब उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है, तो कीमतों में कमी हुई है या नही?' तो मैं यह प्रश्न उन्हें शर्मिदा करने के उद्देश्य से नहीं पूछ रहा।

मेरा साधारण सा प्रश्न यह है कि यदि उत्पाद–शुल्क का इस्तेमाल कीमतों को प्रभावित करने वाले साधन के रूप मे किया जाता है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदण्ड उद्योग में विद्यमान प्रतिस्पर्धा की कोटि है। यदि एकाधिकार की परिस्थितियां मौजूद है, तो उत्पाद शुल्क में कटौती करने से कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुल्क में कटौती पर विचार किए बिना..........

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न साधारण नही रह गया। यह जटिल होता जा रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जब शुल्क में कटौती पर विचार किया गया था अथवा इसे विनियमित किया गया था तो क्या उन्होंने उद्योग में प्रतिस्पर्धा की कोटि को ध्यान में रखा था? अन्यथा उन्हें अधिक नियंत्रण और दबाव का प्रयोग करना पड़ेगा

महोदय, यदि आप कानून की बात करते है तो उनके पास जवाबी दलील होती है कि जब उत्पाद शुल्कों में वृद्धि की जाती है, तो उन्हें इस बात को भी देखना पड़ता है कि इससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस तरह की बात नही होनी चाहिए।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आपने सुस्पष्ट रूप से पूछा? महोदय, उन्हें सुस्पष्ट रूप से उत्तर देना है। सोडावाटर पैप्सी या कोकाकोला इतयादि के बारे में आपका क्या विचार है।

अध्यक्ष महोदय : आपने उनकी मदद की है और इसका उत्तर देने के लिए वह आपके आभारी है।

डा. मुमताज़ अंसारी : अध्यक्ष महोदय, विगत अनुभव यह रहा है कि बाजार तंत्र इतना संवेदनशील है कि जब भी उत्पाद शुल्क को बढ़ाया गया है, बाजार में कीमतें भी स्वतः बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई कीमतों का दण्ड अन्तिम उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ता है लेकिन अब तक, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में रियायतें दिए जाने से बाजार का तंत्र यथावत नही रहता; यह संवेदनशीलता नहीं दर्शाता। यह भी चिन्ता का विषय है।

मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूगा कि हालांकि जीवन की कुछ आवश्यकताओं के संबंध में आपके द्वारा उत्पाद शुल्क में कुछ रियायतें दिए जाने के पीछे कुछ तर्क और दर्शन है किन्तु आपने सौंदर्य प्रसाधनों, सुगंधित तेलों और अन्य बहुत सी ऐश–आराम की चीजों के संबंध में उत्पाद शुल्क रियायतें क्यों दी है?

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात बजट पर हुई चर्चा के दौरान पूछ सकते थे। इसलिए मैं इसकी अनुमति नही दूंगा। इसकी अनुमति नही दी जाती।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नही किया जा रहा।

...(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिए कि क्या पूछना है और क्या नही पूछना है कृपया अब बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि एक्साइज डयूटी घटाने का अर्थ यह नही है कि हम उपभोक्ता को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध करायें।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ यह नही कहा है। उसको मिसलीड मत कीजिए।

श्री राम प्रसाद सिंह : क्या मंत्री जी यह बताएगें कि एक्साइज डयूटी घटाते समय यह असैस मेंट नही किया गया था कि सस्ते दामों में उपभोक्ता को सामान मिलेगा। अगर नही मिलेगा तो क्या आने वाले दिनों में आप ऐसा करने जा रहे है कि उपभोक्ता को सस्ते दामों में सामान मिले?

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय मैं बता चुका हूँ कि उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करते समय उपभोक्ता मूल्यों को भी विचाराधीन रखा जाता है मैने यह नहीं कहा कि उपभोक्ता मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचे समझे बिना उत्पाद शुल्कों में कटौती की गई है। यह एक महत्वपूर्ण विचाराधीन मुद्दो है। इसी लिए पिछले वर्ष मैने औद्योगिक लागत और मूलय ब्यूरो से कहा थां कि वे ऐसे मामलों का अध्ययन करें जिनमें उपभोक्ता मूल्यों में कमी नही हुई। इस वर्ष एक बार फिर हम इसे दोहरायेंगे और जहां संभव हुआ, जहा हम ऐसा सोचते है कि किन्हीं अन्यायसंगत कारणों से लाभ उपभोक्तायों को प्राप्त नही हुए है, तो हम लाभ उपभोक्तओं तक पहुचाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार के पास उपलब्ध समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी. पाटील : अध्यक्ष जी, एक्साइज डयूटी जो चार्ज करते है उसमें कम–ज्यादा रिडक्शन होता रहता है। तो उसे पर इन्कम–टैक्स लगाते वक्त मेन–प्राइस और एक्साइज एट इन्कम टैक्स सोर्स कट किया जाता है तो उपभोक्ता का प्राइस बढ़ता है। तो सरकार का क्या इसमें रवैया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नही है। श्री जोशी।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : माननीय अर्थ–मंत्री महोदय ने एक्साइज का कंसेशन जाहिर करते समय सदन को यह आश्वासन दिया था और कहा था।

[अनुवाद]

"यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि इन रियायतों के लाभ सीधे उपभोक्ताओं को प्राप्त हों।"

[हिन्दी]

सदन यह जानने के लिए इच्छुक है कि यह उनके प्राइस में, कंज्यूमर के प्राइस में क्यों रिफ्लेक्ट नही होती है। आप बताएं कि बाकी आइटम बद गए हैं इसलिए इसका इफैक्ट दिखाई नहीं देता है? यह जो कंसेशन है यह सामान्य कंज्यूमर को मिल जाए इसके लिए क्या व्यवस्था माननीय अर्थमंत्री महोदय ने की है?

अध्यक्ष महोदय : दो तीन बार इन्होंने इसका जबाब दे दिया है।

[अनुवाद]

लम्बे रेशे वाली रूई का आयात

*822 **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लम्बे रेशे वाली अच्छी किस्म की रूई का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां', तो चालू वितीय वर्ष में ऐसी रूई का कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा ; और

(ग) इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). जी नहीं। कपास का आयात अप्रैल, 1994 से खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है। वस्त्र मिले अपनी जरूरतों के अनुसार कपास का आयात स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, टैक्सटाइल उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग साबित हुआ है और कपास के माध्यम से कुल निर्यात का एक–चौथाई व्यापार और विदेशी–मुद्रा इसके माध्यम से कमाई जाती है। सरकार ने जब से इसको OGL में डाला है तब से मैं यह जानना चाहता हूं कि गत वर्ष में कितनी कपास अलग–अलग कंपनियों के माध्यम से भारत में आई और कितनी भारत सरकार ने अपनी तरफ से मंगाई। उसका अन्तर्राष्ट्रीय भाव क्या है और भारत का क्या है?

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, यह सही है कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से कॉटन पर ही निर्भर है और देश में उसके दाम बढ़े हुए है। सन् 1992 में 135 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था और 1993-94 में यह घटकर 121 लाख गांठ ही रह गया। जिसकी वजह से कीमत एकदम से बढ़ गयी है। जिसकी वजह से टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पावरलूम इंडस्ट्रीज और हैंडलूम इंडस्ट्रीज को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दाम काफी बढ़ गये थे। जहां तक आपने ओजीएल में कितनी गांठ आयात की के बारे में पूछा है तो उसमें मैं बताना चाहता हूं कि 1993-94 में 3 लाख गांठों का प्राइवेट मिल्स वालों ने आयात किया। इस साल भी 6 लाख 50 हजार से ज्यादा गांठों का आयात करने का समझौता हुआ है, अभी तक एक लाख साठ हजार गांठें आई हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, सब जानते है कि कपास कमर्शियल क्राप है और इसीके माध्यम से किसान को अधिकतकर आमदनी होती है। बाकी पैरीशेबल गुड्स होने के कारण किसान को उनकी पूरी कीमत भी नहीं मिल पाती है। जितना ज्यादा कपास का आयात होगा, भारतीय कपास के दाम उतने ही कम होंगे। उसी अनुपात में हमारे किसानों को कपास का दाम कम

मिलेगा। क्या सरकार ओजीएल की पालिसी पर पुनर्विचार करेगी कि आवश्यकतानुसार ही कपास का आयात किया जाये और बाकी आयात सरकार की अनुमति से ही हो?

इसी के साथ इस प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि पिछले दिनों यूरोपियन एपेरल टैक्सटाइल आर्गेनाइजेशन ने भारत को चेतावनी दी थी कि यदि भारत ने अपना टेक्सटाइल बाजार विश्व बाजार के लिए नहीं खोला तो वे भी भारत की निर्यात नीति पर पुनर्विचार करेंगे और उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, क्या इसीलिए सरकार ने ओजीएल के अंदर कपास को डाल दिया है?

श्री जी. वेंकट स्वामी : यह सही है कि हिन्दुस्तान विश्व के किसी भी देश से ज्यादा कपास पैदा करने की क्षमता रखता है। चीन और अमरीका के बाद कपास की पैदावार में भारत का नाम आता है। यह अफसोस की बात है कि हमारे देश में कपास का उत्पादान कुछ कम हो रहा है। इस्त्राइल में जहां एक हेक्टेयर में 1800 क्विंटल कपास होती है, वही अपने देश में 304 अधिकतम होती है।

श्री रामेश्वर पाटीदार : आप गलत आंकड़े दे रहे है। 304 क्या है।

श्री राजवीर सिंह : एक हेक्टेयर में 1800 क्विंटल होती है, यह कैसा चमत्कार है, हमें भी बताइये?

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : के . जी को क्विंटल कह रहे है।

अध्यक्ष महोदय : 1800 नहीं होती है तो कितनी होती है, आप ही बता दें। मंत्रीजी आंकड़े सही कर लेंगे।

श्री जी. वेंकट स्वामी : गलती से के. जी. की ज़गह क्विंटल निकल गया। हमारे देश में काटन की प्रोडक्टीविटी बहुत अफसोसनाक है। हमने ज्यादा से ज्यादा कपास पैदा करने के लिए योजना शुरू की है और हम उसके तहत सीड भी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सी. सी. आई. के जरिये हमने 30 लाख के. जी. सीड सप्लाई करने का निर्णय लिया है। किसान भी खुशी के साथ इसको ले रहे है। पहले हमारे यहां 1 करोड़ 35 लाख गांठ का उत्पादन होता था, पाकिस्तान से पंजाब में बीमारी आने की वजह से दस लाख गांठों की कमी आई है। इसी प्रकार सीजन में महाराष्ट्र में भी कपास उत्पादन में कमी आई है। इसी कारण प्राइवेट मिलों को आयात करने की अनुमति दी है।

चाहे मिलें उनको खरीद नही पर रही हैं, ऐसी सूरत में हमने उनको दिया है। दूसरी तरफ CCI से कहा है कि हमारे किसानों को हाई ब्रीड सीड्स सप्लाई करें ताकि वे पैदा करें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर कमी है तो बाहर से लाये मगर इतना नही लायें कि यहां की प्राईसेज़ क्रैश हो जायें। क्या ऐसी कोई पॉलिसी बनाने जा रहे है?

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, हमने तो उन मिलों को लाने के लिये कहा है मगर बात यह है कि उसको लाने के लिये उनको इंटरनैशनल मार्किट में दुगना रेट देना पड़ता है, इसलिये नहीं ला सकते हैं। और यदि लायेंगे भी सही तो हमारे देश में कम होने की गुंजायश नहीं है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी जरा पर्चा देखकर जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से वैसी ही उनकी पॉलिसी है, आप जैसा कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 1994-95 रूई के लिए 162.25 लाख गाँठों की कुल आपूर्ति के बदले इसकी माँग 128.10 लाख गाँठें रहने की सम्भावना है जिसके फलस्वरूप अगस्त, 1995 तक 34.15 लाख गाँठें शेष रह जायेंगी। देश में 130 लाख गाँठों के कुल उत्पादन के बदले अब तक कुल प्राप्ति 121 लाख गाँठें है। राज्य कपास सहकारी परिसंघ और अखिल भारतीय कपास सहकारी परिसंघ के पास इस समय 12 लाख गाँठों का बिना बिका भंडार है। इसलिए, यदि सरकार कम से कम पाँच लाख गाँठों के नियति के लिए तत्काल कदम नहीं उठाती है तो यहाँ कई की बहुतापत हो जायेगी और किसानों को आने वाले वर्ष में इसका भंडारण करना होगा। उन्होंने कपास के नियति की अनुमति देने हेतु माननीय मंत्री को अनेक अभ्यावेदन दिये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ओपन जनरल लाइसेंसे के अन्तर्गत कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाया जायेगा और क्या मंत्री द्वारा रूई की कम से कम पाँच लाख गाँठों के नियति की अनुमति दी जायेगी अथवा नही?

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के जितने भी वीवर्स है, आज वे इस प्राईस राईज़ को बर्दाश्त नही कर रहे हैं। मैं आनरेबल मैम्बर को बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने आंकड़े दिये है और इस देश में एक करोड़ 60 लाख कॉटन बेल्स के उत्पादन के बारे में बताया है, वह बिलकुल गलत है। हमारे देश में तो मैक्सिमम 1992-93 में एक करोड़ 35 लाख बेल्स का उत्पादन हुआ है और उसके बाद घट गया और वह भी एक करोड़ 21 लाख से एक करोड़ 25 लाख बेल्स तक पहुचा है। ऐसी सूरत में कई मिलें बंद होने जा रही है। अगर मिलों ने यार्न पैदा नहीं किया तो हमारा कपड़ा पैदा नहीं होगा और हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को कपड़े के दाम बढ़ते हुये दिखाई देंगे। मैं आनरेबल मैम्बर को बताना चाहता हूं कि 1993 में हमने करीब 4 लाख कॉटन बेल्स का एक्सपोर्ट करने के लिये अलाऊ किया था क्योंकि हमारे पास आ चुका था। आज 10-12 लाख बेल्स काटन कम हो गया है। इसलिये एक्सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष

महोदय, आपको याद होगा कि 1990-91 में वीवर्स की स्टारवेशन डैथ हुई थी। उस वक्त हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न किया गया था। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं और हाऊस को बताना चाहता हूं कि वीवर्स आज यार्न खरीद नही पा रहे है। इसलिये हम उनको 20 रूपये प्रति किलों के हिसाब से सबसिडी दे रहे है और आप एक्सपोर्ट कर इस हैंक यार्न और कोन यार्न का रेट बढ़ाने के लिये कह रहे है, वह नहीं होगा।

श्री राम नाईक : माननीय मंत्री जी ने बातया कि जो टैक्सटाईल मिल्स लाना चाहती है, वे अपने उपयोग के लिये चाहे, उतना कॉटन ओ. जी. एल. के अन्तर्गत ला सकते है। मेरा सवाल यह है कि केन्द्रीय सरकार के पास अभी ऐसी 124 टैक्सटाईल मिलें है।

तो इन 124 एन. टी. सी. की मिल्स के लिए आपने कुछ विदेशों से कपास मंगायी है तो वह किस दाम से मंगायी है? बाकी की प्राइवेट टैक्सटाइल मिल्स कितना लायी है, वह आपने बताया है। तो आप कितना लाए है वह भी बताएं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : एन. टी. सी. मिल्स की हालत आप सब लोग अच्छी तरह से जानते है कि उनको बेच देने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही है....।

अध्यक्ष महोदय : तो बाहर से कहां से लाएंगे।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अभी आप सरकार की लेटेक्ट पोज़ीशन जानते हैं कि जब उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा तो भविष्य में अगर कॉटन की ज़रूरत पड़ी तो NTC मिलों को क्या करना चाहिये यह देखेंगे।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि NTC मिल्स नहीं लायी हैं।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने जो बताया वह सही है। गुजरात में कॉटन का उत्पादन इस साल सारे देश में अच्छी बरसात होने के कारण इतना ज्यादा हुआ है कि गुजरात की कॉटन फ्रेडरेशन और कोआरपेटिव सोसाइटीज वालों ने ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें यह समझना चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है न कि राज्ये से संबंधित प्रश्न।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : वही मैं कह रहा हूं। सारे देश में कॉटन इतना ज्यादा उत्पन्न हो गया है कि कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ऐक्सपोर्ट की जो पॉलिसी थी, भारत सरकार ने सैद्धांविक रूप से स्वीकार किया था कि हर साल पांच लाख गांठो का ऐक्सपोर्ट करेंगे। इस साल सिर्फ एक लाख गांठ बंग्लादेशी कॉटन को एकक्स्पोर्ट किया है। चार लाख गांठ ऐक्सपोर्ट करना बाकी है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के कपास उत्पादक किसानों के लिए जो चार लाख गांठ कॉटन ऐक्सपोर्ट करना बाकी है उसे आप मंजूरी देंगे, जिससे सारे हिन्दुस्तान के कपास के किसान अपना जीवन निर्वाह कर सकें और अगले साल वह इसके उत्पादन में आगे बढ़ सके।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना है कि रेट बहुत गिर गए है। रेट जो कम हुए है 4000 से 1800 तक कम हुए है जो पहले 18,000, 21,000 और 25,000 प्रति टन था। ऐवरेज 2000 से 4000 तक कम हुए है। तो मैं नही समझता कि ये रीज़नेबल बात है ऐक्सपोर्ट करने की।

[अनुवाद]

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री द्वारा यह बताया गया है कि रूई की कम आशर्ते के परिणाम स्वरूप हथकरघा क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने हैंक मार्न के उत्पादन के लिए कुछ रूई रखी है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, इस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिजवेंशन के लिहाज़ से जो हैंक यार्न रिजवेंशन ऐक्ट है, उसका अमल करने से हैंक यार्न की जितनी जरूरत है, उसके अनुसार स्टॉक में है और रेट गिरने की वजह से वीवर्स को लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। काफी हैंक यार्न स्टॉक में है।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष जी, वीवर्स को कम दाम में सूत मिले, इसके लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करने की पोलिसी मंत्री जी अख्तियार कर रहे है। लेकिन अभी भी इंपोर्ट होने के बावजूद भी वीवर्स को कम दाम में सूत नही दे रहे है। मुझे मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर मोनोपली कॉटन स्कीम है। उनके पास बहुत माल पड़ा हुआ है, मार्केट में उसकी डिमाण्ड नहीं है। किसान को उनके पैसे नहीं मिल रहे है और ऐसी हालात में न किसान को और न ही वीवर्स को हम फायदा दे पा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे पास कॉटन सरप्लस में है और वह कॉटन कोई मिल लेने को तैयार नहीं है तो कम से कम जो कॉटन स्टॉक में है, उसको ऐक्सपोर्ट करने के लिए आप परमीशन देंगे?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है।

...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वे निर्यात की अनुमति नहीं दे रहें है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : किसान का पैसा उसको मिल नहीं रहा है। कॉटन स्टॉक में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय एक बार पुनः स्थिति को स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष जी, यह किसानों का सवाल है इसलिए हम आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करते है। भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उससे कुछ होने वाला नहीं है।

...**(व्यवधान)**...

श्री दत्ता मेघे : मोनोपली स्कीम के अंदर बहुत सा माल पड़ा हुआ है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट और NTC लेने को तैयार नहीं है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों का कहना है कि ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपने प्रश्न का दो बार उत्तर दिया है। आप तीसरी बार उत्तर देंगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ। चार–चार दफे रिपीट कर लेते है

...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : वहां कपास का ढेर लगा हुआ है। किसान बर्बाद हो रहा है। सरकार उनका कपास खरीद नहीं रही है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...**(व्यवधान)***...

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...**(व्यवधान)***...

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप तीसरी बार उत्तर देना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : माननीय सदस्य किसानों के बारे में बोल रहे थे कि उनके पास स्टॉक है। किसानों के पास जितना स्टॉक है उसके लिए मैं कल ही खरीदने के लिए ऑर्डर कर देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि ट्रेडर्स ने जमा कर रखा है और आप उनके लिए कह रहे है। ...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ट्रेडर्स से मत खरीदना।

श्री जी. वेंकट स्वामी : किसान के पास जो भी स्टॉक था वह सारा का सारा ट्रेडर्स के हाथ में गया। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने कहा कि कपास नहीं होने के कारण हम खरीद नहीं सकते। महाराष्ट्र फैडरेशन और CCI को NTC ने 270 करोड़ रूपया नहीं दिया, इसीलिए वे हमें कपास नहीं देते है। इसी कारण मुम्बई शहर और हिन्दुस्तान की अन्य मिलें नही चल रही हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप मोडर्नाइजेशन का बिल लाए है। स्वतंत्रता के पूर्व ऐसी स्थिति थी कि हिन्दुस्तान में विश्व का सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता था। मैं मंत्री महोदय से विनती करते हुए पूछना चाहता हूं कि जैसे आप और मिलों का मोडर्नाइजेशन करने जा रहे है वैसे ही कपास के लिए भी मोडर्नाइजेशन करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : उसका भी जवाब दे दिया है, अब एक दफे और दे दीजिए। आपने कह दिया कि इस तरह से दे रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ा रहे है। एक दफे और रिपीट कर दीजिए।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, यह सही है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि मोडर्नाइजेंशन सिर्फ मिलों का ही हो रहा है, कॉटन के लिए भी करना है। मैं जवाब दे चुका हूं कि आगे आने वाले सालों में जो कॉटन हमारे देश मे पैदा होती है उसे और आगे बढ़ाना है। क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गया है तथा ओर 123 मिलें नई आ गयी है इसलिए कॉटन का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। हमने CCI को कहा है कि आप भी सब्सिडी देकर किसानों का हाई ब्रिड शीड्स सप्लाई करो और दूसरी तरफ कल्टीवेशन के लिए जो गवर्नमेंट लैण्ड देते है उस लैण्ड में कॉटन पैदा करने को भी स्कीम चालू करने वाले है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे दोहराने के लिए आपका धन्यवाद।

बैंक ऋण न चुकाने वाले व्यक्ति/कम्पनियां

***824. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों को न चुकाने वाले व्यक्तियों और कम्पनियों के संबंध में भारतीय रिवर्ज बैंक ने आंकडे एकत्र किए है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 31 मार्च 1995 को इनमें से प्रत्येक व्यक्ति/कम्पनी की ओर कितनी–कितनी ऋण राशि बकाया थी;

(ग) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने ऋण की अदायगी न करने वाले व्यक्तियों/कम्पनियों के प्रबंधन और नियंत्रण में चल रहे गुपों और कम्पनियों को अनुमानतः 45.000 करोड रूपयें का अतिरिक्त ऋण दिया है और/अथवा उनमें पूंजी निवेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रेशखर मूर्ति) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ). भारतीय रिवर्ज बैंक ने एक करोड़ रूपए और उससे अधिक की उन बकाया निधिबद्ध और गैर निधिबद्ध उधारखातों के बारे में बैंको और वित्तीय संस्थाओं से सूचना एकत्र की है। संदिग्ध, हानि वाले और मुकदमा दायर खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं। हर तरह जुटायी गई जानकारी के आधार पर, भारतीय रिवर्ज बैंक ने 9 अगस्त, 1994 को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचना का प्रथम भाग परिचालित किया था। इसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है :

वर्गीकरण	खातों की संख्या	बकाया राशि (रू० करोड में)	चूककर्ता कंपनियों के (निदेशकों की संख्या)
संदिग्ध खाते	453	1562.96	3091
हानिवाले खाते	119	2300.91	499
मुकदमा दायर खाते	230	810.68	2135

शेष बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की गई जानकारी भी एकत्र की जा रही है और उसे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भेजा जा रहा है। दिनांक 31-3-95 के लिये आंकड़े अभी एकत्र किये जाने है।

पिछले वर्ष, अर्थात 1994-95 में बैंको द्वारा इन चूक करने वाले उधारकर्ता कम्पनियों/फर्मों को दिये गये नये/अतिरिक्त ऋणों/अग्रिमों की राशि से संबंधित आंकडे अभी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाने हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जिस प्रकार से हमारे बैकिग व्यवसाय और हमारे बैंको की साख मे गिरावट आई है उसके स्पष्ट उदाहरण हमें कई रूपों में देखने को मिलते है। माननीय मंत्री महादेय ने मेरे प्रश्न का उत्तर अधूरा और भ्रामक दिया है। पिछले दिनों R.B.I. की सूची प्रकाशित हुई है उसके अनुसार 5,724 ऐसे लोग है जो डिफालटर है और उन पर 30 हजार करोड़ रूपया बकाया है, जबकि आपने केवल 4 या 4.5 हजार करोड़ बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की सूची R.B.I. ने जारी की है जिसमें 5,724 लोगों के नाम है और यदि हैं तो उन पर 30 हजार करोड़ रूपया बकाया है? क्या यह भी सही है कि आपने 45 हजार करोड़ रूपय की अतिरिक्त राशि उन्ही को दी है जो डिफाल्टर है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महादेय, इस निष्कर्ष को कोई आधार नहीं है कि जिन्होंने चूक की है उन्हे 45,000 करोड रूपये की अतिरिक्त धनराशि दी गई है।

गत वर्ष देश में गैर–खाद्य ऋण 43,921 करोड रूपये था। अतः इस आधार पर आप यह नहीं कह सकते है कि इन चूककर्ताओं ने सम्पूर्ण ऋण प्राप्त किया। अतः मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है कि यह धनराशि इन चूककार्ताओं को दी गई है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, 25 मई के पायोनियर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है... (व्यवधान) आंकड़ो से पता चलता है .....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं यदि आपके पास कोई राजपत्र अथवा सरकारी दस्तावेज है तो ठीक है। सूचना का उनका भी अपना स्त्रोत है जो ठीक हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उन्हीं कुछ उद्योगपतियों और

और उन्ही कुछ संस्थाओं को फिर से ऋण दिये गये है, जिनके विरूद्ध डिफाल्टर्स के केस चल रहे है और बार-बार नोटिस देने के बावजूद जिनसे पैसे की वसूली नहीं हो पा रही है। ऐसे लोंगों में कई बड़े औद्योगिक घराने भी शामिल है, बिड़ला, सिंघानिया और कई राजनेता भी शामिल है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, क्या एक्शन ले रही है?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : पहले से ही एक योजना चालू है, अर्थात् सामूहिक दृष्टिकोण। यदि किसी समूह में एक से अधिक उद्योग हैं और यदि कुद खाता बाकीदार हैं तो रिजर्व बैंक सुनिश्चित करता है कि समूह की अन्य कम्पनियों को ऋण न दिया जाए। परन्तु मैं प्रत्येक ऋण खातों का ब्यौरा नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष जी, डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी के प्रश्न के 'सी' भाग का उत्तर बराबर नहीं दिया गया है। कम से कम सरकार को स्पष्ट तौर से बताना चाहिये था कि 45 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त ऋण दिया गया या नहीं दिया गया। मंत्री जी ने अपने उत्तर में डिफाल्टर्स का वर्गीकरण किया है संदिग्ध खाते, हानि वाले खाते, मुकदमा दयार खाते– और 910 डिफाल्टर्स कम्पनियों की जानकारी दी गयी है। जब हमारे देश में अभी इतना बड़ा बैंको का घोटाला हुआ है, उसके बाद एक रिपोर्ट भी आयी है कि 19 नेशनेलाइज्ड बैंको का टोटल लॉस 32 हजार करोड़ रूपये है, ऐसा आपने रिपोर्ट में कहा है लेकिन दूसरी तरफ जब किसानों को एक हजार करोड़ रूपये दिये गये तो आपने कहा कि इससे हमारी इकौनौमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, देश की इकौनौमिक हालत खराब हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब किसानों को एक हजार करोड़ रूपये दिये जाने की बात आती है तो उससे देश की इकौनौमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है लेकिन इतनी बड़ी राशि बैंकों की बट्टे-खाते में है, उससे इकौनौमिक सिचुएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी वित्त राज्य मंत्री जी ने इसी सदन में उत्तर दिया था कि डिफाल्टर्स मामलों में 6 हजार करोड़ रूपये इन्वौल्व है, मै जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कोई डिफाल्टर्स की लिस्ट बनाई है? मेरी जानकारी के अनुसार उन डिफाल्टर्स में जो कम्पनियां या लोग शामिल है, उन्ही को पहले एक कम्पनी के नाम से लोन दिया जा रहा है, उसके बाद वे कोई दूसरी कम्पनी फ्लोट कर लेते है और उन्ही लोगों को फिर से लोन दिया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे डिफाल्टर्स की क्या ब्लैक लिस्ट बनाई गयी है। दूसरी तरफ जो छोटे लोग है, जैसे ऑटो रिक्षा वाले है, किसान है या गरीब लोग है, उनके लिये आपने लोन देने के लिये ज्याद कंडीशन्स लगायी है, सीक्योरिटी और गारंटी के मामले में ज्यादा कंडीशन उन्हें फुलफिल करनी पड़ती हैं जबकि कुछ खास बड़े लोगों के लिये वैसी कंडीशन्स नहीं है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बंडारू जी, आप यह भाषण कर रहे हैं, आप सीधे प्रश्न पर आईये। संक्षेप में प्रश्न पूछिये।

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, भाग (ख) बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, परन्तु आप संक्षेप में पूछिए।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मेरा प्रश्न है कि एक तरफ बड़ी कम्पनियों को लोन दिया जा रहा है, कुछ लोग इसमें शामिल है, उनकी लायबिलिटी पर, गारंटी पर, कुछ कम्पनियों को आप लोन दे रहे है।

क्या वैसी कम्पनियों को लोन देते समय ज्यादा से ज्यादा शर्तें न लगाया करें, क्या कुछ ऐसे कदम उठाएंगे? मै माननीय मंत्री जी से इन दो बिन्दुओ पर जानकारी चाहता हूँ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महादेय, मैंने गत वर्ष अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे बकायादार खातो की सूची प्रकाशित करेगा जिनके विरूद्ध बैकों ने धनराशि की वसूली के लिए मुकदमे दायर किए थे। उन सभी खातों जिनके विरूद्ध एक करोड़ से अधिक की धनराशि बकाया है, अब भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक छमाही के बाद उनके नामों की सूची प्रकाशित करता है। इसलिए, मेरे विचार में बैंक उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही करेंगे क्योकि यह प्रकाशित सूची है जो सभी बैंको को उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के बी पार्ट का उत्तर नहीं आया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पहले से ही नियमों में है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस देश में मंझोले और गरीब किसान अत्यधिक है और 15-20 वर्षों से किसानो के ऊपर बोझ लदा हुआ है। वे ऋण से उबर नहीं पा रहे है। सरकार की नीति यह है कि ऋण देकर उत्पादन को बढ़ाया जाए, तो क्या वित्त मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सीमान्त किसान है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग है या ऐसे लोग है जो ऋण की अदायगी नही कर पाए है, क्या मंत्री महोदय, उनके ऋण माफ करने पर विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को तो पढ़ लेते क्या यह इसमें से निकलता है?

श्री सूर्य नारायण यादव : सर, यह प्रश्न भी इसी मे से निकलता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने प्रश्न को पढ़ा भी है?

...(व्यवधान)...

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय उत्तर प्रश्न के अनुरूप नहीं है। वह प्रश्न क्यों पढ़ें? ...(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, हमारी ऋण प्रणाली के अन्तर्गत जहाँ किसान सूखा तथा अन्य आपदाओं जैसे कारणों के कारण अपने ऋण वापस नहीं कर सकते और इसके लिए इन ऋणों के पुर्न निर्धारण हेतु प्रावधान पहले से ही है। इसके परे मैं नहीं समझता कि ऋण माफी किसान के हित में है अथवा बैंकिग प्रणाली के हित में है अथवा देश के हित में है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : ज़नाबे स्पीकर सर, अभी वज़ीरे मालियात ने यह फरमाया कि एक करोड़ रूपये से ज्यादा के जो कर्जदार है, उनके नामों की हर छः महीने बाद आर. बी. आई एक सूची शाया करेगी और वह सूची सभी बैकों को मुहैय्या कराई जाएगी। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि एक करोड़ या उससे ऊपर की इस हद को घटाकर वे क्या 10 लाख रूपय करेंगे और महज उन्ही कर्जदारो जिनके खिलाफ आपने मुकदमा दायर किया हुआ है नहीं, बल्कि उनके भी, जिनके कर्ज आपने मुआफ़ कर दिए है, उनके नामों की भी कोई सूची आप पब्लिक के सामने रखेंगे और तमाम बैंक तक पहुंचाएंगे या नहीं?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं समझता हूँ कि इस वर्तमान प्रयोग का निष्पक्ष परीक्षण किया जाना चाहिए। एक बार हमें इसके परिणामों का पता लग जाए, तो हम इस पर विचार कर सकते है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : ता तिर्याक आवुर्दा शवद मार गजीदा मुर्दा शवद"

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरे पास एक सूची है जिसमें 5,000 से अधिक नाम हैं। मेरे पास भारतीय रिजर्व बैंक का सम्पूर्ण दस्तावेज है। मैं इसे आज लाया हूँ। यदि वे चाहते हैं तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : इसे सभा पटल पर अवश्य रखिए ...(व्यवधान)

श्री रवि राय : आप इसे प्रमाणित करें और तब सभा पटल पर रखे ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, एक अन्य अवसर पर इस मामले को श्री कुमार मंगलम और मैंने उठाया था। वास्तव में पायनियर वालो ने मेरी प्रति ली और इसे प्रकाशित कर दिया। उन्होंने प्रसे में इसी बात को उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सभा में आपकी बात पर विश्वास करेंगे।

...(व्यवधान)...

श्री सैयद शहाबुद्दीन : आप इसे प्रमाणित कीजिए ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इसे प्रमाणित करूँगा। यह भारती रिजर्व बैंक की सूची है जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल है जो 1 करोड से अधिक के ऋण के बाकीदार है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण नाम शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं, महोदय, दूसरी सभा के कुछ माननीय सदस्यों के नाम भी इस सूची में है। मैं उन नामों का उललेख नहीं करूँगा।

12.00 मध्याहन्

मैं केरल के एक न्यास को जानता हूँ जिस पर ऋण बकाया है मैं नामों का उल्लेख नहीं करूँगा परन्तु उस न्यास के न्यासियों में भी दूसरी सभा के सढस्य शामिल हैं और उसमें उनके नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस सभा के सदस्य नहीं है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : केरल के उस न्यास की ओर **ऋण बकाया है** और **इसमें** केरल के **बहुत ही महत्वपूर्ण** व्यक्ति **शामिल हैं। उनमें से कुछ दूसरी सभा के सदस्य है। मैं उनके नामों का उल्लेख नहीं करूँगा।**

अध्यक्ष महोदय : दूसरी सभा में आपका **बचाव करना बड़ा मुश्किल होगा।**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसमें कोई समस्या नही है क्योंकि सूची उपलब्ध है। बहरहाल मैं यह पूछ रहा हूँ कि यह अत्याधिक उत्सुकता की बात है कि मेरी गणना के अनुसार एक कम्पनी की बकाया राशि कम हो गई है–हो सकता है कि अपने इस राशि में से एक शून्य को हटा दिया है और हो सकता है कि इस राशि में मैंने एक शून्य जोड दिया है। परन्तु मेरे अनुमान के अनुसार एक ऐसी कम्पनी है जिसकी ओर 1000 करोड रूपये से अधिक का ऋण बकाया है। एक बार मैं पुनः कहता हूँ कि मैं नामों का उल्लेख नहीं करूँगा क्योंकि वे यहाँ उपस्थित नहीं है और मैं उनके नामों का उल्लेख करना नहीं चाहता। एक और कम्पनी है जिस

की ओर 400 करोड रूपये का ऋण बकाया है। मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्यके कम्पनी एक के बाद एक 10 या 15 निदेशकों के नाम ऋण लेती है। एक निदेशक ने ऋण लिया और वापस नहीं किया। दूसरा निदेशक किसी कम्पनी में ऋण लेता है और वापस नहीं करता। मेरा प्रश्न बहुत साधारण सा है।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति जी, समय समाप्त हो रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। यह सार्वजनिक सम्पत्ति है, उच्च न्यायालय में मुकदमें दायर किये गए हैं और बैंको को उनके बारे में जानकारी हैं। उन्हें सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जाता है? यह मेरा पहला प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है ऐसी सूचियों के परिपालन के पश्चात भी उधार लेने वाले कितने व्यक्तियों को ऋण दिये गए हैं? उनके द्वारा ऋण वापस न करने के बाद भी कितने ऋण लेने वालों को ऋण दिये गए है और कितनी राशि के ऋण दिए गए है? ...**(व्यवधान)**

ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई साँठ–गाँठ है।

श्री मनमोहन सिंह : माननीय सदस्य ने कुछ विशिष्ट दृष्टांतों का उल्लेख किया है। यदि वे उन मामलों के बारे में मुझे बताते है तो मैं भारतीय रिजर्व बैंक से इनकी जाँच करने के लिए कहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिक्किम को विमान सेवा से जोड़ना

***823 श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम ऐसे पर्यटन स्थलों में से एक है जहां अधिकतर विदेशी पर्यटक जाना चाहते है ;

(ख) क्या सिक्किम को अब तक रेल अथवा विमान सेवा से नहीं जोड़ा गया है ;

(ग) क्या सिक्किम को निकट भविष्य में विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या इस राज्य को नियमित विमान सेवा से जोड़े जाने तक सरकार यहां के लिए हेलीकाप्टर सेवा पुनः शुरू करने पर विचार करेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हाँ

(ख) से (घ). सिक्किम के लिए कोई सीधा रेल सम्पर्क नहीं है। सिक्किम सरकार द्वारा 1987 और 1989 के बीच पवन हंस लिमिटेड के हेलिकाप्टरों से हेलिकाप्टर सेवा प्रचालित की गई थी। 31 मई, 1989 से सेवाएं बन्द कर दी गयी थीं। हेलिकाप्टर प्रचालक सिक्किम के लिए, दोनों अनुसूचित और गैर अनुसूचित आधार पर, सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद

***825 श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह लक्ष्य स्वीकार कर लिया हे कि विकासशील देशों को प्रति वर्ष संसाधनों के रूप में विकसित देशों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत अंतरित किया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे अन्तरण की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या गत दशक के दौरान प्रतिवर्ष/वास्तव में हुए कुल अंतरण तथा उसके प्रतिशत में गिरावट आई है ;

(घ) क्या सरकार ने स्वयं अथवा अन्य बड़े देशों के सहयोग से सामूहिक रूप से उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रश्न को उठाया है तथा विकसित देशों से स्वीकृत लक्ष्य पूरा करने की अपील की है ; और

(ड) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हाँ। तथापि सभी देश इसे एक बाध्यकारी वचनबद्धता नहीं मानते।

(ख) अघतन उपलब्ध सूचना के अनुसार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय माध्यमों से विकासशील देशों को सरकारी विकास सहायता वर्ष 1993 में 59.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि तक थी जो दाता देशों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का औसतन 0.30 प्रतिशत प्रदर्शित करता है।

(ग) वर्ष 1993 में सरकारी विकास सहायता का कुल संवितरण वर्ष 1991 और 1992 के स्तरों की तुलना में पूर्ण (नामिनल) रूप में गिरावट दर्शाता है, परनतु यह वर्ष 1991 के पूर्व के वर्षो के स्तर में वृद्धि दर्शाता है। दाता देशों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में सरकारी विकास सहायता दशक में औसत रूप से कम हुई है।

(घ) और (ड). भारत पृथक रूप से और अन्य सहयोगी विकासशील देशों के साथ जी–77 और गुट–निरपेक्ष आंदोलन जैसे मंचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर समुद्रपारीय विकास सहायता के क्षेत्र में सहमत वचनबद्धता की पूर्ति के लिए बल देता रहा है।

आदर्श हवाई अड्डे

***826 श्री पंकज चौधरी** :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ हवाई अड्डे को आदर्श हवाई अड्डों के रूप में विकसित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गये हवाई अड्डों के नामों सहित तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ग) इनका विकास कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित 12 अंतर्देशीय हवाई अड्डों को आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की परियोजना शुरू की है। अनुमानित लागत और पूरा होने की सभावित तारीख का उल्लेख प्रत्येक के सामने किया गया है।

क्र. सं.	हवाई अड्डे का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रू० में	पूरा होने का संभावित तारीख
1	2	3	4
1.	भुवनेश्वर	23.62	दिसम्बर, 1995
2.	कालीकट	83.61	नवम्बर, 1995
3.	कोयम्बतूर	15.79	पूरा हो गया है।
4.	गुवाहाटी	43.29	दिसम्बर, 1996
5.	हैदराबाद	77.33	जुलाई, 1995 अंतर राष्ट्रीय ब्लाक जून 1996–अंतर्देशीय ब्लाक
6.	इंफाल	10.74	अक्तूबर, 1996
7.	इंदौर	14.51	दिसम्बर, 1996
8.	जयपुर	10.07	मार्च, 1996
9.	लखनऊ	14.59	अक्तूबर, 1995
10.	नागपुर	14.21	अक्तूबर, 1995
11.	पटना	12.44	मार्च, 1996
12.	बड़ौदरा	16.43	दिसम्बर, 1995

कार्यक्रम में नये टर्मिनल भवनों का निर्माण/वर्तमान टर्मिनल भवनों को जहां आवश्यक हो, विस्तार धापन पथ का, जहां संभव हो, 7500 फुट तक विसतार, नवीनतम दिक्चालक/अवतरण सुविधाओं की स्थापना और सीमा–शुल्क आव्रजन सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

बेरोजगार महिलाएं

***827 श्री पी. पी. कालियापेरूमल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार महिलाएं पर्याप्त संख्या में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पा रही हैं और प्रशिक्षु के रूप में भर्ती हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) रोजगार कार्यालयों के वर्तमान पंजीकरण रजिस्टरों में मार्च, 1994 तक पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार महिलाओं की संख्या कितनी थी; और

(घ) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से महिलाओं को उचित संख्या में रोजगार दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). रोजगार कार्यालय, राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम पुस्तिका में निहित अनुदेशों के अनुसार, महिला आवेदकों की भर्ती, उनके लिए विशिष्ट रूप से अधिसूचित की गई रिक्तियों तक ही सीमित नहीं है। महिलाओं के आवेदनों पर उन सभी रिक्तियों को भरते समय, जिनके लिए वे पात्र हैं, विचार किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार

को इस अनुदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। रोजगार चाहने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए, सभी राज्य सरकारें को यह सलाह दी गई है कि वे यथाउपयुक्त रोजगार कार्यालयों में महिला अधिकारियों की नियुक्ति करने पर विचार करें।

31 दिसम्बर, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार शिक्षित महिलाओं (मैट्रिक या अधिक रोजगार चाहने वाली) जिसमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 54-3 लाख थी।

रोजगार कार्यालयों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षुओं के संबंध में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विदेशी ऋण

*828 **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान कितनी विदेशी सहायता और ऋण राशि प्राप्त हुई ; और

(ख) उपरोक्त विदेशी ऋणों में से कितनी राशि अभी मिलनी है?

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्राप्त हुई विदेशी सहायता और ऋण निम्न प्रकार से हैं :

(करोड़ रूपए में)

	ऋण	अनुदान	जोड़
1992-93	10102.19	919.41	11021.60
1993-94	10895.41	885.62	11781.03
1994-95	9630.12	845.63	10475.75 (अनन्तिम)

(ख) चूंकि विदेशी सहायता वास्तविक उपयोग के आधार पर विदेशी दाता देशों द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए विदेशी ऋणों को प्राप्त न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विमानों की मियाद

*829 **श्री लाल बाबू राय :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गैर सरकारी एयरलाइंस और एयर टैक्सी संचालकों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विमानों में से प्रत्येक विमान की मियाद और उड़ान भरने की योग्यता की जांच की है ;

(ख) क्या सरकार इन विमानों की उड़ान भरने की क्षमता और सुरक्षा संबंधी पहलुओं से संतुष्ट है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से अधिकांश विमान उन पश्चिमी देशों की विमान कंपनियों से पट्टे पर लिए गए है जिन्होंने स्वयं इन विमानों की उड़ानें बंद कर दी थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ). प्राइवेट एयरलाइनों/हवाई टैक्सी आपरेटरों द्वारा प्रचालित कुल 63 विमानों में से 34 विमान विदेशी एजेंसियों से पट्टे पर लिए गए हैं। पूर्व प्रचालकों ने इन विमानों का उपयोग करना बन्द नहीं किया था।

प्राइवेंट आपरेटरों द्वारा प्रचालित विमानों के प्रचालनात्मक और उड़न योग्यता मानक सुनिश्चित करने की दृष्टि से नागर विमानन महानिदेशक के अनुरक्षण और प्रचालनात्मक पहलुओं की सूक्ष्म निगरानी के लिए प्रचालकों की सुरक्षा—परीक्षा, नियमित निगरानी जांचें, प्रचालकां की गुणवत्ता नियंत्रण यूनिटों के कार्य निष्पादनों की निगरानी, विमानों के सी. वी आर. और एफ. डी. आर. के वाचनों (रीड आऊट) के नियमित परीक्षण आदि जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

*830 **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने कुछ संगठनों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वयन से मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी किए गए किसी मानदंड का उल्लघंन होता है ;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत संगठन—वार कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी हाँ। जिन संगठनों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

लागू की गई हैं वे हैं—प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि० स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि०, टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन, माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, एम एम टी सी लिमि०, काफी बोर्ड और निर्यात निरीक्षण परिषद निर्यात/ निरीक्षण एजेंसिया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संगठन—वार संबंधित ब्यौरे निम्नलिखित है :

क्रम सं.	संगठन का नाम	स्वौच्छिक सवानिवृत्ति का लाभ उठाने वाले कर्मचारियो की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रू०)
1	2	3	4
01.	प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि०	14	0.23
02.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेश ऑफ इण्डिया लि.	580	11.54
03.	टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.		0.25
04.	स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	1	0.01
05.	इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड	3	0.01
06.	इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन	69	1.21
07.	माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	849	6.83
08.	एम एम टी सी लि.	709	16.96
09.	काफी बोर्ड	1493	37.80
10.	निर्यात निरीक्षण परिषद निर्यात निरीक्षण एजेंसियां	860	29.47

वस्त्र प्रयोगशाला

*831 **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ को वस्त्र क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान परीक्षण सुविधाओं की स्थिति और इन प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाने और विस्तार करने के संबंध में अध्ययन करने के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) बम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा अब तक कितना कार्य किया गया है: और

(घ) बम्बई वस्त्र अनुसंधाान संघ द्वारा यह अध्ययन कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). जी हाँ। बम्बई टैक्टाइल रिसर्च एसोसिएशन (बी टी आर ए) को वस्त्र क्षेत्र में परीक्षण के लिए विघमान सुविधाओं तथा उसकी भावी आवश्यकताओं को अध्ययन करने के लिए कहा गया है। उसके विचारार्थ प्रमुख विषयं निम्नलिखत है :—

1. देश में वस्त्र उद्योग के लिए उपबल्ध विघमान परीक्षण सुविधाओं की स्थिति।

2. निर्यात बाजार को ध्यान में रखते हुए वस्त्र क्षेत्र की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विघमान प्रयोगशालाओं के उन्नयन की आवश्यकता।

3. उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए नए स्थानों को अभिज्ञान करना। इसका उद्देश्य प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों के निकटस्थ स्थानों में प्रयोगशालाएं स्थापित करना ताकि उद्योग के अनुरोध को तुरन्त पूरा किया जा सके।

4. प्रशिक्षण की आवश्यकता और अपनाई जाने वाली तत्संबंधी प्रक्रियात्मक आवश्यकता।

5. सुविधाओं संबंधी अपेक्षाओं में अन्य बातों के साथ–साथ परिस्थितिकी प्राचन भी शामिल होगा।

6. विषय से सम्बद्ध अन्य कोई मामला।

बतरा को अध्ययन कार्य अप्रैल, 95 में ही सौपा गया है तथा इसके जून, 1995 में पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

निर्यात जोन

*832. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) निर्यात–जोनों का राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है,

(ख) राजस्थान से निर्यात किये जा रहे उत्पादों का ब्यौरा क्या है और देश के कुल निर्यात में इसके योगदान की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान से निर्यात की विपुल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस राज्य में निर्यात–जोन स्थापित करने का है ;

(घ) यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) देश में इस समय कार्यरत सात निर्यात प्रोसेसिंग जोन बंबई (महाराष्ट्र), काण्डला (गुजरात), नोएडा (उत्तर प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित हैं।

(ख) निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) से (ङ). धन की उपलब्धता और मौजूदा निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में आधारभूत सुविधाएं अधिकाधिक जुटाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए केन्द्रीय सरकार का देश में नए जोनों की स्थापना करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। किन्तु, निर्यात प्रासेसिंग जोनों की स्थापना अब राज्य सरकारों अथवा संयुक्त/गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति लेने के बाद की जा सकती है।

[अनुवाद]

बैंको द्वारा शेयरों में पूंजी निवेश

*833. **श्री लाईता उम्ब्रे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को बिचौलियों के माध्यम सैकेन्डरी मार्किट से कम्पनियों के शेयर और डिबेंचर न खरीदने क निर्देश जारी किये है ;

(ख) यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) शेयर बाजार और बैंको की वित्तीय स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी आई.) ने बैंको से कहा है कि बिचौलियों के माध्यम (सिकेन्डरी मार्किट) से शेयर और डिबेनचर लेना छोड़ दें। इससे ऐसे लेन–देनों में सट्टे बाजी से बचा जा सकता है।

(ग) इस प्रतिबंध से शेयर बाजार या बैंकों की वित्तीय स्थिति कोई प्रमुख हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष के उस 5% वृद्धिशील जमाराशियों की उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसे बैंक शेयरों और डिबेन्चरों में निवेश कर सकते है। फलस्वरूप शेयरों और डिबेन्चरों में उनके कुल निवेश में गिरावट नहीं आएगी।

जापान को कॉफी बीजों का निर्यात

*834. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को भारतीय कॉफी–बीजों के निर्यात की विपुल सभावना है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ग) यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा जापान को भारतीय कॉफी का अधिकाधिक निर्यात करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी हाँ

(ख) और (ग). काफी बोर्ड के एक अधिकारी तथा आई टी सी के बैंकाक स्थित कार्यालय के एक विपणन सलाहकार की टीम ने 25 अक्टूबर से 17 नवम्बर, 1981 के बीच संयुक्त रूप से एक बाजार अध्ययन किया था। टीम ने जापान में भारतीय कॉफी का संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ सिफारिशें देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। मुख्य सिफारिशें, निम्नलिखित थी:—

1. जापान के प्रमुख शहरों में काफी सप्ताह के जरिए बिक्री एवं संवर्धन अभियान चलाना।

2. भारतीय काफी के ब्रोशर व साहित्य छपवाना।

3. आपूर्ति की नियमितता में सुधार लाना।

4. जापान के प्रमुख आपातकों/रोस्टरों के साथ दीर्घावधि संविदा करना

5. 50-60 टन की बड़ी पैकिंग में काफी की उपलब्ध कराना।

(घ) जापान में भारतीय काफी का बाजार हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रयास किए थे :—

1. जापान की कॉफी के निर्यात पर निर्यातकों को वर्ष 1980 से 1982 तक बाजार प्रवेश नीति के रूप में छूट प्रदान करना।

2. कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी के निर्यात के लिए कॉफी की भारी आपूर्ति शुरू करना तथा जापान के आयातकों के साथ दीर्घवधि संविदाएं करना ;

3. भारतीय कॉफी बोर्ड का जापान में लोकप्रिय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना ; और

4. जापानी आयातकों को प्रचार अभियान के जरिए भारत में उत्पादित निर्यात योग्य विभिन्न ग्रेडों की काफी से परिचय करना।

बैंक खातों का अंतर-शाखा मिलान करना

*835. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकिंग लेन—देन में अनियमितताओं का पता लगाने में विलम्ब को दूर करने की दृष्टि से खातों के अंतर बैंक और अंतर शाखा के आधार पर मिलान करने के कार्य पर उचित ध्यान और प्राथमिकता देने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में बैंको की लेख—प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जहां तक अन्तर—शाखा मिलान का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको से 31 मार्च, 1993 तक की सभी बकाया प्रविष्टियों को मार्च, 1994 के अंत तक पूरा करने के लिए कहा था। मार्च, 1994 के बाद, किसी भी बैक से प्रविष्टियों को 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए असमायोजित रखने की आशा नहीं की गई थी। बैंको द्वारा इस संबंध में की गई प्रगति की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियरार्म की जा रही है।

बैंको ने खातों के शीर्ष अंतर—शाखा मिलान के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए है :—

1. पुरानी प्रविष्टियों को पूरा करने के लिए समय—सीमाएं निर्धारित की गई है;

2. अधिक मूल्य वाली प्रविष्टियों को पृथक किया जाता है और समायोजन/अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्राथमिकता दी जाती है;

3. मांग ड्राफटोंस से संबंधित प्रविष्टियों को अलग किया जा रहा है;

4. बकाए को पूरा करने के लिए कुछ बैंकों द्वारा विशेष कक्ष/कृतिक बल गठित किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक के निरीक्षण के समय अंतर बैंक खातों के मिलान की जांच की जाती है और निरीक्षण के निष्कर्षो के आधार पर मामले को संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विमान

*836. **डा. के पी. आर चौधरी** :

डा. वसंत पवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया के पास इस समय श्रेणी वार कितने कितने विमान है ;

(ख) गत दो वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में कितने कितने नए विमान शामिल किए गए ;

(ग) श्रेणी वार इनके कुल कितने कितने विमानों की उड़ानें रोक दी गई हैं और वास्तव में कितने कितने विमान चलाए जा रहे हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष इन विमानों की उड़ानें रोक देने से इंडियन एयरलाइंस को कितना वित्तीय घाटा हुआ है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में विमानों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

एयर इंडिया		इंडियन एयरलाइन्स	
बोईंग 747-200	9	एयर बस ए-300	10
बोइंस 747-300 (कोम्बी)	2	एयरबस ए-320	30
बोइंग 747-400	4	बोइंग 737	20
एयरबस ए-310	8	एफ-27	3
एयरबस ए-300	3		
कुल :	26		63

(ख) पिछले दो वर्षो के दौरान लिये गए विमानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

	1993-94	1994-95
एयर इडिया	3 बोइंग 747-400	1 बोइग 747-400
इंडियन एयरलाइनस	5 एसरबस ए-320	5 एयरबस ए-320

(ग) और (घ). इंडियन एयरलाइन्स के पास 63 विमानों में से, 58 प्रचालनात्मक हैं। इडियन एयरलाइन्स ने अप्रैल, 1993 में दो बोइंग 737 विमान ग्राउन्ड कर दिए थे; ये विमान 20 वर्ष से अधिक पुराने है। इडियन एयरलाइन्स के पास तीन एफ–27 विमान भी प्रचालनात्मक नहीं है। इन विमानों के ग्राउन्ड किए जाने के कारण कोई वित्तीय हानि नहीं है। एयर इंडिया के सभी विमान प्रचालनरत हैं।

माईका ट्रेडिंग कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति

*837. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड रूग्ण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष इसको हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इसको पुनः अर्थश्रम बनाने के लिये कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने इसके सुचारू कार्यकरण तथा इससे हुए घाटे का पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ड). औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरों ने माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगातार हानि होने के परिणामतः इसके वास्तविक मूल्य के ऋणात्मक होने के कारण रूग्ण उद्योग कम्पनी अधिनियम (एस. आई. सी. ए.) के अन्तर्गत अप्रैल, 1993 में रूग्ण घोषित किया था।

2. सरकार ने मिटको को एम. एम. टी. सी. लिमिटेड के साथ विलय करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया है, चूंकि सरकार को आशा है कि ऐसा करने से एम. एम. टी. सी. से उसे अपेक्षित प्रशासनिक/प्रबधकीय एवं विपणन संबंधी विशेषज्ञता मिलेगी जिससे इसको एम. एम. टी. सी के लाभप्रद प्रभाग के रूप में उभारने में सहायता मिलेगी। इन विलय को करने के लिये प्रक्रिया संबंधी विस्तुत विवरण तैयार किए जा रहे है।

हीरे जवाहरात तथा आभूषणों का निर्यात

*838. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षो को तुलना मं वर्ष 1994-1995 के दौरान हीरे जवाहरात तथा आभूषणों के निर्यात में उत्तरोत्तर उल्लेखनीय वृद्धि हुई ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान हीरे–जवाहरात तथा आभूषणों के निर्यात से विदेशी मुद्रा के अर्जन में कितनी वृद्धि हुई ; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान हीरे जवाहरात तथा आभूषणों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). जी हां। रत्न तथा आभूषणों के निर्यात में वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 में 16.67% की वृद्धि दर्शाई गई है।

वर्ष 1994-95 में रत्न तथा आभूषणों के निर्यात और वर्ष 1994-95 में उससे पिछले तीन वर्षो की तुलना में इस निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे है :

(मूल्य करोड़ रूपए)

मदें	1991-1992	1992-93	1993-94	1994-95	प्रतिशत वृद्धि
हीरे	5762.56	7791.58	11209.62	12625.38	12.63
स्वर्ण आ.	657.54	764.95	967.76	1482.01	53.13
अन्य	330-00	340.47	350.91	511.80	46.22
योगः	6750.10	8897.00	12528.29	14619.19	16.67

(स्रोत वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के लिए डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता और वर्ष 1994-95 के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद)

(घ) रत्न एवं आभूषण हमारे निर्यात का एक आकर्षक क्षेत्र है। सरकार ने इस क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए है। इन उपायों में शामिल हैं नीतियों में सुन्दर सामंजस्य स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी कीमतों पर कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करना। निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदशनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, अपरिष्कृत हीरों के पुनर्निर्यात हेतु बिना प्रतिबन्ध के कटाई/विभाजन/चिराई सहित/बिना अनुमति देना, आदि।

गैर सरकारी विमान कंपनियों पर बकाया राशि की वसूली हेतु कदम

***839. डा. आर मल्लू :**

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही विमान कंपनियों और एयर टैक्सियों का ब्यौरा क्या है और ये किन किन विमान कंपनियों से संबद्ध है और ये कब से चल रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन गैर सरकारी विमान कंपनियों की अनुमति/लाइसेंस निलम्बित करने का है जो विभिन्न प्रकार के करों का समय पर भुगतान न करने की दोषी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार गैर-सरकारी अनुसूचित विमान कम्पनियों और हवाई टैक्सी प्रचालकों के नाम तथा पते और उन्हें परमिट जारी किए जाने की तिथिया सलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) गैर-सरकारी विमान कम्पनी प्रचालकों द्वारा कर-अदायगियों में चूक की स्थिति में लाइसेंस निलंबित करने के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 और वायुयान नियम, 1937 में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी चूकों के लिए संबंधित कर कानूनों के अधीन कार्रवाही की जाती है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निजी अनुसूचित/हवाई टैक्सी प्रचालकों के ब्यौरे

क्र सं.	प्रचालक का नाम	पता	परमिट जारी करने तारीख	
			अनुसूचित परमिट	हवाई टैक्सी परमिट
1	2	3	4	5
अनुसूचित प्रचालक				
1	मैससे ईस्ट वेस्ट ट्रेवल्स एण्ड ट्रेड लिंकस	सोफिया, 18 कांटवारी रोड आफ परीरोड बांदरा, बम्बई 50	20-11-94	26-2-92
2	मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) प्रा. लि. (मैसर्स टेलविडंस लिमिटेड के स्वामित्व में जो आयल आफ मैन की एक निगमित कंपनी है)	41-42, मेकर चेम्बर 3 नरीमन पवाइंट, बम्बई	13-2-95	4-5-93
3	मैसर्स दमानिया एयरवेज लि.	103, केशवा बांद्रा कुरला कम्पलैकस, बांद्रा (ईस्ट) बम्बई-51	20-11-94	9-3-93
4	मैसर्स एम. जी. एक्सप्रेस	निगमित कार्यालय, मध्य तल, हेमकुंत टावर, 92, नेहरू पलैस, नई दिल्ली-19	20-11-94	5-5-93

1	2	3	4	5
5	मैसर्स एन. ई. पी. सी एयरलाइंस	36, वालाजाहा रोड़, मद्रास—600002	20-11-94	21-3-94
6	मैसर्स अर्चना एयरवेज लि.	41—ए, फ्रेंडस कालोनी (ई) मथुरा रोड, नई निल्ली—65	20-11-94	5-5-93
हावई टैक्सी प्रचालक				
1	मैसर्स इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	710, अरूणाचल ब्लिडिंग 7 वीं मंजिल 19, बाराखम्भ रोड, नई दिल्ली—1	—	28-2-90
2	मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज सविसेज	सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिलली—3	—	8-3-90
3	मैसर्स यू. बी एयर प्रा. लि.	एफ—44—ए साऊथ एक्सटेंसन नई दिल्ली—49	—	30-3--90
4	मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन	201, लक्ष्मी भवन, 72 नेहरू प्लेस, नई दिलली—110019	—	28-2-91
5	मैसर्स जैगसन एयरलाइन्स	12—ई, वन्दना बिल्डिंग, 11, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली—1	—	13-3-92
6	मैसर्स उड़ान रिसर्च एण्ड फलाइंग इंस्टीट्यूट	14—ए, रतलाम कोठी, इन्दौर (मध्यप्रदेश)	—	17-9-92
7	मैसर्स एरियल सर्विस प्रा. लि.	जूहू हावई अड्डा, बम्बई—400054	—	16-12-92
8	मैसर्स तराया एविएशन प्रा. लि.	11, पंचशील शॉपिग सैंटर, नई दिल्ली—110017	—	22-2-93
9	मैसर्स मैगापोड एयरलाइन्स	जूहू हवाई अडडा, जूहू, बम्बई—400049		15-11-93
10	मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइंस	सातवी मंजिल, अम्बा दीप, 14, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली—1		30-12-93
11	मैसर्स स्पेन एविएशन	विष्णु दर्शन, 1132/3, शिवाजी नगर, फरगुसन कालेज रोड, पुर्ण—16		19-1-95
12	मैसर्स मैस्को एयरलाइन्स	एच—1, जमरूदपुर कम्यूनिटी सैंटर, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली—110048		20-1-95

1	2	3	4	5
13	मैसर्स यू. पी. एयर सर्विसेज	रूपाली हाऊस, ए–2, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली–24		21-4-95
14	मैसर्स के. सी. वी. एयरवेज लि.	311-312, सुनेजा टावर–1, डिस्ट्रीक्ट सैंटर जनकपुरी, नई दिल्ली–1		18-4-95
15	मैसर्स वी. आई . एफ. एयरवेज लिमिटेड	क्लासिक एन्कलेव 6-3 668/17 पंजा गल्ला, हैदाराबाद		10-4-95

निर्यातोन्मुखी एककों के लिए बिक्री कर की प्रतिपूर्ति संबंधी मानदंड

***840. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातोनमुखी एककों के लिए बिक्री कर की प्रतिभूर्ति संबंधी मानदंडों में ढील दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निर्णय का कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम्) : (क) से (ग). निर्यात अभिमुख एककों को की जाने वाली घरेलू आपूर्तियों पर दिए जाने वाले केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यविधि में आंशिक संशोधन कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यविधि आंशिक संशोधन कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर वापसी का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बीजकों/बिलों का सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से सत्यापन कराने की पूर्ववर्ती आवश्यकता से छूट दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिपूर्ति के समय प्रस्तुत किए जाने वाले मूल बीजकों/बिलों को अब नहीं रखा जाता है अपितु उचित पृष्ठांकनों सहित दावेदान को वापस कर दिया जाता है। संशोधित कार्य प्रणाली से केन्द्रीय बिक्री कर के ऐसे दावों को शीर्घतापूर्वक निपटाने में सुविधा होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश मे उद्योगों को बंद किया जाना

8279. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक अध्यादेश के अनुसार वहां लगभग 1500 ऐसी औद्योगिक इकाईयां है जिनमें अत्यधिक जोखिम भरा उत्पादन होता है और उनमें लगे 1.5 लाख कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा एवं कलयाण संबंधी उपाय भी नहीं किए गए है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रोजगार सहायता केन्द्र

8280. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्थवस्था में ढांचागत परिवर्तनों से प्रभावित श्रीमकों के वैकल्पिक रोजगार हेतु व्यवस्था करने के लिए अस्थाई रूप से चलाए जा रहे रोजगार सहायता केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा–अध्यन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने इस समीक्षा के आधार पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). सरकार ने यौक्तिकृत कर्मकारो के परामर्श पुनर्प्रशिक्षण और पुर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता से पांच स्थानों अर्थात् अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, इंदौर तथा कानपुर मं प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में कर्मचारी सहायता केन्द्र स्थापित किये हैं। इसी प्रकार की

सुविधाओं की श्रम मंत्रालय क तत्वावधान के अंतर्गत छः उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा पन्द्रह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी परिकल्पना की गयी थी। प्रायोगिक परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर, सरकार ने 16 राज्यों को शामिल करके 48 स्थानों पर राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता से समान सुविधाओं की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है।

[अनुवाद]

समस्तीपुर ग्रामीण बैंक में आरक्षण

8281. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध मे समस्तीपुर ग्रामीण बैंक के स्टाफ और प्रबंधन के बीच 1992 के सिविल–याचिका अधिकार क्षेत्रवाद सं० 1499 पर पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में स्केल–एक अधिकारी से स्केल–दो अधिकारी के पद पर प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधी सरकारी नियमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां। प्रसंगवश मामला सं० 1992 की सीडब्ल्यूजेसी 1498 है।

(ख) याचिकाकर्ता द्वारा सम्भाव्य उच्चतम न्यायलय में एक विशेष अनुमति याचिका (एमएलपी) दायर की गई है। मामला निर्णयाधीन है।

कृषि वस्तुओं का व्यापार

8282. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार व विकास पर विश्व बैंक–संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू. एन. सी. टी. ए. डी.) के अधिकारियों ने हाल ही में नागरिक पूर्ति मंत्रालय के वरिष्ठ सदस्यों से भविष्य में वस्तुओं के व्यापार में सुधार लाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु मुलाकात की है: और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा तैयार संभाव्य रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि वस्तुओं के भावी व्यापार के लिए सुझाए गए तरीको की मुख्य विशेषताएं क्या है तथा इसका कृषि क्षेत्र और वस्तु बाजार से संबंधित वर्तमान उधार प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम के संक्षिप्त रूप मे सहायक–स्मरणपत्र का एक प्रारूप, आरम्भिक निष्कर्ष और मिशन के प्रस्तावित आगामी उपाय प्रस्तुत किए गए है। मिशन ने पाया है कि यद्यपि भारत मे तुलनात्मक विशेषता है तो भी उन्नत वस्तुओं के विकास और भारत में भावी परिवर्तनों पर अनेक नीतिगत दबाव थे। मिशन द्वारा सरकार को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

निर्यातकों के नकद मुआवजा सहायता संबंधी लंबित मामले

8283. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की निर्यात कम्पनियों से संबंधित नकद मुआवजा सहायता अदायगी के कई मामले अभी तक अदायगी के लिए लंबित पड़े है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब से ये मामले डी. जी. एफ. टी. के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित पड़े है ;

(ग) ऐसे कितने मामलों मे सरकार ने लेखा परीक्षा अधिकारियों से अपनी आपत्तियां वापस लेने तथा अदायगी करने को कहा है ;

(घ) क्या इन मामलों का सरकार के नियमों के अनुसार शीघ्र ही निपटारा किया जाएगा ; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ड). यद्यपि नकद मुआवजा सहायता (सीसीएस) के भुगतान के लिए सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम का मामला लम्बित नहीं है, लेकिन मैसर्स एस. बालमेट लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के एक मामले में लेखा परीक्षा ने कथित अधिक भुगतान किए जाने के बारे में आपत्ति की है। इसम मामले को लेखा परीक्षा, मद्रास के मुख्य निदेशक के साथ उठाया गया था। तथापि लेखा परीक्षा का आपत्ति वाला पैरा अभी विद्यमान है और इस पर आगे कारवाई की जा रही है।

निगमित क्षेत्र में विदेशी ऋण

8284. डॉ० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मई, 1995 के "द इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित "गवर्नमेंट शट्स गारंटी विण्डो फार एक्सटर्नल डेट बाई कारपोरेट्स, पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निगमित क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों दोनों में 40,000 करोड़ रूपए की राशि के विदेशी ऋण पर अलग–अलग बकाया गारंटियों का राशि–वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समय कुल 90 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के विदेशी ऋण के बकाया को देखते हुए सरकार का विचार विदेशी ऋण हेतु गारंटी विण्डो पूरी तरे से बंद करने का है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां, (1) ऋणों की वापसी अदायगी और उन पर ब्याज का भुगतान,*(2) शेयर पूंजी की वापसी–अदायगी ओर न्यूनतम लाभांश का भुगतान, और (3) साख के आधार पर सामग्रियों और उपकरणों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए भुगतान, के संबंध में विदेशी लेन–देनों पर भारत सरकार द्वारा दी गई बकाया गारण्टियों का विभाग–वार ब्यौरा वित्तीय लेखा, संघ सरकार, 1993-94 क विवरण सं. 4 में दिया गया है।

(ग) और (घ). विदेशी ऋणों पर भारत सरकार की गारण्टियां देने की नीति का विदेशी संस्थाओं और सरकारों की मांग और समुद्रपारीय निवेशकों के लिए वैकल्पिक रूपों से प्रतिभूति के निर्गमन के संदर्भ मे समग–समय पर पुनरीक्षा किया जाता है। जून, 1993 में यह निणय लिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जब भी इन एजेसियों को जरूरत होगी, बहुपक्षीय ऋणों के मामलें में भारत सरकार की गारण्टी दी जाएगी। द्विपक्षीय ऋणों के मामले में गारंटी नहीं दी जाएगी। गैर–सरकारी क्षेत्रों को बहुपक्षीय ऋण देने के मामले में गारण्टी केवल तभी दी जाएगी जबकि ऋणकर्ता पावर क्षेत्र में हो और भारत सरकार द्वारा उठाए गए वाणिज्यिक जोखिमों से पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था हों। सामान्यतः विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर सरकारी गारण्टियां नहीं दी जाती हैं।

[हिन्दी]

एल.आई.सी./जी.आई.सी. की सामाजिक आवास योजना

8285. श्री एन. जे. राठवा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल. आई. सी. और जी. आई. सी. में कोई सामाजिक आवास योजना चल रही है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान एल. आई सी. और जी. आई सी. द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत गुजरात को विशेषत इसके आदिवासी क्षेत्रों के लिए, कितना ऋण दिया गया और चालू वर्ष में कितना दिया जाएगा ; और

(घ) इसी अवधि के दौरान गुजरात में उक्त योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). योजना आयोग जीवन बीमा निगम साधारण बीमा निगम को निधियां आवंटित करता है जिन्हें आवसन क्षेत्र की शहरी और ग्रामीण स्कीमों सहित ग्रामीण और शहरी समाजोन्मुख स्कीमों को सहायता प्रदान करने के लिए गुजरात के आयोजना शीर्ष के अन्तर्गत परक्रामित ऋणों के रूप में मुहैया कराया जाता है। पिछले तीन वर्षो के दौरान दिए गए ऋणों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रू० में)

वर्ष	जीवन बीमा निगम		साधारण बीमा निगम
	सामान्य	ग्रामीण	सामान्य (ग्रामीण आवासन और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के लिए आवासन सहित)
1992-93	6.27	2.10	कोई आबंटन नही
1993-94	6.90	2.30	2.93*
1994-95	8.91	2.97	कोई आबंटन नहीं

*सहायता नहीं ली गयी।

योजना आयोग द्वारा चालू वर्ष के लिए अभी आबंटन किए जाने है।

समाज के विभिन्न वर्गो के लाभ के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा तैया की गयी स्कीमों के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा अभी उपयुक्त आबंटनों को उपयोग में लाया जाना है।

कताई मिलें

8286. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 के दौरान देश में राज्य–वार कितनी कताई मिलें कहाँ–कहाँ स्थापित की गई ;

(ख) उक्त मिलों की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) इन मिलों को स्थापित करने में कितनी लागत आई है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). ऐसी सूती, मानव निर्मित फाइबर कताई मिलों, जिन्होंने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान उत्पादन करना शुरू कर दिया, की संख्या तथा उनकी अवस्थिति और ऐसी प्रत्येक मिल की उत्पादन क्षमता को दर्शाने वाला ब्यौरा से लग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

(ग) मिलों की स्थापना पर हुए व्यय के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 क दौरान उत्पादन शुरू करने वाली सूधी/मानव निर्मित फाईबर कताई मिलें।

क्रम सं.	मिल का नाम	अवस्थिति	स्थापित क्षमता तदुए	स्थापित क्षमता करघे
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश			(संख्या)	(संख्या)
1.	श्री राजा राजेश्वर कोआप० मिल्स लि०	करीमगर	24960	0
2.	क्वालिटी स्पिनिंग एण्ड वी० प्रा० लि०	अदीलाबाद	0	192
3.	श्री धनलक्ष्मी काटन एण्ड राइस मिल्स लि०	गुन्टूर	27840	0
4.	श्री लक्ष्मी फाईबर लि०	नालगोंडा	0	384
5.	सूर्यज्योति स्पिनिंग मिल्स लि०	महबूबनगर	6912	0
गुजरात				
6.	असरवा ओवरसीज	अहमदाबाद	5040	0
7.	हंजीर फाईबर लि०	सूरत	0	504
हरियाणा				
8.	हिसार स्पिनिंग मिल्स लि०	हिसार	0	672
9.	मै० गुप्ता फाईबर	पानीपत	0	168
10.	श्री बाबा रूपवास स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०	रिवाड़ी	0	384
11.	एच आर एस काटन मिल्स	पानीपत	0	384
12.	श्री श्याम टैक्सटाईल्स (प्रा०) लि०	सोनीपत	0	384
13.	कालिस्ट इंटरनेशनल लि०	हिसार	0	800
कर्नाटक				
14.	मालादिनी यान (प्रा०) लि०	बेलगांव	0	336
मध्य प्रदेश				
15.	सेन्चुरी यार्न (ह ओ यू)	खारगांव	24960	0
16.	पारसरामपुरिया इंटरनेशनल	धार	28800	0
17.	विप्पी स्पिन प्रा० लि०	देवास	0	768
18.	मिड इण्डिया इण्डस्ट्रीज लि०	मंदसौर	12480	0
19.	गिरनार फाईबर लि०	धार	7200	0

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
20.	दत्ता सेठ विन सूत गिरनी लि०	कोलहापुर	1392	672
21.	मै० अरविन्द काटस्पिन लि०	कोलहापुर	25200	0
22.	इण्डो रामा सिन्थेटिक्स (इण्डिया) लि०	नागपुर	10368	0
पंजाब				
23.	दि भटिण्डा कोआ प० स्पि० लि०	भटिण्डा	0	1920
24.	मै० अभिशेख इण्डस्ट्रीज लि०	संगरूर	17280	0
25.	ए पी एन्जीमिस (इण्डिया) लि०	पटियाला	5320	132
राजस्थान				
26.	राजस्थान स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०	भीलवाड़ा	9216	0
तमिलनाडु				
27.	गंगात्री टैक्सटाईल्स लि०	कोयम्बटूर	0	1152
28.	एस एम टैक्सटाईल्स लि०	कोयम्बटूर	2640	0
29.	श्रि रागुना मिल्स बी यूनिट	कोयम्बटूर	6600	0
30.	विष्णुपुर टैक्सटाईल्स (प्रा०) लि०	कोयम्बटूर	2940	0
31.	श्री रामकृष्णा मिलस	पेरियार	6048	0
32.	श्री विगनेश्वर काटन मिल्स	पी एम थेवर	6884	0
33.	श्री स्कन्ध स्पिनर्स	डिण्डीगुल अन्ना	6048	0
34.	कुट्टी स्पिनर्स (प्रा०) लि०	सलेम	6018	0
35.	निर्मला टैक्सटाईल्स	कनराजप	7420	0
36.	थुरन स्पिनिंग मिलस प्रा० लि०	डिण्डीगुल अन्ना	6048	0
37.	वेलन टैक्सटाईल्स (प्रा०) लि०	पेरियार	5760	0
38.	मै० नवीन स्पि० मिल्स प्रा० लि०	सलेम	0	192
39.	सुबबूराज स्पिनिंग मिल्स (प्रा०) लि०	कट्टाबोमन	9888	0
हिमाचल प्रदेश				
40.	अरिष्ट स्पि० मिल्स लि०	सोलन	12960	0
		कुल :	285672	9044

विवरण-II

वर्ष 1994-95 के दौरान उत्पादन शुरू करने वाली सूची/मानव निर्मित फाईबर कताई मिले

क्रम सं०	मिल का नाम	अवस्थिति	स्थापित क्षमता तयुए	तयुए
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश			(संख्या)	(संख्या)
1.	बीना टैक्सटाईल्स लि०	चितौर	12960	0
गुजरात				
2.	गुजरात अम्बूजा काटस्पिन लि०	साबरकाण्ठा	16000	0
हरियाणा				
3.	जय लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स लि०	सिरसा	0	336
4.	मैसर्स हतिया यार्न (प्रा०) लि०	पानीपत	0	384
5.	एस के काटेक्स (प्रा०) लि०	-	-	384
मध्यप्रदेश				
6.	माईकल फाईबर्स लि०	खारगांव	13440	0
पंजाब				
7.	मैसर्स गीता थ्रेड्स लि०	संगरूर	0	504
8.	विन्सन्स यार्न लि०	पटियाला	17280	0
तमिलनाडु				
9.	प्राईम काटन टैक्सटाईल्स	कोयम्बटूर	25200	0
10.	टैक्सटूल मल्टी फाईबर टैक्सटाईल्स	कोयम्बटूर	6552	0
11.	चन्द्रा टैक्सटाईल्स लि०	कोयम्बटूर	5192	0
12.	तिरूमति मुथामल टैक्सटाईल्स (प्रा०) लि०	पोदूकोताई	6000	0
13.	अरूमुगम स्पिनिंग मिल्स (प्रा०) लि०	कामराज	1032	0
14.	अरासन सिन्टैक्स लि०	वी. ओ चिन्दाक्रम	3024	0
15.	प्रभु स्पिनिंग मिल्स (प्रा०) लि०	डिन्डीगुल अन्ना	11088	0
16.	स्वामीनाथन स्पिनिंग मिल्स (प्रा०) लि०	सलेम	2580	0

दमन य दाव

[अनुवाद]

ओमान के साथ व्यापार

8287. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा ओमान एक संयुक्त व्यापार आयोग स्थापित करने पर सहमत हो गए है ताकि व्यापार संबंधी सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु एक मंच तैयार किया जा सके तथा दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधियों के बीच अर्न्तसंबंध में वृद्धि हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) : जी, हां। एक संयुक्त व्यापार समिति स्थापित करने के लिए 19 अप्रैल, 1995 को नई दिल्ली में भारतीय पक्ष की ओर से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) और एशोसिएटैड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचेंम) ने तथा ओमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने एक करार पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त व्यापार समिति का उद्देश्य भारत और ओमान के व्यापारी समुदायों के बीच मित्रता एवं समझदारी बढ़ाते हुए व्यापार, निवेश, टकनालॉजी स्थानान्तरण, सेवा क्षेत्र तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।

रोजगार कार्यालय

8288. श्री राम शरण यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा दिल्ली स्थित रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की कोई चांच की जाती है ;

(ख) क्या इन कार्यालयों को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में दिलली प्रशासन को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). रोजगार कार्यालय अपनी–अपनी राज्य सरकारों तथा संघ प्रक्षसित प्रशासनों के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। इन कार्यालयों के मुख्य कार्यकलाप नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करना तथा उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करना है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम पुस्तिका (एन ई एस एम) में रोजगार कार्यालयों के प्रचालन हेतु सामान्य नीतियां तथा मानक प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित की गई सामान्य नीतियां तथा मानक प्रक्रियाओं का अनुपालन, दिल्ली स्थित रोजगार कार्यालय सहित, सभी रोजगार कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है, नमूने के आधार पर उनका संयुक्त मूल्यांकन केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश के विद्युत संयंत्रों का अध्ययन

8289. डा० आर० मल्लू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने आन्ध्र प्रदेश कमें गैर–सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों की तकनीकी अथवा वित्तीय क्षमता के संबंध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य में गैर–सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हे ; और

(ङ) इन पर कया कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० (आईसी आईसी आई) ने सूचित किया है कि उसने आन्ध्र प्रदेश में गैर–सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों के लिये कोई विस्तृत अर्थक्षमता अध्ययन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

(ग) से (ङ). आईसीआईसीआई ने सूचित किया है कि उसे वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिये दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। आईसीआईसी आई ने परियोजनाओं के लिये पहले ही वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है।

भारतीय निवेश केन्द्र

8290. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यकलापों को सुदृढ़ करने तथा इन्हें बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सहारा हवाई अड्डा

8291. श्री राम नाईक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई के सहार हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). बम्बई हवाई अड्डे पर सुविधाओं के और आगे के बाद, इस हवाई अड्डे का नाम बढ़ाकर जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की ओर से सहायता

8292. श्री परस राम भारद्वाज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और नशीली दवाओं के सेवन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के ओर से किसी प्रकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस सहायता का उपयोग किस प्रकार से करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). देश में स्वापक औषधों के अवैध व्यापार तथा सेवन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय औषध नियंत्रण कार्यक्रम, वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

इस सहायता का उपयोग कम्प्यूटरीकृत डाटा बसे स्थापित करने, सचार सुविधाओं को उन्नत बनाने, औषध परीक्षण प्रयोगशाला के लिए उपस्कर प्रदान कराने तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गीतशीलता में सुधार करने के रूप में किया जा रहा है तथा अव्यसन, उपचार तथा पुनर्वास आदि जैस मांग की कमी की प्रक्रियाओं में भी सहायक सिद्ध होती है।

बैंक दरें

8293. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिवर्ज बैंक का एक ऐसा तंत्र विकसित करने का विचार है जिसके द्वारा बैंक दर स्वतः ही संदर्भ दरें बन जाएंगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह तंत्र कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिवर्ज बैंक ने सूचित किया है कि वह एक तंत्र सृणित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके माध्यम से बैंक दर संदर्भ दर बन जाएगी। संदर्भ दर, प्रणाली की अन्य ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए संकेत प्रदान करेगी। ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं और इस प्रकार की प्रणाली शुरू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

तमिलनाडु में नागर विमानन परियोजनाएं

8294. श्री पी. कुमारासामी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में नागर विमानन सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर काम शुरू हो चुका है और क्या प्रगति समयानुसार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सभी परियोजनपओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). विमानपत्तन का उन्नयन एक सतत्त प्रक्रिया है और इसे प्रद्वेपित आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरण बद्ध तीरीके से किया जाता है। ८ वीं योजना के दौरान भरातीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तमिलनाडु में मद्रास और कोयम्बेत्तूर विमानपत्तनों के उन्नयन का कार्य हाथ में लिया है। विकास परियोजनाओं के विभिन्न संघटक कार्यक्रमानुसार पूरे हो जायंगे। इसके अलावा, 8 वीं योजना में सालेम और तूतीकोरिन में नए विमानपत्तनों का भी निर्माण किया गया है।

8295. श्री थाईल जॉन अंजलोज : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार और केरल कॉयर मजदूर कलयाण निधि बोर्ड से मजदूरों के कल्याण के लिए धनराशि का आबंटन बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि केरल कॉयर कर्मकार कल्याण निधि बोर्ड के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी की जाए ताकि कॉयर कर्मकारों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पेंशन, चिकित्सा व्यय, छात्रवृत्तियों, विवाह पर होने वाले खर्चो, दाह संस्कार संबंधी व्ययों आदि जैसे कल्याणकारी उपायों को कार्यन्वित किया जा सके।

(ग) कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 1993-94 में केरल कॉयर कर्मकार कल्याण निधि बोर्ड को 10 लाख रूपये की धनराशि मुहैया करवायी गयी थी।

इसके अतिरिक्त, केरल सरकार ने अलापुशा में राजीव गांधी स्मृति वृद्धावस्था होम की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का उल्लंघन

8296. श्री राम कृपाल यादव :

श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक निर्माता कम्पनियां वर्तमान श्रम कानूनों और सुरक्षा उपाय के उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान इनका उल्लंघन करने वाली उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान श्रम कानूनों/सुरक्षा उपायों का समुचित कियन्वयन सुनिश्चित करने हेतु इन कम्पनियों के कार्यक्रम की समीक्षा की है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

सिगरेट निर्माता कंपनियों पर छापे

8297. श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री शशि प्रकाश :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग ने हाल ही में कुछ सिगरेट निर्माता कंपनियों पर छापे मारे है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एककों द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन के किसी मामले का पता लगा था;

(घ) यदि हां, तो कंपनी–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन एककों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). जी, हां। सिगरेट का विनिर्माण करने वाली उन कम्पनियों का ब्यौरा, जिनकी विभाग द्वारा हाल ही में तलाशियां ली गई हैं और जांच की गई है, सलग्न विवरण में दिया गया है। इन मामलों में जांच कार्य अभी भी चल रहा है।

(ङ) उन कम्पनियों तथा व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय न्यायनिर्णयन के जरिए कार्यवाही की जाती है, जिन्हें शुल्क अपवंचन में ग्रस्त पाया जाता है। इन कार्यवाहियें में अपवंचित शुल्क की राशि की मांग करने के अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार, संबधित व्यक्तियों पर अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, गंभीर आपराधिक मामलों में संबधित व्यक्तियों पर न्यायलयों में मुकदमें भी चलाए जाते हैं।

उन विनिर्माताओं के नाम जिनकी विभाग द्वारा तलाशियां ली गई हैं और जांच की गई है।

क्रम संख्या

1. मैसर्स जी. टी. सी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बड़ौदरा तथा बम्बई।
2. मैसर्स चिनार सिगरेट्स, भरतपुर।
3. मैसर्स एम. पी तम्बाकू लिमिटेड, दुर्ग।
4. मैसर्स तिरूपती सिगरेट्स, वाराणसी।
5. मैसर्स कानपुर सिगरेट्स कम्पनी लिमिटेड, कानुपर।
6. मैसर्स पूर्णा तम्बाकू, नासिक।
7. मैसर्स तमिलनाडू तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड, सलेम।

8. मैसर्स जुपीटर तम्बाकू इंडस्ट्रीज प्रा. लि०, सिंगरायाकोन्डा।

9. मैसर्स सुवर्गा फिल्टर्ज एण्ड तम्बाकू प्रोडक्ट्स लिमिटेड।

10. मैसर्स नालन्दा तम्बाकू कम्पनी, हैदराबाद।

क्रम सं० 2-9 में दिए गए विनिर्माता मैसर्स जी. टी. सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फ्रैन्चाइज होल्डर है।

उपर्युक्त कम्पनियों के अलावा हैदराबाद में निम्नलिखित सिगरेट निर्माताओं से भी रिकार्ड सम्मन भेजकर प्राप्त किए गए थे।

मैसर्स श्री चन्द्रा तम्बाकू कम्पनी, हैदराबाद।

मैसर्स हिल्टन तम्बाकू, हैदराबाद।

मैसर्स वजीर सुल्तान तम्बाकू कम्पनी, हैदराबाद।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता

8298. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषतौर पर लघु क्षेत्र में उद्यमियों को उत्प्रेरक वित्तीय सहायता दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्रम—वार ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने हेतु किन—किन संस्थाओं को नामित किया है ;

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए है ; और

(ङ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1995-96 का क्षेत्र—वार कितना—कितना वार्षिक बजट निर्धारित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है और उद्यमियों को सीधे ही अनुदान अथवा ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता नहीं देता। प्रयोक्ता की अधिक अभिरूचि संबंधी कार्यक्रम के भाग के रूप में, यू.एन.डी.पी. द्वारा सहायता प्राप्त जुट कार्यक्रम प्रशिक्षण सहायता परामर्शी सेवाओं के जरिए और यू. एन. डी. पी द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जुट कार्यक्रम के अभिकरण के जरिए कुछ उपस्कर सहायता मुहैया कराकर कुछ उद्यमियों की सहायता कर रहा है।

बागडोगरा हवाई अड्डा पर यात्री विश्राम कक्ष

8299. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागडोगर हवाई अड्डा कब आरंभ हुआ ;

(ख) क्या सरकार को इस हवाई अड्डे पर अपर्याप्त सुविधाओं की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए है ;

(घ) क्या सरकार का विचार यात्री विश्राम कक्ष और सुरक्षा कक्ष के विस्तार का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). बागडोगरा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का है और इसने सन 1950 के दशक के शुरूआती वर्षों से काम करना प्रारंभ कर दिया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल इन्कलेव का रख रखाव कर रहा हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं सहित एक नए टार्मिनल भवन कम्पलैक्स का निर्माण करने का प्रस्ताव है। सकल्पनात्मक नक्शे (ड्राइंग) तैयार किए जा रहे हैं। कार्य वर्ष 1995-96 में शुरू होने की आशय है।

निर्यात ऋण मानदण्डों में परिवर्तन

8300. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात ऋण योजनाओं में काफी रियायत दिये जाने के बावजूद देश में व्यावसायिक बैंको के संसाधनों पर ये बड़ा बोज सिद्ध नहीं हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या भारतीय बैंकों के संघ आई. बी. ए. ने हाल ही में निर्यात—ऋण संरचना में मूलभूत परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्यात ऋण योजनाओं की आई. बी. ए की सिफारिशों के अनुरूप कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). यद्यपि निर्यातकों का निर्यात ऋण विशेषरूप से

कम ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता है, तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती है कि बैंको को निर्यात ऋण 1% के ऋण के ब्याज दर विस्तार (स्प्रेड) पर उपलब्ध कराया जाता है। निर्यात ऋण की ब्याज दर का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत प्रति सहायता का तत्व उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि निर्यात ऋण स्वतः वित्तपोषक बैंको को बहुत कम विस्तार प्रदान करता है, लेकिन निर्यात के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में प्रवाहित होने वाली विदेशी मुद्रा कारोबार की आय तथा आकस्मिक गैर निधि आधारित कारोबार से बैंक को हाने वाली आय बैंकों को विस्तार की उपलब्धता में वृद्धि करती है। स्पष्टरूप से यह नहीं कहा जा सकता कि निर्यात ऋण प्रदान करने से वाणिज्यिक बैंकों के संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे अभी तक भारतीय बैंक संघ से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

फार्नबोरो एयर शो आफ ब्रिटेन

8301. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया बोर्ड मेम्बर्स के एक शिष्टमंडल ने बिटेन में फार्नबोरो एयर शो में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुई चर्चा और भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारती प्रतिनिधियों द्वारा 300 यात्रियों के भार और कम दूरी तक माल ले जाने की क्षमता वाले मध्यम दर्जे के विमान के संबंध में भारतीय आवश्यकताओं की बात विमान निर्माताओं के ध्यान में लाई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो भारीतय आवश्यकताओं की बात किस सीमा तक स्वीकार की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). एयर इंडिया के निदेशक मंडल ने एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एयर शो में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया था परन्तु वे उसमें भाग नहीं ले सके। निदेशक मंडल ने दो सदस्यों ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में एयर शो में भाग लिया। सरकार को उनके द्वारा एयर शो में किए गए किसी भी प्रकार के विचार विमर्श अथवा दिदये गये किसी भी सुझाव की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

तन्तुशोथ (फाइब्रोसिस)

8302. श्री दत्ता मेघे :

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन अथवा तन्तुशोथ अथवा सिलिकोसिस रोग पैदा करने वाले उद्योगों में कार्य करने वाले श्रीमकों में एसी बीमारियां होने की घटनाओं के बोर में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पूरे देश में आए विशेष रूप से स्लेट खनन, अभ्रक खनन और बीड़ी बनाने वाले श्रीमकों में ऐसी बीमारियों का स्तर क्या है;

(ग) क्या रोकथाम अथवा उपचार संबंध कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तेल पूंजी निवेश विकास बोर्ड की धनराशि का निवेश

8303. श्री चित्त बसु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल पूंजी निवेश विकास बोर्ड की धनराशि के गलत निवेश के मामलें में केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इस बीच अपना जांच कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस जांच कार्य को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी, नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरों के अन्वेषण अधिकारी ने मार्च के अन्त और मध्य मई, 1992 के बीच तेल उद्योग विकास बोर्ड के साथ उपलब्ध अधिशेष निधि की स्थापना से संबंधित मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रस्तुत रिपोर्ट केन्द्रीय जॉच ब्यूरों के मुख्य कार्यालय में संवीक्षाधीन है।

"बाइसिनोसिस"

8304. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग में कार्यरत श्रमिक विशेष रोग "बाइसिनोसिस" से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अध्ययन करने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(घ) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ड) यदि हां, तो सरकार ने इस सबंध मे क्या कार्यवाही की है और इस रोग से श्रमिकों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गये है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ड). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

"अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष" से सहायता

8305. डा० छत्रपील सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष राज्य के अल्पसंख्यक बहुल मेवाल क्षेत्र में कृषि और इससे जुडे व्यासायों के समन्वित विकास हेतु हरियाणा को 15 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायत देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हरियाणा के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु इसी तरह की सहायता प्राप्त करने के संबंध में कोई अन्य प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड) यदिं नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई. एफ. ए. डी.) से हरियाणा के मेवात क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए 15 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के संबंध में बातचीत की गई है। इस परियोजना की अवधि 8 वर्ष होगी और इस परियोजना का सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करके कृषि संबंधी उत्पादकता को बढ़ाने और समुदाय विकास तथा साक्षरता कार्यक्रम के लिए महिलाओं को समूहों में कार्यप्रवृत्त करने पर जोर रहेगा।

(ग) हरियाणा के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से इस प्रकार की सहायता के लिए कोई अन्य प्रस्ताव नहीं रखा गया हैं

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ड) मेवात विकास परियोजना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है और परियोजना के चयन के लिए मार्गदर्शक मानदंड क्षेत्र का अत्यंत पिछड़ा होना है जो कि साक्षरता स्तर, सिंचित क्षेत्र, व्यवसायिक ढांचा, औसतन परिवार का बड़ा आकार पेयजल की प्रति व्यक्ति कम उपलंब्धता और भूमि की कमजोर परिस्थितियों जैसे विभिन्न संकेतों पर आधरित है। हरियाणा सरकार से हरियाणा के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से ऐसी ही सहायता हेतु अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वापक औषध संबंधी बैठक

8306. श्री राम कापसे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और म्यांमार में स्वापक औषध नियंत्रण के कार्य में लगी मुख्य एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों की दूसरी बैठक यैंगोन में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) इस निर्णय का पालन करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी, हां। स्वापक औषध अवैध व्यापार विरोधी भारत और म्यांमार द्विपक्षीय समझौते पर मुख्य एजेंसियों के प्रमुखों की दूसरी बैठक दिनांक 19 दिसंम्बर 1994 को यैंगोन में हुई थी।

दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचनाओं का बेहतर आदान-प्रदान तथा गहन सहयोग करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

8307. श्री छीतूभाई गामोत : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात खेत विकास परिषद, अहमदाबाद द्वारा चलाए जा रहे ऊनी कालीन केन्द्रों में बाल श्रमिक कार्य कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस मामले की जांच करने हेतु अपने अधिकारियों का कोई दल भेजने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह दल कब तक भेजा जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

"वेकेंसी एक्ट" की अनिवार्य अधिसूचना

8308. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजकों के लिए वेकेसी एक्ट की अनिवार्य अधिसूचना के अंतर्गत अपेक्षित कार्मिकों की आवश्यकता की अधिसूचना देना अनिवार्य होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में यह घटना आई है जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों की भर्ती करने की बजाय कार्मियों को सीधी भर्ती द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी नहीं श्रीमान। यह केवल नियोजंक के लिये अनिवार्य है कि रिक्तियों को संबंधित रोजगार कार्यालयों में अधिसूचित करें।

(ख) और (ग). रोजगार राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। किसी भी राज्य सराकार द्वारा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंधन का कोई भी उदाहरण केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

गैर-सरकारी पूंजी निवेश

8309. श्री प्रमयेश मुखर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्याज/दरों में परिवर्तन हेतु गैर–सरकारी पूंजी निवेश की मूल्य सापेक्षता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). गैर सरकारी निवेश कारकों की भारी संख्या पर निर्भर करता है। अब तक किए गए विशेष रूप से विभिन्न आर्थिक सुधार उपायों से गैर सरकारी निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना की गई हैं। इन में नैगम करों में कटौती करना, पूंजीगत सामान पर मोडवेट प्रदान करना, पूंजीगत सामान के आयात और उन के उत्पादन में प्रयोग की गई निविष्टियों पर टैरिफों में कमी करना, प्रोद्योगिकी में उदारीकरण, आयात और विदेशी निवेश व्यवस्था, उद्योग में लाइसेन्स व्यवस्था समाप्त करना, व्यापक स्तरीय आर्थिक स्थिरता तथा अर्थ–व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न करना शामिल है।

इस पर भी ध्यान दिया जाए कि कम्पनियों पर ब्याज भुगतान की प्रभावी भार पर्याप्त रूप से कम है जैसा कि इक्विटी पूंजी पर लाभांश भुगतनों के विपरीत जिस की अनुमति इस छुट पर नहीं दी जाती कम्पनियों के लाभों पर कर के परिकलन के लिए ब्याज भुगतानों की कटौती की जाती है।

प्राइवेट विमान कंपनियों की सीट क्षमता में वृद्धि

8310. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्राइवेट विमान कंपनियों को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में सीट क्षमता में भारी वृद्धि करने हेतु अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). निजी एयरलाइनों को केवल अंतर्देशीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति दी गयी है। इसलिए, अंतराष्ट्रीय सीट क्षमता में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एअरलाइन्स के पायलटों को प्रोत्साहन

8311. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के पायलटों को और अधिक प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारने निर्धारित उड़ानों के संबंध में कोई नियम बनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) ये नियम कब से लागू किए जायेंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के साथ नवम्बर, 1993 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अंतर्गत उड़ान भत्ता, विशेष भत्ता, अनुभव भत्ता जैसे कतिपय परिवर्तनीय भत्तों को प्रत्येक महीने में की गई उड़ान के घंटों के साथ जोड़ा गया है। अंतराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भुगतान की प्रति घंटे दर 15-10 1994 से निर्धारित की गई है।

(ग) से (ड). जी, हां। अनुसूचित उड़ानों सहित हवाई परिवहन सेवाओं के तत्काल विनियमन के लिए प्रावधान करने हेतु वायुमान नियम, १६३७ में संशोधन किया गया है।

[हिन्दी]

सूती कपड़े के मूल्य

8312. श्री गुमान मल लोढा :

डा० चिंता मोहन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान देश में सूती कपड़े के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जून 1992 की तुलना में दिसम्बर 1994 में सूती कपड़े के मूल्यों में यह वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या पोलिएस्टर, टेरीकोट, और इस प्रकार के अन्य कपड़े के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो जनवरी 1991 की तुलना में दिसम्बर 1994 में इन कपड़ो के मूल्यों में यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है ; और

(ड) कपड़े के मूल्यों में इस वृद्धि के क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षो के दौरान देश मे सूती कपड़े की कीमतों में वृद्धि हुई है। जून, 1991 की तुलना में दिसम्बर, 1994 में फुटकर अवस्था में सूती कपड़े की कीमतों में प्रतिशत वृद्धि लगभग 67 प्रतिशत है।

(ग) से (ड). जी हां। जनवरी, 1991 की तुलना में दिसम्बर, 1994 में फुटकर अवस्था में ब्लैंडिड कपड़े (जिसमें पोलिस्टर और टेरीकोट शामिल है) तथा सिन्थेटिक कपड़े की कीमतों में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः लगभग 39 प्र० श० और 37 प्र० श० है।

कपड़े की उत्पादन लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है जैसे कच्चे माल की लागत, मजदूरियां, विद्युत, विनिर्माण करने वाली मशीन की लागत, प्रौद्योगिकी का स्तर, ब्याज दर तथा वित्तीय प्रभार आदि। उपयुक्त कारको में सामान्य वृद्धि होने से ही कपड़े की कीमतों में वृद्धि हुई।

सरकारी कताई मिलों का निजीकरण

8313. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यथा सरकार का विचार महाराष्ट्र विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी कताई मिलों का निजीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन मिलों के निजीकरण की स्थिति में श्रमिको के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ए. पी. सी. ओ.

8314. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बतांने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार पर ए. पी. सी. ओ. की कितनी राशि बकाया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ए. पी. सी. ओ. को धनराशि जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह राशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). विभिन्न राज्य सरकारों ओर संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजनाओं की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों

को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। क्लेम का निपटान एक निरन्तर प्रक्रिया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 2/10/1994 से 6/2/1995 की अवधि के दौरान 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले सफेद कार्ड धारक को वितरित जनता साड़ी और धोतियों के मूल्य का भुगतान एपको (ए. पी. सी ओ) को किया जाना है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन क्लेमों का भुगतान करने के लिए उन्होंने 6.2.1995 तक वितरित की गई जनता साड़ियों और धोतियों की ठीक संख्या के विषय में जानकारी एकत्र की है।

परिधानों का निर्यात

8315. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई परिधान निर्यातक कंपनियों तीसरे देश को माल का निर्यात करके और तत्पश्चात वहां से अन्य देशों को ऐसे माल का निर्यात करके कोटा प्रणाली से बच रहें है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आऐं है ; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कितनी फर्मो के विरूद्ध कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) से (ग). उरूग्वे दौर की वार्ता के वस्त्र एवं परिधान समझौते की शर्तो का उलंघन करके किसी तीसरे देश के माध्यम से किसी कोटा देश को भारतीय परिधान के निर्यात का कोई मामला हाल ही में सरकार के ध्यान में नही आया है।

आकाश ट्रेडिंग एजेन्सीज

8316. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट हैण्डलूम सोसाइटीज से केन्द्रीय सरकार को आपूर्ति का प्रबंध करने में आकाश एसीएएसच की भूमिका क्या है; और

(ख) आकाश द्वारा पंजीकृत हैण्डलूम इकाईयों के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) आकाश की भूमिका में केन्द्रीय सराकर के मंत्रालय/विभागों/अभिकरणों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथकरघा उत्पादों की सिंगल टेंडर आधार पर उपलब्धता शामिल है।

(ख) आकाश में पंजीकृत 41 हथकरघा इकाईयों का विवरण इस प्रकार है:-

1 आन्ध्र प्रदेश	03	11 मनिपुर	01
2 बिहार	02	12 उड़ीसा	03
3 गुजरात	02	13 पांडिचेरी	01
4 हरियाणा	04	14 पंजाब	02
5 हिमाचल प्रदेश	01	15 राजस्थान	02
6 जम्मू व कश्मीर	02	16 तमिलनाडू	02
7 कर्नाटक	01	17 त्रिपुरा	02
8 केरल	02	18 उत्तर प्रदेश	02
9 महाराष्ट्र	02	19 पश्चिम बंगाल	02
10 मध्य प्रदेश	01	20 राष्ट्रीय स्तर की निकाय	04
कुल	20	कुल	21

कुल (1 से 20) :-41

खुले विमानपत्तन

8317. श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र किन-किन विमानपत्तनों के विकास कार्यो से सम्बद्ध है;

(ख) सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा कितना-कितना निवेश किया जाएगा ; और

(ग) विकास कार्यो को कब से शुरू किया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). कर्नाटक में बंगलौर में निजी पार्टियों की सहायता से और केरल में कोचीन में अनिवासी भारतीयों सहित जनता से जुटाए जोन वाले धन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने अपनी अनापत्ति दे दी है। संबंधित राज्य सरकारों को परियोजना की लागत और अन्य तौर-तरीके स्थिर करने हैं। केन्द्रीय सरकार परियोजना की लागत में कोई भागीदारी नहीं करेगी। परियोजनाओं के संबंध में अभी योजनाएं बनायी जा रही है और उन्हे चालू वित्त वर्ष में शुरू किए जाने की आशा है।

श्रमिकों के कार्यकौशल का विकास

8318. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए कार्यकौशलों के विकास तथा श्रमिकों को शिक्षा और विकास पर घरेलू उत्पाद की 6 प्रतिशत धनराशि खर्च करने का है और

(ख) यदि हां, तो यह 6 प्रतिशत धनराशि क्षेत्रवार किन–किन परिव्ययों पर व्यय किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) सरकार की योजना शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का है ताकि 2000 ई० तक इसका स्तर सकल घरेलू उत्पाद का 6% हो जाये।

(ख) क्षेत्र–वार विभिन्न परिव्ययों का विवरण वार्षिक रूप से राज्य सरकारों और केन्द्र में संबधित मंत्रालयों/विभागें के परामर्श से निश्चित किया जाता है। 9 वीं योजना के क्षेत्र–वार विवरण को अभी अंतिय रूप नहीं दिया गया है।

यात्रा एजेन्ट (ट्रेवेल एजेन्ट)

8319. श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने हाल ही में ऐसा आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत किसी ट्रेवल एजेन्ट को केन्द्र सरकार के पास पंजीकृत होने पर राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त न करने पर उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा ;

(ख) क्या सरकार को इसके कारण विदेशी मुद्रा के अर्जन और पर्यटन उद्योग के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने दिल्ली में परिचालन कर रहे सभी टुअर आपरेटरों/यात्रा अभिकर्ताओं/भ्रमण कराने वाले एजेन्टों का ध्यान मोटर वाहन अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों की ओर दिलाया है जो लाइसेंस के बारे में है जिसे ऐसे एजेंटो को प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(ख) जहां तक विदेशी मुद्रा और पर्यटन उद्योग के विकास का संबंध है इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं

8320. श्री कुन्जी लाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आर एफ आई) का एक नेटवर्क तैयार किया है ;

(ख) क्या इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद वहां निजी ऋणदाता ही एक मात्र ऋण उपलब्ध कराने के स्त्रोत है ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को स्वावलम्बी बनाए जाने तथा ग्रामीण गरीबों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु इन्हें सक्षम बनाए जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). ग्रामीण ऋण के लिये बहु–एजेंसी दृष्टिकोण के अन्तर्गत सरकारी बैकों, वाणिज्यिक बैकों की ग्रामीण शाखाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों (आर आर बी) का एक नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्कताओं को पूरा करता है।

(ग) ग्रामीण ऋण के प्रवाह को फिर से ठीक करने के लिये कई कदम उठाये गये है। बैंको को अपने निवल बैक ऋण का कम से कँम 18 प्रतिशत कृषि वित्त के रूप में देना होता है। वित्तीय वर्ष 1994-95 में कृषि ऋण के प्रवाह में स्पष्ट सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय रिवर्ज बैंक ने बैंको से विशेष ऋण योजनाएं तैयार करने को कहा था। कृषि उत्पादन के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि संमिश्र ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु नकदी ऋण सुविधा के रूप में लवीली ऋण सहायता प्रदान की जाये। भारतीय रिवर्ज बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भी नवोन्मेषी और उच्च–तकनींक वाली कृषि परियोजनाओं के मूल्यांकन और वित्त पोषण मे बैंको की सहायता करने को कहा है।

भारतीय रिवर्ज बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिये कदम उठाये है और दिसम्बर 1993 में उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सहकारी बैंक, राज्य भूति विकास बैकों और राज्य सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो सहकारी बैंको को अर्थक्षम और मजूबत बनाने के लिये एक समय बद्ध योजना प्रदान करता है।

[अनुवाद]

विमान परिचारिका के पद

8321. श्री सी० पी० मुडला गिरियप्पा :
श्री वी० कृष्णा राव :
श्री के० जी० शिवप्पा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने वर्ष के "मिस पेमिना इंडिया' कांटेस्ट के 29 उम्मीदवारों को विमान परिचारिकाओं के पदों की पेशकश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विमान परिचारिका संघ ने एयर इंडिया प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए इस कदम की आलोचना की है ; और

(घ) क्या इस कदम से एयर इंडिया में विमान परिचारिकाओं की सामान्य भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). एयर इंडिया की वर्ष 1995 के "पेमिना मिस इंडिया" काअेस्ट के विजेताओं को विमान परियारिका के पद की पेशकश करने की योजना है, परन्तु अभी तक कोई भर्ती नहीं की गयी है।

(ग) और (घ). विमान परिचारिका संघ से कोइ लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

वित्तीय चूक

8322. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान हुई वित्तीय चूकों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वित्तीय चूकों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पडेगा ; और

(ग) वित्तीय चूको की प्रवृत्ति को समाप्त करने आरै वित्तीय अनुशासन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) खातों के आंकड़ो के अनुसार वर्ष 1993-94 में वित्तीय घाटा 36959 करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में 60257 करोड़ रूपए था। चूक मुख्यतः वर्ष 1993-94 में औद्योगिक प्रतिलाभ की धीमी गति के कारण हुई थी जिससे राजस्व प्रीप्तियों में कमी हुई और विभिन्न खर्चे भी बजट अनुमानों से बढ़ गए। वर्ष 1994-95 (संशोधन अनुमान) में वित्तीय घाटा 54915 करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना मे 61035 करोड़ रूपए रहा है। यह वृद्धि मुख्यतया राज्यों के अल्प बचत संग्रहों के 5152 करोड़ रूपय के बजट अनुमान के मुकाबले 4497 करोड़ रूपए के अतिरिक्त अन्तरण की वजह से हुई।

(ख) वित्तीय घाटे के लिए निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि में थोड़ी चूक होने के बावजूद अर्थव्यवस्था का निष्पादन अच्छा रहा। वर्ष 1991-92 में .9 प्रतिशत के समूचे आर्थिक विकास की तुलना में अर्थव्यवस्था में वर्ष 1992-93 और 1993-94 के प्रत्येक वर्ष मे 4.3 प्रतिशत का वृद्धि हुई और वर्ष 1994-95 में इसमें 5.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

(ग) चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर और व्यय को बजटीय स्तर पर सीमित रखने के जरिए वित्तीय घाटे को नियन्त्रित रखने के प्रयास किए जा रहे है।

हैंक यार्न बाध्यता नियम

8323. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चल रही सहकारी कताई मिलों को अनिवार्य रूप से 50% हैंक यार्न प्रदान करने संबंधी बाध्यता में छूट देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सं बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि राज्य मे कताई मिलें हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न की पर्याप्त पूर्ति करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार के उक्त अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकार ने इस बात का समर्थन किया है कि हैंक यार्न बहुमात्रा में उपलब्ध है और महाराष्ट्र मे सहकारी कताई मिलों को अनावश्यक रूप से हानि हो रही है। तथा उनके अन्य सूत उत्पोदन के कार्यक्रमों में क्षीणता आ गई है अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि राज्य में सहकारी कताई मिलों को हैंक यार्न बाध्यता से तुरंत मुक्त कर दिया जाये। तथापि क्योंकि हैंक यार्न के मूल्यों में कमी नहीं आई है और साथ ही किसी एक विशेष राज्य की सहाकरी कताई मिलों की छूट देने से न केवल पक्षपात होगा अपितु एक उदाहरण भी बन जायेगा। इसलिए राज्य सरकार की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) जी नही।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समान कर प्रणाली

8324. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने सपान कर प्रणाली शुरू करने की दृष्टि से कोई आर्थिक संघ बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम. वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बिक्री कर की दरों में एकरूपता के लिए दिनांक 11 जनवरी, 1994 को उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन मे चर्चा की गई थी। सम्मेलन में बिक्री कर की दरों मे एकरूपता लाने और उद्योग को दिए जाने वाले वित्तीय एवं आर्थक प्रोत्साहनों को तर्क संगत बनाए जाने पर व्यापक रूप से सहमति थी।

(ख) चूंकि बिक्री कर राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें इस संबंध मे निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से संक्षेप है। इस प्रयोजन के लिए कन्द्रीय सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फालतू कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण और उनका पुनर्नियोजन

8325. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फालतू कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण देने और उनका पुनर्नियोजन करने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के पास उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) सरकार ने यौक्तिकृत के परामर्श, पुनर्प्रशिषण और पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता से पांच स्थानों अर्थात् अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, इंदौर तथा कानपुर मे प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में कर्मचारी सहायता केन्द्र स्थापित किये हैं। इसकी प्रकार की सुविधाओं की श्रम मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत छः उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा पन्द्रह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी परिकल्पना की गयी थी। प्रायोगिक परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर, सरकार ने 16 राज्यों को शामिल करके 48 स्थानों पर राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता से समान सुविधाओं की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है।

युवाओं के लिए पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर

8326. डा० कृपासिंधु भोई : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युवाओं के लिए पर्यटन क्षेत्र मे रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो आठवी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) क्या उक्त योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने पर्यटन का विकास करके रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अपनी योजनाएं भेजी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और राज्य सरकारों को राज्य–वार कितना वित्तीय आबंटन किया गया है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). रोजगार प्रजनन हेतु एक साधन के रूप में पर्यटन के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने–अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करें। 1992-93 के दौरान पर्यटन के कारण सीधा नियोजन, 6.96 मिलियन व्यक्ति प्राक्कलित किया गया है और यह आशा की जाती है कि 8 वीं योजना अवधि के दौरान, पर्यटन क्षेत्र में युवा–वर्ग के नियोजन हेतु, अलग से कोई प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मूलतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, सरकारों की है। तथापि, उनसे प्राप्त विशेष प्रस्तावों और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 8 वहीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षो के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आठवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता :

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई राशि (लाख रूप)
	(राज्य)	
1	आन्ध्र प्रदेश	295.78
2	अरूणाचल प्रदेश	146.66
3	असम	156.77
4	बिहार	167.26
5	गोवा	198.27
6	गुजरात	101.16
7	हरियाणा	505.71
8	हिमाचल प्रदेश	779.09
9	जम्मू एवं कश्मीर	532.41
10	कर्नाटक	592.06
11	केरला	534.53
12	मध्यप्रदेश	69.49
13	महाराष्ट्र	717.80
14	माणिपुर	111.74
15	मेघालय	11.62
16	मिजोरम	192.37
17	नागालैंड	46.91
18	उड़ीसा	338.49
19	पंजाब	360.97
20	राजस्थान	533.87
21	सिक्किम	180.01
22	तमिलनाडु	642.32
23	त्रिपुरा	136.20
24	उत्तर प्रदेश	413.00
25	पश्चिम बंगाल	417.35
	(संघ राज्य क्षेत्र)	
1	अण्डामान एवं निकोबार	106.97
2	चण्डीगढ़	53.74
3	दादर एवं नागर हवेली	23.62
4	दिल्ली	84.82
5	दमन एवं द्वीव	229.46
6	लक्षद्वीप	19.95
7	पांडिचेरी	29.75
		8730.15

राजस्व वसूली

8327. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की 1995 की संख्या 4 रिपोर्ट में करों के कम निर्धारण के कारण 1993-94 के दौरान 119.99 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कर वसूली के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये और इस अवधि के दौरान कितनी वास्तीवक कर वसूली हुई;

(ग) अंसतोषजनक राजस्व वसूली के लिए मुख्यतः कौन–कौन से कारण जिम्मेदार है;

(घ) क्या सरकार ने सभी सुझावों पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो 1995-96 में राजस्व वसूली मे सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंलालय मे राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1995 की सं० 4 मे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में 108.55 करोड़ रू० और सीमा शुल्क के संबंध में 11.94 करोड़ रूपये के अल्पोदग्रहण कम निर्धारण का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के संबंध में वर्ष 1993-94 के लिए संशोधित बजट अनुमान क्रमशः 31590.90 करोड़ रूपये और 22500.00 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए थे। इस अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व 31711.14 करोड़ रूपये था (उप–करों को छोड़कर) जिससे

(संशोधित बजट) अनुमानों की तुलना में .38 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। तथापि सी० शु० से प्राप्त राजस्व 22239.74 करोड़ रु० था, जिससे मुख्यत वर्ष 1994-95 के बजट में घोषित शुल्क रियायतों के कारण संशोधित बजट अनुमानों की तुलना में 1.16 प्रतिशत की मामूली सी कमी दिखाई देती है। जिससे मार्च, 1994 के महीने में राजस्व वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और आयातों के मूल्य मे मामूली सी कमी आई थी। वर्ष 1994-95 में सं० शु० तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में राजस्व वसूली क्रमशः 26773.34 करोड़ रूपये और 37372.54 करोड़ रूप हुई थी जबकि इसकी तुलना संशोधित बजट अनुमान सीमा शुल्क के संबंध मे 26450 करोड़ रू० और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में 36732.35 करोड़ रू० के थे। इससे पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में राजस्व वसूली की स्थिति में सुधार होने का पता चलता है।

(घ) रिपोर्ट में दिए गए सुझावों/उठाई गई आपत्तियों की जांच की जाती है और राजस्व हित की सुरक्षा के लिए कानून और प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सुधरात्मक विधायी/प्रक्रियात्मक कदम उठाए जाते है।

(ड) वर्ष 1995-96 के दौरान अधिक से अधिक राजस्व वसूली करने के लिए संभव उपाय किए गए हैं।

शताब्दी सम्मेलन

8328. श्री पी. सी. चाको : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग पीरसंघ के शताब्दी सम्मेलन के दौरान कामगारों का ये आश्वासन दिया गया है कि औद्योगिक यूनिटों के उन्नयन एवं आद्युनिकीकरण के परिणामस्वरूप रोजगार में किसी प्रकार की कटौती को इजाजत नहीं दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके लिये क्या उपाय किये गये है;

(ग) क्या ये उपाय देश के सभी प्रकार के औद्योगिक एककों पर लागू होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). नई औद्योगिक नीति से यह घोषणा की गई है कि सरकार श्रमिक के हितों की पूरी तरह रक्षा करेगी ; उनके लिए कल्याण योजनाओं को बढ़ायेगी और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की अपरिहार्यताओं से निपटने के लिए उन्हें सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करेगी। केन्द्रीय श्रम मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय औद्योगिक परिसंघ के शताब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ कर्मकारों को यह आश्वासन दिया था कि आधुनिकीकरण और उन्नयन का मतलब निश्चित तौर पर रोजगार में कमी लाना नहीं है। सरकार ने औद्योगिकरण पुनर्गठन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर्मकारों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की एक सामाजिक सुरक्षा तन्त्र के रूप में स्थापना की है। इस निधि में, अन्य बातों के साथ-साथ, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और औद्योगिक पुनर्सरचना के परिणामस्वरूप बेशी हुए कर्मचारियों के पुनर्प्रशिक्षण और पुनिर्नियोजन की लागत को पूरा करेन के लिए सहायता देने का भी प्रावधान है।

[हिन्दी]

प्रतिभूति घोटाले के संबंध मे अन्तर अनुशासनात्मक दल की रिपोर्ट

8329. श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) प्रतिभूति घोटाले की जॉच के लिए दिसम्बर, 1993 में गठित किए गये अन्तर-अनुशासनात्मक विशेषज्ञ दल के सदस्य कौन-कौन है ;

(ख) क्या इस सीमति ने 28 जून 1994 को सरकार को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की गई सिफारिशों को ब्यौरा क्या है ;

(घ) समिति द्वारा सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है ; और

(ड) सरकार ने इस समिति पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ड). प्रतिभूति घोटाले मे बैकों वित्तीय संस्थाओं को एक्सपोजार मे अंतर्ग्रस्त राशियों के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबी आई) के गवर्नर ने अगस्त, 1993 में अंतर-अनुशासनिक समूह (आई डी जी) का गठन किया था। नवम्बर, 1993 में आरबीआई द्वारा पुनर्गठित अंतर अनुशासनिक समूह में निम्नलिखत शामिल है :-

सर्वश्री

1 ए. के मैनन, अभिरक्षक, समूह के प्रमुख

2 जसपाल सिंह, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो

3 ए. पी अयय्र, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक

4 एच. सी. पारेख, निदेशक (जांच) आयकर विभाग

5 सी. एन. मेहरा, उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय

अंतर अनुशासनिक समूह ने जून, 1994 मे अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ साथ यह माना है कि एक दलाल (हर्षद एस मेहता समूह) के खातों की संवीक्षा से समूह के 143 खातों के कुल 69,717 करोड़ रूपए की हेराफेरी का पता चला है। उपर्युक्त राशि दलाल के खाते की कुल प्राप्तियों और भुगतान को दर्शाता है। यह स्थिति जानकीराम सीमति की रिपोर्ट और प्रतिभूति और बैंक लेन–देनों में अनियमितताओं पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी बताई गई थी। सुयक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में तो हर्षद मेहता समूह द्वारा किए गए 68,839.24 करोड़ रूपए के कुल प्रतिभूति लेन–देनों की मात्रा का भी उल्लेख किया गया था। यह राशि प्रतिभूति की कुल अंकित राशि को दर्शाता है। आईडीजी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित उपलब्धियों का सारांश संयुक्त संसदीय सीमति की रिपोर्ट पर की गई कारवाई रिपोर्ट के संशोधित पैराग्राफो मे भी किया गया था जिसे 20-12-1994 को संसद में पेश किया गया था। आईडीजी ने अपनी कार्रवाई अभी पूरी नही की है और अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं दी है।

आरबीआई द्वारा आईडीजी को सचिवालयीन सहायता दी जाती है। आरबीआई ने सूचित किया है कि आईडीजी को सचिवालयीन सहायता पर उनके द्वारा किए गए खर्च संबंधी पृथक खाता वे नहीं रखते है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार

8330. श्री डी. वेंक्टेश्वर राव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अध्ययन और औद्योगिक विकास मे अपनाई जा रही नीतियों में उपयुक्त परिवर्तनों के लिए सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र दल गठित करने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय लिया गया है कि ये विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय बजार में समाने आ रही चुनौतियों का पता लगाएगें और उद्योग के केन्द्र बिन्दू और निवेश ढांचे के संबंध में सुझाव देगे ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो विशेषज्ञों के इस स्वतंत्र निकाय की नियुक्ति कब तक कर दिए जोन की संभावना है ; और

(ड) इसके प्रमुख कारण क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं। लेकिन मंत्रालय परिवर्तनीय विश्वव्यापी परिस्थिति में वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित तथा तेजी से विकास के लिए नीतियां तथा आवश्यक परिवर्तनों की बराबर समीक्षा कर रहा है।

(ख) से (ड). प्रश्न नहीं उठते।

स्टाक एक्सचेंजो की सदस्यता

8331. श्री शरद यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न स्टाक एक्सचेंजो में सदस्यता हेतु अल्पसंख्यको से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों के समुदायवार ब्यौरे नहीं रखती।

(ग) स्टॉक एक्सचेंस गैर–सरकारी स्वविनियामक संगठन है जिनके स्टॉक–एक्सचेंजो से सदस्य ब्रोकरों के प्रवेश से संबंधित अपने नियम होत है। तदनुसार इन मामलों में वे अपने निर्णय लेते है और सरकार इनकी चयन–प्रक्रिया में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि कुछ नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

पर्यटन परियोजना

8332. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा सरकार, से गत तीन वर्षों के दौरान मंजूरी और वित्तीय सहायता के लिए डिज्नीलैंड सहित कितनी पर्यटन परियोजनाएं प्राप्त हुई है ;

(ख) कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई है और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) शेष परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई पर्यटक परियोजनाओं हेतु प्रस्तावों और मंजूर की गई राशियों को दर्शाने वाला एक विवरण–पत्र नीचे दिया गया है :

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या		
	प्राप्त हुई	मंजूर की गई	मंजूर की गई राशि (लाख रूपयों में)
1992-93	8	8	105.50
1993-94	9	9	189-10
1994-95	9	9	193.91

डिस्नीलैंड हेतु वित्तीय सहायता के लिए, हरियाणा सरकार से काई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अल्पसंख्यको को रोजगार

8333. डा. मुमताज अंसारी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रोजगार कार्यालयों में अल्पसंख्यकों के कितने आवेदन राज्यवार लम्वित पड़े हुए है ;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान राज्य–वार प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया ; और

(ग) आगामी योजनाओं मे अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था की गई है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). 31-12-1989, 31-12-1990 तथा 30-9-1991 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू राजिस्टर पर, राज्यवार अल्पसंख्यक रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों तथा वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 (जून–सित.) के दौरान नियुक्त किए गए अल्पसंख्यक बेरोजगारों की संख्या से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(ग) कल्याण मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यको के रोजगार हेतु किसी नई योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापित उक्त मंत्रालय द्वारा 1995-96 हेतु परिव्यय सहित कार्यान्दयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

	योजना	परिव्यय 1995-96 करोड़ रूपये में
	योजना	
1	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	39.00
2	मौलाना आजाद शैक्षिक प्रतिष्ठान हेतु सहायता अनुाद (टोकन)	0.01
3	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना	0.50
4	आर्थिक मानदण्ड के आधार पर कमजोर वर्गो हेतु परीक्षा पूर्व अध्ययपन की योजना	2,00
	गैर योजना	
5	केन्द्रीय वक्फ परिषद हेतु सहायता अनुदान	1.20

विवरण

चालू रजिस्टर पर अल्पसंख्यक रोजगार चाहने वालों की संख्या तथा नियुक्त किए गए अल्पसंख्यको की संख्या

	राज्य संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर संख्या			नियुक्त किए गए अल्पसंख्यकों की संख्या (हजार मे)		
		31-12-89	31-12-90	30-9-91	1989	1990	1991 (जन. सित.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य						
1	आन्ध्र प्रदेश	232.8	241.1	256.0	1.6	0.9	0.8
2	अरूणाचल प्रदेश	0.3	0.3	0.1	-	-	-
3	असम	160.0	165.5	196.4	0.7	1.4	0.5
4	बिहार	224.9	249.2	244.4	3.6	2.1	2.21

1	2	3	4	5	6	7	8
5	गौवा	16.4	20.8	23.0	0.3	0.1	0.1
6	गुजरात	67.5	70.5	72.3	0.5	0.9	0.4
7	हरियाणा	16.4	17.0	18.8	0.4	0.6	0.4
8	हिमाचल प्रदेश	8.3	9.2	9.9	0.3	0.2	0.1
9	जम्मू और कश्मीर	46.7	47.5	30.4	1.2	1.3	0.5
10	कर्नाटक	112.1	128.1	139.9	0.5	0.7	0.7
11	केरल	1037.6	1109.4	1150.6	3.6	3.8	2.8
12	मध्य प्रदेश	111.5	117.1	117.0	1.0	1.2	0.9
13	महराष्ट्र	324.1	340.5	357.1	2.1	2.3	2.1
14	मणिपुर	69.6	50.9	54.3	0.1	0.1	-
15	मेघालय	17.0	16.6	17.6	0.1	0.3	0.1
16	मिजोरम	42.00	36.5	37.0	1.3	0.9	0.5
17	नागालैंड	25.0	20.3	20.8	0.3	0.3	0.1
18	उड़ीसा	28.1	29.6	29.0	0.3	0.6	0.4
19	पंजाब	19.5	7.3	8.3	0.5	0.1	0.1
20	राजस्थान	54.4	54.9	53.5	0.7	0.4	0.3
21	सिक्किम						
22	तमिलनाडु	424.1	434.8	458.0	4.1	3.9	3.4
23	त्रिपुरा	2.8	3.2	3.5	xx	xx	xx
24	उत्तर प्रदेश	262.9	256.8	234.2	2.4	1.7	1.1
25	पश्चिम बंगाल	567.7	648.5	591.3	0.5	0.6	0.4
	संघ शासित प्रदेश						
26	अंडमान और निकाबोर द्वीप समूह	2.5	2.7	3.0	0.3	0.2	0.1
27	चंडीगढ़	9.9	12.1	14.0	0.8	0.5	0.4
28	दाद्र और नगर हवेली	0.1	0.1	0.1	-	-	-
29	दिल्ली	31.8	33.9	34.8	0.9	4.0	0.5
30	दमन और द्वीव	-	0.1	0.5	-	xx	xx
31	लक्षद्वीप	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नही	उप.नहीं	उप.नही	उप.नहीं
32	पाण्डिचेरी	20.9	21.6	22.1	0.2	0.1	xx
	कुल	3936.9	4146.2	4197.8	28.4	29.2	19.1

नोटः— 1.x इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्यरत नहीं है।

2.xx 50 से कम के आंकड़े।

3. उप. नहीं — उपलब्ध नहीं।

4. यह हो सकता है कि पूर्णाको के कारण आंकडे योग से मेल न खाएं।

घाटे में चल रहे बैंको द्वारा गैर-सरकारी संस्थाओं को चन्दे देना

8334. डा० लाल बहादुर रावल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे में चल रहे कुछ राष्ट्रीयकृत बैंको ने विभिन्न राज्यों की विभिन्न संस्थाओं को लोक सेवा के नाम पर गत चार वर्षो के दौरान चन्दे दिये है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये गये है ;

(घ) क्या इन बैंको में घाटे के कारणों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान हिदायतों के अनुसार बैंको को पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभो को वार्षिक 2% की समग्र अधिकतम सीमा के अन्दर राष्ट्रीय निधियों और राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रायोजित अन्य निधियों में चंदा देने के साथ–साथ "सामान्य" चंदा देने की अनुमति प्रदान की जाती है। मार्च, 1993 को समाप्त पिछले चारे वर्षो के दौरान, हानि उठाने वाले बैंकों को किसी प्रकार का चन्दा देने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। अलबत्ता, सितम्बर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने हानि उठाने वाले राष्ट्रीयकृत बैंको को विशेष मामले के रूप में प्रति बैंक कुल तीन लाख रूपए की राशि तक का सामान्य चंदा मंजूर करने की अनुमति प्रदान की थी। तत्पश्चात, अक्टूर, 1993 में, इन बैंको को भूकंप पीड़ितों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय निधि या अन्य अनुमोदित संगठनों को, आवश्यकतानुसार, 3 लाख रूपए की सीमा से अधिक उपयुक्त राशि का चंदा देने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

(ख) राज्य–वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसार, उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों को हानियां होने के कारणों के संबंध में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है। अलबत्ता, स्थूल रूप से बैंको को हानियां होने के कारण निम्नलिखित है :–

1 निष्क्रिय अग्रिमों में वृद्धि।

2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मानदंड़ो का कार्यान्वयन।

3 जमाराशियों की उच्च लागत।

4 कुछ श्रेणियों के अग्रिमों पर कम आय।

5 स्थापना व्ययों में वृद्धि।

रुग्ण एकक

8335. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अंतर्गत रूग्ण एककों की संख्या कितनी है ;

(ख) कुल कितने एकक बन्द होने के कगार पर है ;

(ग) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इन एककों के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं–, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वैंकट स्वामी) : (क) और (ख). वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत बारह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम है जिन्हें रूग्ण घोषित किया गया है। अन्तर्ग्रस्त एककों की संख्या 116 है। अभी तक आई डी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी एकक बन्द नहीं किया गया है।

(ग) और (ङ). जिन बारह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए है, उनमें से तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों नामतः बी आई सी एल्गिन मिल्स कम्पनी लि० तथा कानपुर टेक्सटाइल्स लि० जिनमें पांच एकक शामिल है, को बी आई एफ आर द्वारा बन्द करने के आदेश दिए गए है। इन तीन उपक्रमों की अपीले ए ए आई एफ आर के समक्ष विचाराधीन है। अन्य सरकारी क्षेत्र के एककों के बारे में अभी कोई अनितम निर्णय नहीं लिया गया है।

एक्सपोर्ट एनटाइटिलमेंट एलोटमेंट पालीसी

8336. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एक्सपोर्ट एनटाइटिलमेंट अलौटमेंट पालीसी (कोटा पालीसी) तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पालीसी की मुख्य–मुख्य बाते क्या है ; और

(ग) इस पालीसी के अन्तर्गत गत तीन वर्षो के दौरान आबंटित किये गए कोटे का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी वैंकट स्वामी) :

(क) से (ग). सरकार पिछले अनेक वर्षो से वस्त्रों और परिधानों के लिए निर्यात हकदारी आबंटन नीतियां (कोटा नीतिया) बना रही है। मौजूदा कोटा नीतिया 1 जनवरी 1994 से प्रभावी है तथा ये 31-12-1996 तक वैध है।

चालू नीतियों की मुख्य विशेषताएं है :–

(1) आबंटन प्रणाली की संख्या परिधानों के मामलें मे 4 से घटाकर 3 तथा वस्त्रों के मामले में 7 से घटाकर 5 कर दी गई है।

(2) वस्त्रों और परिधानो दोनों के संबंध में विगत निर्यात निष्पादन प्रणाली में 10 प्र०श० भाग विशेष रूप से ऐसे निर्यातकों को वितरण करने के लिए उविष्ट किया गया है जिनकी हकाई मूल्य वसूली आधार अवधि के दौरान औसत इकाई मूल्य वसूली से अधिक है।

(3) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी तथा गैर–कोटा निर्यातक हकदारी के परिकलन की आधार अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है।

(4) आबंटन वर्ष को कोटा के उपयोग के लिए 2 विभिन्न अविधियों मे विभाजित करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।

(5) वर्ष 1995 के लिए वस्त्रों और परिधानों के लिए फूलोर कीमत की शर्त को हटा दिया गया है।

हवाई जहाज खरीदने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंको द्वारा बोली देना

8337. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने दो 747-400 हवाई जहाज खरीदने के लिए आंशिक रूप से वित्तपोषण हेतु 112 मिलियन डालर की "ब्रिज" वित्तीय ऋण हेतु निविदा के संबंध में अंतरराष्ट्रीय बैंको से बोलियॉं प्राप्त की हैं ;

(ख) क्या इन बोलियों का सरकार द्वारा मूल्यांकन कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा स्वीकार की गई बोली तथा तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बोलियों का अभी मूल्यांकन किया जा रहा है और दो बोइंग 747-400 विमानों की खरीद के लिए वित्त–पोषण के स्वरूप का निर्णय जल्दी ही लिया जायेगा।

विलम्बित उड़ानों के यात्रियों की व्यथा

8338. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1995 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "प्लाइट आफ पैसेजर्स ऑफ डिलेड फ्लाइट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विलम्बित उड़ानों के यात्रियों को आई०ए०टीए० विनियमों के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त हो?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) "अयाटा" संकल्प अनुशंसात्मक हैं, आदेशात्मक नहीं। विमान कम्पनियॉं बिलम्बित उड़ानों के यात्रियों को प्रत्येक स्थिति यथा विलम्ब की अवधि, उपलब्ध वैकल्पिक उड़ाने, विमान कम्पनी की क्षमता आदि के तथ्यों के अनुसार सुविधाए उपलब्ध कराती हैं।

सी. बी. आई के छापे

8339. श्री श्रीकांत जेना :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) ने अप्रैल के महीने में दो राष्ट्रीयकृत बैंको को हुई 3 करोड़ 81 लाख रूपये की कथित हानि से संबंधित दो भिन्न मामलों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश मे वरिष्ट बैंक अधिकारियों, कंपनी निदेशकों और व्यापारियों के परिसरों पर छापे मारे थे ; और

(ख) यदि हां, तो जब्त किये गये सामान के विवरण सहित तत्संबंधि ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए दो मामलों मे अप्रैल, 1995 में तलासी ली थीं। एक मामले में, उच्च घनत्व के पोलीथीन बेग का निर्माण करने वाली एक फर्म पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने बैंक कर्मचारियों के साथ मिल कर आंध्रा बैंक को 3.25 करोड़ रूपए का धोखा दिया। दूसरे मामले में, स्टेट बैंक आफ पटियाला के शाखा प्रबंधक ने दूसरे दोषी व्यक्तियों के साथ आपराशिक षडयंत्र में जाली परिवहन रशीदों के द्वारा बिलो को खरीद कर अनुचित पक्षपात दर्शाया और इस प्रकार बैंक को 56 लाख रूपए का धोख दिया।

दोषी व्यक्तियों के कार्यालय/आवास के परिसरों पर डाले गए छापों मे दोनों मामलों में 121 अभिशंती दस्तावेज जब्त किए गए।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा लेन देन

8340. श्री राम विलास पासवान :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों की नई बनाई गई आर्थिक अपराध विंग को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा 100 करोड़ रूपयें और इससे अधिक की राशि के सभी लेन–देनों से संबंधित दस्तावेजों की जांच का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पास इस समय 100 करोड़ रूपये और इससे अधिक की राशि के लेन–देने संबधी कितने मामले है और केन्द्रीय जांच ब्यूरों इनकी जांच कब तक पूरी कर लेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता में जालसाजी

8341. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि हाल ही में तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक की कलकत्ता शाखा में कई करोड़ रूपये की जालसाजी करने वाली गिरोह का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में बैंक मे इस तरह की जालसाजी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये है ; और

(ग) इस संबंध में कितने लोग पकड़े गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). 1983-85 की अवधि के दौरान बैंक के कुछ अधिकारियों ने बैंक के कुछ ग्राहकों द्वारा प्रावर्तित कुछ कंपनियों की ओर से अप्राधिकृत ढंग से मर्चेन्ट बैकिंग से संबंधित कुछ लेन–देन किए थे। धोखाधड़ी की योजना बनाने वाले व्यक्तियों को नवम्बर, 1994 के अंतिम सप्ताह में गिरफतार किया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

गैर–कानूनी/अप्राधिकृत गतिविधियो का वित्तपोषण करने के लिए बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने और जाली खाते खोल कर बेहिसाबी धन को जमा करने के बढ़ते हुए सबूत भी भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में आए है। इन खाता धारकों की पहचान को सुकर बनाने के उद्देश्य से बैंको से कहा गया है कि वे जनवरी, 1994 से जमाकर्ताओं खाताधारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करने की प्रथा शुरू करें।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा निवेश

8342. श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगत लिमिटेड के आधारभूत ढांचे तथा "ट्रेड लाजिस्टिवल" अथवा संयुक्त उद्यम क्षेत्र में 3,000 करोड़ रूपये का निवेश करने हेतु कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह निवयेश कब तक किया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). आर्थिक उदारीकरण की नीति और अनेक ऐसी मदों का सरणीपन समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप, जो अब तक एम एम टी सी लि० के जरिए सरणीकृत थी, एम एम टी सी की योजना है कि वह अपने क्रियाकलापों को विविधीकृत करेगी और संयुकत उद्यमों एवं अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं में पूंजी निवेश करेगी ताकि इसके व्यापार और लाभकारिता में वृद्धि हो सके। इन निवेशों की आर्थिक क्षमता पर विचार करने के बाद एम एम टी सी द्वारा इसके क्षेत्र–वार ब्यौरे समय–सारणी को यथासमय अन्तिम रूप दिया जाएगा।

ग्रामीण श्रमिक

8343. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत नियुक्त ग्रामीण संगठकों के क्या कर्तव्य और कार्य है;

(ख) इस योजना के कार्यान्विन की तिथि से 31 मार्च, 1995 तक विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों ने कोई अंशदान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री श्री पी. ए. संगमा : (क) से (घ). केन्द्र द्वारा प्रायोजित अवैतनिक ग्रामीण आयोजकों की योजना जिसका केन्द्रीय सरकार

द्वारा 100% आधार पर वित्त पोषण किया जाता था, छठी पांचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। योजना अगस्त, 1981 में शुरू की गई थी और सातवीं योजना के अन्त में इसे एक अन्य योजना स्कीम अर्थात् गरीबी उन्मूलक कार्यक्रम में लाभानुभोगियों का संयोजन जिसका संचालन ग्रामीणविकास मंत्रालय द्वार किया जा रहा था, के रूप में संमजित कर दिया गया था।

योजना के प्रयोजन ब्लाक स्तर पर ग्रामीण आयोजकों की नियुक्ति करके ग्रामीण कर्मकारों को संगठित और शिक्षित करना था। योजना राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी। प्रत्येक आयोजक को 200 रू० प्रतिमाह का मानदेय और 50 रू० प्रतिमाह निर्धारित यात्रा भत्ता दिया जाता था। संक्षेप में अवैतनिक ग्रामीण आयोजको के कार्य, कर्मकारों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें स्वयं को सहकारी समितियां, व्यवसाय संघों आदि के बनाने में मदद करने के लिए संगठन के महत्व पर जोर डालना था। इसके शुरू होने के समय से 31-3-95 तक जारी की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए है :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राशि (रूपयों में)
तमिलनाडु	7,43,609.00
गुजरात	19,62,009.00
उड़ीसा	11,98,301.00
हरियाणा	15,496.00
आन्ध्र प्रदेश	4.35.285.00
पांडिचेरी	99,354.00
असम	7,77,368.00
कर्नाटक	12,47,477.00
उत्तर प्रदेश	4,46,651.00
महाराष्ट्र	6,12,190.00
राजस्थान	11,63,151.00
पश्चिम बंगाल	--
मणिपुर	--
बिहार	4,04,150.00
मध्य प्रदेश	15,93,995.00

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

8344. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं को उद्यमियों/चीनी मिलों को सावधिक ऋण प्रदान करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण चीनी मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी कार्य तथा नई चीनी मिलों की स्थापना का कार्य नहीं हो पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबी आई) ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात आईडीबीआई इंडस्ट्रियल फाइनांस कापोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (आईएफसीआई) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड (आई. सी. आई. सी. आई.) और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई आर बी आई) वर्तमान चीनी मिलों को विस्तार एवं आधुनिकीकरण तथा गैर सरकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान करती हैं। अलबत्ता, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उन राज्यों में सहकारी/राज्य क्षेत्र की चीनी मिलों को वित्तपोषण करने में कठिनाई हो रही है, जहां वर्तमान एकक चूक कर रहे है।

आईडीबीआई ने यह भी सूचित किया है कि चीनी मिलों की अतिदेय राशियों के निपटान का मामला संबंधित चीनी मिलों/संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत के लिए ऋण

8345. श्री सुधीर गिरि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत की चालू वित्तीय वर्ष के लिए ऋण देने का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन–किन परियोजनाओं के लिए यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ; और

(घ) इस ऋण की अदायगी किस प्रकार की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी हां। भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 58.00 मिलियन अमरीकी डालर की मध्यप्रदेश वानिकी और 59.50 मिलियन अमरीकी डालर की मानव कृषि संसाधन विकास परियोजना नामक दो परियोजयनाओं

पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ ने 126.00 मिलियन अमरीकी डालर की असम ग्रामीण बुनियादी कृषि सेवा परियोजना स्वीकृत की है, जिसके करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए है।

(घ) इन आई. डी. ए. ऋणों का पुनर्मगतान 35 वर्ष की अवधि में किया जाता है, जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। इन ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता लेकिन ऋण के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगाया जाता है।

भारत पम्प्स एंड कम्प्रैसर्स लिमिटेड

8346. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने भारत पम्प्स कम्प्रैसर्स लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने और आधुनिकीकरण संबंधी पुर्नस्थापना योजना की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 10-3-1995 को भारत पम्प्स एडं कम्प्रैसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) को अर्थक्षम बनाने के लिए एक मसौदा योजना परिचालित की थी। बाइफर द्वारा दिनांक (15-5-1995) को जब ये आदेश सुरक्षित थे, मसौदा योजना पर आपत्तियां और सुझाव सुने गये थे।

स्वापक पदार्थो संबंधी मामलों हेतु विशेष न्यायालय

8347. श्री पी० सी० थामस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक पदार्थो और मनोविक्षित्तिक पदार्थो को अपने पास रखन उनकी चोरी छुपे बिक्री करने, तस्करी करने और उनकी खेती करने सुंबधी अपराधो में वृद्धि हो रही है ;

(ख) भारतीय न्यायलयों में ऐसे कितने मामले दर्ज किये गये कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया, कितने मामलों में अपराधियों की बरी किया गया और कितने मामलों में अपराधियों को दंडित किया गया ;

(ग) ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने के लिये कितने विशेष न्यायालय स्थापित किये गये ;

(घ) क्या सरकार ने केरल में ऐसे दो न्यायलयों की मंजूरी दे दी है;

(ड) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(च) क्या इन न्यायलयों ने काम करना आरंभ किया है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जबकि स्वापक औषधों का अवैध व्यापार एक गुप्त प्रक्रिया है अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि स्वापक औषधों तथा मनःप्रभावी पदार्थो के स्वामित्व, अवैध व्यापार, तस्करी तथा खेती करने के अपराध बढ़ रहे हैं अथवा नहीं।

(ख) वर्ष 1994 के दौरान स्वापक औषध तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत स्वापक औषधों के अवैध व्यापार से संबंधित 14.657 मामले दर्ज किए गए। इसी वर्ष के दौरान स्वापक औषध अपराध में 9154 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, 1245 लोगों को दोषी पाया गया तथा 3165 लोगों को विमुक्त किया गया। दोषी पाए गए तथा विमुक्त किए गए लोगों की संख्या वर्ष के दौरान दोषी पाए/विमुक्त किए गए लोगों की कुल संख्या को प्रतिबिम्बित करता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी वर्ष के दौरान दर्ज किए गये मामलों से संबधित है।

(ग) से (छ). स्वापक औषध तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्र में निम्नलिखित विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं।

1	गोवा	1
1	महाराष्ट्र	8
2	मणिपुर	4
3	मेघालय	5
5	त्रिपुरा	1
6	पश्चिम बंगाल	4
7	तमिलनाडु	6
8	राजस्थान	1
9	दिल्ली	10
10	नागालैंड	8
11	सिक्किम	1
	योग	49

राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायलयों का गठन किया गया है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर राज्य सरकार ने केरल में कोई विशेष न्यायालय गठित नहीं किया है।

मादक पदार्थों का उत्पादन

8348. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में वर्ष 1994-95 के दौरान पकड़ी गई अफीम से स्थान–वार उत्पादित हेरोइन तथा मारफीन की मात्रा तथा मूल्य कितना था;

(ख) उन पुलिस स्टेशनों तथा क्षेत्रों के नाम क्या है जहां विशेष छापे के दौरान बड़ी मात्र में मादक पदार्थ पकड़े गये;

(ग) क्या मादक पदार्थों को पकड़ने के लिए तैनात किये गये पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) पकड़ी गई अफीम से हेरोइन उत्पादित नहीं की गई। दो सरकारी अफीम तथा ऐल्केलॉइड कारखानों में पकड़ी गई अंफीस से मारफीन का उत्पादन किया गया है। तथापि, वर्ष 1994-1995 में पकड़ी गई अफीम से मारफीन का उत्पादन नहीं किया गया।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1994-95 के दौरान बाराबंकी में 19.945 कि०ग्रा० अफीम, 35.147 कि०ग्रा० हेरोइन, 107 कि० ग्रा० गांजा तथा 284.25 कि० ग्रा० पोस्त स्ट्रा जब्त किया गया। भारी मात्रा में की गई जब्ती का ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान की गई जब्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से पुरस्कार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) महत्वपूर्ण जब्तियां

		जब्ती की तारीख
सफदरगंज पुलिस स्टेशन	1 कि० ग्रा० हेरोइन	23-7-94
जैदपुर पुलिस स्टेशन	5 कि० ग्रा० हेरोइन	6-9-94
जैदपुर पुलिस स्टेशन	2.6 कि० ग्रा० हेरोइन	22-11-94
सतरिख पुलिस स्टेशन	2 कि० ग्रा० हेरोइन	27-3-95
कोठी पुलिस स्टेशन	1 कि० ग्रा० हेरोइन	1-3-95
कोठी पुलिस स्टेशन	3 कि० ग्रा० अफीम	14-12-94
लोनी कटरा पुलिस स्टेशन	4.75 कि० ग्रा० अफीम	2-4-94
लोनी कटरा पुलिस स्टेशन	250 कि० ग्रा० पोस्त स्ट्रां	20-6-94
रामनगर पुलिस स्टेशन	50 कि० ग्रा० गांजा	30-11-94

ऊनी वस्तुओं पर आयात कोटा

8349. डा० चिंता मोहन :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 4 मई 1995 के "बिजनेस स्टैण्डड" में "यू० एस० में इम्पोज हम्पोर्ट कोटा आन वूलन आइटम्स फ्रोम इंडिया शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंक्ट स्वामी) : (क) और (ख). भारत अमरीकी वस्त्र करार के उपबन्धों के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने ऊनी वस्त्र श्रेणियों 434 (पुरूषो के कोट), 435 (महिलाओं के कोट) तथा 440 (वूवन शट्स तथा बलाउज) पर प्रतिबंधित स्तर निर्धारित करने के संबंध में परामर्श करने का अनुरोध किया है। इस मामले पर शीघ्र ही पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ विचार करने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतमान संबंधी समिति

8350. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला

श्रीकांत जैना :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार अपने कर्मचारियों के वेतनमानों की जांच करने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वरिष्ठता एकीकरण तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारण और भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय से सम्बन्धित अन्य मुद्दों के सिद्धान्त बनाने हेतु अपने दिनांक 18-5-1995 के आदेश द्वारा एक विशेषज्ञ

समिति का गठन किया है। समिति को अपनी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

हीरे तराशने के उद्योग में रोजगार

8351. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में हीर तराशने तथा पॉलिश करने के क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काफी व्यापाक संभावनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो हीरे तराशने, तथा पॉलिश करने के क्षेत्र में और ज्यादा रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवी योजना में इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा में नागर विमानन संबंधी आधारभूत सुविधाएं

8352. श्री हरीश नारायण प्रभू झांट्ये : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा सरकार से प्राप्त नागर विमानन नेटवर्क के विकास/विस्तार एवं आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्राप्त परियोजना के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) गोवा में इस समय उपलब्ध नागर विमानन की आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). गोवा सरकार ने बढ़े हुए अन्तरराष्ट्रीय और अन्तर्देशीय यातायात को हैंडल करने के लिए टर्मिनल भवन के उन्नयन तथा बी–747 विमान के लिए उपयुक्त सिविल हवाई अड्डे हेतु नई जगह के चयन के लिए अनुरोध किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने टर्मिनल भवन के उन्नयन का कार्य हाथ में लिया है। नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा पता लगाई गई पांच जगहों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पायी गयी।

(ग) मौजूदा धावनपथ की लम्बाई 11500 फुट है और विमान का पार्किंग क्षेत्र 375 फुट X 275 फुट है। अति उचचावृत्ति सार्वदिशिक परास, दूरी मापक उपकरण और उपस्कर अवतरण प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है।

भारतीय और विदेशी निवेशकों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं की दोहरी नीति

8353. श्री ए० इन्द्रकरण रेड्डी

श्री ए. वेंकटेश नायक

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्तीय संस्थाओं द्वारा विदेशी और भारतीय निदेशकों के संबंध में किए जा रहे भेजभाव की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए दो प्रकार के नियम है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है वित्तीय संस्थाएं किसी परियोजना का वित्त पोषण करते समय विदेशी और भारतीय निवेशकों के बीच भेद नहीं करती हैं। प्रवर्तकों का निर्धारण वित्तीय पृष्ठभूमि, प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव, परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने और चलाने की उनकी प्रबंधकीय क्षमता, ऋण–योग्यता इत्यादि के आधार पर किया जाता है। वित्तीय संस्थायें परियोजना का मूल्यांकन करते समय इन पहलुओं का भी मूल्यांकन करती हैं और यदि योजनाएं वाणिज्यिक रूप से अथवा और तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाई जाती हें तो उनकी सहायता की जाती है।

उत्पाद शुल्क वसूली

8354. डा० साक्षीजी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान कलेक्टरी द्वारा कितना उत्पाद शुल्क वसूला गया;

(ख) इस अवधि के दौरान कितना उत्पाद शुल्क वसूल करने का लक्ष्य रखा गया था और इस समय कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) सरकार शुल्क की वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विभागीय रिकोर्डो के अनुसार, वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले समाहर्तालयों से उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व (राजस्व विभाग द्वारा लागू न किए गए उपकरों को छोड़ कर) की राशि क्रमश लगभग 2800 करोड़ और 2930 करोड़ रू० थी।

(ख) राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते है।

(ग) ऊपर (ख). को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान में विलम्ब

8355. श्री बलराम पासीः

श्री दत्तात्रेय बंडारूः

डा० वसंत पवारः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उद्योगों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की विलम्बित अदायगी पर ब्याज लेने के लिए तथा विलम्ब से की जानी वाली वापसियों पर ब्याज की अदायगी करने के लिए वित्त विधेयक, 1995 के जरिए पुरः स्थापित किए गए विधायी उपाय का पहले ही अधिनियमन किया जा चुका है। शुल्कों की विलम्ब से की जाने वाली अदायगी और विलम्ब से की जाने वाली वापसियों पर ब्याज की दर क्रमशः 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारति की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग). को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र मिलों का बंद होना

8356. श्री राजवीर सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने–अपने राज्यों में कुछ वस्त्र मिलों को बंद किए जाने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात के क्षेत्रों का पता लगाना

8357. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अनुसंधान संगठनों की सहायता लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन संगठनों के नामों का चयन कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन संगठनों से कब तक रिपोर्टें प्राप्त हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ). हमारे निर्यातों की वृद्धि की संभावना वाली वस्तुओं तथा क्षेत्रों की पहचान तथा सहायता संबंधी उपायों तथा नीतियों जोकि विश्व व्यापार में संभावित वृद्धि के परिणामस्वरूप संभावनाओं का पता लगाने में सहायता कर सकती हैं, के लिए सरकार ने बाजार पहुँच दायित्वों की अनुसूचियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कराने का फैसला किया है। विभिन्न देशों की ये अनुसूचियां बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उसग्वे दौर के परिणाम को सम्मिलित करने वाले कानूनी दस्तावेज में समाहित हैं। यह अध्ययन देश में स्थित चुनिन्दा अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किए जाएंगे। इस उद्देश्य से तीन संस्थाएं, नामतः राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन. सी. ए. ई. आर.) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद, (आई. सी. आर. आई. ई. आर.) तथा असहबद्ध और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आर आई एस) की संक्षिप्त सूची बनाई गई है। इन अध्ययनों का निरीक्षण करने तथा उन्हें दिशा देने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कृषि, वाणिज्य, वित्त, उद्योग मंत्रालयों एवं योजना आयोग के प्रतिनिधियों से एक संचालन दल का गठन किया गया है। अध्ययन के लिए क्षेत्र, विस्तार तथा समय–सीमा का विस्तृत विवरण संबंधित अनुसंधान संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श करके तैयार किया जा रहा है।

गुजरात में निर्यात जोन स्थापित करना

8358. श्री काशीराम राणा :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सचिन, गुजरात में एक निर्यान जोन स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव इस समय किस वरण में लंबित है ;

(ग) क्या सरकार को गांधीनगर, अंकलेश्वर, वापी और सूरत में गत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). सरकार ने सचिन, जिला–सूरत (गुजरात) में गैर–सरकारी क्षेत्र में एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक 29-11-1994 को कर दिया है इस जोन का विकास मंसर्स डायमण्ड एण्ड जैम डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, बम्बई द्वारा किया जा रहा है। इसके प्रस्ताव के अनुसार वहां 100 एकड़ भू क्षेत्र पर एक ऐसे बहु–उत्पाद जोन का विकास किया जाना है जिसमें 50 तैयार औद्योगिक शेड और 120 भूखण्ड होंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

शिमोगा (कर्नाटक) में हवाई पट्टी

8359. श्री के० जी० शिवप्पा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में शिमोगा में एक हवाई पट्टी बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अट्टियों की आपूर्ति

8360. श्री आर जीवरत्नम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य–सहायता प्राप्त दरों पर राज्यवार कितनी मात्रा में अट्टियों (हैंक यार्न) की आपूर्ति की गई: और

(ख) उपत अवधि के दौरान इस योजना के अंतगत कितने बुनकर लाभान्वित हुए?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). हैक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना केवल वर्ष 1994-95 के दौरान ही आरंभ की गई थी। भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बुनकरों को नहीं अपितु संबंधित राज्यों के हथकरघा निदेशक द्वारा सिफारिश की गई। राज्य हथकरघा विकास निगमों, राज्य/क्षेत्रीय समितियों और प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। अतः यह योजना से लाभान्वित बुनकरों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है। वर्ष 1995-95 के दौरान राज्यों को आबंटित लक्ष्य और उसकी पूर्ति का विवरण इस प्रकार है:

राज्य का नाम	लक्ष्य (लाख किलो ग्राम में)	अपलब्धि (लाख किलो ग्राम में)
आन्ध्र प्रदेश	18.00	14.25
असम	10.00	05.08
बिहार	04.50	01.22
गुजरात	08.00	01.54
जम्मू व कश्मीर	00.60	00.22
हरियाणा	00.30	00.05
कर्नाटक	18.00	18.00
केरल	05.00	05.00
मध्य प्रदेश	03.70	02.84
महाराष्ट्र	05.00	02.35
मनिपुर	01.50	00.41
मिजोरम	00.10	00.05
उड़ीसा	15.00	09.60
पंजाब	00.50	00.29
राजस्थान	02.00	02.00
तमिलनाडू	52.00	50.37
त्रिपुरा	01.00	00.46
उत्तर प्रदेश	28.00	28.00
पश्चिम बंगाल	30.00	30.00
दिल्ली	00.80	–
एनएचडीसी	00.50	–
पाडिचेरी	01.50	01.07
कुल :–	200.00	172-80

[हिन्दी]

सूती धागे का निर्यात

8361. **श्री छेदी पासवान :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षो के दौरान सूती धागे का निर्यात किस दर पर किया है ; और उक्त अवधि के दौरान सूती धागे का घरेलू मूल्य क्या था; और

(ख) घरेलू मूलय से कम दरों पर सूती धागे के निर्यात करने के क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). सरकार सूती यार्न का निर्यात नहीं कर रही है। सरकार केवल वर्ष–दर–वर्ष आधार पर सूती यार्न के निर्यात की उच्चतम सीमा का ही निर्धारण करती है।

पिछले तीन वर्षो के दौरान सूती यार्न के निर्यात से वसूल किया गया इकाई मूल्य तथा भारित औसत कीमतें निम्न अनुसार है :–

		(रू०/कि.ग्रा.)
	सूती यार्न के निर्यात से वसूल इकाई मूल्य	सूती यार्न (कोन) भी भारित औसत कीमतें
1992	90.5	70.9
1993	88.1	73.6
1994	105-8	92.8

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा आयकर का भुगतान

8362. **श्री देवी बक्स सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार को आयकर का भुगतान कर रहें है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1991-92, 1993-94 और 1994-95 के लिये प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक, सहायक बैंक और स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मूल्याकंन की गई आय, मांगी गई कर की मात्रा और उक्त बैंको द्वारा भुगतान किए गए कर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). उन बैकों के संबंध में जिनके कर निर्धारण वर्ष 1992-93 (वित्तीय वर्ष 1991-92) के लिए कर–निर्धारण पूरा कर लिया गया है, जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

कर निर्धारण वर्ष 1994-95 (वित्तीय वर्ष 1993-94) के लिए कर निर्धारण अधिकांश मामलों में लंबित है और कर निर्धारण वर्ष 1995-96 (वित्तीय वर्ष 1994-95) के लिए आयकर विवरणी अभी देय नहीं हुई है। अतः वित्तीय वर्ष 1993-94 और 1994-95 के संबंध में जानकारी दे पाना संभव नहीं है।

(ग) बहुत से मामलों में कर निर्धारण के संबंध में मुकदमे चल रहे हैं तथापि, आयकर आयुक्तों को कर की अविवादास्पद बकाया राशि को वसूल करने के लिए कहा गया है।

विवरण

कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 (वित्तीय वर्ष 1991-92) के लिए कर-निर्धारित आय, मांगी गई कर-राशि तथा राष्ट्रयकृत बैंको, सहयोगी बैकों और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अदा किया गया कर:

राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम	निर्धारित आय	मांगा गाया कर	अदा किया गया कर
1	2	3	4
			(आंकड़े करोड़ रूपयों में)
1 आंध्रा बैंक	14.80	7.66	7.66
2 पंजाब नेशनल बैंक	209.94	139.38	74.04
3 पंजाब एण्उ सिंध बैंक	16.00	11.24	5.63
4 ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स	91.14	60.06	30.91
5 इलाहाबाद बैंक	12-91	शून्य	शून्य
6 यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया	7.77	4.02	4.02
7 यूनाईटेड कॉमर्शियल बैंक	शून्य	शून्य	शून्य
8 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	168.30	11.97	कर निर्धारण वर्ष 1992-93 में बैंक की जाने वाली वापस की राशि से पूर्ण समयोजित
9 देना बैंक	0.016	0.06	0.06

1	2	3	4
10 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	107.71	65.71	65.71
11 बैंक ऑफ इण्डिया	326.26	262.65	96.34
12 इण्डियन बैंक	67.78	36.28	वर्ष 1994-95 की प्रत्यर्पण राशि समायोजित
13 इण्डियन ओवरसीज बैंक	48-20	25.04	वर्ष 1994-95 की प्रत्यर्पण राशि से समायोजित
14 सिण्डीकेट बैक	10.72	शून्य	शून्य
15 कारपोरेशन बैंक	16.89	5.64	5.64
16 केनरा बैंक	128.18	63.74	63.74
17 विजया बैंक	22.06	शून्य	शून्य
18 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	कर निर्धारण लम्बित		
19 बैंक आफ महाराष्ट्र	14.75	9.61	9.61
20 न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	2.84	शून्य	शून्य
21 बैंक ऑफ बड़ौदा	219.60	154.56	87.59

कर निर्धारण वर्ष 1992-93 (वित्तीय वर्ष 1991-92) के लिए निर्धारित आय, मांगी गयी कर राशि तथा राष्ट्रीकृत बैंको, सहयोगी बैंको और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अदा किया गया कर :

(आंकड़े करोड़ रूपये में)

सहयोगी बैंको का नाम	निर्धारित आय	मांगा गया कर	अदा किया गया कर
1	2	3	4
1 स्टेट बैंक आफ सोराष्ट्र	50.39	21.25	10.37
2 स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	80.42	41.61	41.61
3 स्टेट बैंक आफ इन्दौर	60.69	31.89	25.09
4 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	173.36	92.20	92.20
5 स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	97.64	6.34	6.34
6 स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	41.36	21.98	19.62
7 स्टेट बैंक आफ मैसूर	11.72	6.06	6.06

घटाने का चिन्ह हानि का घांतक है।

कपड़े का उत्पादन

8363. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कपड़, विशेष रूप से सूती कपड़े के उत्पादन और खंपत में लगातार गिरावट आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में कपड़े, विशेष रूप से सूती कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). कपड़े (सूती कपड़ा सहित) के उत्पादन और खपत संबंधी आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर रखे जाते है न कि राज्य–वार आधार पर इसलिए राज्य विशेष नामतः गुजरात के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने देश में कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो कि निम्न अनुसार है '–

(1) केवल अवस्थापना संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्याधीन क्षमता के सृजन और विस्तार पर प्रतिबन्ध को हटाना।

(2) और जी एल के अन्तर्गत वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देना।

(3) जब कभी भी आवश्यक हो नीति–परक हस्तक्षेप करके उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय करना और

(4) कुछ शर्तों पर शत–प्रतिशत निर्यात उन्मुख एककों के मामले को छोड़कर लाइसेंस संबंधी अपेक्षा समाप्त करना।

गुजरात में बैंकों का सेवा क्षेत्र

8364. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सेवा क्षेत्र पहुंच योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक शाखा के अधीन कितने गांव आते है ; और

(ख) उक्त बैंकों की ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंको को आबंटित गांवों की कुल सं० 14873 है जो सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण योजना के लागू करने के समय तक औसतन 8 गांव प्रति बैंक शाखा बैठता था।

(ख) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंको ने स्वतंत्र रूप से कोई मानक निर्धारित नहीं किये है। ऋण के प्रवाह के संबंध में सामान्य अपेक्षा इस प्रकार है।

प्राथमिका क्षेत्र निवल बैंक ऋण का	40%
कृषि निवल बैंक ऋण का	18%

शीशा उद्योग में बाल श्रमिक

8365. श्री राम टहल चौधरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिरोजाबाद की शीशा एवं चूड़ी फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों के काम करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो जिन–जिन औद्योगिक एककों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाई की गई है?

श्रम मंत्री (पी. ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल में रख दी जाएगी।

राज्य सरकारों द्वारा धनराशि जुटाना

8366. प्रो० प्रेम धूमल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने गैर–योजना खर्च का पूरा करने के लिए वाणिज्यिक संस्थाओं से ऋण जुटाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों द्वारा इस तरीके से ऋण जुटाने के लिए कोई सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) राज्यों के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है जो काफी ज्यादा ब्याज पर अधिक से अधिक ऋण ले रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राज्य सरकारों के अपने संसाधन जब कम पड़ जाते है तब वे धनराशि की अपनी दिन–प्रतिदिन की जरूरत को पूरा करने के लिए कतिपय शर्तो के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पवधिक ऋण का सहारा लेती है। इस व्यवस्था में राज्य सरकारों को अपनी आयोजना–भिन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की जरूरत केवल विशेष मामलों में ही पड़ती है। ऐसे विशेष ऋणों के मामले में सामान्यतः केन्द्रीय सरकार मंजूरी देने से इंकार नहीं करती।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा दूसरे स्त्रोतों से लिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दरें सामान्यता बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं। राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे इस तरह के ऋण लेने से पूर्व सावधानी बरतें। केन्द्रीय सरकार मंजूरी देते समय अपनी ओर से राज्यों की ऋणग्रस्ता और ऋणों तथा उन पर ब्याज का भुगतान करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखती है।

इंडिया टोबैको कंपनी की लेखा परीक्षा

8367. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास निगम को इंडिया टोबाको कंपनी की विशेष लेखा परीक्षा करने का काम सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आई टी सी लिमिटेड एक गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनी है और कंपनी का निदेशक बोर्ड उसके परिचालनों के संबंध में बोर्ड में उठाए गए मुद्‌दों पर विचार करता है। सहायता प्राप्त

कंपनियों के बोर्ड में वित्तीय संस्थाओं के हित की सुरक्षा करने की भी आशा की जाती है। अलबत्ता, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति–रिवाजों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार, व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंध सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

पत्रकारों को अन्तरिम राहत

8368. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों को अन्तरिम राहत देने के बारे में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं,

(ख) यदि हां, तो पत्रकारों को कितनी अन्तरिम राहत राशि देने का प्रस्ताव है,

(ग) इससे कितने पत्रकार लाभान्वित होंगे, और

(घ) वेतन बोर्ड अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब तक दे देगा?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). श्रमजीवी पत्रकारों और गैर–पत्रकार समाचार पत्र और समाचार एजेन्सी कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान करने सम्बन्धी विषय वेतन बोर्डों को सद्भित कर दिया गया है अभी तक पत्रकारों को प्रदान किए जाने वाली अंतरिम राहत की राशि के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वेतन बोर्डो द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

राज्यों में एयर टैक्सी संचालन

8369. श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने राज्य सरकारों को एयर टैक्सी संचालन हेतु अनुमति देने के लिए क्या शर्ते रखी हैं ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने राज्य में एयर टैक्सी संचालन हेतु अनुमति माँगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हवाई टैक्सी सेवा प्रचालन हेतु जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कोई भी कम्पनी अथवा निगमित निकाय अनुसूचित/हवाई टैक्सी सेवाएं प्रचालित करने हेतु परमिट जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते आवेदक वायुान अधिनियम/नियमों की अनुबंधित शर्तों और प्रावधानों को पूरा करता है। मामले पर गुणावगुण के आधार पर मामला–दर–मामला आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा संस्थापित मैसर्स यू० पी० एयर सविसेज सोसाईटी को अनुसूचित हवाई परिवहन प्रचालक परमिट जारी किए जाने तक पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लए दिल्ली, लखनऊ, कुल्लू, वाराणसी, मयूरपुर तथा गोरखपुर को जोड़ने वाले कुछ मार्गो पर दिनांक 21-4-1995 से 23-7-1995 तक एफ–27 विमान का प्रचालन करने की अनुमति दी गई है। अन्य राज्यों से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मैसर्स गुजरात एयरवेज लिमिटेड, बड़ौदा ने गुजरात और महाराष्ट्र में प्रचालन करने हेतु हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट के लिए आवेदन किया था ; इस कम्पनी को हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट जारी किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा विमान का आयात करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी।

गुजरात में बेरोजगार विकलांग व्यक्ति

8370. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में विकलांग तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने–कितने लोग पंजीकृत थे;

(ख) गत दो वर्षो के दौरान कितने–किंतने विकलांग लोगों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार दिए गए ;

(ग) क्या विकलांग लोगों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा नियमित रूप से भरा जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ड) इन आरक्षित रिक्तियों को तुरनत भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : 31-12-1993 की स्थिति (नवीनत उपलब्ध) के अनुसार गुजरात राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत तथा विकलांग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों से संबद्ध रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों, जिनमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी बेरोजगार हों, की कुल संख्या निम्न प्रकार है :–

श्रेणियां	चालू रजिस्टर पर संख्या (हजार में)
1. विकलांग	13.6
2. अनुसूचित जाति	172.2
3. अनुसूचित जनजाति	93.6

(ख) 1992 तथा 1993 के वर्षों के दौरान गुजरात में रोजगार कार्यालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित जिन व्यक्तियों को रोजगार पर रखा गया था उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

श्रेणियां	रोजगार पर रखे गये व्यक्तियों की संख्या	
	1992	1993
1. विकलांग	8.8	8.7
2. अनुसूचित जाति	2.3	2.1
3. अनुसूचित जनजाति	4.3	4.4

(ग) से (ड). नियोक्ता की मांग के अनुसार गुजरात मे रोजगार कार्यालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित कोटे की सूची प्रस्तुत कर रहे है।

हरियाणा में बैंको की शाखायें

8371. **श्री जंगबीर सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंको तथा अनूसूचित बैंकों ने हरियाणा में विगत तीन वर्षो के दौरान, प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष के दौरान किन–किन स्थानों पर अपनी शाखाऐं खोली है ;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य में महिला सहकारी बैकों सहित उक्त बैकों सहित उक्त बैंको की नई शाखाऐं किन–किन स्थानों पर खोलने का विचार है ;

(ग) विभिन्न बैंकों द्वारा 31 मार्च, 1995 तक गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरयिाणा में कितनी राशि के ऋण वितरित किए गए तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1995-96 के दौरान योजना–वार कितनी राशि के ऋण वितरित किए जाने का विचार है ; और

(घ) बैंको द्वारा ऋण वितरण की प्रक्रिया से संबंधित निगरानी प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). हरियाणा के संयोजक बैंक पंजबा नेशनल बैंक ने पिछले तीन वर्षो के दौरान हरियाणा में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंको और अनुसूचित बैंको की शाखाओं की क्षेत्र–वार स्थिति की सूचना दी है, जो नीचे दी गई है :–

स्थिति के अनुसार	ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	जोड़
मार्च 1993	745	273	280	1298
मार्च 1994	726	277	301	1304
सितम्बर 1994	726	277	312	1315

(अंद्यतन उपलब्ध)

नयी बैंक शाखायें खोलने के प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले तीन वर्षो के दौरान वार्षिक ऋण योजना के तहत हरियाणा के बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों का ब्यौरा भी दिया है जो निम्नलिखित है :

	जोड़ करोड़ रूपये में
वार्षिक ऋण योजना 1992-93	1347.35
वार्षिक ऋण योजना 1993-94	1538.48
वार्षिक ऋण योजना 1994-95	833.13

(सितम्बर 1994 तक)

वर्ष 1995-96 के आंकडों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) बैंको को ऋण संवितरित करने वाले गतिविधियों पर अलग–अलग बैंको और जिला परामर्शदात्री समिति, डीसीसी से संबंधित स्थायी समिति, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आदि द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

विमानपत्तनों में गैर-विमानन सुविधाएं

8372. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार विमानपत्तनों पर गैर–विमानन सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने का है,

(ख) यदि हां, तो ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र कौन–कौन से है,

(ग) क्या इस संबंध में तब से अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). हवाई अड्डों के विकास को बनाए रखने के लिए गैर–वैमानिकी राजस्व की वृद्धि होना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की शपिंग काम्पलेक्स, मनोरंजन सुविधाएं, होटल, मोटल, रेस्तरा और व्यवसाय केन्द्रों आदि जैसी यात्रियों से संबंधित सुविधाएं स्थापित करने की कार्रवाई को प्रोत्साहित करके अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की योजना है।

बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

8373. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वह संशोधन कब तक कर दिया जाएगा?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बीड़ी कर्मकारों के संबंध में मजूदरी को न्यूनतम दर के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें है। न्यूनतम मजूदरी अधिनिमय, 1948 में 5 वर्षो की अवधि के भीतर मजदूरी की न्यूनतम दर के पुनरीक्षण/संशोधन का प्रावधान है। अनेक राज्य/सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने बीड़ी कर्मकारों के संबंध में समय–समय पर मजदूरी की न्यनतम दरें निर्धारित/संशोधित की हैं।

[अनुवाद]

बैंक खातों में न्यूनतम जमा राशि

8374. **श्री गुरूदास कामत** :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीकृत बैंकों ने बचत खाता और चालू खाता धारकों को अपने खातों में कम से कम क्रमश 100 रूपये और 5000 रूपये रखने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह निर्णय वेतन भोगी वर्ग पर भी समान रूप से लागू होता है, जिनका वेतन बैंकों में जमा होता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि बचत बैंक और चालू खातों में अपेक्षित न्यूनतम शेष राशि के बारे में बैंकों के बीच एक रूपया नहीं है। कुद बैंको ने ऐसे खातों में रखी जाने वाली न्यूनतम शेष राशि को हाल ही में संशोधित किया है। ऐसे खातों इत्यादि की सेवा लागत को ध्यान में रखने के पश्चात अलग अलग बैंको द्वारा इन खातों में नयूनतम शेष राशि निर्धारित की जाती है। तथापि, ऐसे व्यक्ति जो कम से कम अधिकमत शेष राशि नहीं रख सकते हैं वे बिना चैक की खाते रख सकते हैं जिसमे साधारण न्यूनतम शेष राशि रखना अपेक्षित है।

बांग्लादेश को चावल का निर्यात

8375. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश को चावल निर्यात करने के संबंध में कोई मुक्त व्यापार नीति तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ). आयात–निर्यात नीति में चावल का निर्यात बिना किसी कीमत और मात्रा संबंधी प्रतिबंध के किए जाने का प्रावधान है। भारतीय खाद्य निगम को भी सार्वजनिक स्टाक से चावल की फाइन एवं सुपरफाइन किस्मों की 2.0 मिलियन टन मात्रा को निर्यात के लिए बेचने/निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश देकर चावल के अन्तर्राष्ट्रीय और राज्य के अन्दर आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चावल का आवागमन राज्य सरकार द्वारा जारी परमिट के आधार पर ही किया जा सकता है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में घाटा

8376. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों मे हुए घाटे तथा गैर–सरकारी क्षेत्र में होटलों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ख) घाटे में चल रहे होटलों को लाभ अर्जित करने वाले एककों में बदलने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल प्रभाग ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 8.28 करोड रू० और 19.56 करोड़ रूपय (अनन्तिम) का लाभ दर्शाया है। वर्ष 1992-93 में प्रभाग में 2.31 करोड़ रू० का न्यूनतम घाटा हुआ था। पर्यटन क्षेत्र में भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ होटलों को घाटा, आंतरिक और बाहय पहलुओं, प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण उत्पन्न प्रतिकुल पर्यटन सिनारियों की वजह से हुआ। निजी क्षेत्र में अनुमोदित होटलों की संख्या वर्ष 1992 में 772 से बढ़ कर आज की तारीख में 910 हो गई है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा घाटा उठाने वाले होटलों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों मे, प्रगगतिशील विपणन प्रयास, परिसम्पत्तियों का नवीकरण/उन्नयन, प्रचालन लागतों की निगरानी करना और नियंत्रण करना, उचित प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन का विकास करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

हथकरघा एकक

8377. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने हथकरघे है;

(ख) हथकरघों के लिए प्रति वर्ष हैंक यार्न की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान हथकरघा क्षेत्र को कुल कितने हैंक यार्न की आपूर्ति की गई;

(घ) देश में गत तीन वर्षो के दौरान हैंक यार्न की खरीद से विभिनन कताई मिलों से कुल कितने धनराशि प्राप्त हुई ; और

(ड) हैंक यार्न दायित्वों का भुगतान करने से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) हथकरघों पर किए गए उत्पादन के आधार पर इस समय हथकरघा उद्योग में लगभग **460-480** मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न की आवश्यकता है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में गत 3 वर्षो के दौरान प्रयोग के लिए दी गई हैंक यार्न की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन किलोग्राम में)
1992-93	418.00
1993-94	469.27
1994-95	459.00

(घ) और (ड). चूंकि बाध्यता का हस्तांतरण मिलों का आपसी मामला है इसलिए सरकार के पास ऐसे ऑकड़े नहीं है कि कितनी राशि प्राप्त की अथवा कितनी राशि का भुगतान किया गया।

विवरण

हथकरघों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हथकरघों की संख्या
1 आन्ध्र प्रदेश	219715
2 अरूणाचलम प्रदेश	45516
3 असम	1409168
4 बिहार	82657
5 गोवा	95
6 गुजरात	22573
7 हरियाणा	20272
8 हिमाचल प्रदेश	31364
9 जम्मू व कश्मीर	25272
10 कर्नाटक	81585
11 केरल	51629
12 मध्य प्रदेश	47431
13 महाराष्ट्र	67642
14 मनिपुर	270261
15 मेघालय	8201
16 मिजोरम	103794
17 नागालैंड	77503
18 उड़ीसा	119005
19 पंजाब	12228
20 राजस्थान	33256
21 तमिलनाडु	428545
22 त्रिपुरा	119072
23 उत्तर प्रदेश	260714
24 पश्चिम बंगाल	338499
25 दिल्ली	9336
26 हरियाणा	5243
कुल :—	3890576

बैंको द्वारा माफ किये गये ऋण की राशि

8378. डा० पी बल्लभ फेरूमान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीय बैंक ने विभिन्न राज्यों विशेषतः तमिलनाडू में कितनी राशि के ऋण माफ किए ; और

(ख) इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूति) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा तमिलनाडू मे और अखिल भारतीय आधार पर बट्टे खाते डाली गई कुल राशि निम्नानुसार है :–

(रू० लाख में)

	बट्टे खाते डाली गई कुल राशि	तमिलनाडु में खातों में डाली गई राशि
1-4-92 से 31-3-93 तक	413.60	135.79
1-4-93 से 31-3-94 तक	435.84	76.63
1-4-94 से 31-3-95 तक	246,73	120.95

इंडियन बैंक के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) ऋण खातों में राशियों को बट्टे खाते डालने के प्रमुख कारण ये है :–

(1) उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य, उधारकर्ताओं की वापसी अदायगी की क्षमता इत्यादि जैसे मदों को ध्यान में रखते हुए जब देयराशियों के एक हिस्से को बट्टे खाते डाला/माफ किया जा सकता हो तब निधियों को खरित पुनिवेश के लिये समझौता निपटान किये जाते है।

(2) उन खातों में जहां और वसली की संभावना नहीं है, प्राप्त हो चुकी वसूलियों को समयोजित करने के पश्चात शेष देय राशियों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

बिहार को "नाबार्ड" द्वारा ऋण सहायता

8379. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नौबार्ड" ने हाल ही में बिहार को 100 करोड़ रूपये का ऋण देने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी ब्याज दर और इस ऋण की अदायगी की शर्ते क्या होगी तथा इसका किन–किन क्षेत्रों में उपयोग किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

लेखा परीक्षा आपत्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

8380. श्री सावित्री लक्ष्मणन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 1995 के प्रसिवेदन–संख्या 4 के पैरा 2.13 में उठाई गई, आपत्तियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित सीमाशुल्क समाहर्ताओं को अलग–अलग आपत्तियों के बारे में कार्रवाई करने और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से इनका समाधान करने और जहां कही लागू हो कम लगाए गए शुल्क की राशियों को वसूल करने की सलाह दी गई है।

टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच समझौता

8381. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश बोर्ड ने टाटागुप और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच प्रस्तावित समझौते को स्वीकृत दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृति देने से पूर्व एयर इंडिया के साथ भी परामर्श किया गया था; और

(ग) प्रस्तावित सहयोग करार की शर्तो का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

पुरातत्व स्थलों का सुधार

8382. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आन्ध्र प्रदेश के पुरातत्व स्थलों का सुधार करने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थल–दार इनके लिए कितना धन आबंटित किया गया है ;

(ग) इस योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर संरक्षित समरकों को परिरक्षण करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के रखरखाव और संरक्षण के लिए वर्ष 1995-96 के लिए 75 लाख रू० का अस्थायी आवंटन किया है।

पर्यटन का संवर्धन करने का विचार से किसी भी स्थान का सुधार या विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग, पर्यटन आधारिक संरचना का विकास करने के लिए राज्य सरकारें से प्रापत उपयुक्त प्रस्तावों, प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता रिलीज करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में नान सलेक्शन रूल के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय

8383. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा उच्च न्यायलय द्वारा ढ़ेंकानाल ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को प्रोन्नति के मामले में नाम सलेक्शन रूल के प्रयोग के संबंध में आवेदनों के बारे में दिये गये हाल के निर्णय की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में "नान सलेक्शन रूल" के संबंध में न्यायलय के निर्देशों का ईमानदरी से पालन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). धेनकनाल ग्राम्य बैंक के कर्मचारियों ने उड़ीसा उच्च न्यायालय मे रिट याचिका संख्या ओ जे सी 1477/1991 दायर की थी। 31 जनवरी, 1993 के अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायलय ने याचिका दाता कर्मचारियों के पक्ष मे निर्णय दिया और धेनकनाच ग्राम्य बैंक ने न्यायालय के आदेशों को कार्यन्वित कर दिया है।

उरूग्वे वार्ता दौर मे कृषि संबंधी व्यापार में उदारीकरण

8384. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विश्व बैंक के "एग्रीकल्चुरल ट्रेड लिबरलाइजेशन इन द उरूग्वे राउंड–वन स्टैप बैंक" फारवर्ड एंड बन स्टैप अनुसंधान पत्र का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की विश्व बैंक के इस तर्क पर क्या प्रतिक्रिया है कि बहुपक्षीय वार्ताओं में कृषि संबंधी व्यापार में अभीष्ट उदारीकरण नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप उरूग्वे वार्ता दौर के समझौते में विकसित देशो द्वारा लगाये गये कृषि संबंधी सीमा–शुल्क कम कस्ने पड़े हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). औद्योगीकृत देशों द्वारा वर्षों से अपने कृषि क्षेत्र को दी गयी विपुल आर्थिक सहायता से कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप बिगड़ा है। इसके अलावा, कुछ औद्योगीकृत देश कृषि के आयात पर गैर–प्रशुल्क अवरोध बनाए हुए थे। कृषि संबंधी उरूग्वे वार्ता दौर करार कृषि क्षेत्र में आई इन विकृतियों को ठीक करने का एक प्रयास था।

2. विश्व कृषि बाजारों में लगे प्रतिबंधों एवं इनमे आयी विकृतियों को ठीक कर इन्हे रोकने के उद्देश्य से कृषि–करार में उत्पादन संबंधी इमदाद (घरेलू सहायता), निर्यात संबंधी इमदाद और प्रशुल्कीकरण (मात्रात्मक प्रतिबन्धों को प्रशुल्क में बदलना) के बारे में निगम निर्धारित किये है। चूंकि कुछ मामलों मे प्रशुल्कीकरण के फलस्वरूप अवरोध के तौर पर टैरिफ दरें बहुत ऊंची हो गई थी, इसलिए यह व्यवस्था की गयी कि संबंधित देशों को न्यूनतम बाजार प्रवेश के अवसर बनाने होंगे।

3. विश्व बैंक के "उरूग्वे वार्ता दौर में कृषि व्यापार उदारीकरण: एक कदम आगे, एक कदम पीछे नामक अनुसंधान पत्र में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यद्यपि नियमों में पर्याप्त सुधार किए गए है, विशेषकर गैर–प्रशुल्क अवरोध को प्रशुल्क में बदलने तथा सभी प्रशुल्कों में कमी कर उसे बाध्यकारी बनाने में, लेकिन जिस सीमा तक उदारीकरण होगा वह पूर्वापक्षित सीमा से बहुत कम होगा और कृषि संरक्षण में और अधिक एवं वास्ताविक कटौती करने के लिए भावी बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में यह कार्य करने की

जरूरत है। प्रस्तावना में यथा उल्लिखित कृषि करार के उद्देश्यों के साथ इस निष्कर्ष का मतभेद नहीं है। करार की प्रस्तावना में कहा गया है कि सदस्यों ने कृषि–व्यापार में सुधार की प्रक्रिया शुरू करने का एक मंच बनाने का निर्णय लिया है जिसका दीर्घ कालिक उद्देश्य यह है कि कृषि–व्यापार की एक उचित और बाजारोन्मुखी व्यवस्था स्थापित की जाए।

4. यह अनुसाधन पत्र विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग के श्री पर्लिन्डा डी इंग्को ने लिखा है। इसमे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पत्र में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं और ये विश्व बैंक अथवा इससे संबद्ध किसी संगठन के विचार नही आने जाने चाहिए।

[हिन्दी]

गुजरात मे बैंको की शाखाएं

8385. श्री एन० जे राठवा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने लाइसेंस जारी किये है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गुजरात में विशेषकर इसके आदिवासी क्षेत्रों में इस संबंध मे वाणिज्यिक बैंकों ने राष्ट्रीय औसत निवेश को तुलना मे कुल कितना प्रति व्यक्ति निवेश किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक की शाखाएं खोलने के लिए कोई राज्य–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि वर्ष 1985-90 की अवधि के दौरान गुजरात में शखाएं खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को 145 लाइसेंस जारी किए गये थे।

(ग) मार्च 1990 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में राज्य स्तरीय प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रति व्यक्ति निवेश 327.33 रूपए था, जबकि अखिल भारतीय औसत 249.70 रूपए था।

दस्तकारी का विकास

8386. श्री सुरेन्द्र पाठक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में दसतकारी का विकास किए ज़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में हस्तशिल्प के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य सरकार के अभिकरणों जैसे उत्तर प्रदशे निर्यात निगम लि० तथा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम से हस्तशिल्प प्रदेशनियों के आयोजन के लिए 18 प्रस्ताव तथा विमणन विकास सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सभी प्रस्ताव कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित कर दिए गए है।

हथकरघा क्षेत्र

8387. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान हथकरघा क्षेत्र के लिए नितिन किन नई छूटों की घोषणा की गई है :

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान इन छूटों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई : और

(ग) 31 मार्च, 1995 तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न गदों में कितनी धनराशि वास्तव में उपयोग में लाई गई?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान हथकरघा खेत्र के विकास के लिए अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित नई छूटों की घोषणा की है :–

1. हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना में 15 रूपये प्रति किलो ग्राम की सब्सिडी का दर से २० मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न की आपूर्ति।

2. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को अपने उत्पादों की बिक्री में सहयोग देने के लिए 7 लधु हथकरघाा एक्सपों का आयोजन।

3. हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की योजना की मार्गदर्शिका में उपयुक्त संशोधन ताकि राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र/केन्द्रीय सहायता लेने के लिस पर्याप्त संख्या में परियोजनाऐं भेज सकें।

4. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को उनके श्रेष्ठ कार्यो के लिए राष्ट्रीय पुस्कार योजना की घोषणा।

5. हथकरघा क्षेत्र के समूचे विकास के लिए 99 करोड़ रूपये का प्लान बजट आबंटन।

(ख) हथकरघा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्र द्वारा 570.32 लाख रूपये की राशि दी गई।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 31-3-95 तक राज्य सरकार ने कार्यान्वयन अभिकरणों को 399.05 लाख रूपये की राशि जारी कर दी है।

(अनुवाद)

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों की देयराशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही

8388. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** भारतीय पर्यटन विकास निगम की बकाया राशि के बारे में 28 अप्रैल, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन पर एक लाख रूपये से अधिक धनराशि बकाया है ;

(ख) ये धनराशियों कितनी अवधि से बकाया है ;

(ग) कितने मामलों में देय धनराशियों की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है ; और

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान कानूनी कार्यवाही द्वारा कितनी धनराशि की वसूली की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना सलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) गत तीन वर्षो (1992-93, 1993-94, 1994-95) के दौरान कानूनी कार्यवाही के जरिए 141.06 लाख रूपए की कुल राशि वसूली गई है।

विवरण

31-3-94 को जिन पार्टियों पर एक लाख रूपए से अधिक बकाया राशि थी, उन पार्टियों के नाम, अवधि और उनके विरूद्ध की गई विधिक कार्रवाई

एकक का नाम	पार्टी का नाम	राशि लाख रू० में	बकाया की अवधि	की गई विधिक कार्रवाई
1	2	3	4	5
होटल आगरा	1 टीसी आई बम्बई	4.21	3 माह से कम	नहीं
अशोक आगरा	2 इंड ट्रेवलस बम्बई	1.63	3 माह से कम	नहीं
	3 थॉमस कुक, बम्बई	5.45	3 माह से कम	नहीं
	4 सीता वर्ल्ड ट्रैवलस, दिल्ली	2.28	3 माह से कम	नहीं
	5 रेनबों ट्रैवल्स, दिल्ली	5.23	3 माह से कम	नहीं
	6 स्डीएम प्रोटोकोल, आगरा	1.38	2 वर्ष से अधिक	नहीं
अशोक होटल,	1. एयरोफ्लोत	26.82	*1 वर्ष	नहीं
नई दिल्ली	2. एयर इंडिया	17.41	*1 वर्ष	नहीं
	3 आल इंडिया कांग्रेस कमेटी	3.73	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	4 एंलपाइन ट्रैवल	8.63	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	5 एरैना अफगान एयरलाइन्स	8.90	6 माह	नहीं
	6 एडीसी आई	19.74	*3वर्ष	नहीं
	7 बिललोमोरिया कंसलटेंट	2.03	6 माह	नहीं

1	2	3	4	5
	8 बी टी एस, नई दिल्ली	11.09	*2 वर्ष	नहीं
	9 सी एस आई आर	1.04	3 माह से कम	नहीं
	10 केनरा बैंक	1.03 3	*3 वर्ष	नहीं
	11 शेफ एयर	4.92	*3 वर्ष	नहीं
	12 सिपला	1.02	3 माह	नहीं
	13 सिटी बैंक	2.86	3 माह से कम	नहीं
	14 कोल इडिया	3.07	6 माह	नहीं
	15 क्रिएटिव ट्रैवलस	2.20	*2 वर्ष	नहीं
	16 डाबर इंडिया	3.89	*1 वर्ष	नहीं
	17 फिल्मोत्सव निदेशक	6.14	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	18 फेबीरो गिफ्ट शॉप	1.24	6 माह	नहीं
	19 एच आर डी फाउंडेशन	1.20	*2 वर्ष	नहीं
	20 हैरीटेज ट्रैवल	3.16	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	21 हीरो डोण्डा	2.14	3 माह	नहीं
	22 होलोडे मेकर्स	1.99	*3 वर्ष	नहीं
	23 आई सी सी आर	2.91	3 माह	नहीं
	24 इंड ट्रैवल नई दिल्ली	1.28	*2 वर्ष	नहीं
	25 इंडिया एयरलाइन्स	3.42	*3 वर्ष	नहीं
	26 इंडियन डेयरी एसोसिशन	1.72	3 माह	नहीं
	27 इंडियन ऑयल कारपारेशन लि०	3.47	1 वर्ष से कम	नहीं
	28 इंडियन यूथ कार्गेस	8.42	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	29 इंडो कल्चर टुअरस नई दिल्ली	2.41	*1 वर्ष	नहीं
	30 इन्द्रप्रस्थ ट्रैवल	1.31	*1 वर्ष	नहीं
	31 इंडस ट्रैवल	2.10	*3 वर्ष	नहीं
	32 इंपेक ट्रैवल	7.60	*1 वर्ष	नहीं
	33 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	1.21	3 माह से कम	नहीं
	34 जे एंड के टूरिज्म	5.36	*1-3 वर्ष से अधिक	नहीं

1	2	3	4	5
	35 जयंत शाह	2.62	*1 वर्ष	नहीं
	36 जैट एयर ट्रैवल	1.57	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	37 कर्नाटक भवन	1.78	3 माह	नहीं
	38 केडिया एंड पार्टी	2.95	3 माह	नहीं
	39 खल्लीउल्लाह	2.50	*1 वर्ष	हां
	40 एल टी सी ट्रैवल	4.92	1-2 वर्ष	नहीं
	41 लोक सभा	5.37	6 माह से कम	नहीं
	42 मारूति उद्योग लि०	11.76	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	43 मास्टर काइर्स	1.02	*3 वर्ष	नहीं
	44 मैकन	1.25	3 माह	नहीं
	45 मरकरी ट्रैवल	4.00	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	46 कृषि मंत्रालय	1.72	1 वर्ष से कम	नहीं
	47 वाणिज्य मंत्रालय	1.08	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	48 रक्षा मंत्रालय	1.69	1 वर्ष से कम	नहीं
	49 विदेश मंत्रालय	81.16	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	50 वित्त मंत्रालय	1.27	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	51 गृह मंत्रालय	5.01	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	52 मानव संसाधन मंत्रालय	2.36	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	53 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	1.24	3 वर्ष से कम	नहीं
	54 विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय	1.28	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	55 भूतल और परिवहन मंत्रालय	2.13	1 वर्ष से कम	नहीं
	56 पर्यटन मंत्रालय	11.52	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	57 एन यू ट्रैवल ब्यूरो	1.76	*3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	58 वांटा चैप्टर	1.93	*1 वर्ष	नहीं
	59 पेराडाइज ट्रैवल	2.22	1 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	60 पैटसन ट्रैवल	3.15	*2 वर्ष	हां
	61 राज्य सभा	2.09	3 माह से कम	नहीं
	62 सार्क लॉ कॉफ्रेंस	1.27	*1 वर्ष	नहीं

1	2	3	4	5
	63 शिखा ट्रैवल	2.07	*1 वर्ष	नहीं
	64 श्री सिद्धार्थ एक्सपोर्ट	2.20	*2 वर्ष	नहीं
	65 सीता वर्ल्ड ट्रैवल	6.73	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	66 सुर्नोटोमो कारपोरेशन	2.74	*1 वर्ष	नहीं
	67 टी सी आई बम्बई	3.44	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	68 टी सी आई नई दिल्ली	4.71	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	69 थॉमस कुक्स नई दिल्ली	2.02	1 वर्ष से कम	नहीं
	70 पर्यटक कार्यालय	23.32	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	71 ट्रेड विंगस बम्बई	2.70	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	72 ट्रेड विंगस नई दिल्ली	1.11	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	73 ट्रैवल हाऊस	5.01	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	74 त्रिमूर्ति ट्रैवल	1.47	*1 वर्ष	नहीं
	75 यू वी होलीडे	1.35	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	76 उजबेकिस्तान	4.24	*2 वर्ष	नहीं
	77 यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन	1.16	1 वर्ष से कम	नहीं
	78 वर्ल्ड प्रिंट कॉफ्रेंस	2.51	*1 वर्ष	नहीं
	79 वेस्टर्न हैंग ग्लाइडिंग	2.15	3 वर्ष से अधिक	हां
	80 अशोक घोष एंड पार्टी	2.28	3 वर्ष से अधिक	हां
	81 मोनोलेक्स	1.32	3 वर्ष से अधिक	हां
	82 वसत कनसलटेंट	1.22	3 वर्ष से अधिक	हां
	83 राम दास	11.48	3 वर्ष से अधिक	हां
	84 एस आई डी सी	3.20	3 वर्ष से अधिक	हां
	85 एम ई एल ए	1.29	3 वर्ष से अधिक	हां
	86 एन बी टी वी	2.13	3 वर्ष से अधिक	हां
	87 आर के भल्ला	1.80	3 वर्ष से अधिक	हां
	88 विजय मेहरा	1.20	3 वर्ष से अधिक	हां
	89 नेचुरल हर्बर्स	8.01	3 वर्ष से अधिक	हां
	90 कोडियो फिल्म्स	4.97	3 वर्ष से अधिक	हां
	91 विक्टी कारपेट	20.33	*3 वर्ष से अधिक	हां

1	2	3	4	5
होटल औरंगाबाद				
अशोक	1 कलैक्टर कार्यालय	1.23	3 वर्ष से अधिक	नहीं
अशोक यात्री	1 ओमकैरीइंग कारपोरेशन	1.02	1 वर्ष से कम	नहीं
निवास	2 क्यूसीपीएल	1.91	3 वर्ष से अधिक	हां
नई दिल्ली	3 डी पी सूद	2.50	1 वर्ष से अधिक	हां
	4 बिहार पर्यटन	5.47	3 वर्ष से अधिक	हां
	5 गोड फादर सर्विस	2.56	*3 वर्ष से अधिक	हां
	6 इंडिया एंटरप्राइजिज	1.29	*3 वर्ष	हां
	7 ब्यूटी वाच कंपनी	2.71	*3 वर्ष से अधिक	हां
	8 पंजाब पर्यटन	1.11	*1 वर्ष से अधिक	नहीं
	9 अबिनाशी	1.10	*3 वर्ष से अधिक	हां
	10 गुंजन बुटीक	2.14	*1 वर्ष से अधिक	हां
	11 आर्य आफ्शोर सर्विस	1.77	*1 वर्ष से अधिक	नहीं
	12 केरल पर्यटक सूचना	1.31	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	13 कॉटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया	1.55	*1 वर्ष से अधिक	नहीं
होटल अशोक	1 सीतावर्ल्ड ट्रैवल (प्रा०)	1.37	3 माह से कम	नहीं
बेंगलूर	लि० नई दिल्ली			
	2 कर्नाटक सरकार	9.21	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	3 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ	4.57	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	एसएंडएस, नई दिल्ली			
	4 इंडियन कांक्रीट इंसटीट्यट, बेंगलूर	1.26	3 माह से कम	नहीं
	5 केएसटीडीसी	4.57	3 माह से कम	नहीं
	6 इंडियन एयरलाइंस	13.00	3 माह से कम	नहीं
	7 वायुदूत लि०	1.05	3 वर्ष से अधिक	नहीं
होटल बोधगया	1 इंडस टुअरस एंड ट्रैवल्स	3.00	3 वर्ष से अधिक	नहीं
अशोक	2 डी एम गया	5.41	3 वर्ष से कम	
	3 एवरेस्ट ट्रैवल सर्विस, नई दिल्ली	4.32	6 माह से कम	नहीं
	4 इंपेक टुअर्स नई दिल्ली	4.12	3 वर्ष से कम	नहीं

1	2	3	4	5
होटल हासन	1 टी सी आई बम्बई	1.63	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
अशोक	2 ट्रेंड विंग्स लि०, बम्बई	1.21	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	3 सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स	1.76	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
होटल जयपुर	1 इंडियन हॉरीजन बम्बई	1.49	3 माह	नहीं
अशोक	2 सीता वर्ल्ड ट्रेवल (आई) लिमिटेड	6.76	3 माह से 3 वर्ष	नहीं
	3 टी सी आई नई दिल्ली	1.69	3 माह से 3 वर्ष	नहीं
	4 टी सी आई बम्बई	1.11	3 माह से 3 वर्श	नहीं
	5 इंड ट्रैवल्स बम्बई	1.70	३ माह	नहीं
	6 थॉमस कक बम्बई	2.45	३ माह से 6 माह	नहीं
	7 त्रिमूर्ति हॉलीडे, बम्बई	1.33	३ माह से 1 वर्ष	नहीं
होटल जम्मू	1 जे एंड के हॉस्पिटेलिटी	2.19	1 वर्ष से कम	नहीं
अशोक	एंड प्राटोकॉल			
जनपथ होटल	1 फ्लोरिस्ट	1.23	*3 वर्ष से अधिक	हां
नई दिल्ली	2 हाइनर क्लब कार्ड	1.04	3 वर्ष से अधिक	हां
	3 हॉलीउे एयर	4.91	*3 वर्ष से अधिक	हां
	4 शिखर ट्रैवल्स	1.35	1 वर्ष से कम	नहीं
	5 लिंक इन्टरनेशनल	1.16	1 वर्ष से कम	नहीं
	6 एयर इंडिया	1.34	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	7 जाकिया एंड पार्टी	1.38	1 वर्ष से कम	नहीं
	8 बिहार सरकार	68.72	3 वर्ष से अधिक	हां
कनिष्क होटल	1 कॉसमॉस ट्रैवलस	1.11	1 वर्ष से कम	नहीं
नई दिल्ली	नई दिल्ली			
	2 कॉसमोपोलिटियन	5.31	1 वर्ष से कम	नहीं
	ट्रैवल्स, नई दिल्ली			
	3 हेरिटेज इंडिया,	1.06	1 वर्ष से अधिक	नहीं
	नई दिल्ली			
	4 इंडियन हॉरीजन, बम्बई	1.99	1 वर्ष से अधिक	नहीं
	5 इंड ट्रैवल्स बम्बई	1.66	1 वर्ष से अधिक	नहीं

1	2	3	4	5
	5 न्यू इंडस	1.15	6 माह से कम	नहीं
	6 टी सी आई	1.14	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	7 बैंक ऑफ बड़ौदा	1.90	1 वर्ष से कम	नहीं
	8 शिखर ट्रैवल	2.61	1 वर्ष से कम	नहीं
	9 तायो ट्रैवल्स	1.81	*3 वर्ष से कम	नहीं
होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	1 पश्चिमी बंगाल सरकार	3.95	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	2 इंडियन एयरलाइंस	140.66	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	3 एयर इंडिया	20.86	*3 माह से अधिक	नहीं
	4 बंगलादेश बीमन	2.99	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	5 रॉयल नेपाल एयरलाइसं	1.31	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	6 सिटी बैंक	2.36	1 वर्ष से कम	नहीं
	7 एयरोंफलोत	3.55	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	8 तेरोम एयरवेंज	2.75	1 वर्ष से कम	नहीं
	8 उजबेकिस्तान	1.71	1 वर्ष से कम	नहीं
	10 वायुदूत	5.66	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	11 एयर हैडक्वार्टर्स	5.17	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	12 सूचना विभाग, पश्चिमी बंगाल	3.55	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	13 गृह विभाग, पश्चिमी बंगाल	4.38	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	14 आल इंडिया फुटबाल फेंडरेशन	5.51	3 वर्ष से अधिक	नहीं
	15 मोहन बगाान क्लब	1.01	3 वर्ष से अधिक	नहीं
	16 फुटबाल एसोसिएशन	1.06	3 वर्ष से अधिक	नहीं
	17 फीनिक्स न्यूरजे रिलेक्स सर्विस	10.61	1 वर्ष से कम	हां
	18 टिस्को	1.29	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	19 इंडोटेक्स	2.06	*3 वर्ष से अधिक	हां
	20 टीसीआई, बम्बई	2.29	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	21 यूएनआई टुअर्स	2.21	*2 वर्ष से कम	नहीं
	22 इन्टरनेशनल ट्रेडर्स	1.11	1 वर्ष से कम	हां

1	2	3	4	5
	6 जेट ऐज बुअर्स नई दिल्ली	1.62	1 वर्ष से अधिक	नहीं
	7 मरकरी ट्रेवल्स नई दिल्ली	1.65	1 वर्ष से अधिक	नहीं
	8 सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स नई दिल्ली	9.09	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	9 त्रिमूर्ति ट्रैवल्स बम्बई	1.72	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	10 ट्रेड विंग्स बम्बई	1.57	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	11 टी सी आई बम्बई	1.99	*3 वर्ष से अधिक	नही
	12 टी सी आई नई दिल्ली	1.80	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	13 थॉमस कक बम्बई	7.31	*3 वर्ष से अधिक	नही
	14 यू टी एस नई दिल्ली	1.43	1 वर्ष से कम	नहीं
	15 इरोटिक ट्रैवल नई दिल्ली	5.39	1 वर्ष से अधिक	नहीं
	16 नू ट्रैवल्स ब्यूरो	2.20	*3 वर्ष से अधिक	नही
	17 इंडियन यूथ क्राग्रेंस	1.24	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	18 माथुर ऐविऐशन	1.18	2 वर्ष से कम	हां
	19 बिहार भवन	1.92	1 वर्ष से कम	हां
	20 जूनियर ऐशियन एथलेटिक्स चैम्प०	2.70	2 वर्ष से कम	नहीं
	21 पर्यटन विभाग	2.11	1 वष से कम	नहीं
	22 सूचना व प्रचार निदेशालय	1.27	1 वर्ष से कम	नहीं
कोवलम अशोक	1 एयर इंडिया त्रिवेंद्रम	31.20	*1 वर्ष	नहीं
तट बिहार,	2 एम्बेसडर ट्रैवल्स नई दिल्ली	2.58	*2 वर्ष	नहीं
कोवलम	3 अमेरिकन एक्सप्रेस केडिट कार्ड, नई दिल्ली	3.64	*3 वर्ष	नहीं
	4 आन्ध्रा बैंक, त्रिवेन्द्रम	4.15	*1 वर्ष	नहीं
	5 कॉक्स एंड किंग्स नई दिल्ली	2.64	*2 वर्ष से अधिक	नहीं
	6 पर्यटन विभाग, त्रिवेन्द्रम	4.18	*3 वर्ष	नहीं
	7 पर्यटन विभाग, कोचीन	1.04	*1 वर्ष	नहीं
	8 गल्फ एयर, त्रिवेन्द्रम	1.25	*1 वर्ष	नहीं

1	2	3	4	5
	9 ईएमपीएल टुअर्स नई दिल्ली	1.28	1 वर्ष	हां
	10 हॉलीडे मेकर नई दिल्ली	1.06	*1 वर्ष से अधिक	नहीं
	11 इंड ट्रैवल्स बम्बई	1.53	*1 वर्ष से अधिक	नहीं
	12 इडियन एयरलाइन्स, त्रिवेन्द्रम	8.77	*1 वर्ष	नहीं
	13 इंडियन हॉरीजन, बम्बई	2.21	*2 वर्ष	नहीं
	14 जेटएयर ट्रैवल्स बम्बई	1.18	*2 वर्ष	नहीं
	15 के एस ई बी त्रिवेन्द्रम	1.51	*1 वर्ष	नहीं
	16 मरकरी ट्रैवल्स नई दिल्ली	4.02	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	17 मोरिडियन हॉलीडे बम्बई	3.61	*1 वर्ष से अधिक	नहीं
	18 विदेश मंत्रालय	1.14	*1 वर्ष	नहीं
	19 ऑरिएण्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली	2.27	*1 वर्ष	नहीं
	20 रेनबो ट्रैवल्स नई दिल्ली	2.23	*2 वर्ष से अधिक	नहीं
	21 सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स नई दिल्ली	9.42	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	22 श्री राज ट्रैवल्स बम्बई	2.01	2 वर्ष	हां
	23 स्वागतम टुअर्ज नई दिल्ली	1.83	*2 वर्ष से अधिक	नहीं
	24 थॉमस कुक बम्बई	1.34	*2 वर्ष से अधिक	नहीं
	25 ट्रैवल्स हाऊस नई दिल्ली	1.81	*1 वर्ष से अधिक	नहीं
	26 ट्रैवल इंडिया ब्यूरो नई दिल्ली	1.36	*1 वर्ष से अधिक	नहीं
	27 यूवीआई हॉलीडेज बम्बई	2.76	*3 वर्ष	नहीं
	28 वैशाली टुअर्स एंड ट्रैवल, नई दिल्ली	1.67	*1 वर्ष	नहीं
	29 वैशाली टुअर्ज एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली	2.64	*2 वर्ष	नहीं
होटल खजुराहो	1 क्रिएटिव ट्रैवल्स, नई दिल्ली	1.40	6 माह से कम	नहीं
अशोक	2 सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स नई दिल्ली	1.90	3 माह से 3 वर्ष तक	नहीं
	3 ट्रैड विंग्स, बम्बई	1.74	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
ललित महल	1 कॉस एंड किंग्स	3.29	3 माह से 6 माह तक	नहीं
होटल मैसूर	2 डिजाइनर्स हॉलीडेज बम्बई	3.25	3 माह से कम	नहीं

1	2	3	4	5
	6 ट्रेड विंग्स लि. बम्बई	1.28	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	7 इंडो कल्चर टुअर्ज, नई दिल्ली	1.64	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	8 थॉमस कुक, बम्बई	3.86	3 माह से कम	नहीं
	9 तुषिता ट्रैवल्स लि.	1.36	3 माह से कम	नहीं
	10 पैटिट्स इंडिया लि.	1.33	6 माह से कम	नहीं
	11 ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बम्बई	3.79	*2 वर्ष से कम	नहीं
	12 कल्चर टुअर्ज नई दिल्ली	1.42	3 माह से कम	नहीं
	13 सिटी बैंक, नई दिल्ली	1.32	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	14 इन्द्रप्रस्थ ट्रेड एंडटुअर्स	1.30	6 माह से 1 वर्ष से अधिक तक	नहीं
होटल मदुरै	1 ऑरिन्ट एक्सप्रैस, नई दिल्ली	3.16	3 माह से कम	नहीं
अशोक	2 ट्रेड विंग्स	1.89	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	3 टी सी आई, बम्बई	1.27	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	4 सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स	2.69	*2 वर्ष से अधिक	नहीं
होटल पाटलिपुत्र	1 एवरेस्ट ट्रैवल्स, नई दिल्ली	1.74	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
अशोक, पटना	2 इंडियन एयरलाइन्स	2.04	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	3 शिक्षा विभाग	1.08	2 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	4 तायो ट्रैवल्स	1.82	*2 वर्ष से अधिक	
	5 डी एम पटना	2.33	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
कुतुब होटल	1 ट्रेवल इंडिया ब्यूरो प्रा. लि.	1.42	*1 वर्ष से अधिक तक	नहीं
नई दिल्ली	2 राबा कॉन्टेल प्रा. लि.	13.25	3 वर्ष से अधिक	हां
	3 आईएसओ पैरामीट्रिक्स प्रा. लि.	8.63	3 वर्ष से अधिक	हां
	4 सिंगिंग बैल्स	1.08	1 वर्ष से अधिक	हां
रणजीत होटल	1 मैक ट्रैवल्स	2.11	3 वर्ष से अधिक	हां
नई दिल्ली	2 रेवती कला मंदिर	1.52	1 वर्ष से कम	नहीं
	3 बिहार सरकार	4.19	3 वर्ष से अधिक	हां
	4 रैनबो कलर लैब	1.27	*2 वर्ष से अधिक	नहीं

1	2	3	4	5
	3 ईएमपीएल टुअर्ज, नई दिल्ली	1.13	2 वर्ष से कम	नहीं
	4 हैरिटेज टुअर्ज एंड ट्रैवल्स	1.16	3 माह से कम	नहीं
	5 इंडो कल्चर ट्रैवल्स	1.63	*2 वर्ष से कम	नहीं
	6 टी सी आई बम्बई	4.88	3 माह से 2 वर्ष तक	नहीं
	7 ट्रेड विंग्स बम्बई	1.77	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	8 यूवी बम्बई	2.21	*2 वर्ष से कम	नहीं
	9 डी सी ऑफिस	2.21	3 माह से 1 वर्ष तक	नहीं
	10 ए एण्ड के, नई दिल्ली	1.38	3 माह से कम	नहीं
	11 कल्चर टुअर्ज, नई दिल्ली	1.13	3 माह से 2 वर्ष तक	नहीं
	12 मेरिडियन हॉलीडे, बम्बई	1.02	3 माह से कम	नहीं
	13 रेनबो टुअर्ज, बम्बई नई दिल्ली	1.89	3 माह से कम	नहीं
	14 सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स नई दिल्ली	4.88	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	15 थॉमस कुक, बम्बई	1.34	3 माह से 1 वर्ष	नहीं
	16 ट्रैवेलाइट इंडिया	1.48	6 माह से कम	नहीं
लोधी होटल	1 वुड लैंड्स	4.31	2 वर्ष से अधिक	हां
नई दिल्ली	2 भारतीय खेल प्राधिकरण	1.64	2 वर्ष से अधिक	नहीं
	3 आसरा ऑरिएण्ट	1.30	2 वर्ष से अधिक	नहीं
	4 बिहार भवन	27.79	2 वर्ष से अधिक	हां
	5 नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	1.39	1 वर्ष से कम	नहीं
	6 लोक सभा	4.18	2 वर्ष से अधिक	नहीं
	7 सिटी बैंक	1.43	*2 वर्ष से अधिक	नहीं
	8 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया	2.37	1 वर्ष से कम	नहीं
	9 सेना मुख्यालय	2.25	1 वर्ष से कम	नहीं
लक्ष्मी विलास	1 हिन्दुस्तान जिंक लि.	1.68	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
पैलेस होटल,	2 सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स, नई दिलली	3.52	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
उदयपुर	3 बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब/मास्टर/वीसा	1.35	3 माह से कम	नहीं
	4 रैनबो ट्रैवल्स, नई दिल्ली	5.09	3 माह से कम	नहीं
	5 इंडियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली	1.49	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं

1	2	3	4	5
	5 तिरूपति बालाजी मोटर्स	3.25	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	6 ग्रेजुएट्स	2.94	*3 वर्ष से अधिक	हां
	7 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो	22.34	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	8 रैनबो ट्रैवल्स	1.03	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
सम्राट होटल,	1 भारत हैवी इलैक्ट्रॉनिक्स लि०	1.55	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
नई दिल्ली	2 विदेश मंत्रालय	6.29	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	3 बिहार भवन	1.46	*3 वर्ष से अधिक	हां
	4 इंडियन यूथ कांग्रेस	2.89	3 वर्ष से अधिक	नहीं
	5 माथुर एविएशन	6.60	2 वर्ष से कम	हां
	6 श्री आर के भाटिया	1.16	2 वर्ष से कम	हां
	7 फोर्य जूनियर एशियन एथेलेटिक्स कैम्प	13.50	2 वर्ष से कम	नहीं
	8 अजित सन्स (प्रा.) लि.	9.39	3 वर्ष से कम	हां
	9 स्वदेशी पोलीटेक्स	3.01	1 वर्ष से कम	नहीं
	10 शेरी लुइस	1.41	3 वर्ष से अधिक	हां
	11 श्रृंगार	2.25	3 वर्ष से अधिक	हां
	12 सैयद अली सन्स	1.76	*2 वर्ष से कम	हां
	13 होलीडे मेकर्स	1.28	1 वर्ष से कम	नहीं
	14 सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स	1.61	3 माह से कम	नहीं
	15 शालीमार ट्रैवल्स	1.60	6 माह से कम	नहीं
	16 थॉमस कुक	1.47	6 माह से कम	नहीं
	17 ट्रेड विंग्स	3.15	6 माह से कम	नहीं
	18 त्रिमूर्ति होलीड़ेज	2.62	6 माह से कम	नहीं
	19 मारूति उद्योग	9.24	*3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	20 रक्षा मंत्रालय	1.01	1 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	21 इंडियन एयरलाइन्स	1.37	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	22 इंडियन एयरलाइन्स (फ्लाइट किचन)	13.47	2 वर्ष से अधिक	नहीं

1	2	3	4	5
	23 सीबी आई	3.57	2 वर्ष से कम	नहीं
	24 इन्फ्लुएन्स	1.63	3 माह से कम	नहीं
टैम्पल बे अशोक	1 टैड विंग्स लि.	1.03	3 माह से कम	नहीं
तट बिहार,	2 इसेन्टिल एंड कन्वेंशन्स टुअर्स	5.91	2 वर्ष से अधिक	नहीं
मामल्लपुरम्	3 डेंजनर होलीडे बम्बई	1.23	3 माह से कम	नहीं
होटल	1 जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी	6.07	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
वाराणसी	2 सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स	5.74	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
अशोक	3 टीसी आई , नई दिल्ली	1.88	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	4 रैनबो ट्रैवल्स	3.40	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	5 मरकरी ट्रैवल्स	1.23	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	6 ट्रैवल प्रोमोशन ब्यूरो, नई दिल्ली	1.09	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	7 ट्रैवेलाईट नई दिल्ली	2.40	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	8 ए सी एम टुअर्स	1.84	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	9 वर्ल्ड एक्सपीडिशन, नई दिल्ली	1.06	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	10 तायो ट्रैवल्स एंड टुअर्ज	3.52	1 वर्ष से कम	नहीं
	11 टॉप ट्रैवल्स एंड टुअर्स, नई दिल्ली	1.17	1 वर्ष से कम	नहीं
	12 इन्द्रप्रस्थ	1.05	*2 वर्ष से अधिक	नहीं
	13 एशियाड़ होलीडे बम्बई	5.14	6 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	14 इंडियन हॉरीज़न बम्बई	1.68	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	15 ट्रैवल स्पिरिट इंअरनशनल नई दिल्ली	2.06	3 वर्ष से अधिक	नहीं
	16 त्रिमूर्ति होलीडेज बम्बई	1.31	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	17 ट्रेड विंग्स, बम्बई	1.75	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
	18 थॉमस कुक (प्रा.) लि., बम्बई	1.67	*3 वर्ष से आधिक	नहीं
	19 इंडियन एयरलाइन्स	4.55	3 माह से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
होटल कलिंग	1 इंडियन एयरलाइन्स	3.33	*3 वर्ष से अधिक	नहीं
अशोक, भुवनेश्वर	2 होम प्रोटोकोल डिपार्टमेंट	0.62	2 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं
	3 महावीर इंजीनियरिंग	2.60	1 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक तक	नहीं

*इन पार्टियों के संबंध में बकाए की अवधि 3 माह से कम अवधि से लेकर प्रत्येक पार्टी के सामने उल्लिखित अवधि तक है।

टैक्सटाइल मशीनरी

8389. डा० वसंत पवार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान टैक्सटाइल मशीनरी के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ख) टैक्सटाइल मशीनरी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1994-95 (अप्रैल–94–फरवरी–95) के दौरान वस्त्र मशीनरी के निर्यात को कीमत १५१.६४ करोड़ रूपये (अनंतिम) रहीं।

(ख) निर्यात का संवर्धन करना सरकार का एक सतत् प्रयास रहा है। वस्त्र मशीनरी समैत इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपयों में आयात–निर्यात नीति के तहत विभिन्न प्रोत्साहन शामिल है जैसे शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस, शुल्क वापसी योजना, आयर अधिनियम की धारा 80 एस. एच सी. के तहत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता और निर्यातकों को आस्थगित ऋण एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 1-3-95 को इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यात (लोहा एवं इस्पात मध्यमवर्ती प्रतिपूर्ति) नामक एक नई योजना को अधिसूचना जारी की है। इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकों ने इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से विभिन्न क्रिया–कलापों के अंतर्गत संवर्धनात्मक सहायता भी प्राप्त की है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू. बी. ए. बी. ओ.) लिमिटेड

8390. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षो में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू. बी. ए. बी. ओ.) लिमिटेड की प्रत्येक इकाई के लिए निर्धारित किए गए उत्पादन लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्षमता उपयोग की उपलब्धि का वर्तमान प्रतिशत क्या है और आगामी तीन वर्षो में इसमें वृद्धि करने हेतु क्या कार्यक्रम बनाए गए है ;

(ग) क्या कंपनी समग्र उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कच्चा माल और आवश्यक निवेश कर पाने में असमर्थ है ;

(घ) यदि हां, तो संबंधित तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ड) इस संबंध में सरकार ने कौन से कदम उठाए है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ड). कार्यशील पूंजी की जटिल कमी होने तथा उसके फलस्वरूप कच्चे माल तथा निवेश की कमी होने के कारण एन टी सी ने एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लि० के प्रत्येक एकक के लिए किसी भी प्रकार का विशिष्ठ लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लि० के अंतर्गत मिलों के लिए इस समय क्षमता उपयोग कताई और बुनाई के लिए क्रमशः लगभग 15.62% तथा 4.61% है।

सरकार ने एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक संशोधत सर्वागीण सुधार योजना का अनुमोदन किया है। जिसमे एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लि०, के अधीन मिलें भी शामिल है। यह योजना समान्यतया वस्त्र अनुसंधान द्वारा तैया की गई योजना तथा श्रम मंत्रालय की एन टी सी विषयक विशेष त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। योजना को क्रियान्वयन से पहले बी आई एफ आर के समक्ष उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन के बाद एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लि० में कताई और बुनाई में क्रमशः क्षमता उपयोग के 90% तथा 92% तक सुधार आने की संभावना है।

निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना

8391. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **वित्त मंत्री** 28 अप्रैल, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने राज्य में स्थित संयुक्त क्षेत्र में बैंकों की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन भेजा है ;

(ख) क्या निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना संबंधी मार्गनिर्देश, संयुक्त क्षेत्र के उन प्रस्तावित बैंकों पर भी लागू होंगे जहां राज्य सरकार अथवा राज्य वित्तीय संस्थान की ईक्विटी में आंशिक भागीदारी है ;

(ग) उपरोक्त उत्तर में सूचीबद्ध बैंकों का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान कार्य कर रहे है ; और

(घ) क्या इन बैंको को अपने प्रधान कार्यालय के अलावा अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है ; और

(ड) क्या इनकी शाखाएं देश भर में अथवा केवल क्षेत्र विशेष में ही खोली जाएंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) से (ड). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जीवन बीमा निगम में पुनः रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को वरिष्ठता लाभ

8392. श्री राम नाईक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों तथा बैंको में पुनः रोजगार की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व "इमरजेंसी कमीशन्ड" अधिकारियों और "शार्ट सर्विस कमीशन्ड" अधिकारियों की सेना में उनकी सेवा के आधार पर वेतन निर्धारण में वरिष्ठता संबंधी लाभ दिए जाते है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों को ये लाभ नहीं दिए जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भूतपूर्व "इमरजेंसी कमीशन्ड" अधिकारियों तथा "शार्ट सर्विस कमीशंड" अधिकारियों को सेवा में उनकी सेवाओं को आधार पर वेतन निर्धारण आदि के संबंध में कुछ लाभ दिए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। सरकार ने भूतपूर्व "इमरजेंसी कमीशंड" अधिकारियों तथा "शार्ट सर्विस कमीशंड" अधिकारियों, जो बीमा उद्योग में पद्भार ग्रहण करते है, को वेतन तथा अन्य लाभ आदि के संरक्षण हेतु विसतृत मार्गदर्शी निर्देश जारी किए है।

(ग) और (घ). प्रंश्न उत्पन्न नहीं होते।

बैंको का ऋण-जमा अनुपात

8393. श्री शिव शरण वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1994-95 के अन्त तक देश में वाणिज्येिक बैंको में कुल जमा धनराशि कितनी थी;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान इन बैंको द्वारा कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई ; और

(ग) उक्त अवधि में इन बैंकों द्वारा कुल कितनी धनराशि की वसूली की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1994 (अद्यतन उपलब्ग) की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण क्रमश 356360.04 लाख रू० और 206358.04 लाख रू० है। वर्ष 1994-95 कें दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा वसूल की गई राशि से संबंधित जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है।

निर्यात देनदारियों के लम्बित मामले

8394. डा. खुशीराम डुंगरोमेल जेस्वाणी : क्या **वाणिज्य मंत्री** 5 मई, 1995 के अतारिकत प्रश्न सं० 4569 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्णय के लिए अभी भी लम्बित 57 मामलों का ब्यौरा क्या है और मामलों में लिप्त कंपनियों के नाम क्या हैं तथा उनको प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस/एफ.सी मंजूरी पर लगाई गई निर्यात देनदारियों के प्रति कितनी विदेशी मुद्रा देनी होगी ;

(ख) ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं जिनकें खुले सामान्य लाइसेंसों पर लगाई गई निर्यात देनदारियों से संबंधित 123 मामलें अभी भी लम्बित हैं और प्रत्येक कंपनी पर कितनी विदेशी मुद्रा राशि बकाया है ; और

(ग) सरकार ने इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये है ?

व्याणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) निर्णयाधीन लम्बित पडे 57 मामले तथा प्रत्येक मामले में लगाया गया निर्यात दायित्व की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन मामलों से संबंधित नवीनतम स्थिति का पता विदेश व्यापार महानिदेशालय से, क्षेत्रीय कार्यालयों से लगाया जा रहा है, जोकि ऐसे मामलों में निर्यात दायित्व की मॉनीटरिंग करते हैं।

(ग) निर्यात दायित्व को पूरा करने की मॉनीटरिंग बारीकी से की जा रही है और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध लम्बित मामलों को अंतिम रूप शीघ्रतिशीर्घ देने उपाय किए जा रहे है।

विवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम	लगाया गया निर्यात (रू में)
1	2	3.
1	मैसर्स डेक्कन लैदर लि०	4,62,84410.00
2	मैसर्स मेटल बॉक्स कम्पनी ऑफ इ. लि०	18,3540,00.00
3	मसर्स अर्नोलड हेइनामनन् पब्लिशर्स इण्डिया लि०	2,63,330.50
4	मसर्स भारत लाइन्डरस	7,01,929.00
5	मसर्स ग्रेवज कॉटन कम्पनी	6,00,000.00

1	2	3
6	मैसर्स माइक्रोवेव प्रोडक्टस	87,50,000.00
7	मैसर्स जी. ई. सी. लि.	49,92,565.17
8	मैसर्स परफेक्ट फास्टनर प्रा. लि.	5.18,400-00
9	मैसर्स इन्जरसोल–रन्ड (आई) प्रा. लि.	10,44,00,000.00
10	मैसर्स सन–शिप लि.	4,62,63,057.06
11	मैसर्स ग्राइन्डवेल नॉटोन लि.	69,102.72
12	मैसर्स स्पेशल स्टील लि.	9,69,83,267.02
13	मैसर्स होईचस्ट डाइ एण्ड चेम लि.	30,66,616.02
14	मैसर्स लूकस इन्डियन सर्विसेज लि.	12,60,000.00
15	मैसर्स गोरडू वूडरूफे लि.	30,52,00,000.00
16	मैसर्स इन्डियन स्पलाइसिग (मेच) एण्ड एक्सेसोरिज (उषा इण्डिया लि.)	7,33,800.00
17	मैसर्स सुमक् इन्जी	1,20,82,242.00
18	मैसर्स कूलर चेम लि.	2,74,58,00.00
19	मैसर्स इन्डियन रेयन कार्पो. लि.	18,73,33,920.00
20	मैसर्स कोनकन फिशरिज प्रा. लि.	35,76,43,285.00
21	मैसर्स केडबरी इण्डिया लि.	17,41,59,000.00
22	मैसर्स फूड स्पैशयलिटिज लि.	13,63,87,500.00
23	मैसस कलर चेम लि.	7,01,73,445.00
24	मैसर्स कीन विलिअमस	2,15,51,623.00
25	मैसर्स रैमन्ड वूलन मिलज	33,95,540.00
26	मैसर्स बेयर इण्डिया लि.	31,79,630.50
27	मैसर्स हिन्दुस्तान गैस एण्ड इन्डस्ट्रीज	16,20,700.00
28	मैसर्स इन्जरसोल–रन्ड (आई) लि.	43,72,500.00
29	मैसर्स जे. जी. ग्लास लि.	33,33,00,000.00
30	मैसर्स इन्जरसोल–रन्ड (आई) लि.	53,08,800.00
31	मैसर्स डॉ. बेक (आई) लि.	73,24,200.00
32	मैसर्स लेदर क्राफ्ट प्रा. लि.	1,31,99,469.62
33	मैसर्स बाइओकोन (आई) लि.	1,97,74,396.00
34	मैसर्स फरिदा शूज प्रा. लि.	3,87,78,400.00
35	मैसर्स जयश्री टैक्सटाइल्स	2,99,23,00,000.00
36	मैसर्स गार्डन वूडरोफ लि.	4,02,43,038.00
37	मैसर्स जमील लेदर्स	7,34,39,161.32
38	मैसर्स इन्डियन डाईस्टफ इन्ड.	5,70,82,200.00
39	मैसर्स हिनदुसतान सीबा–गीजी लि.	6,84,73,538.00
40	मैसर्स न्यू स्टेण्डर्ड इन्जी. कम्पनी लि.	62,29,296.00
41	मैसर्स आडको इण्डिया लि.	37,49,472.00
42	मैसर्स पाइनियर लेदर इन्डस्ट्रीज	25,89,815.00
43	मैसर्स अम्बालाल साराभाई चेमे. लि.	4,52,101.00
44	मैसर्स भारत रेडिपटर्स (प्रा.) लि.	41,41,652.00
45.	मैसस जी. ई. सी. लि.	4,18,00,00.00
46	मैसर्स हरियाणा टन्नेरीज लि.	1. खालों से लाइनिंग लैदर 6 लाख 2 हाईड्स से अन्य प्रकार की चमडा 6.5 लाख

1	2	3
47	मैसस इन्डो फॉरेन कैम (प्रा.) लि.	1. 2375 कि० ग्रा० रिड्यूसिन एक्सेर्बबैन्ट 2. 1700 कि० ग्रा० ड्यिूसिन ओलवैन्ट
48	मैसर्स मेफेयर लेदर इन्ड	1. 57 लाख चमड़े के फुटवियर 2 चमड़ें की वस्तुओं की 38 लाख इकाइयाँ
49	मैसर्स मैटल बॉक्स इण्डिया लि.	1. पाँच वर्षो के लिए प्रतिवर्ष 600 पैकेजिंग कुशीन
50	मैसर्स इन्गरसोल–रेण्ड (आई.) लि.	10 वर्षो के लिए अतिरिक्त उत्पादन
51	मैसर्स सी अब्दुल रेहमान एण्ड कम्पनी	10 वर्षो के लिए 75 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन
52	मैसर्स मारशल सन्स मैन्यु कम्पनी लि.	5 वर्षो के लिए प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत
53	मैसर्स हिन्दुस्तान सिबा–गीजी लि.	5 वर्षो के लिए प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत
54	मैसर्स साउथ–ईस्ट टेन्नेरीज	5 वर्षो के लिए प्रतिवर्ष 90 प्रतिशत
55	मैसर्स साराभाई कैमिकल्स	5 वर्षा के लिए प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन
56	मैसर्स ऐसोशिस्टैड सीमेन्ट लि.	8 वर्षो के लिए प्रतिवर्ष दा एम एफ सी
57	मैसर्स हिन्दुसतान लीवर लि.	10 वर्षो के लिए प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन

तमिलनाडु में बैंक शाखाएं

8395. श्री पी० कुमारासामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, गैर सरकारी बैंको और विदेशी बैंको की अलग–अलग कितनी शाखाएं कार्यरत है ;

(ख) राज्य में बैंको की प्रत्येक श्रेणी का ऋण–जमा का अनुपात कितना है ; और

(ग) राज्य में इन बैंको के कार्यकरण में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). तमिलनाडु में (दिसम्बर 1994 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार) कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, विदेशी बैंकों और अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के कार्यालयें की संख्या और ऋण जमा अनुपात नीचे दिया गया है :–

बैंक समूह	कार्यालयों की संख्या	ऋण आया अनुपात
सरकारी क्षेत्र के बैंक	3318	89.2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	208	90.2
विदेशी बैंक	12	68.5
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	933	76.3
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4471	90.1

(ग) तमिलनाडु में उपर्युक्त सभी बैंको का ऋण अनुपात अखिल भारत आधार पर ग्रामीण ओर अर्द्ध–शहरी शाखाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्त से 60 प्रतिशत अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन

8396. श्रीमती शीला गौतम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगगठन नई दिल्ली लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भारतीय उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संगठन द्वारा विशेषतः लघु क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के क्या मानदंड निर्धारित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). यूनिडो मुख्यतया अपने द्वारा प्रबंध किए गए कोषों द्वारा अथवा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) विकास बैंकों, मांट्रियाल प्रोटोकोल के कार्यान्वयन हेतु बहुपक्षीय निधि आदि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए देशों को तकनीकी सहायता देता है। वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कोई निधि नहीं दी जाती।

यूनिडो ने यू एन डी पी द्वारा सहायता प्राप्त अनेक परियोजनाओं को लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों को मजबूत बनाने के लिए पूरा किया है। इनमें लुधियाना सिथत बाइसिकल अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, तथा सिलाई मशील विकास केन्द्र, मुरादाबाद स्थित धातु हस्तशिलप सेवा केन्द्र, मद्रास में प्रेशर हाई कास्टिंग यूनिट, आगरा स्थित लघु कास्टिंग और फोजिंग उद्योगों के लिए उत्पाद संवर्धन और विकास केन्द्र (पी पी डी सी) शामिल है। चल रही परियोजनाओं में ऑटो पार्ट्स प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान, कन्नौज में खुशबूदार तेलों के लिए पी पी डी सी और फिरोजाबाद में कांच उद्योग के लिए केन्द्र शामिल है। यूनिडो की कुछ निधियों का प्रयोग भारत में लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों को लाभान्वित करने वाली परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए भी किया गया है।

पश्चिम बंगाल में बैंक शाखाएं

8397. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में किन–किन स्थानों पर चालू वित्त वर्ष के दौरान नई बैंक शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : पश्चिमी बंगाल में ऐसे विभिन्न केन्द्रों पर, जहां अभी तक शाखाएं नहीं खोली गई है, शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंको को दिए गये लाइससों/प्राधिकार पत्रों के ब्यौरे विवरण के रूप में सलग्न हैं।

विवरण

पश्चिमी बंगाल में लम्बित लाइसेंसो/प्राधिकार पत्रों के ब्यौरे दिनांक 31-3-95 की स्थिति

क्रम संख्या	बैंक का नाम	केन्द्र (ब्लाक, ज़िला केन्द्र आदि)
1	2	3
राज्य : पश्चिम बंगाल		
1	**इलाहाबाद बैंक**	हावड़ा, जिला उत्तरी 24 परगना
2	**आंन्ध्रा बैंक**	सिलीगुड़ी, जिला दार्जलिंग
3	**बैंक ऑफ इण्डिया**	कलकत्ता कैपिटल मार्केट सर्विसेस ब्रान्च
4	**वहीं**	नन्दाई, कालना 1 ब्लाक, जिला वर्धवान
5	**वहीं**	हाथीधिया, सिलीगुडी ब्लाक जिला दार्जलिंग
6	बैंक आफ महाराष्ट्र	हलिदया कापसारिया, जिला मिदनापुर
7	केनरा बैंक	सिलीगुडी, जिला दार्जलिंग
8	सेंट्रल बैंक	उलुबेरिया, जिला हावड़ा
9	देना बैंक	बरसात जिला उत्तरी २४ परगना
10	इण्डियन बैंक	कलकत्ता–बाबूदंगा

1	2	3
11	वही	बसीरहाट, जिला उत्तरी 24 परगना
12	वही	हल्दिया–बरसुन्दा, जिला निदनापुर
13	इं. ओवरसीज बैंक	कलकत्ता चाटू बाबू मार्केट
14	वहीं	खड़मपुर न्यू ट्राफिक, जिला मिदनापुर
15	लक्ष्मी विलास बैंक	कलकत्ता चूना भटटी, अन्दुल
16	न्यू बैंक आफ इण्डिया	हलिदया रानीचौक जिला मिदनापुर
17	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	सल्किया, जिला हावड़ा
18	पंजाब नेशनल बैंक	नेहाटी हाजीनगर, जिला उत्तरी २४ परगना
19	वही	बरसात, जिला उत्तरी 24 परगना
20	पंजाब नेशनल बैंक	साल्ट लेक सैक्टर 11, जिला उत्तरी 24 परगना
21	वही	माल्दा, जिला माल्दा
22	यूनियन बैंक ऑफ इंण्डिया	कलकत्ता बारूईपुर अशोकगढ़
23	यूनियन बैंक ऑफ इण्डियाडायमंड	डायमंड हारबार, जिला दक्षिण 24 परगना
24	युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया	हल्दिया हाटिबारिया टाउनशिप, मिदनापुर
25	वही	कलकत्ता–सलीमपुर झील रोड
26	वही	कलकत्त साउथ एण्ड गार्डन
27	वही	कलकत्ता सर्वे पार्क
28	वही	कलकत्ता एसेट रिक्वरी मैनेजमेंट ब्रान्च
29	वही	मजिलपुर जिला साउथ 24 परगना
30	वही	पनघट बाजार, जिला नाडिया
31	वही	
32	वही	चन्दमौनी 11 अंचल इन बोमसाल चार्की, ब्लाक रटुआ–1, जिला मालदा
33	यूको बैंक	कलकत्ता बेल घाटकला मन्दिर
34	वही	रायगंज जिला नाथ दिनाजपुर
35	विजया बैंक	कलकत्ता लेक टाउन
36	वही	कलकत्ता स्पैश्लाइजस कैपिटल मार्केट सविसेस ब्रान्च
37	वैश्य बैंक	कलकत्ता रामबिहारी एवेन्यू

1	2	3
38	वही	कलकत्ता अजय नगर
39	वहीं	कलकत्ता ओवरसीज ब्रान्च
40	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०	कलकत्ता मलिक बाजार
41	सिंडिकेट बैंक	बरसात जिला उत्तरी 24 परगना
42	सिक्किम बैंक लि०	महाबीरस्थान सिलीगुडी, जिला दार्जलिंग
43	भारतीय स्टेट बैंक	कलकत्ता बांगुर एवन्यू
44	वही	चुनी बाजार, बीटी रोड
45	वही	सिटि कालेज, दक्षिण शाखा, काकुलिया
46	वही	ई. सी. मार्केट ई. सी. ब्लाक, साल्ट लेक
47	वही	लंटन स्ट्रीट, बेनियापुकुर लेन
48	वही	पर्वे पुत्तारी
49	वही	श्याम नगर रोड नयापार्टी
50	वही	खडगपुर नया बाजार, जिला मिदनापुर
51	वही	बर्दवान पंजाबीमोर रानीगंज
52	वही	टाकीजिला—उत्तर 24 पर्गना
53	वही	प्रधान नगर, जिला दार्जिलिंग
54	वही	रायगंज बाजार, जिला उत्तर दिनाजपुर
55	वही	खात्रा जिला बांकुरा
56	वही	जयगांव जिला जलपाइगुडी
57	वही	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन, ब्लाक गंगाजल घाटी, जिला बांकुरा
58	स्टेटबैंक आफ त्रावनकोर	कलकत्ता हालीटाला त्रिवेणी
59	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	आसनसील भादका वार्ड न० 2, जिला बर्दवान
60	आई सी आई सी आई बैंकिंग कार्पो लि.	कलकत्ता
61	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि०	कलकत्ता
62	यूटीआई बैंक लि०	कलकत्ता
63	इंडस्ट्रीयल बैंक लि०	कलकत्ता

वस्त्र क्षेत्र का दर्जा बढ़ाना

8398. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उरूग्वे दौर के पश्चात दक्षिण एशियाई देशों के भविष्य के संबंध में "विश्‍व व्यापार प्रणाली" पर नई दिल्ली में हाल ही में काई विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वस्त्र क्षेत्र में उत्पादों का सुधार और प्रबंधकीय तकनीकों और जानकारी के बारे में कुछ सुझाव दिए गए है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन सुझावों के संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ). उरूग्वे दौर के बाद विश्‍व व्यापार प्रणाली विषय पर फरवरी 1995 में नई दिल्ली में एक संगोष्ठी हुई थी। इस संगोष्ठी में उरूग्वे दौर के बाद दक्षिण एशिया के लिए विश्‍व व्यापार प्रणाली के अवसरों तथा संभावनाओं का अध्ययन करने की ओर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया। विश्‍व व्यापार प्रणाली के भावी विकास तथा उसके विदेशी संबंध पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में दक्षिण एशियाई देशों के पूर्व अनुमानों का भी इस संगोष्ठी में विशेष उल्लेख किया गया।

सरकार हमारे वस्त्र तथा क्लोदिंग निर्यात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। ताकि यह कोटा मुक्त नीति के अंतर्गत बढ़े हुए अवसरों का भरपूर लाभ उठाने में सक्षम हो सके। इस संबंध में उठाए गए कदमों में शामिल है क्रेता–विक्रेता बैठकों में, प्रदर्शनियों तथा मिलों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पुंजीगत माल का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, निर्यात संबंधी ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि।

प्रतिभूति लेन-देनों का निर्धारण

8399. श्री एस एम लालजान बाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचारा भारतीय रिजर्व बैंक को स्क्रीन ब्रेस रिपोटिंग के आधार पर प्रतिभूतियों के निर्धारण के लिए सभी वित्तीय संस्थानों को अनुमति देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्दशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). अन्तरणों सहित सरकारी प्रतिभूति लेने–देन इस समय लोक ऋण अधिनियम, 1944 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होते है। सरकारी प्रतिभूति लेने–देने की हस्तान्तरण बनाम भुगतान पद्धति शुरू करने की रूपात्मकता का अध्ययन करेन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक अन्तः विभागीय समूह ने यह माना है कि स्क्रीन आधारित निर्धारण उक्त पद्धति का एक तर्कसंगत अनुक्रम होगा। स्क्रीन आधारित निर्धारण पद्धति शुरू करने के लिए वैधनिक अनुमोदन प्राप्त होने तक सरकारी प्रतिभूतियों का अन्तरण लोक ऋण अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित अन्तरण दस्तावेज के आधार पर किया जा रहा है।

ए. सी. ए. एस. एच.

8400. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ए. सी.ए.एस.एच. तथा इसकी एजोंसियो और ए. के. ए. एस. एच तथा इसकी एजोंसियों में पंजीकृत हथकरघा एककों द्वारा हथकरघा उत्पादों की खरीद पर कितने प्रतिशत कमीशन लगाया जाता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ए. सी. ए. एस. एच्र. की खरीद के लिए निर्धारित मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को गत तीन वर्षो, के दौरान प्रतिवर्ष ए. सी. ए. एस. एच. द्वारा आपूर्ति की गई मदों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष, ए. सी. ए. एस. एच की मदों के विपणन से लाभान्वित हुए हथकरघा बुनकरों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) आकाश विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभागों/ अभिकरणों को हथकरघा इकाईयों से आपूर्ति की गई हथकरघा मदों के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रशासिन शुल्क लेता है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र में क्रय की जाने वाली अधिसूचित मदों की सूची संलग्न क्या है।

(ग) आकाश द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार की सप्लाई की गई मदों की सूची संलग्न है।

(घ) सरकार द्वारा ऐसे आँकडे नहीं रखे जाते।

विवरण-I

हथकरघा क्षेत्र से क्रय की जाने वाली मदों की सूची

सूती हथकरघा

अंगवस्त्र पट्टी का कपड़ा

बैड दरी

बैड सीट

ग्रे व रंगी कम्बल

ब्लीडींग मद्रास, लूमस्टेट

बक्रम कपड़ा

रंगीन बंटीम कपड़ा

कैलिको ब्लीज अथवा रंगीन

कैम्रिक ब्लीच

सेलुलर शटिग, हैंडलूम कॉटन

प्लास्टर पैरिस पट्टियों का कपड़ा

कोटिंग, हैंडलूम कॉटन

रंगीन हथकरघा वस्त्रों की गुणवत्ता

क्रेप

धोती

दोसूती ग्रे, स्कोर्ड, ब्लीच या डाई

ड्रेस सामान, ब्लीच, डाई प्रिंटेड

स्ट्राप या चेक्ड

ड्रिल्स

डूगरी कपड़ा

डस्टर

फ़र्स दरी

गाड़ा कपड़ा

गोस, ब्यबजरबेंट, नॉन स्ट्रीलाइस हैंडलूम वस्त्र

हैंडवरचीफ

हालैंड कपड़ा, अनस्कोर्ड

हनीकोम्ब तौलिया, और तौलियाई कपड़ा

हुकबेक तौलिया

जेकोनेट कपड़ा, ग्रे ड्रेस

लाइट शीटिंग ग्रे

लाइट शीटिंग, डाईज

लिंट एबजरबेंट ब्लीच

लम्बा कपड़ा, ब्लीच और डाइ

लुंगी

मद्रास चैक

मद्रास हैंडकरचीफ, हथकरघा सूत

मलमल ब्लीच

मजरी कपड़ा

मिक्स सारी

मूटस, स्ट्राप याचैक

मच्छरदानी

मसलीन ब्लीच

नेनसुक, ब्लीच्ड या डाईड

नेपकिंस, ब्लीच्ड स्ट्राइपेड, चैक या डाइ

पोलीन ब्लीच या डाइ

पुगरी कपड़ा, ब्लीच या डाइ

पायजामा कपड़ा, ग्रे विद स्टाईप

सारी

स्कूल पोषाक वस्त्र शटिंग

स्पेंग कपड़ा, स्ट्राइप और चैक

टेबल क्लाथ और नेपकिन्स, हथकरघा सूत

टिंकिंग कपड़ा ग्रे स्ट्राप

टरकिश तौलिया और तौलियाई कपडा हथकरघा सूत

ट्विल्स

रेशम हथकरघा

बुश शर्ट कपड़ा लूमस्टेट

धोती लूमस्टेट

कोरा कपड़ा

शटिंग लूमस्टेट

ऊन हथकरघा

ब्लेंकेट, स्कारलेट

ब्लेंकेट प्राकृतिक ग्रे ब्राऊन

ब्लेंकेट, सामान्य, प्लेन या चैक

ब्लेंकेट शोडी (डबल फेस्ड)

ब्लेंकेट शोडी (सिंगल फस्ड)

ब्लेंकेट ब्रिक रेड

बुंटिंग क्लॉथ वर्स्टेड हेवी

बुटिंग क्लॉथ, वर्सटेड लाईट

कपड़ा कॉलर सफेद

कम्बली लूमस्टेट

लोही वर्स्टेड

मेल्टन कपड़ा

सेगे

शटिंग वर्स्टेड

पीले वस्त्र

निम्नलिखित मदें क्रय/परस्पर सहमति हुई विशिष्ताओं के आधार पर खीची जायेगी।

खेश

बेड कवर

फरनीशिंग

चादर

डूरेएट/जामाक्कालम

बस्ता कपड़ा

लोरीड पिक कपड़ा

रेशम सारी

शाल, मफलर, पंखिस

विवरण-II

क्रम स०	मदें
1	ब्लेंकेट
2	बेड शीट
3	ब्लेंकेटिंग कपड़ा
4	बुंटिंग कपड़ा
5	पर्दा कपड़ा

6	हथकरघा कपड़ा
7	कम्बली
8	दरी
9	डस्टर
10	डूंगरी कपड़ा
11	गौज और पटटी
12	पीलो कवर
13	पगरी कपड़ा
14	सारी
15	स्पोंग कपड़ा
16	शर्टिंग कपड़ा पी. सी.
17	शूटिंग कपड़ा पी. सी.
18	शीटिंग कपड़ा
19	तौलिया

पवन हंस लिमिटेड के खड़े हेलीकॉप्टर

8401. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :

श्री राम कृपाल यादव :

श्री कुन्जी लाल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** बेकार हेलीकॉप्टरों और विमानों के संबंध में 3 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 183 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा और अलाभप्रदता के कारण प्रत्येक विमानपत्तन पर पवन हंस लिमिटेड के कितने हेलीकॉप्टर खड़े हैं,

(ख) कितने हेलीकॉप्टर का निपटान कर दिया गया है और उनसे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है, और

(ग) इस सौदे के कारण सरकार को अनुमानतः कितना घाटा होगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कुल 19 वेस्टलैंड-30 हेलिकॉप्टरों का, 13 बम्बई और 6 दिल्ली में, गैर किफायती होने और सुरक्षा कारणों से प्रचालन बन्द कर दिया गया है।

(ख) विश्व-व्यापी निविदाओं के बावजूद इन हेलिकॉप्टरों का निपटान नहीं किया जा सका।

(ग) इस अवस्था में हानि का आकलन, यदि कोई हो, करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

बीड़ी मजूदरों को चिकित्सा सुविधाएं

8402. श्री खेलन राम जांगडे :

श्री छेदी पासवान :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बीड़ी मजदूरों को चिकित्सा सुविधाए प्रदान की जा रही है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उन बीड़ी मजदूरों की राज्य-वार प्रतिशतता कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे जिला अस्पतालों/ग्रामीण अस्पतालों/सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों आदि पर उपलब्ध चिक्तिसीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बीड़ी कर्मकार निधि के अंतर्गत अनन्य रूप से बीड़ी कर्मकारों के लिए समूचे देश में 155 औषधालयों और ३ अस्पतालों की एक श्रृंखला स्थापित की गयी है।

(ग) एक विरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	न्यूनतम मानकों के दायरे में आने वाली बीड़ी कर्मकारों का प्रतिशत	कल्याण आयुक्तों द्वारा यथासूचित शामिल गए बीड़ी कर्मकारों का प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	7.3%	20.83%
तमिलनाडु	7.3%	20.83%
उड़ीसा	33.7%	सत्यापनाधीन
मध्य प्रदेश	16.2%	60%
राजस्थान	30%	76.5%
गुजरात	50%	71%
पश्चिम बंगाल	11.3%	30%
असम	65%	78%
त्रिपुरा	100%	92%
महाराष्ट्र	27.8%	44%
कर्नाटक	21.7%	50%
केरल	29.7%	50%
बिहार	17%	47%
उत्तर प्रदेश	12.2%	33%

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुदूत सेवा पुनः शुरू करना

8403. श्री हरिन पाठक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुदूत सेवाएं पुनः शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों मे वायुदूत सेवाएं पुनः शुरू कर दी गई है अथवा शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) : वायुदूत इस समय अपने कलकत्ता/गुवाहाटी बेसों से पूर्वोत्तर राज्यों में 13 स्टेशनों और पश्चिम बंगाल के निकटस्थ भागों के लिए सेवाएं प्रचालित करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

8404. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कर्मचारी यूनियन आन्दोलन कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रदर्शनी

8405. श्री पी. सी चाको : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1995 के दौरान नई दिल्ली मे "आई टी एशिया 95" शीर्षक से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी एक प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य है तथा इससे देश को क्या –क्या लाभ होगे ;

(ग) क्या "आई टी पी ओ" ने इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कुछ दूसरे देशों को आमन्त्रित किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में केरल सहित कुछ अन्य राज्यों में इसी प्रकार की प्रदशनियां आयोजित करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्री के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं।

(ख) "आई टी एशिया" 95 नामक प्रदर्शनी सूचना टकनालॉजी विनिर्माता संघ (एम ए आई टी) द्वारा मैसर्स बिजनेस इंडिया एग्जीबिशन के सहयोग प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 6 दिसम्बर, 1995 से 9 दिसम्बर, 1995 तक आयोजित की जायेगी। यह प्रदर्शनी मुख्यतः सूचना तकनालॉजी के क्षेत्र मे भारतीय शक्ति एवं क्षमता प्रदर्शित करने के लिए लगाई जा रही है ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके। यह प्रर्दशनी भारत में सूचना तकनोंजी के असंख्य व्यावसायिक को इस क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियां से अवगत होने का अवसर भी प्रदान करेगी।

(ग) और (घ). भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) इस प्रदर्शनी को आयोजित करने हेतु केवल प्रागंण/सेवाएं ही प्रदान करेगा। विदेशों को आमंत्रण भेजने का कार्य आयोजकों द्वारा किया जायेगा अर्थात् सूचना तकनालॉजी विनिम संघ और मैसर्स बिजनेस इंडिया एग्जीबिशन द्वारा आयोजको को उम्मीद है कि इसमें यू एस ए, इजराइल, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व एशिया आदि की कंपनिया भाग लेगीं।

(ङ) और (च). इसी प्रकार की प्रदशिनयां लगाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाना

8406. श्री डी० वेंकटेश्वर राय : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि का भुगतान नही किए जाने के मामले में संसद की परामर्शदात्री समिति की उप–समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कम्रचारी राज्य बीमा निगम/कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों द्वारा विचार किया गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है, और;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम देनों ने सिफारिशों पर विचार किया हैं और आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्रीय सरकार को संदर्भित कर दिया है। सरकार ने उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है तथा विशेष पुलिस सैल स्थापित किये जाने, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों संबंधी पर्यवक्षण को सृदृढ़ किये जाने, कम्पयूटरीकरण आदि से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा कार्यान्वयन के लिए उन्हें संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित भी कर दिया है। कतिपय सिफारिशों के मामले में अन्य मामले में अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श किया जाना शामिल है। तथा कुछ मामलों में अधिनियमों में संशोधन भी किया जाना है। अतः फिलहाल उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया बता पाना कठिन है।

कार्यक्रम का निजीकरण

8407. श्री चित्त बसु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजीकरण संबंधी सभी मामलों में समन्वय के लिए कोई व्यसायिक गैर-सरकारी निकाय स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन मिले है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने सरकार को एक निजीकरण एजेन्सी बनाने को अनुरोध किया है जो एक मंत्रालय से संबद्ध हो तथा सीधे मंत्रिमंडल को रिपोर्ट दें।

इस सुझाव पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हवाई पट्टियों के पास में स्थान और उसका उपयोग

8408. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीकृत विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत ऐसे कई हवाई अड्डे हैं जहां हवाई पट्टी के पास में स्थान उपलब्ध है परन्तु छोटे वायुदूत विमानों के संचालन के लिए अन्य मूलभूत ढांचागत सुविधाए प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे हवाई अड्उे कहां-कहा स्थित है;

(ग) क्या देश में बढ़ते हवाई यातायात को देखते हुए सरकार ऐसे हवाई अड्डों से वायु सेवाएं चालने के लिए मूलभूत ढांचागत सुविधांए प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां

(ख) बेलूरघाट, बेहाला, चकुलिया, दोनाकोंडा, हसन, झांसी झरसुगुडा, जोगबानी, ललितपुर, मालदा, मुजफ्फरपुर, पन्न और रक्सौल।

(ग) और (घ). इनमें से अधिकांश हवाई अड्डों पर प्रचालन नहीं किया जाता है। जब भी एयरलाइन आपरेटरों से इन हवाई अड्डों से होकर प्रचालनों के अनुरोध प्राप्त होंगे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, निधियों की उपलब्धता और आर्थिक साध्यता के आधार पर, प्रचालनात्मक आधारभूत सूविधाएं प्रदान करने पर विचार करेगा।

व्यापार घाटा

8409. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1994 के "इकानॉमिक टाइम्स" में "इंडिया में हेव जीरो ट्रेड डोफसिट इन 1997" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश का व्यापार घाटा जीरो स्तर पर कब तक आ जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). निर्यात और आयात भिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं और दोनों के बीच सही संतुलन एक संयोग ही हो सकता है। सरकार स्थिर व्यापार संतुलन के लिए प्रयासरत है। विदेशी मुद्रा भंडार की संतोषजनक स्थिति होने के कारण, भारत का चालू व्यापार घाटा नियंत्रगीय सीमा के अंदर है।

राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी एयरलाइन्स

8410. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी एयरलाइन्स शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या है;

(ग) इस संबंध में किन किन राज्यों को अनुमति प्रदान की गई है और वहां कार्य शुरू हो गया है एवं कौन कौन से राज्य ऐसी अनुमति की प्रतीक्षा में है; और

(घ) ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदशे की राज्य सरकार द्वारा संस्थापित मै० यू. पी. एअर सर्विसेज सोसाइटी को अनुसूचित हवाई परिवहन प्रचालक परमिट जारी किए जाने तक पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली, लखनऊ, कुल्लू वाराणसी, म्यूरपूर तथा गौरखपुर को जोडने वाले कुछ मार्गो पर दिनांक 21.4.1995 से 23.7.1995 तक एफ–27 विमान को प्रचालन करने की अनुमति दी गई है। अन्य राज्यों से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मै० गुजरात एयरवेज लि., बडौदा ने गुजरात और महाराष्ट्र में प्रचालन करने हेतु हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट के लिए आवेदन किया था, इस कंपनी को हवाई टैक्सी प्रचालक परिमिट जारी किए जाने हेतु अनापत्ति प्रंमाण पत्र तथा विमान का आयात करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी।

(घ) हवाई टैक्सी सेवा प्रचालन हेतू जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कोई भी कंपनी अथवा निगमित निकाय अनुसूचित/हवाई टैक्सी सेवाएं प्रचालित करने हेतु परमिट जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते आवेदक वायुमान अधिनियम/नियमों की अनुबंधित शर्तो और प्राक्धानपों को पूरा करता है। मामले पर गुणावगुण के आधार पर मामला–दर–मामला आधार पर विचार किया जाता है।

उड़ीसा में जलक्रीडा परिसर

8411. डा० कृपासिंधु भोई : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में हीराकुंड जलाशय में जलक्रीड़ा परिसर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसे स्थापित न किए जाने के क्या कारण है;

(ग) इसकी कब तक स्थापना कर दी जाएगी ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). राज्य सरकार से उड़ीसा में हीराकुंड जलाशय में जल–क्रीडा परिसर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापित, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने और हीराकुंड में पर्यटक परिसर के लिए 40.39 लाख रूपए और हीराकुंड जलाशय में इस्तेमाल किए जाने वाले जल–क्रीडा उपकरणों की खरीद के लिए 5.14 लाख रूपए स्वीकृत किए है।

आयात शुल्क समाप्त करना

8412. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदानों के आयात पर अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए दक्षिणि क्षेत्र के निर्यातको से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यातकों ने शुल्क छूट योजना के तहत किए गए आयात पर अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के खिलाफ अभ्यावेदन किया है।

(ग) अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि कई इकाइयों ने मोडवेट का दावा किया था और साथ ही शुल्कमुक्त आयात करने का लाभ भी उठाया। तथापि, जहां, मोडवेट का दावा नहीं किया गया है और आयात केवल निर्यात करने के लिए ही किया जा रहा है, वहां निर्यात आयात नीति, 1992-97 (यथा–संशोधित) में इस प्रकार के भुगतान को बुरन्त वापस लौटाने की एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का सार्वजनिक निर्गम

8413. श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जून 1995 से आगे 2184 करोड़ रूपये का अपना वृहद सार्वजनिक निर्गम जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय बाजार के बृहत्तम सार्वजनिक निर्गम को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है ;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक १० रूपये के अंकित मूल्य पर 120 रूपये प्रीमियन वाले 16 करोड़ 80 लाख शेयरों की पेशकश कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसका सार्वजनिक निर्गम 5 जुलाई, 1995 को खुलने वाला है।

(ख) जी हां,।

(ग) और (घ). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह 120 रू० के प्रीमियम पर 10 रू० प्रति शेयर अंकित मूल्य पर 168 मीलियन इक्विटी शेयर के सार्वजनिक निर्गम करेगा।

दक्षिण देशों के बीच व्यापार समूह गठित करने संबंधी सम्मेलन

8414. श्री श्रीकान्त जेनाः

श्री एम. वी. वी एस. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका सहित छः चाय उत्पादक देशों ने एकजुट होकर विश्व बाजार में चाय की कीमतों में आ रही गिरावट की समस्या से ग्रस्त चाय उद्योग का संवर्धन करने हेतु एक संघ गठित करने पर विचार करने के लिए अप्रैल, 1995 में एक दो –दिवसीय सम्मेलन आरम्भ किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वले देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सम्मेलन में प्रस्तावित संघ के लिए संविधान को अपनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में अन्य क्या निष्कर्ष निकले?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ). श्रीलंका के प्रयासों के फलस्वरूप चाय उत्पादक देशों का एक संघ बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया है। संघ बनाने का यह प्रस्ताव मुख्य रूप से इस उद्देश्य से किया गया है ताकि चाय उत्पादक सदस्य देशों मे चाय के उत्पादन, उत्पादकता और अनुसंधान के बारे में आपसी सार्थक कार्रवाई के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जा सके।

प्रस्तावित संघ के गठन के लिए कोलम्बों मे 27 और 28 अप्रैल, 1995 को एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई और इसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, इन्डोनेशिया, ईरान, मलावी और श्रीलंका के प्रतिनिधि शामिल हुए।

उपयुक्त बैठक के दौरान, प्रस्तावित संघ का प्रारूप संविधान, इसकी रूप–रेखा, निधिकरण ओर सचिवालय स्थल इत्यादि पर विस्तार से विचार–विर्मश किया गया और यह सहमति हुई कि भागीदार देश श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा परिचालित प्रारूप–दस्तावेजों पर अपनी राय 31 जुलाई, 1995 तक चाय बोर्ड, श्रीलंका को भेज देंगे। संघ के गठन संबंधी प्रारूप मसौदे पर विचार विमर्श के अतिरक्त, बैठक के दौरान जिन अन्य मद्दों पर चर्चा हुई, वे निम्नलिखित है :

(क) चाय के मूल्य में गिरावट से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा।

(ख) अन्तराष्ट्रीय बाजारों में चाय का प्रजाति संवर्द्धन।

(ग) चाय उत्पादक देशों के बीच तकनीकी सहयोगे के संभावित क्षेत्र।

(घ) प्राकृतिक चाय को कृत्रिम प्रतिस्थापन उत्पदों से खतरा।

(ड) चाय अनुसंधान में अन्तर–सरकारी सहयोग।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का निर्यात तथा आयात

8415. श्री दत्ता मेघे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात निर्यात किये जाने वाले खाद्य तेलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात/निर्यात किया गया तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित/खर्च की गई ; और

(ग) खाद्य तेलों के आयात को कम करने तथा इनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ख). वर्ष 1994-95 (अप्रेल–नवम्बर) में 440.33 करोड़ रूपए मूल्य 233455 एम. टी. खादय तेलों का आयात हुआ। 375.82 करोड़ रूपए की राशि के अधिकांश आयात पर ऑयल एवं इसके खिण्डनों के थे। आयात किए गए अन्य खादय तेलों में सोयाबीन तेल (52.41 करोड़ रू०), रेप कोलजा/सरसो का तेल (4.60 करोड़ रू०) नारियल (कोपरा) पाम गिरी तेल (3.65 करोड़ रू०), चावल की भूँसी का तेल (3.46 करोड़ रू०) तथा तिल का तेल (0.39 करोड़ रू०) शामिल थे। 1994-95 (अप्रैल–नवम्बर) में खादय तेलो का निर्यात मूल्य के रूप में 2.75 करोड़ रू० तथा मात्रा के रूप में 840 एम टी का हुआ। निर्यात की मदों मे नारियल (कोपरा), पाम कर्नेल/बाबासु, तिल, सोयाबील और रेप कोलजा सरसो का तेल शामिल थे। (स्रोतः डी जी सी आई एण्ड एस कलकत्ता)

(ग) तेल बीजो का बढ़ा हुआ घरेलू उत्पादन तथा खाद्य तेलों की बेहतर उपलब्धता से दीघविधि में आयोतों की आवश्यकता पर अंकुश लगेगा तथा निर्यात संभावनाएं बनेगी। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम था –बेहतर उत्पादन, प्रसंस्करण एवं प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को काम में लाने के लिएं तेल बीजों पर प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत। इस मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए कुछ क्रियाकलापों मे बीज और पौध सुरक्षा संबंधी रसायनों का वितरण, बीज उत्पादन के लिए अवस्थापना का विकास, एकीकृत नाशीकीट प्रबंधन, किसानों के प्रशिक्षण, कटाई–पश्चात् प्रौद्योगिकी में सुधार, आधुनिक एक्सपेलर के उपयोग द्वारा प्रसंस्करण क्षमता में सुधार, प्रसंस्करण और विमण अवश्यायना का विकास और भंडारण तथा प्रसंस्करण सुविधाओं को सृजन।

नेपाल में उद्योगों की स्थापना

8416. श्री पंकज चौधरी :

श्री राम विलास पासवान :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारतीय उद्यमियों को नेपाल मे उद्योगों की स्थापना करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो किन–किन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए पेशकाश की गई है ;

(ग) क्या इस संबध में भारत तथा नेपाल के बीच किन्ही समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये है ,

(घ) यदि हां तो उन संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीय निवेश किया जाएगा और

(ड) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां नेपाल की श्री पांचको सरकार ने हाल के महीनों में नेपाल में पूंजीनिवेश करने के वास्ते भारतीय उद्यमियों का नया निमंत्रण भेजा है।

(ख) यह निमत्रण क्षेत्रों के संदर्भ तक ही सीमित नहीं है अपितु नेपाल की श्री पंच सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से कुछेक प्राथमिक क्षेत्र अभिज्ञात किए है। ये क्षेत्र है कृषि पर आधारित उद्योग, पर्यटन, जन–विद्युत और अन्य विनिर्माण उद्योग वस्त्र, भेषजीय, चीनी तथा सेवा क्षेत्र।

(ग) जी, नहीं। इस प्रकार के पूंजीनिवेश के लिए अंतर–सरकारी करार की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) नेपाल के उन संयुक्त उद्यमों का विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है जिनमे निवेश करने के लिए भारतीय उद्यमी इच्छुक हो सकते है।

(ड) सरकार की नीति नेपाल के साथ बर्द्धित आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा उसमे वृद्धि को सुगम बनाने ही है। इसमें नेपाल में पूंजीनिवेश करना भी शामिल है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए योजना

8417. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री राजवीर सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में कुशल औद्योगिक श्रमिकों के विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता से कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां तो उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं और इन केनद्रों में राज्य-वार कुल कितने श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया ;

(ग) क्या इस योजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). संबंधित राज्यों, संघ शासित प्रदशों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इलैक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात और निर्यात

8418. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात–निर्यात (एग्ज़िम) की नीति के अंतर्गत अनेक इलैक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात तथा निर्यात किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन वस्तुओं के आयातकों को निर्यात संबंधी शर्तो को पूरा करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड) इस संबंध मे वर्ष 1995-96 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ). जी, हां। निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक एलेक्ट्रानिक मदों का आयात शुल्क छूट योजना के तहत शुल्क का भुगतान किए बिना किया जा सकता है।

(ङ) एलेक्ट्रानिक उद्योग ने 1995-96 क लिए 4500 करोड़ रू० का निर्यात लक्ष्य दर्शाया है।

[अनुवाद]

दुबई में भारतीय परियोजनाएं

8419. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या कई भारतीय कम्पनियों ने दुबई में अपनी इकाइयां स्थापित करने हेतु आवेदन किये है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय निवेशकों द्वारा किये जा रहे कुल निवेश के संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों को दुबई में इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). आज तक दुबई संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना संबंधी दो भारतीय कंपनियों के आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई चल रही है। मैसर्स इंडियन हास्पिटल कारपोरेशन लि० ने 342.09 लाख रू० (लगभग) के निवेश से स्वास्थ्य देशमाला के क्षेत्र मे दुबई में संयुक्त उद्यम की स्थापना करने के लिए आवेदन किया है। यह निवेश कुल इक्विटी पूंजी का 24.5% बैठता है। मैसर्स श्री सरबती स्टील ट्यूब्स लि० ने वैल्डिंड स्टीट ट्यूब्स तथा पाईप्स के गलवनाईजेंशन के क्षेत्र में 499.90 लाख रू० (लगभग) के निवेश से सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना हेतु आवेदन किया है।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा आज तक दुबई में 30 संयुक्त उद्यम तथा 6 सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना को मंजूरी दी जा चूकी है। तथा जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण–पत्र मे दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	भारतीय कंपनी का नाम	भारतीय इक्विटी (लाख रू० में लगभग)
1	2	3
दुबई में संयुक्त उद्यम		
1	श्री आर. एम. गोंकुलदास, बम्बई	8.00
2	फोनेक्स डिस्ट्रीबुटर्स प्रा० लि० दिल्ली	1.00
3	बालापुर इंडस्ट्रीज लि०, दिल्ली	9.95
4	रामानन्द सागर, बम्बई	0.00
5	बालमेर लेवर एंड क० लि०, कलकत्ता	109.39
6	रिलिबल फोडस इंडस्ट्रीज प्रा० लि. भोपाल	8.50
7	गुजरात इनेजक्टस लि०, कलकत्ता	17.00
8	जयमने एंड क० प्रा० लि०., कलकत्ता	50.33
9	एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) लि०, बंगलौर	169.20
10	रिलिएन्स इंडस्ट्री लि०, बम्बई	31176.00
11	कास्त पेपर एंड पुल्प लि०, पुणे	45.29
12	न्यूकारे वेलंड प्रा० लि०, बंगलौर	22.57
13	वोल्टस इंटरनेशनल प्रा लि०, बम्बई	30.70
14	टिचबोक्राफ्ट इंडस्ट्री लि०, बम्बई	3.83
15	अल्सामेरित उंड हरवेस्टस लि०, मद्रास	124.25
16	मेलस्टार एक्सपोर्टस एंड टेक्नीकल प्रा. लि., बम्बई	11.39
17	आई आई वी इंडस्ट्री लि०, कलकत्ता	38.38
18	साउथ एशिया फाइनेस चार्जेज लि०, मद्रास	68.08
19	जयसन एंड क० प्रा० लि०, कलकत्ता	93.83
20	निरंजन एक्सपोर्ट एंड फाइनेस (प्रा.) लि., सूरत	152.52
21	दि भारत विजय मिल्स लि., कलोल	14.70

1	2	3
22	करेकसन्स इंटरप्राइजेज प्रा० लि०, कलकत्ता	100.47
23	यूनिटव इंटरनेशनल लि०, दिल्ली	8.93
24	एसपीआईसी लि०, मद्रास	7039.42
25	यूनीपल्ल इंडिया लि० नई दिल्ली	4.08
26	इंदौर चेयर क० लि०, बम्बई	389.68
27	रेयूनियन इंजि. क. लि० बम्बई	124.95
28	स्ट्रेरलेइंग होलिउे रिस्टोरस, इंडि. लि. मद्रास	2082.50
29	कजराला सिरलेन्स प्रा०, विलासपुर यू. पी.	77.17
30	सुप्रिम इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई	12.49
दुबई में सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां		
1	रिवेलान इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस लि०, बंबई	129.45
2	काउसमेक्यू एक्सपोर्टस लि०, नई दिल्ली	86.62
3	रोउनक इंटरनेशनल लि०, नई दिल्ली	160.00
4	टाटा एक्सपोर्टस लि०, नई दिल्ली	84.94
5	श्री वालेन्स क० लि०, कलकत्ता	100.45
6	इंडो–फ्रेन्च बायटच इंटरप्राइजेज लि०, थाणे	315.00

आवश्यक वस्तुओं की तस्करी

8420. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के कच्छ एंव बनासकांठा जिलों में भारत–पाक सीमा से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पशुओं, चावल, गेहूं, चीनी, नमक खाद्य तेल तथा दवाओं की तस्करी की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए कितनी एजेन्सियाँ हैं ; और

(ग) इन एजेन्सियों पर कितनी राशि व्यय की जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों से गुजरात में कच्छ और बनास्कंठा जिलों में भारत–पाक सीमा पर पशुओं, चावल, गेहूँ, चीनी, नमक खाद्य तेल और औषधियों की बड़े पैमाने पर तस्करी होने का पता नहीं चलता है।

(ख) सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा सुरक्षा बल ऐसी केन्द्रीय एजेंसियां हैं जो गुजरात में कच्छ और बनास्कंठा जिलों में तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने में कार्य में सक्रिय रूप से सहभागीदार हैं।

(ग) कच्छ और बनासकांठा जिलों में वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत इन एजेंसियों पर 61.85 लाख रूपए खर्च किए गए हैं।

प्रत्यक्ष कर राजस्व

8421. श्री पी० पी० कालियापेरूमल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों की तुलना में देश में कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता अत्यनत कम है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या है;

(ग) देश में प्रत्यक्ष कर राजस्व में कमी रहने के क्या कारण है; और

(घ) प्रत्यक्ष कर राजस्व की प्रतिशतता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं.?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). हमारे देश के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर राजस्व का प्रतिशत कुछ विकसित देशों की तुलना में कम है। अनेक विकासशील देशों की तुलना में यह प्रतिशत कम नहीं है। तुलनात्मक आंकड़े संक्षेप में विवरण में दिखाये गये है।

(ग) भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा कम है। यह अंशदान आर्थिक विकास की समग्र स्थिति और प्रत्यक्ष कराधान की गुंजाइश पर निर्भर करता है। कानून में निहित कर प्रोत्साहन एवं लाभ भी करों में कमी के कारण है।

(घ) स्थिति के सुधारने के लिए सरकार आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। इन उपायों के परिणामस्वरूप कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में उत्तरोत्तर वृद्धि है जो 1990-91 में लगभग 19.14% से बढ़कर 1994-95 में लगभग 28.4% हो गया है।

विवरण

क्र० सं०	औद्योगिक देश	वर्ष	आय पर कर	व्यक्तिगत	निगम
			(कुल राजस्व का प्रतिशत)		
1	युनाइटेड स्टेट्रस	1993	50.65	41.14	9.50
2	आस्ट्रेलिया	1992	63.65	47.33	15.40
3	ग्रीस	1993	29.23	13.68	8.35
4	इटली	1993	36.23	31.20	5.00
5	नीदरलैड्स	1993	30.66	24.06	6.60
6	स्वीडन	1993	5.79	1.17	4.17
विकासशील देश					
1	घाना	1993	16.77	6.74	8.26
2	कैन्या	1994	27.57	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	मारीशस	1994	12.32	6.16	6.16
4	इंडोनेशिया	1993	49.33	8.15	38.94

टिप्पणी : ये आंकड़े अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित गवर्तमेंट फाइनेंस स्टेटिसटिक्स ईयर बुक, 1994 से लिए गए हैं। ये आंकड़े तुलना योग्य नहीं है और उनमें अनेक कमियां है जो कर-निर्धारण वर्ष, कर क्षेत्र और मूल्याकंन आदि के संदर्भ मैं अन्तरों के कारण है। आस्ट्रेलिया और ग्रीस के मामलों में आंकडत्रे अनतिम हैं। मारशिस के मामलें में आकड़े अनुमानित हैं।

भारत

क्र० सं०	वर्ष	प्रत्यक्ष कर	आयकर	निगम कर
			(कर राजस्व की प्रतिशत)	
1	1990-91	19.14	9.32	9.26
2	1991-92	22.57	9.99	11.65
3	1992-93	24.27	10.57	11.92
3	1993-94	26.78	12.03	13.28
5	1994-95	28.42	12.24	14.75

(संशोधित अनुमान)

[हिन्दी]

सीमा शुल्क विभाग के गोदाम

8422. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शल्क अधिकारियों द्वारा भारी मात्रा में बरामद किया गया बहुमूल्य माल सीमा शुल्क विभाग के गोदामों और विभिन्न डिपुओं में पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1994 तक मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के सीमा शुल्क गोदामों में पकड़े गये ऐसे माल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बरामद की गयी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कमदों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार समस्त देश में सीमा शुल्क गोदामों में सोना, चांदी, हीरों, मुद्रा, घड़ियो आदि के रूप में पकड़े गए कीमती माल का मूल्य 115.95 करोड़ रू० आंका गया था। ३१ दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई स्थित गोदामों में पड़े अभिगृही स्टॉक का मूल्य 61.60 करोड़ रू० आंका गया था।

(ग) पकड़े गए कीमती माल के परिक्षण के लिए उठाए गए कदमों में सशस्त्र रक्षक की चौकसी में और समय-समय पर स्टाक का हिसाब लगा कर उसका सदांम रूप में भण्डारण करना शामिल है।

बाल श्रमिक

8423. श्री लाल बाबू राय : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैरकानूनी ढंग से बाल बुनकर/श्रमिकों को रोजगार में लगाने के कारण देश में हथकरघा मालिकों के खिलाफ कितने मामले पंजीकृत किए गए;

(ख) कालीन निर्माण के क्षेत्र में लगे बाल श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिए कालीन निर्यातकों के यहां कितनी बार छापे मारे गए; और

(ग) इस संबंध में की गइ कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गोवा में बेरोजगारी

8424. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने कीं कृपा करेंगे की :

(क) सरकार के रिकार्ड आकलन के अनुसार राज्यवार और विशेषरूप से गोवा में वेतनभोगी वर्ग के संबंध में राज्य में बेरोजगारी की क्या स्थिति है ;

(ख) पिछले 3 वर्षो में राज्यवार रोजगार सृजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए तथा वास्तव में कितने रोजगारों का सृजन किया गया तथा यदि इसमें कोई कमी रहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) विशेषरूप से गोवा में बढ़ती शिक्षितों के बीच बेराजगारी के समाधान के लिए क्या प्रमावी कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) आठवीं योजना के अंत में विभिन्न राज्यों में शिक्षित बेराजगारों की अनुमानित संख्या कितनी होगी तथा विशेषरूप से गोवा में किस हद तक रोजगार के अवसर उपलब्धा कराये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ). योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार, मार्च, 1995 के अंत तक अनंतिम रूप से अनुमानित बेरोजगारी 18.7 मिलियन है। शिक्षितों तथा अशिक्षितों या राज्यों के अलग–अलग अनुमान उपलब्ध नहीं है। आठवीं योजना में, अर्थवस्था की 5.6% की औसतन वार्षिक वृद्धि के समनुरूप, योजना के दौरान औसतन 8.5 मिलियन प्रतिवर्ष के लगभग अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये है। 1992-95 की अवधि के दौरान रोजगार सृजन के अनुमानित अवसर औसतन लगभग 6.3 मिलियन प्रतिवर्ष हैं। इन अनुमानों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। रोजगार सृजन में कमी, 1992-95 की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था की औसतन वृद्धिदर का कम होना, यथा, 4.6% है जो योजना के लक्ष्य से कम है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में गहन क्षेत्रों, उप–क्षेत्रों तथा गतिविधियों से रोजगार की तीव्रतर वृद्धि के आधार पर देश में शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों के लिये उत्पादक रोजगार अवसरों में वृद्धि को तीव्र करने की नीति की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री रोजगार योजना जो शिक्षित युवाओं को स्व–रोजगार के अवसर प्रदान करती है, गोवा समेत सभी राज्यों में कार्यन्वित की जा रही है।

योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना के अंत पर विभिन्न राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दर्शाई नहीं गई है।

विद्युतकरघों का आधुनिकीकरण

8425. श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से तथा विशेष रूप से आंध्रप्रदेश और गुजरात से अपने–अपने राज्यों में विद्युतकरघों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौस क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सोना और चांदी का जब्त किया जाना

8426. डा० साक्षीजी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः माह के दौरान कितनी मात्रा में सोना और चांदी जब्त किया गया ; और

(ख) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां से तस्करी किया हुआ सोना और चांदी जब्त किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नवम्बर, 94 से अप्रैल 95 की अवधि के दौरान पकड़े गए तस्करी के सोने और चांदी की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :–

	मात्रा (किलोग्राम में)
सोना	554
चांदी	734

(आंकड़े अन्तिम हैं)

(ख) देश मे विभिन्न स्थानों पर अभिग्रहण किए गए हैं जिनमे अमृतसर, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गोरखपुर, गुवहाटी, मद्रास, पटना, शिलांग, त्रिवेन्द्रम, विशाखापत्तनम नानदेड, आदि शामिल हैं।

ब्रिटेन के साथ व्यापार

8427. श्री बलराज पासी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने इस शताब्दी के अंत तक भारत के साथ अपने व्यापार को दोगुना करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) इस आशय का कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

असंगठित श्रमिक

8428. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार असंगठित श्रमिक कितने हैं;

(ख) असंगठित श्रमिक किन–किन क्षेत्रों मे कार्य कर रहे है;

(ग) असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार को जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों का शोषण किए जाने की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(च) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या सरकार का विचार असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु एक कल्याण बोर्ड का गठन करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (झ). जनगणना मे कर्मकारों की कार्यकलाप के उस क्षेत्र के अनुसार गणना की जाती है जिसमें वे लगे होते हैं। चूंकि शब्द "संगठित श्रम" और "असंगठित श्रम" के बारे में परिभाषा संबंधी कोई स्पष्टता विद्यमान नहीं है अतः देश में ऐसे श्रमिकों की संख्या बता पाना संभव नहीं है।

कृषि और निर्माण कार्यकलापों में असंठित श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या लगी हुई है। अन्य व्यवसायों, जिनमें श्रम असंगठित हैं, में खनन और उत्खनन, गृह आधारित तथा कुटीर उद्योग, ईट–भट्टा आदि शामिल हैं। तथापि, एक अंतिम सूची दे पान कठिन है।

असंगठित क्षेत्र मं लगे कर्मकारों पर मजदूरी कार्य घटे, सामाजिक सुरक्षा आदि की दृष्टि से उनके हितों की देख–भाल करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजूदरी संदाय अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, तथा अन्राज्यिक प्रयासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम आदि जैसे अनेक विद्यमान श्रम कानून लागू होते हैं। श्रम मंत्रालय–बीड़ी, खानों (चूना पत्थर/डोलोमाइट, लौह, मैगनीज क्रोम और अभ्रक) तथा सिने कर्मकारों के लिए आवास, शैक्षणिक चिकित्सा और मनोरंजन संबंधी सुवधिओं के क्षेत्रों मे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए विघान द्वारा स्थापित पांच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। प्रतिष्ठान को व्यप्ति के अधीन क. भ. नि. एवं क. रा. बी. योजनाएं असंगठित कर्मकारों के लिए भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, अनेक राज्य सरकारों विशेष रूप से करेल ने असंगठित कर्मकारों की अभिज्ञात श्रेणियों के लिए अनेक कल्याण निधियों की स्थापना की है। असंगठित कर्मकारों की सभी श्रेणियों के लिए समग्र रूप से एक कल्याण बोर्ड स्थापित करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत कर्मकारों का शोषण किये जाने से संबंधित कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास गुजरात के ऋण आवेदन

8429. श्री काशीराम राणाः

श्री महेश कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को गुजरात से कितने आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से स्वीकृत आवेदन पत्रों की अलग–अलग संख्या कितनी है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गुजरात में उद्योगों को दी गई वित्तीय सहायता का वर्षयार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान गुजरात राज्य में भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक की प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त मंजूर और अस्वीकृत आवेदनों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दियदा गया है :–

	1992-93	1993-94	1994-95
प्राप्त आवेदन	169	200	276
मंजूर आवेदन	128	141	171
अस्वीकृत/वापस लिये गये/ समाप्त किये गये आवेदन	24	27	9

(ख) वर्ष 1991&92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रूपए)

	मंजूरियां	संवितरण
1991-92	539.1	557.4
1992-93	1464.8	1070.0
1993-94	2192.5	931.8

[अनुवाद]

विदेशी बैंक

8430. श्री पी. सी. थामस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश मे विदेशी बैंकों के कार्यकरण की निगरानी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे बैंको के लिए ब्याज, ऋण राशि, प्रतिभूतियों आदि की सीमा का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष में एक बार विदेशी बैंको का निरीक्षण करता है।

(ग) इन मामलों पर विदेशी बैंको के लिये अलग से कोई मार्गनिर्देश नहीं हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश विदेशी बैंकों पर भी लागू होते है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की म्युचुअल फंड योजना

8431. श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेबी" का भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गई म्युचुअल फंड योजनाओं का निरीक्षण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) इसका निरीक्षण कब किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सेबी ने बताया है कि सेबी द्वारा यू. टी. आई. के लिए निर्धारित किए गए विनियामक ढांचे के जुलाई, 1994 से प्रभावी हो जाने के पश्चात उसका, यू. टी. आई द्वारा शुरू की गई चार नई स्कीमों का निरीक्षण करने का प्रस्ताव है।

उत्प्रवासी

8432. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों मे कार्यरत उत्प्रवासी संरक्षी का ब्यौरा क्या है और उनका गठन किस तिथि को किया गया तथा इनका क्षेत्राधिकार क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश से अनेक कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक रोजगार की तलाश में खडी देश जोते है ;

(ग) यदि हां, तो इन उत्प्रवासियों की सुविधा के लिए, जिन्हे उत्प्रवासी संरक्षी की स्वीकृति के लिए मुम्बई अथवा, दिल्ली जाना पडता है, हैदराबाद में अब तक उत्प्रवासीसंरक्षी कार्यालय न खोले जाने के क्या कारण है ;

(घ) क्या सरकार को हैदराबाद में उत्प्रवासी संरघी कार्यालय खोलने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ड) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उत्प्रवासी संरक्षक के प्रत्येक कार्यालय के स्थापना की तारीख और क्षेत्राधिकार के ब्यौरे प्रदान करने वाला गया है। ब्यौरा संल्गन विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने दिनांक 4-10-1991 से उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं (ई सी एन आर) के अन्तर्गत कर्मकारों की निम्नलिखित छः अतिरिक्त श्रेणियों को लाकर उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल बना दिया है :-

(1) पर्यवेक्ष (सभी व्यवसाय)

(2) कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

(3) अर्ध कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

(4) हल्के-मध्यम-भारी वाहन चालक

(5) आशुलिपिक, स्टोर कीपर, टाइमकीपर, लिपिक आदि सहित सभी श्रेणियों के लिपिकीय कर्मकार।

(6) घरेलू नियोजन में लगे रसोइयों को छोड़कर रसोइये।

उपर्युक्त श्रणियों के अन्तर्गत आने वाले कर्मकार अपने पासपोर्टो पर उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं (ई सी एन आर) के पृष्ठांकन के लिए उत्प्रवासी संरक्षक के किसी कार्यालय अथवा हैदराबाद स्थित क्षेत्री पासपोर्ट कार्यालय में जा सकते है। इन परिस्थितियों में उत्प्रवास क्लियरेन्स प्रदान करने के प्रयोजन से हैदराबाद में उत्प्रवासी संरक्षक का कोई कार्यालय स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) जी, हां।

(ड) परिस्थिति की आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

प्रादेशिक क्षेत्र जिसमें संबंधित उत्प्रवास संरक्षक पंजीकृत भर्ती एजेन्टों और परियोजनाओं निर्यातकों से उत्प्रवास अनुमति के मामलों पर कार्रवाई कर सकते है।

क्रम संख्या	उत्प्रवास संरक्ष का कार्यालय	कार्यालय खोले जाने की तारीख	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनके संबंध में संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक पंजीकृत भर्ती एजेन्टो तथा परियोजना निर्यातकों से उत्प्रवास अनुमति के मामलों पर कार्रवाई कर सकते हैं
1	दिल्ली	30-12-1993	दिल्ली, उत्तर प्रदश, राजस्थान, मध्य प्रदेश
2	चंडीगढ़	30-12-1983	जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़
3	बम्बई	30-12-1983	महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, दमण और दीव तथा दादरा नागर हवेली
4	मद्रास	30-12-1983	कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी
5	कलकत्ता	30-12-1983	असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, पं. बंगाल, बिहार, उड़ीसा सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
6	त्रिवेन्द्रम	30-12-1983	केरल
7	कोचीन	30-12-1983	केरल और लक्षद्वीप द्वीप समूह

गुजरात में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निवेश

8433. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष भारत पर्यटन विकास निगम और इसके प्रतिष्ठानों द्वारा गुजरात में कितना निवेश किया गया और ये प्रतिष्ठान कहां–कहां पर स्थित है ;

(ख) क्या भारत पर्यअन विकास निगम ने राज्य ने अपने इकाइयों के विकास हेतु कोई नई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने गुजरात में किसी भी नई परियोजना को स्थापित करने में पूंजीनिवेश नहीं किया है।

(ख) और (ग). भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1995-96 में गुजरात राज्य में किसी विशिष्ट योजना स्कीम/परिव्यय पर विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दिये गये ऋणों/वसूल किये ऋणों की समीक्षा

8434. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बतनये की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान दिये गये ऋणों तथा वसूल किये गये ऋणों के संबंध में कोई समीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह समीक्षा कब की गई तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने ऐसी किसी समीक्षा का ब्यौरा नहीं दिया है। तथापि, बैंकों में विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग अग्रिमों की सतत निगरानी की एक प्रणाली है। जैसे ही यह संकेत मिलता है कि किसी अग्रिम को वसूल करना मुश्किल हो सकता है, तो उसकी अग्रिम लेने के उद्देश्य, कारोबार की प्रकृति, ऋणकर्ता के स्तर, प्रतिभूति की उपलब्धता, आदि के संदर्भ में विस्तृत रूप से समीक्षा की जाती है। पुनरीक्षा के आधार पर अग्रिम वसूल करने के लिए उपाय किए जाते है। सामान्यतः बैंक तभी वसूली के लिए मुकदमा दायर करते हैं जब वे वसूली के लिए सभी उपाय कर लेते हैं। ऋण वसूली अधिकरण (डी आर टी) की स्थापना से बैंको के वसूली निष्पादन में सुधार होने की आशा है।

बैंकों में गैर सरकारी निदेशक

8435. श्री कुन्जी लाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बैंको में, गैर–सरकारी निदेशकों के रिक्त पदों का बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के सामने कुछ ऐसे प्रकारण आए हैं जिनमें कि एक व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र के दो बैंको का गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(घ) विभिन्न बैंको में गैर–सरकारी और सरकारी निदेशकों के रिक्त पद कब तक भर दिए जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डो में हाल ही में नए गैर–सरकारी निदेशकों का नामाकंन किया गया है। अलबत्ता निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डो में कुछ गैर–सरकारी निदेशकों का नामांकन अभी किया जाना है। बैंक–वार रिक्तियां निम्नलिखित हैं :–

1	आन्ध्रा बैंक	1
2	इण्डियन बैंक	1
3	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
4	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
5	बैंक आफ महाराष्ट्र	1
6	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2
7	बैंक आफ इंडिया	2
8	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	4
9	केनरा बैंक	5
10	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर–सरकारी निदेशकों और अन्य निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में किसानों को बैंक ऋण

8436. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित बैंकों द्वारा किसानों को प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि प्रदान की गई, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनसे कितनी राशि वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछते तीन वर्षो के दौरान आन्ध्र प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को संवितरित फसल ऋण सहित प्रत्यक्ष कृषि वित्त की राशि निम्नानुसार है :–

(करोड़ रूपए में)

समाप्त वर्ष	राशि	
	अल्पावधि	सावधि ऋण
जून 1991	460.50	106.70
जून 1992	513.00	123.13
जून 1993	500.28	102.76

(अघतन उपलब्ध)

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में किसानो कि वसूल की गई ऋण की राशि नीचे दी गई है :–

समाप्त वर्ष	वसूली की राशि	वसूली की प्रतिशतता (करोड़ रूपए)
जून 1992	692.03	56.56
जून 1993	665.21	53.91
जून 1994	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

बिहार शरीफ हवाई अड्डा

8437. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार–शरीफ हवाई अड्डों के विस्तार या आधुनिकीकरण का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं,तो उसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). बिहार शरीफ हवाई अड्डा बिहार राज्य सरकार का है। एयरलाइन ऑपरेटरों से मांग के अभाव के कारण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्उे के श्रेणी उन्नयन की कोई योजना नहीं है।

सोधानी समिति

8438. श्री अंनतराव देशमुख : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोधानी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य–मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा के जोखिमों से बचाव के लिए उपलब्ध उत्पादों, भारत में विदेशी मुद्रा बाजारों का आगे और विकास करने के क्षेत्र तथा नए व्युत्पन्न उत्पादों को शुरू करने से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में 22 नवम्बर, 1994 को विदेशी मुद्रा बाजारों से संबंधित एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। विशेषज्ञ दल के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री ओ० पी० सोधानी हैं। विशेषज्ञ दल ने अपनी अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी हैं। विशेषज्ञ दल की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

सोने और चांदी की जब्ती

8439. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान आज तक गुजरात राज्य की बंदरगाहों पर कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के तस्करी के सोने व चांदी की जब्ती की गई ;

(ख) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) सोने व चांदी की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस उपाय किये है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1994 में तथा अप्रैल, 1995 तक गुजरात राज्य के समुद्री पत्तनों पर सोने और चांदी का कोई अभिग्रहण नहीं किया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सोने और चांदी की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क है। तस्करी का पता लगाने तथा इसे रोकने के कार्य में लगी सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ–ताल मेल बनाए रखा जा रहा है।

विदेशी निवेशकों के साथ वित्तीय संस्थाओं की बैठके

8440. डा. आर. मल्लू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षो के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं और विदेशी निवेशकों के बीच कुछ बैठकें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों में हुई बातचीत के सार और लिए गए निर्णयों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हवाई सेवाओं द्वारा मदद

8441 डा० लाल बहादुर रावल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उन विमान सेवाओं के नाम क्या है जिन्होंने महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिलों में भूकम्प पीडितों को राहत पहुंचाने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत की तथा उनके द्वारा प्रायोजित हवाई उडानी का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : एअर इंडिया ने लातूर और उस्मानबाद के भूकम्प पीड़ितों के प्रयोग हेतू 633.90 टन सामान का निःशुलक वहन किया था। इंडियन एयरलाइन्स ने भी भूकम्प पीड़ितों के लिये अपने विमानों से राहत सामग्री का निःशुल्क वहन करने की व्यवस्था की है। विदेशी विमानकम्पनियों/अभिकरणों ने भी राहत सामग्री ढोई थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

स्त्रोत	वाहित राहत सामग्री (टनों में)
लाइबोरियन एयरवेज, हालैंड	37.378
यू. एस. एयरफोर्स, अमेरिका	110.065
लुथेवियन एयरवेज, लंदन	40.044
पाकिस्तान एयरफोर्स	24.200
सिंगापुर एयरलाइन्स	9.016
अन्य	99.467

महामारी के कारण हवाई-उड़ानों में व्यवधान

8442. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था के सुसाध्यीकरण विभाग ने सदस्य देशों में महामारी फैलाने की दशा में हवाई उड़ानों मे व्यवधान होने की स्थिति में सुरक्षा उपाय करने संबंधी भारत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, ;

(ख) यदि हां, अप्रैल 18 से अप्रैल 28, 1995 के दौरान मॉन्ट्रियल में अंतराष्ट्रीय परिवहन के सुसाध्यीकरण का विश्कयापी सम्मेलन हुआ था,

(ग) क्या भारत ने इस सम्मेलन के दौरान यह मुददा उठाया था कि सितम्बर अक्तूबर 1994 के दौरान भारत में प्लेग फैलने के कारण कुछ देशों ने भारत में आने–जाने वाली हवाई उडाने रदद कर दी थी, और

(घ) यदि हां, भारत ने यह मुददा किस सीमा तक उठाया था और भारत के इस दृष्टिकोण को किस हद तक स्वीकार किया गया?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) अंतराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के सरलीकरण प्रभाग के मॉन्ट्रियल में 18 से 28 अप्रैल, 1995 को हुए 11वें अधिवेशन में, भारत ने, भारत में सितम्बर अक्तूबर, १९९४ के दौरान प्लेग फैलने के कारण कुछ देशों द्वारा इकतरफा ही बिना पूर्व परामर्श के अपनी उड़ाने रदद् करने के मुद्दे को दृढतापूर्वक उठाया था। बैठक में हुए विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप इकाओं के सरलीकरण प्रभाग के शिकागों असिसमय के अनुबंध 9 में सम्मिलित कुछ अनुशासित

प्रक्रियाओं/मानकों को अपनाने की सिफारिश की जिनमें किसी बीमारी के फैलने की स्थिति में, सदस्य देशों के लिए अपनी हवाई परिवहन सेवाएं निलंबित करने से पूर्व, विश्व स्वास्थ्य संगठन और बीमारी से पीड़ित देश के स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करना एक अनिवार्यता है। अनुशांसित प्रक्रिया में यह भी प्रावधान है कि ऐसी स्थितियों में स्वास्थ्य संबंधी उपाय लागू करते समय अंतराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के मौजूदा उपबंधों का भी पालन किया जाना चाहिए। सरलीकरण प्रभाग ने यह भी सिफारिश की है कि इकाओं इस संबंध में उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का मसौदा तैयार करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सम्पर्क करें।

एअर इंडिया को हुआ लाभ

8443. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया को 1992-93 के दौरान लाभ नहीं हुआ और इसके उत्तरवर्ती वर्षो के दौरान इसे लाभ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार को विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षो के दौरान एअर इंडिया द्वारा अर्जित के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1992-93	-	233.14 करोड़ रूपए
1993-94	-	201.90 करोड़ रूपए
1994-95	-	26.49 करोड़ रूपए (अनंतिम)

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

साधारण बीमा निगम द्वारा आवास ऋण

8444. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड ने आवास ऋण लेने के इच्छुक वयक्तियों के हित्तों के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा

8445. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक राज्य सरकारों ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या है ; और

(ग) अन्य राज्यों को पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा करने हेतु मनाने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित कर दिया है :—

1	आन्ध्र प्रदेश
2	असम
3	बिहार
4	हरियाणाा
5	हिमाचल प्रदेश
6	केरल
7	मध्य प्रदेश
8	तमिलनाडु
9	त्रिपुरा
10	कर्नाटक
11	उत्तर प्रदेश
12	राजस्थान
13	महाराष्ट्र
14	मिजोरम

15	अरूणाचल प्रदेश
16	उड़ीसा
17	जम्मू एवं कश्मीर
18	अण्डमान एवं निकोबार
19	लक्षद्वीप
20	पांडिचेरी

(ग) संघ सरकार, शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए लगातार दबाव डाल रही है। यह मामला, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विभिन्न पुनरीक्षा बैठकों में भी उठाया जाता है।

मशीनरी पर उत्पाद शुल्क वसूली

8446. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त विधेयक, 1993 के वर्ष 84.19 के अन्तर्गत रेफ्रोजरेशन और एअरकंडोशनिंग मशीनरी के अतिरिक्त कंडेंसनिंग अथवा कूलिंग सामग्री के प्रयोजनार्थ मशीनों, संयंत्र और प्रयोगशाला उपकरणों पर जो उत्पाद शुल्क लापरवाही से 10 प्रतिशत कम करने की बजाय 15 से 110 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था, उसे वापस कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह धनराशि कब तक वापस कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). रेफ्रिजरेशन और एयरकन्डीशनिंग मशीनरी के अलावा संबधित और प्रशीतित करके सामग्री को तैयार करने वाली अन्य मशीनरी, संयंत्र या प्रयोगशाला उपकरण, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय शीर्षक 84.19 के अन्तर्गत आते है, पर 28-2-93 और 22-4-93 के बीच भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के बारे में कर–निर्धारितयों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11–ख के साथ पठित धारा 11–ग (2) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है इसलिए मैसर्स साबू इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर के मामले के अलावा, जहां अपील सोगेट के समक्षा निर्णयाधी है, कर निर्धारितियों द्वारा अदा किए गए उत्पाद शुल्क के किसी मात्र के प्रत्यर्पण का प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू नौकरानियां

8447. श्री मोहन रावले : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंगापुर में भारत से घरेलू नौकरानी भेजने के लिए फॉरेन मेड एम्पलायमेंट एजेंसिज एशोसिएशन आफ सिंगापुर द्वारा इंडियन पर्सोनल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इंडियन पर्सोनल एक्सपोर्ट प्रामोशन काउंसिल को क्या दर्जा दिया गया है ;

(घ) क्या सरकार उपरोक्त समझौते के अंतर्गत इंडियन पर्सोनल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काऊंसिल द्वारा सिंगापुर भेजी जाने वाली भारतीय नौकरानियों की सुरक्षा ओर कल्याण सुनिश्चित करेंगी; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) 27-04-1995 को दो निजी संगठनों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ वेतन, श्रीमान्त लाभों, संविदा शर्तो, विश्राम अवकाश, कमीशन, किराया भेजने, गारंटी अवधि पहचान निरस्त करना, उतप्रवासियों के कल्याण की मानीटरिंग आदि जैसी विभिन्न शर्तो को प्रावधान है।

(ग) से (ड). भारतीय कार्मिक निर्यात संवर्धन परिषद, कंपनी पंजीयक, महाराष्ट्र के पास पंजीकृत है। चूंकि यह परिषद उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अंतर्गत भर्ती एजेन्ट के रूप में श्रम मंत्रालय में पंजीकृत नहीं है। अतः उनके द्वारा भारतीय नौकरानियों को किसी करार के अंतर्गत सिंगापुर भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम का विलय

8448. श्री रवि राय : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड और भारीय खनिज ओर धातु निगम लिमिटेड के विनय को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि दोनों निमगों द्वारा एक जैसे ही कार्य किये जाने से बचा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिजय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विश्व बैंक ऋण

8449. श्री सुधीर गिरि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कितनी परियोजनाएं पूरी की गई ;

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न कारणों की वजह से कुल कितनी राशि के विश्व बैंक ऋण रद्द किए गए ; और

(ग) ऋण रद्द किए जाने के कारण कौन–कौन सी परियोजनाएं प्रभावित हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षो के दौरान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 44 परियोजनओं को पूरा किया गया था।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्राचीन स्मारकों को पर्यटन महत्व के स्थलों के रूप में प्रोत्साहन देने की योजना

8450. श्री राम कापसे : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्राचीन स्मारकों को पर्यटन महत्व के स्थलों के रूप में प्रोत्साहन देने संबंधी योजना का वित्त पोषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब से तथा किन–किन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किय जा रहा है ; और

(ग) इस योजना के निर्धारित समय–सीमा के अनुसार कार्यान्वयन में विलम्ब, यदि हुआ है तो, क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां। जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (आई सी एफ) ने निम्नलिखित दो परियोजनओं के लिए ऋण की पेशकश की है :–

(1) उत्तर प्रदेश और बिहार में अभिनिर्धारित बौद्ध परिपथों सहित आधारभूत सुविधाओं का विकास। ऋण करार पर दिनांक 15-12-1988 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(2) महाराष्ट्र में अजन्ता–एलौरा का संरक्षण और पर्यटन विकास। ऋण करार पर दिनांक 9-1-1992 को हस्ताक्षर किये गए थे।

उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार की शामिल एजेंसियों है : पर्यटन विभाग, भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ; भूतल परिवहन मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों की शामिल एजेंसियां है लोक निर्माण विभाग; पर्यटन विकास निगम; वन विभाग ; लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरी विभाग; जल निगम ; विद्युत बोर्ड आदि।

(ग) यद्यपि उत्तर प्रदेश में कार्य लगभग निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है। किन्तु बिहार और महाराष्ट्र में तकनीकी तफसील को अन्तिम रूप देने में विलंब होने ; कई कार्यान्वयन एजेंसियों के शमिल होने ; राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त बजट का प्रावधान करने आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से कार्य पूरा होने में विलंब हुआ है। विदेशी आर्थिक सहयोगा कोष का ऋण अगिम रू से उपलब्ध नहीं होता है और कार्यान्वयन एजेंसियों को व्यय पहले अपने बजट में से करना होता है और बाद मे विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है।

राजकोष को वित्तीय घाटा

8451. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया है जिससे राजकोष को करोड़ो रूपये का वित्तीय घाटा हुआ है, जैसा कि 24 अप्रैल, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

चावल की तस्करी

8452. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से तस्करी से चावल आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से कितने चावल की तस्करी की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत पर्यटन विकास निगत का लाभ

8453. डा० पी वल्लल पेरूमान : क्या **नागर विमानन ओर पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने अपना अब तक का अधिकतम लाभ अर्जित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रों में गत तीन वर्षो के दौरान, विशेष रूप से वर्ष 1994-95 के दौरान क्षेत्र–वार की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी हां। 1994-95 के दौरान पर्यटन विकास निगम ने 42.25 करोड़ रू० का (अनन्तिम) अब तक का उच्चतम रिकार्ड निवल लाभ (कर से पूर्व) कमाया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में वृद्धि के साथ क्रियाकलाप–वार लाभता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रभाग-वार लाभता का ब्यौरा

प्रभाग	1992-93 लाभ/हानि	1991-92 के मुकाबले प्रतिशत अंतर	1993-94 लाभ/हानि	1992-93 के मुकाबले प्रतिशत अंतर	1994-95 लाभ/हानि	199394 के मुकाबले प्रतिशत अंतर
होटल प्रभाग	(-)268.48	41.5	829.32	414.8	2020.94	143.7
अशोक ट्रेवल एण्ड टूअर्स	(-)74.60	(-)145.6	22.64	130.3	77.08	240.5
शुक्ल मुक्त ट्रेड	1345.07	7.6	1547.78	15.1	2121.22	37.0
एस. ई. एल. फोर्ट	(-)2.10	(-)212.5	1.97	193.8	6.22	215.7
जोड़	1004.89	72.1	2401.71	139.0	4225.46	75.9

होटल उद्योग के लिए अतिरिक्त कमरे

8454. श्री गुरूदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी–बड़ी होटल श्रृंखलाओं द्वारा करीब 8000 अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा शुल्क की वसूली

8455. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों और समाहर्तालयों ने वर्ष 1993-94 के लिए सीमा शुल्क की कुल कितनी राशि का आकलन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या आकलित सीमा शुल्क को पूर्व वसूल/एकत्र कर लिया गया था ;

(ग) क्या कुछ बकाया राशि अभी वसूल होनी बाकी है ;

(घ) यदि हां, तो सीमा शुल्क कार्यालय-वार तथा समाहर्तालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान देश के विभिन्न सीमा शुल्क गृहों औ समाहर्तालयों से प्राप्त सीमा शुल्क की कुल राशि 22,239.74 करोड़ रूपए थी।

(ख) और (ग). 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार वसूल किए जाने वाले सीमा शुल्क राजस्व की बकाया राशि लगभग 118 करोड़ रूपए थी। इन आंकड़ों में वर्ष 1993-94 और पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित बकाया राशियों शमिल हैं।

(घ) सीमा शुल्क गृह-वार और समाहर्तालय-वार वसूली की बकाया राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत बकाया राशियों की वसूली के लिए विश्वासोत्पादक एवं अवपीड़क कार्यवाही की जाती है। सीमा शुल्क की बकाया राशियों पर ब्याज लगाने के लिए उपबन्ध बनाने हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को भी हाल ही में संशोधित किया गया है।

विवरण

सीमा शुल्क गृह/समाहर्तालय-वार राजस्व बकाया

क्रम स०	समाहर्तालय का नाम	राशि (लाख रूपये में)
1	2	3
1	मुम्बई	3069.74
2	सहार	44.27
3	कलकत्ता	1186.71
4	मद्रास	687.64
5	कोचीन	122.00
6	दिल्ली	350.22
7	विशाखापत्तनम	83.77
8	अहमदाबाद (निवारक)	39.96
9	गोआ	12.56
10	काण्डला	690.43
11	बंगलौर	660.66
12	न्हवा शेवा	39.21
13	जयपुर	362.53
14	भुवनेश्वर	1695.23
15	गुंटूर	74.79
16	चण्डीगढ़	542.39
17	राजकोट	66.10
18	इन्दौर	12.53
19	पुणे	22.32
20	नागपुर	7.89
21	शिलांग	1.02
22	त्रिची	26.47
23	हैदराबाद	941.95
24	कोयम्बूटूर	1.03
25	औरंगाबाद	69.22
26	इलाहाबाद	59.96
27	सूरत	190.89
28	बड़ौदरा	59.64
29	बेलगाम	66.26
30	मेरठ	620.45
31	मद्रास	35.70
	योग	11,823.54

औषधियों का जब्त किया जाना

8456. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गत 6 माह के दौरान इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर तथा दिल्ली के विभिन्न स्थानों से जब्त की गई औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नवम्बर, 1994 के अप्रैल, 1995 तक की अवधि के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तथा दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में दिल्ली सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए नशीले औषध द्रव्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

पकड़ा गया माल	मात्रा
ब्राउन शुग्रर	.970 कि० ग्रा०
हेरोइन	15.768 कि० ग्रा०
हशीश	145.621 कि० ग्रा०
चरस	27.228 कि० ग्रा०

(ख) और (ग). ऊपर उल्लेख किए गए अभिग्रहणों के संबंध में की गइ जांच–पड़ताल के आधार पर भारत में और विदेश में नशीले औषध द्रव्यों की तस्करी करने में ग्रस्त घ्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और जर्मनी और इंग्लैंड में बैंक खातों के प्रचालन पर भी रोक लगा दी गई है।

(घ) स्वांपक औषध द्रव्यों के विरूद्ध अभिज्ञान जारी रखा जाता है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के कार्य में लगी सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ ताल–मेल बनाए रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

नई योजना के अंतर्गत ऋण

8457. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगार स्नातकों को 1,00,000 रूपए (एक लाख रूपये) तक के ऋण देने की कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने लोगों को कितना ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) दिनांक 2 अक्टूबर, 1993 से आरम्भ की गई थी। योजना का उद्देश्य माइक्रो उद्यमों में लगभग 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को दीर्घकालीन रोजगार प्रदान करना है। इन उद्यमों में उत्पादन, सेवा और व्यापार सम्बन्धी कार्य शामिल होंगे। पी. एम. आर. वाई की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :–

1 उन परिवारों के 18 और 25 वर्ष के बीच के वे सभी शिक्षित बेरोजगार युवक, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय कुल 24,000/- रूपए से कम हो, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

2 इन शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को माइक्रो आरम्भ करने के लिए प्रत्येक को 7500/- रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधी 15% की सब्सिडी दी जाती है।

3 प्रत्येक उद्यमी को मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5% प्रस्तुत करना होता है।

4 प्रत्येक उद्यमी एक लाख रूपए की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का पात्र है और इस ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

5 जिन उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत चुना जाएगा, उन्हें ऋण संवितरित किए जाने से पहले प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

6 मैट्रिक (उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण) विद्यार्थी आई. टी. आई. उत्तीर्ण युवक और वे सभी व्यक्ति, जिन्होंने कम से कम छः महीने तक सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम में भाग लिया है, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

7 इस योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% और दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

8 हिताधिकारियों को उस क्षेत्र का कम से कम तीन वर्ष तक का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ग) उन व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या, जिनहें वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान पी. एम. आर. वाई के अंतर्गत ऋण मंजूर किए गए हैं और मंजूर की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना में मंजूर किए गए ऋणों और मंजूर की गई राशि के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार व्यक्तियों की संख्या

(राशि लाख रूपये)

		1993-94		(1994-95)	
क्रं सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	3152	2039.31	15921	8734.83
2	अरूणाचल प्रदेश	43	38.95	158	97.70
3	बिहार	1617	1354.07	108859	7872.63
4	असम	751	627.77	4538	3156.40
5	गोवा	67	45.37	315	214.88
6	गुजरात	508	229.27	5601	2350.36
7	हरियाणा	676	420.47	4168	2045.82
8	हिमाचल प्रदेश	196	131.59	2041	1194.34
9	जम्मू व कश्मीर	104	71.89	1595	372.78
10	कर्नाटक	1564	871.20	11926	5641.33
11	केरल	1577	865.83	10413	5103.47
12	मध्य प्रदेश	2649	1840.96	19513	12035.79
13	महाराष्ट्र	38	1917.57	25192	12118.70
14	मणिपुर	167	155.41	1172	971.74
15	मेघालय	136	109.38	279	185.31
16	मिजोरम	14	13.46	178	155.42
17	नागालैण्ड	70	61.19	201	179.43
18	उड़ीसा	762	596.25	5283	3545.92
19	पंजाब	986	772-18	4751	2822.54
20	सिक्किम			58	31.08
21	राजस्थान	1192	711.47	6815	3703.98
22	त्रिपुरा	121	93.31	606	491.20
23	तमिलनाडु	2469	1512.86	13283	7188.57
24	उत्तर प्रदेश	3279	2078.65	20037	10967.11
25	पश्चिम बंगाल	892	625.26	7043	3984.55

1	2	3	4	5	6
26	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	686	398.64	1704	883.26
27	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	23	14.70	47	30.10
28	चण्डीगढ़	112	80.97	199	141.18
29	दम व दीव			29	22.10
30	दादरा और नागर हवेली	39	35.40	189	156.46
31	लक्षद्वीप	-	-	-	-
32	पांडिचेरी	105	56.10	321	128.09
	विनिर्दिष्ट नहीं	28	15.85	54	36.62
	योग	27850	17785.33	174492	97173.70

आंकड़े अनन्तिम

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई)

[अनुवाद]

"सेबी" द्वारा निर्गमों की स्वीकृति

8458. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मई, 1995 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" के दिल्ली संस्करण में "ब्लैक लिस्टेड कंपनी रेजेज मनी फ्राम प्राइमरी मार्केट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें बताए गए तथ्य क्या है ;

(ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) निर्ममों के स्वीकृति देने से पहले किस परिस्थिति से इस पहलू को नियंत्रित कर पाने मे विपल रहा ; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने तथा वर्ज्य सूची (ब्लैक लिस्टेड) वाली कंपनियों को भविष्य में पूंजी बाजार के धन जुटाने से भविष्य में रोकने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) समाचार में उठाया गया मुख्य मुद्दा पी. एस. एल होल्डिंग्स लि० जिले सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों से संविदा कार्य प्राप्त करने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सूचित रूप से वर्ज्य सूचीबद्ध किया गया था, द्वारा जारी की गई विवरणिका में कुछ तथ्यों को प्रकट न करने से संबंधित है।

(ग) और (घ). सेबी ने बताया है कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लीड प्रबंधकों की है कि पेशकशी दस्तावेजों में पर्याप्त प्रकटन कर दिए गए है। गलतबयानी के लिए जारीकर्ता के विरूद्ध प्राप्त किसी शिकायत को लीड़–प्रबधंक के पास भेजा जाता है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। पी. एस. एल होल्डिंग्स लि० के मामले मे सेबी ने मामलें को लीड–प्रबंधकों के पास भेज़ दिया है और अन्तिम कार्रवाई का निर्णय अभी किया जाना है। इस दौरानँ सेबी प्रकटन मानकों को मजबूत बना रहा है ताकि इस प्रकार की स्थिति की आवृत्ति से बचा जा सके।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

8459. श्री एन. जे. राठवा :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। प्रत्यक्ष गरीबी उनमूलन के संबंध में दो प्रस्ताव तैयारी के प्रारम्भिक चरण में है और सम्भाव्य सहायता हेतु ये विश्व बैंक के पास विचाराधीन है। एशियाई विकास बैंक से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई सहायता नहीं मांगी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान कोई भी प्रत्यक्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व बैंक सहायता

8460. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को दी जाने वाली सहायता संबंधी अपनी नीति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के सम्बन्ध में चलैया समिति की सिफारिशें

8461. डा० वसंत पवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण औषधियों के लिए टैरिफ सुरक्षा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार नए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के सम्बन्ध में चिलैया समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो औषध निर्माण उद्योग के हितों की सुरक्षा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का चिलैया समिति द्वारा सिफारिश की गई बातों के अलावा किसी अन्य प्रकार का सहायता पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). महत्वपूर्ण दवाओं को टैरिफ सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि कुछ विविर्दिष्ट दवाओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दरें लागू है। फार्मेस्यूटिकल उत्पादों पर टैरिफ सभी संगत विचारों को ध्यान में रखने के बाद ही तैयार किए जाते है।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

8462. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **वित्त मंत्री** 28 अप्रैल, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा ("वेज एण्ड मीनस लिमिट") से अधिक लिए गए अधिकतम ओवर ड्राफ्ट का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट के कारण एकाधिकार राज्य–वार कितने कार्य दिवसों के लिए भुगतान रोक दिया गया; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए विभिन्न राज्यों हेतू बाजार से कर्ज, बांड और डिबेंचर की निर्धारित सीमा का राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में संगत वास्तविक आंकड़ो का राज्य–वार क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). चूंकि यह बैंकर और ग्राहक (भारतीय रिज़र्व बैंक और राज्य सरकार) के बीच संबंध का मामला है इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ राज्यों के खातों में ओवरड्राफ्ट और अदायगियों के स्थगत की सूचना भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों हेतु बाजार से कर्जो, बांडों और डिबेंचरों के निर्धारण और बाजार से कर्ज के तत्समानी वास्तविक आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। बांडों और डिबेंचरों के वास्तविक आंकड़े राज्य सरकारों से एकत्र किए जाएंगे तथा प्रस्तुत दिए जाएंगे।

विवरण

वर्ष 1994-95 के लिए बाजार से कर्ज, बांडों और डिबेंचरों का निर्धारण तथा बाजार से कर्ज के रूप में ली गई वास्तविक राशियों का राज्यवार ब्यौरा :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	बाजार से कर्ज निर्धारण	बाजार से कर्ज वास्तविक	बांड और डिबेंचर निर्धारण
1	आंध्र प्रदेश	437.53	432.55	-
2	अरूणाचल प्रदेश	4.68	4.68	-
3	असम	161.63	161.63	-
4	बिहार	442.10	442.12	-
5	गोआ	14.50	14.50	-
6	गुजरात	209.45	209.45	-
7	हरियाणा	108.89	108.89	-
8	हिमाचल प्रदेश	34.44	34.44	-
9	जम्मू और कश्मीर	57.98	57.98	-
10	कर्नाटक	181.84	181.84	-
11	केरल	295.61	295.61	70.00
12	मध्य प्रदेश	348.85	348.85	-
13	महाराष्ट्र	385.80	385.80	425.00
14	मणिपुर	14.00	14.00	-
15	मेघालय	17.76	17.76	-
16	मिजोरम	10.00	10.00	-
17	नागालैंड	24.84	24.64	-
18	उड़ीसा	299.07	299.25	130.00
19	पंजाब	171.24	171.27	-
20	राजस्थान	314.27	314.27	250.00
21	सिक्किम	11.65	11.65	-
22	तमिलनाडु	350.42	350.42	415.00
23	त्रिपुरा	17.92	17.92	-
24	उत्तर प्रदेश	787.42	787.38	350.00
25	पश्चिम बंगाल	421.42	421.43	71.00
	कुल	5123.11	5123.11	1711.00

राष्ट्रीयकृत बैंको की परिसम्पत्तियां

8463. श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बैंकों द्वारा आज तक के कुल बकाया ऋणों सहित उनकी बेकार पड़ी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बेकार पड़ी इन परिसम्पत्तियों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंको के कुल अग्रिमों सहित इन बैंकों के अनुपयोज्य आस्तियां निम्नलिखित है :–

	करोड़ रूपए
अनुपयोज्य आस्तियां	25922.27
कुल अग्रिम	106522.25

(ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के संबंध में शीघ्र न्याय–निर्णय लेने तथा इन ऋणों की वसूली के लिए, ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गये है। बैंक अपने–अपने प्रधान कार्यालयों में वसूली प्रकोष्ठ स्थापित कर रहे हैं, जो एक महा प्रबंधक के अधीन कार्य करेंगे। अनुपयोज्य आस्तियों की अधिकता वाले नियंत्रक कार्यालयों में भी वसूली प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे। शाखा–स्तर पर भी, वसूली के लिए देय राशियों की अधिकता वाली शाखाओं मे से प्रत्येक शाखा में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

समाचार पत्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

8464. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दैनिक "पैट्रियट" तथा "लिंक" समाचार पत्रिका के कर्मचारियों तथा श्रमिकों द्वारा पत्रकारों की अंधाधुध बरखास्तगी/छटनी भविष्य निधि अंशदानों तथा उपदानों इत्यादि के भुगतान न किये जाने के विरोध में उनके द्वारा गत आठ महीनों से की जा रही हड़ताल के बारे मे जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटनल पर रख दी जाएगी।

रक्षा सेनाओं के हवाई अड्डे :

8465. श्री अमर राय प्रधान : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रणाधीन हवाई अड्डों के नाम क्या है और ये किन किन स्थानों पर स्थित है;

(ख) इन हवाई अड्डों के विकास कार्य हेतु नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निकतनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) क्या इन हवाई अड्डों से भारत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उड़ान परिचालित की जाती है ;

(घ) क्या इन हवाई अड्डों के विभिन्न कक्षों में स्थान का अभाव है जिससे की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है और यदि हां, तो इन हवाई अड्डों के कक्षों का विस्तार कब तक किया जायेगा;

(ड) क्या सरकार का विचार इन हवाई अड्डों को नागरिक हवाई अड्डे घोषित करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). रक्षा विमानपत्तनों के नाम, और उनके स्थान का विवरण जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल एन्क्लेवों का रख–रखाव करता है, संलग्न है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सिविल एन्क्लवों पर 37.08 करोड रूपए खर्च किए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल एन्कलेवों का रख–रखाव करता है और उड़ानों के प्रचालन से इसका कोई संबंध नहीं है।

(घ) कुछ सिविल एन्क्लेवों में लाउंज छोटे है परन्तु उनसे सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हैं। आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, इन सिविल एन्क्लेवों पर चरणबद्ध तरीके से लाउंजों का विस्तार किया जा रहा है।

(ड) और (च). ये विमानपत्तन रक्षा प्रयोजनों के लिए हैं। नागर विमानन संबंधी आवश्यकताए इन सिविल एन्क्लेवों से पर्याप्त रूप से पूरी हो रही है।

विवरण

रक्षा विमानक्षेत्रों के नाम और स्थान जहां सिविल एन्क्लेवों का रख रखाव किया जाता है

क्र०सं०	रक्षा विमानक्षेत्रों का नाम	किस राज्य में स्थित है
1	2	3
1	आगरा	उत्तरप्रदेश
2	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश

1	2	3
3	एलांग	अरूणाचलप्रदेश
4	बागडोगरा	पश्चिम बंगाल
5	बंगलौर	कर्नाटक
6	बीकानेर	राजस्थान
7	भुज	गुजरात
8	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ (केन्द्र शासित)
9	कोचीन	केरल
10	दीपारीजो	अरूणाचलप्रदेश
11	गोवा	गोवा राज्य
12	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
13	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
14	जैसलमेर	राजस्थान
15	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
16	जामनगर	गुजरात
17	जोधापुर	राजस्थान
18	जोरहाट	असम
19	कानपुर	उत्तर प्रदेश
20	लेह	जम्मू एवं कश्मीर
21	पोर्टब्लेयर	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
22	पूणे असम	महाराष्ट्र
23	सिल्चर	असम
24	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
25	तेजपुर	असम
26	तेजू	अरूणाचलप्रदेश
27	विशाखापत्नम	आध्रप्रदेश
28	जीरो	अरूणाचलप्रदेश

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

8466. श्री एस. एम लालजान बाशा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और एशियन ने डेवलपमेंट बैंक ने सुझाव दिया है कि राज्यों को क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में पूरी तरह शामिल किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषण करने के लिए विश्व बैंक ने क्या शर्ते निर्धारित की है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी, नही। तथापि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के साथ सहायता सम्बन्धी बातचीत के दौरान आपसी विचारों का आदान–प्रदान हुआ। पालिसी तैयार करना सरकार का एकाधिकार है इसलिए विश्व बैंक अथवा कोई भी विदेशी एजेनसी अपने सुझावों को स्वीकार कराने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकती/नहीं कह सकती। सरकार की तीति के अनुसार, परियोजनाएं/कार्यक्रम तैयार करने में राज्य पूरी तरह से शामिल होते हैं। सरकार हमेशा यह सुनिश्चित कर लेती है कि हमारा राष्ट्रीय हित सुरक्षित है और विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से लिए जाने वाले ऋण पैकेज के विभिन्न घटक हमारी प्राथमिकताओं और नीतियों के अनुरूप हैं।

तम्बाकू उत्पादकों की सहायता

8467. डा० खुशीराम झुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रके पास गुजरात में तम्बाकू उत्पादकों को विशिष्ट वित्तीय उपायों के माध्यम से सहायता देने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रायोजित कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीं० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"एम० पी० ई० डी० ए०"

8468. प्रो० उम्मारेडि वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झींगा मछली उद्योग में "एम० बी० ई० डी० ए." द्वारा लापरवाही से कार्य करने के संबंध में शिकायते मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने 'एम० पी० ई० डी० ए.' के कार्यकरण की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी,नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार एम्पीडा के कार्य सम्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

एअर इंडिया के विमान में बम

8469. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अप्रैल, 1995 को दिल्ली से दुबई जा रहे एअर इंडिया के विमान में बम होने की अफवाह फैली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान को आपातकालीन स्थिति मे कराची पर उतारा गया था;

(घ) क्या पाकिस्तान सरकार ने कराची हवाई अड्डे पर विमान में सवार उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमंडल को कोई औपचारिक प्रोटोकाल संबंधी सुविधा नहीं प्रदान की;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की अशिष्टता दिखाने के लिये पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले पर विचार–विमर्श हुआ था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). जी, हां। दिनांक 13 अप्रैल, 1995 को दिल्ली से दुबई की उड़ान का प्रचालन करते हुए, एअर इंडिया के विमान ए–310 को उड़ान के दौरान विमान में बम हाने का समाचार प्राप्त हुआ था। बम होने की खबर के कारण विमान का मार्ग परिवर्तन कर इसे कराची की आरे ले जाया गया था।

(घ) इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास से सूचित किया था कि पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा उच्च स्तरीय भारतीय शिष्टमंडल को अशिष्टता दर्शाए जाने का कोई संकेत नहीं है।

(ङ) और (च). ये प्रश्न नहीं उठते।

श्रमिकों की मांगें

8470. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री एस० एम. लालजान वाशा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाई वर्ष पहले केन्द्रीय श्रम परिसंघ और यूनियनों के संयुक्त शिष्टमंडल द्वारा अनेक मागें प्रस्तुत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत सभी मांगें पूरी कर दी गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो कौन–कौन सी मांगें पूरी की जा रही चुकी है और कौन–कौन सी मांगें अभी पूरी की जानी है ;

(ङ) इन मांगों के पूरा हाने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(च) श्रमिकों की सभी मांगें कब तक पूरी कर दिए जोन की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) व्यवसाय संघों ने निम्नलिखित मांगें की थी

1. पेंशन योजना
2. बोनस सीमा में वृद्धि
3. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ते की स्लैब का निर्धारण
4. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से मजूदरी संशोधन
5. सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत लाना
6. वस्त्र उद्योग में भविष्य निधि अंशदान बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना आदि
7. रूग्ण इकाईयों का पुनरूज्जीवन
8. दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयेग गठित करना
9. योजना आयोग में श्रम प्रकोष्ठ

(ग) से (च). निम्नलिखिता मागें पूरी कर दी गई है :

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मजूदरी संशोधन :

(1) सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 5वें दौर की मजदूरी वार्ता के लिए दिशा निर्देश जारी किये है जिनके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रबंधनों को अपने कर्मकार संघों के साथ समझौता करने की पूर्ण स्वातंत्रता दी गई है।

(2) भविष्य निधि व्यप्ति : 1-10-94 से क. भ. नि योजना के अंतर्गत व्यप्ति हेतू मजदूरी सीमा बढ़ाकर 3500 रूपये से 5000 रूपये कर दी गई है।

(3) सूती वस्त्र उद्योग हेतु क. भ. नि : दर : सरकार ने 1-9-94 से सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में भविष्य निधि अंशदान की दर 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी है।

(4) योजना आयोग मे श्रम प्रकोष्ठ : योजना आयोग में एक श्रम प्रकोष्ठ पहले ही स्थापित कर दिया गया है।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में मंहगाई भत्ते की स्लैब : सरकार ने 23-7-94 को, त्रिपक्षीय मंहगाई भत्ता समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों में मंहगाई भत्ते की स्लैब प्रणाली 1992 से लागू करना भी सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। इसके कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

(6) पेंशन योजनाएं : एक पेंशन योजना तैयार करना सुगम बनाने हेतु क. भ. नि. एवं प्र. उ. अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया गया है। यह विद्येयक मंत्रालय से संबद्ध संसदीय स्थाई समिति को संदर्भित किया गया है।

(7) रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पुनरूज्जीवन : श्रम मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेष त्रिपक्षीय समिति और छः औद्योगिक रूग्णता पुनर्सरचना आदि के संबंध परीक्षण/विचार विमर्श में अंतर्ग्रस्त हैं।

शेष मांगों पर विचार–विर्मश अग्रिम स्तर पर है। तथापि, यह शेष मांगों को पूरा करने के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

विदेशी पूंजी निवेश

8471. **श्री पी० सी० चाको : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों के नेतृत्व में किसी उच्च अधिकार प्राप्त व्यापारी शिष्टमंडल ने बिटेन की यात्रा ही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या इस यात्रा से संबंधित राज्यों ने अपने यहां विदेशी और अनिवासी पूंजी निवेश की व्यापक सम्भावना महसूस की है;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में करेल सरकार को भी ऐसा ही उच्चाधिकार प्राप्त व्यपारी शिष्टमंडल भेजने को कहने का है ; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ वहारं के उच्च अधिकारीयों और उद्योगपत्तियों ने राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से 25 अप्रैल से 26 अप्रैल, 1995 तक यू. केन्द्र का दौरा किया। किन्तु, अभी उसके परिणाम बताना संभव नहीं है।

(घ) और (ड). करेल सरकार ने जून, 1995 में औद्योगिक और म्यूनिसिपल्टीज के मंत्री की अध्यक्षता मे एक १६ संदस्यीय शिष्टमंउल यू. के. भेजने का प्रस्ताव रखा है।

इटली के साथ व्यापार समझौता

8472. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इटली की सरकार भारत में पूंजी निवेश को पहली प्राथमिकता देने की सहमत हो गई है ;

(ख) क्या इटली की सरकार ने भारत से यह अनुरोध भी किया है कि वर्ष 1995 के दौरान भारत–उत्सव का आयोजन इटली में किया जाये ;

(ग) भारत और इटली के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इटली द्वार वर्ष 1995 के दौरान कुल कितना पूंजी निवेश किये जाने की संभावना है ; और

(ड) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमे ये निवेश किये जायेंगे?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इटली सरकार और उद्योग दोनों ही भारत में निवेश की उच्च प्राथमिकता देते हैं।

(ख) इटली में 1996 में भारत उत्सव के आयोजन का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) भारत और इटली के बीच वर्ष 1995 में किसी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(घ) और (ड). चूंकि भारत में इटालियन निवेश गैर–सरकारी क्षेत्र होने वाला है, इसलिए इसकी मात्रा का अनुमान लगाना संभव

नहीं है। तथापि ऐसे निवेश के लिए जिन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें से कुछ हैं ऊर्जा, पैट्रो–रसायन, परिवहन, धातु अभियांत्रिकी, दूर–संचार, इलेक्ट्रानिक्स, औद्योगिक स्वचालन, स्टोन प्रोसेसिंग, हाइड्राकार्बन, खाद्य प्रसंस्करण, खनन, चमड़ा और चमड़े का सामान।

सुपर स्टार ट्रेडिंग हाऊस

8473. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "सुपर स्टार ट्रेडंग हाऊस" की नई श्रेणी को अपने विदेशी मुद्रा का 10% अपने पास रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे हाऊस की एक नई श्रेणी बनाने के क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). आयात–निर्यात नीति (30 अप्रैल), 1995 तक यथासंशोधित के अनुसार सुपर स्टार ट्रेडिंग धराने अपने निर्यातों पर उनको दिए गए विशेष आयात लाइसेंसो के रूप में अपनी विदेशी मुद्रा आय का पोत पर्यत्न निशुलक के रूप में 11% तथा शुद्ध विदेशी मुद्रा के रूप में 16% तक लेने के हकदार हैं।

ऋण माफ करना

8474. श्री चित्त बसु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पंजाब पर बकाया ऋण को माफ करने से संबंधित अपनी नीति घोषित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह ऋण माफी की नीति अन्य राज्यों पर भी लागू होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). ब्यौरे तैया किए जा रहे है।

आमों का निर्यात

8475. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में आम के कुल उत्पादन का 56 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व में आम निर्यात में भारत का हिस्सा नगण्य है और यह उत्पादन के अनुरूप नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) आमों के निर्यात मे वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1992 के दौरान, विश्व में आमों के उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 58.7% बैठता था।

(ख) और (ग). आमों के निर्यात के लिए पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है जिसके लिए अन्य कारणों के साथ–साथ, आमों के इकट्ठा करने से पूर्व/इकट्ठा करने के बाद रखरखाव की सुविधाएं कम होना, निर्यात के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाए नहीं होना तथा वायुमान के किराए अधिक होना है।

(घ) भारतीय आमों सहित खराब हाने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में ये उपाय शामिल है।

1 आधारभूत सुविधाओं जैसे विशेषीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, प्रीकूलिंग/कोल्ड स्टोरजे सुविधाओं की स्थापना के विकास के लिए वित्तीय सहायता को व्यवस्था करना ;

2 ग्रेडिंग/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी मंचों, पकाने/संशोधित करने के प्रकोष्ठ और क्वालिटी जीवन के उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए आसान शर्तो पर ऋण दिए गए।

3 उन्नत पैकेंजिंग के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी देना तथा गुणवत्ता नियंत्रण की सुदृढ़ करना;

4 निकासी की जाने वाली निर्यात खेपों के लिए वाक–इन टाईप कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना ;

5 एक ही छत के नीचे कागों बुकिंग के लिए एयर कार्गो सुविधाओं तथा सीमाशुल्क निकासी संबंधी सुविधाओं की स्थापना करना ;

6 उत्पाद की उन्नत स्वीकार्यता के लिए वाष्प अभिक्रिया संबंधी सुविधाओं की स्थापना करना ;

7 क्रेता–विक्रेता बैठकों को आयोजित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

[हिन्दी]

उद्योगों का बंद किया जाना

8476. श्री दत्ता मेघे : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषण संबंधी मानकों का पालन करने में असफल रहने वाले औद्योगिक एककों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के उपरांत दिल्ली में औद्योगिक एककों की सम्भावित बंदी के फलस्वरूप अनुमानतः कितने श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे; और

(ख) सरकार इन श्रमिकों को राहत देने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ, निर्देश दिया है कि दिल्ली के मास्टर प्लान के गैर–समानुरूपी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों को कार्य करना बन्द कर देना चिाहए और मास्टर प्लान में निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनः स्थापित कर दिया जाना चाहिए। ऐसी पुनःस्थापना के परिणामस्वरूप बेरोजगारी की कोई संभावना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्याज की विभेदक दर के अन्तर्गत ऋण

8477. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्याज विभेदक दर योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षो के दौरान कुल कितनी धनराशि वितरति की गई और इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने लोग लाभान्वित हुए; और

(ख) इल लाभान्वित लोगों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है और उन्हें कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). मार्च 1991, मार्च 1992 और मार्च 1993 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्षो के दौरान अखिल भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर (डी आर आई) योजना के अन्तर्गत खातों की संख्या और संवितरित राशि नीचे दी गई है

समाप्त वर्ष	कुल संवितरित राशि		जिसमें से अ.जा./अ.ज.जा हिताधिकारियों का हिस्सा	
	खातों की सं. (लाख में)	राशि (करोड़ रू०)	खातों की सं. (लाख में)	राशि (करोड़ रूपय में)
मार्च 1991	7.36	151.23	2.75	63.15
मार्च 1992	5.54	189.55	2.93	106.40
मार्च 1993	3.79	155.16	1.96	84.54

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों को छूट

8478. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम के उत्तर मध्य जोन में पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों को अपेक्षित कतिपय रियायतें/छूट न देकर उनके साथ किए जा अन्याय की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारत्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तरी केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा पुनः रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों पर लागू होने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ऋणों की वसूली

8479. श्री फूलचंद वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-1994 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) बैंको द्वारा अभी वसूल की जाने वाली बकाया राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश राज्य के संयोजक बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा सूचित किये गये अनुसार, वर्ष 1993-94 और 1994-95 (दिसम्बर, 1994 तक) की अवधि के दौरान इस राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकत क्षेत्र को दिये गये ऋणों के संबंध में की गई वसूली और वसूल किये जाने वाली बकाया राशि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है

(करोड़ रूपय में)

अवधि	वसूली	वसूली की जानेवाली राशि
1993-94	268.78	428.00
1994-95	288.64	499.34

(दिसम्बर 1994 तक)

[अनुवाद]

दमानिया एयरवेज बम्बई

8480. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के मैसर्स दमानिया एयरवेज के विरूद्ध कोई जालसाजी–पूर्ण कारोबार संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यअन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा शिकायत की जांच की जा रही है।

एम. एस. शूज हेतू ब्रिज लोन

8481. श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने चार ऐसे बैंकों को अभ्यारोपित किया है जो एम. एस. शूज के मामलें में ब्रिज लोन सुविधा के दुरुपयोग के संबंध में कथित रूप से जुड़े हुए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामलें में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि तात्कालिक ऋणों की मंजूरी के संबंध में जारी आर बी आई के मानदण्डों का उल्लंघन/अनुसरण करने के लिए उसने पांच बैंकों से स्पष्टीकरण मांगा है। इन बैंकों से उत्तर प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जायेगी।

ऊनी सामान का निर्यात

8482. श्री राम विलास पासवान :

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयात–निर्यात नीति संबंधी मूल्य संवर्द्धन मानदंड के आमूल–चूल परिवर्तन के फलस्वरूप के चालू वर्ष में ऊनी उत्पादों के निर्यात को जबरदस्त धक्का लगने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). संशोधित एक्जिम नीति/प्रक्रियाओं में ऊनी वस्त्र मदों के लिए मूल्य वर्धन मानदडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, संशोधित नीति में एक उपबंध इस आशय का रखा गया है जिसके अनुसार मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस के संबंध में उसी उत्पादन के लिए आधारित अग्रिम लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मूलय वर्धन का 66% मूल्य वर्धन, जो कि न्यूनतम 33% होगा, प्राप्त किया जाएगा। इसके साथ ही इस नीति में निम्न मूल्य वर्धन पर मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों की स्वीकृति के अनुरोधों पर गुणावगुण के आधार पर विचार करने का भी प्रावधान है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम का लाभ

8483. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम ने वर्ष 1993-94 के दौरान कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया ;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम अब प्रतिवर्ष लाभ अर्जित कर रहा है ; ओर

(ग) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के कारोबार और लाभ में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1993-94 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने 24.02 करोड रू० (कर से पूर्व) निवल लाभ अर्जित किया।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने प्रारंभ से प्रतिवर्ष लाभ कमाया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान कोरोबार और लाभ में सुधार करने हेतु भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा जो कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं उनमें उत्साही विपणन प्रयास, परिसम्पत्तियों का नवीकरण/उन्नयन, प्रचालनरत लागतों की निगरानी और नियंत्रण, उपयुक्त प्रशिक्षण देकर मानव संसाधान का विकास करना आदि शमिल हैं।

वित्त कम्पनियों की जमाराशि जुटाने की सीमा

8484. श्री श्रीकान्त जेना : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त कम्पनियों को जमाराशि जुटाने की सीमा के मामले में बैंकों के बराबर माना जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए अधिकारियों का विदेश दौरा

8485. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के कई अधिकारी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बार–बार विदेशों का दौरा कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो 1994 के दौरान 30 नवम्बर तक, इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और उक्त अवधि के दौरान इन दौरों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) इन दौरों का क्या परिणाम निकला है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दोनों राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के अधिकारी कारोबार को बढ़ावा देने विषयक क्रियाकलापों के संबंध में, जिनमें पर्यटन को बढ़ावा देना भी शामिल है, विदेशों के दौरे करते है।

(ख) वर्ष 1994 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 30 नवम्बर, 1994 तक एअर इंडिया के पाच अधिकारियों ने विदेशों के आठ दौरे और इंडियन एयरलाइन्स के तीन अधिकारियों ने तीन दौरे किए। एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा क्रमशः लगभग 1,65,886 रूपये और 1,47,150 रूपये व्यय किये गये।

(ग) इन दौरों के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि का परिणाम नहीं बताया जा सकता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार

8486. श्री हरिन पाठक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षो के दौरान एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विमानों पर यात्रियों द्वारा विमान कर्मचारियों के साथ किये गये दुर्व्यवहारों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एयर इंडिया की उड़ान पर तो हाल ही में दुर्व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु पिछले दो वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस उड़ानों पर यात्रियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की दो घटनाओं की जानकारी मिली है। ब्यौरे नीचे दिए गए है :–

(1) 30-5-94 को गोवा और दिल्ली के बीच उड़ान आई. सी. 468 पर, दो यात्रियों ने ड्यूटी पर मौजूद विमान परिचारिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया।

(2) 9-7-1994 को बम्बई–दिल्ली उड़ान आई. सी –183 पर, एक मदमस्त यात्री ने विमान परिचारिका पर फब्तियां कसीं ओर विमान में रात्रि भोजन परोसने के समस अव्यवस्थित दृश्य पैदा कर दिया।

(ख) नागर विमानन महानिदेशक ने इस आशय के आदेश जारी किये हैं कि भारत में अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवा का प्रचालन करने वाला कोई भी प्रचालक विमान में कोई अल्कोहल पेय नहीं परोसेगा और काई भी यात्री विमान में अल्कोहलीय पेय का सेवन नहीं करेगा।

[हिन्दी]

श्रमिक कल्याण

8487. श्री राजेन्द्र शर्मा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रम कानूनों में सुधार हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के सभी प्रस्ताव प्राप्त हो गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्यवाही योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए. संगमा) : (क) से (ग). नए दस्तावेज अपनाने अथवा वर्तमान मानकों में संशोधन करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के समक्ष स्पष्ट रूप से परिभाषित मामले प्रस्तुत करना अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रथा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अब तक श्रम तथा नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 175 अभिसमयों और 182 सिफारिशों को अपनाया है। प्रत्येक सदस्य राज्य समाजिक–आर्थिक दशाओं और विकास, वर्तमान कानूनो और प्रवर्तन तंत्र, वित्तीय बाध्यताओं आदि पर विचार करने के पश्चात्,

स्वेच्छिक रूप में इस दस्तावेज का अनुसमर्थन करता है। सदस्य राज्य जिन्होंने दस्तावेज का अनुसमर्थन किया है, उनसे नियोजकों और कर्मकारों के परामर्श से उसमें निहित उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए निदिष्ट नीति अपनाने की अपेक्षा की जाती है। भारत ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 36 अभिसमयों की अनुसमर्यित किया है। बकाया अभिसदयों के अनुसमर्थन की प्रगति का अभिसमय संबंधी त्रिपक्षीय समिति के परामर्श से राष्ट्रीय स्तर पर समय–समय पर प्रबोधन किया जाता है।

[अनुवाद]

बैंक खातों का मिलान

8488. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान कौन–कौन से राष्ट्रीयकृत बैंको ने मिलाये गये खातों की बकाया रकम दर्शायी ;

(ख) इनमें से प्रत्येक बैंक के न मिलाये गये खातों की प्रविश्टियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 1994 तक की प्रविष्टियों को शामिल करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों की अन्तर शाखा मिलाय खातों मे प्रविष्टियों/बकाया राशियों की स्थिति संग्लन विवरण में दी गई हैं। बकाया राशियों का मुख्य कारण बैंकिंग सेवाओं का असाधारण विस्तार होना है। बैंक मिलान कार्य पूरा करने के लिए प्रयासं कर रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :– समय ढांचा विकसित करना, प्राथमिकता और तरकाल अनुपालन के उद्देश्य से उच्च मूल्य का प्रविष्टियों और मांग ड्राफ्टों संबंधी प्रविष्टियों को अलग–अलग करने तथा बकाया राशियों की निकासी के लिए विशेष प्रकोष्ठ कृतिक बल स्थापित करना।

विवरण

दिनांक 31 दिसम्बर 1994 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 1994 तक की प्रविष्टियों को शामिल करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों की अन्तर-शाखा मिलान खातों मे प्रविष्टियों/बकाया राशियों।

(राशि करोड रू० में)

बैंक	प्रविष्टि		योग	राशि		योग
1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	5.25	4.86	10.11	1871.06	2170.80	4041.86
आन्ध्रा बैंक	0.13	0.37	0.50	74.31	227.39	301.70
बैंक आफ बड़ौदा	0.93	1.22	2.15	3142.09	2590.79	5732.88
बैंक आफ इंडिया	6.01	7.32	13.33	38795.00	41400.00	80195.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	3.31	5.48	8.79	11541.84	14699.91	26241.75
केनरा बैंक	2.43	0.96	3.39	121.29	239.14	360.43
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1.90	1-81	3-79	21921.03	21259-95	43180.98
कारपोरेशन बैंक	-	-	-	-	-	-
देना बैंक	1.34	2.13	3.47	2299.00	2788.00	5087.00
इंडियन बैंक	1.01	1.41	2.42	695.19	768.43	1463.62
इंडियन आवरसीज बैंक	0.12	0.47	0.59	3399.48	4276.70	4676.18

1	2	3	4	5	6	7
आरियंटल बैंक आफ कामर्स	0.02	0.12	0.14	253.61	261.43	515.04
पंजाब नेशनल बैंक	0.45	5.03	5.48	582.80	1657.60	2240.40
पंजाब एंड सिंध बैंक	0.00	0.28	0.28	-	372.00	372.00
सिंडिकेट बैंक	-	0.04	0.04	74.33	101.22	175.55
यूनियन बैंक आफ इंडिया	0.03	-	0.03	8.00	4.00	12.00
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3.78	5.67	9.45	15969.83	15261.11	31230.94
यूको बैंक	0.40	0.53	0.93	2850.00	1514.00	4364.00
विजया बैंक	0.12	0.21	0.33	118.98	134.84	253.82

गुजरात में अस्पतालों के लिए वित्तीय सहायता

8489. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राज्य मे अस्पतालों की स्थिति सुधारने हेतु आवास तथा शहरी विकास निगम और राष्ट्रीय आवास निगम से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आवास और शहरी विकास निगम लि० के साथ–साथ राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें चालू वर्ष के दौरान गुजरात राज्य के अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए गुजरात राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में साधारण बीमा निगम द्वारा अस्वीकृत किए गए चिकित्सकीय दावे

8490. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

महाराष्ट्र में वर्ष 1994-95 के दौरान साधारण बीमा निगम की प्रत्येक सहायक कम्पनी ने कितने चिकित्सकीय दावे अस्वीकृत किए और इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के दोरान महाराष्ट्र में इसकी चारों अनुषंगी कम्पनियों द्वारा अस्वीकृत किए गए चिकित्सा दावों की अनुमांनित संख्या निम्न प्रकार है :–

कम्पनी का नाम	अस्वीकृत चिकित्सा दावों की संख्या
नेशन	155
न्यू इंडिया	814
ओरियन्टल	92
यूनाइटेड इंडिया	376

सूचित क़िया है कि दावों को (1) पूर्व विद्यमान बीमारियों और वास्तविक तथ्यों का प्रस्ताव के रूप में प्रकट न किया जाना, (2) दावों का प्रथम 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि के दौरान ही दायर किया गया, (3) दावे पालिसी कवच के दायरे से बाहर थे, जैसे विभिन्न कारणो से अस्वीकृत किया गया है।

एयर इंडिया का भार गुणक

8491. डा० आर० मल्लू

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान एयर इंडिया का कुल भार गुणक कितना–कितना रहा;

(ख) क्या एयर इंडिया का भार गुणक पूर्णतः स्थिर रहा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). विगत तीन वर्षो से एयर इंडिया का समग्र भार गुणक इस प्रकार है :–

1992-93	57.8%
1993-94	57.3%
1994-95	59.1%
	(अनुमानित)

एयर इंडिया के वहन में हुई संवृद्धि, कुल यातायात की संवृद्धि के अनुरूप नहीं रही है, हालांकि एयर इंडिया के समग्र भार गुणक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

वायु परिवहन बोर्ड

8492. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान यात्री संघ ने वायु परिवहन बोर्ड ओर क्षेत्रीय सलाहकार समिति के गठन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारतीय विमान यात्री संघ से सरकार को इस तरह का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्यात संवर्द्धन परिषद

8493. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्तमान निर्यात–आयात नीति में किए गए संशोधन से निर्यात संवर्द्धन परिषद पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी निर्यात संवर्द्धन परिषदों ने नई निर्यात–आयात नीति के विरूद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति

8494. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एयर इंडिया के 1992-93 के तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में हेरफेर करने की किसी घटना का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की किसी जांच के आदेश दिए गए हैं और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग का गुणवत्ता स्तर

8495. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्रों के गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्योग को "स्टेट आफ दिआर्ट" सुविधाएं देने का है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). सरकार को वस्त्रों की गुणवत्ता संबंधी मानकों में सुधार लाने के लिए किसी प्रकार का व्यापक अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार गुणवत्ता मानकों संबंधी पहलुओं से वस्त्र उद्योग में हो रहे विकास पर कड़ी निगरानी रखती है। जब कभी भी वस्त्र उद्योग के

किसी भी क्षेत्र में संकट उत्पन्न होता है तो नीतिपरक हस्तक्षेप करके उपयुक्त उपाय किए जाते है।

जहां तक वस्त्र उद्योग कला संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का संबंध है, कई ऐसे वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन हैं जोकि उद्योग को अनुसंधान तथा विकास संबंधी सुविधाएं प्रदान कर रही है। सूती यार्न सहित वस्त्र मदों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशनों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नानुसार है :–

(1) उपयुक्त गिनिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से कपास की गुणवत्ता से सुधार लाना।

(2) विशेष रूप से निर्यात के लिए कोटि के यार्न बनाने के उपाय करना।

(3) कोटि के परिधानों का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त सिलाई धागे का विकास करना।

(4) पटसन और ब्लैंडिड फैब्रिक के लिए विशेष रूप से पोलिमेटिक फिनिश का विकास करना।

(5) वस्त्रों के कंप्यूटर सहायित डिजाइन का विकास करना।

(6) लागत प्रभाावी तथा पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों तथा वस्त्रों के संसाधन की प्रक्रियाओं का विकास करना।

चावल भूसी के अपशिष्ट का निर्यात

8496. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल भूसी के अपशिष्ट क निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अनुमानतः प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में चावल भूसी का निर्यात किया जा सकता है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) चावल की भूसी के अपशिष्ट के निर्यात की सम्भावना का पता लगाने के लिए कोई निश्चित अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मैसूर में विमानपत्तन का निर्माण :

8497. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर को मैसूर में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक नये विमानपत्तन के निर्माण किये जाने की मांग की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गैर–सरकारी पार्टियों के सहयोग से मैसूर में नया विमानपत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

आयकर वसूली

8498. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान, क्षेत्र–वार कितना आयकर वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा वास्तव में कितने राजस्व की वसूली की गई;

(ख) किन–किन क्षेत्रों में कम वसूली हुई थी ; और

(ग) उन क्षेत्रों में वसूली कार्य में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है जिनमें वर्ष 1994-95 के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए निगम कर तथा आयकर की वसूली के लिए बजट अनुमान 23405 करोड़ रू० का था और संशोधित अनुमान 24250 करोड़ रू० का था। इसकी तुलना में विभाग ने 25773 करोड़ रू० की वसूली की जो कि दोनों ही अनुमानों से अधिक है। तथापि, केन्द्रीय प्रतयक्ष कर बोर्ड ने 26090 करोड़ रू० का एक अपेक्षाकृत अधिक उच्च अनुमान निर्धारित क्रिया था और इसे विभिन्न प्रभारों से आबंटित किया गया था। विवरण मे दर्शायी गई कमी बोर्ड द्वारा किए गए इस संबंधित आबंटनों की तुलना में है और उसी पृष्ठभूमि में इसे देखा जा सकता है।

विवरण

(करोड़ रूपए में)

मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र	लक्ष्य 1994-95	वसूली	वृद्धि/कमी	लक्ष्य 1994-94	वसूली	वृद्धि/कमी
	निगम कर			आयकर		
बम्बई	6900.00	6268.40	631.60	2900.00	3118.39	218.32
दिल्ली	1800.000	1830.68	30.68	1400.00	1636.41	236.41
पश्चिम बंगाल	1500.00	1104.45	-395.55	700.00	637029	-62.71
मद्रास	700.00	548.22	-151.78	1100.000	1079.26	-20.74
अहमदाबाद	350.00	289.02	-60.98	1200.00	926.24	-273.76
पुणे	250.00	336.40	86.40	800.00	816.26	16.26
च्रड़ीगढ़	225.00	229.30	4.30	650.00	588.76	-615.24
बगलौर	400.00	342.86	-57.14	700.00	671.25	-28.75
कानपुर	240.00	288.94	48.94	300.00	278.33	-21.67
पटना	100.00	171.61	71.61	400.00	447.76	47.76
हैदराबाद	290.00	267.77	-22.23	500.00	513.28	13.28
कोचीन	200.00	101.89	-98.11	300.00	297.29	-2.71
लखनऊ	10.00	-0.27	-10.27	-360.00	313.99	-46.01
भोपाल	65.00	44.79	-20.21	330.00	314.31	-15.69
जयपुर	70.00	42.09	-27.91	250.00	232.50	-17.50
से० टो० डी० एस०	900.00	1745.38	845.38	200.00	290.59	90.59
योग	14000.00	13611.53	-388.47	12090.00	121.91	71.91

सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का एस. सी. आई सी. आई द्वारा अधिग्रहण

8499. श्री मोहल रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या "शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया" (एस. सी० आइ. सी. आई) ने सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के साथ साथ सिंधिया वर्कशाप लिमिटेड, जो कि सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी है, का भी अधिग्रहण किया था,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या एस. सी. आई. सी. आई द्वारा सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी तथा सिंधिया वर्कशाप लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य देयताओं का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, यह जोड़ा जा सकता है कि मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड (एस. एस. एन. सी. एल.) द्वारा भारत सराकर के प्रति अपनी ऋण चुकौती बाध्यता पूरी न किए जाने पर, भारत सरकर ने अपने ऋणों को वापस मांगा और 4 अगस्त, 1987 को रिसीवर की नियुक्ति के बाद नौवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 की धारा 10 के उपबंधों के अनुसरण में, इसके निदेशक बोर्ड का पूनर्गठन किया गया।

चूंकि मैसर्स सिंधिया वर्कशाम लि० (एस. डब्ल्यू एल.) की भारत सरकार के प्रति कोई ऋण चुकौती बाध्यता नहीं है इसलिए भारत सरकार ने एस. डब्ल्यू एल के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है।

(ग) और (घ). यह सवाल पैदा ही नहीं होते।

दिल्ली विमानपत्तन पर गोल्फ-कोर्स और व्यापार केन्द्र

8500. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विचार यात्रियों के उपयोग हेतु दिल्ली विमानपत्तन पर गोल्फ कोर्स और व्यापार केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च आएगा ;

(ग) क्या अनय प्रमुख विमानपत्तनों पर भी इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमान और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली से लगभग ३४ करोड़ रूपय की लागत से गोल्फ—कोर्स स्थापित करने का प्रस्ताव है, परन्तु व्यापार केन्द्र 1987 से पहले से ही मौजूद है।

(ग) और (घ). बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हवाई अड्उों पर व्यापार केन्द्र पहले से ही मौजूद हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर भूमि की कमी के कारण गोल्फ—कोर्स स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

चित्रदुर्ग में हवाई पट्टी

8501. श्री सी० पी० मुडला गिरियप्पा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चित्रदुर्ग में एक हवाई पट्टी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). किसी स्थान पर हवाई पट्टी का विकास, यातायात संभावनाओं और उस स्थान के लिए सेवा आरंभ करने के लिए विमान कम्पनी प्रचालकों की इच्छा पर निर्भर करता है। विमान कम्पनी प्रचालकों ने कर्नाटक में चित्रदुर्ग को प्रचालन करने की कोई योजना होने का संकेत नहीं दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस स्थान पर हवाई पट्टी विकसित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

8502. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने राज्य सरकारों से कैल्सियम कार्बाइड इन्डस्ट्री आदि जैसे खतरनाक उद्योगों को ऋण देना बन्द किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि पहले कैल्शियम कार्बाइड सहित निषेधात्मक सूची में शामिल उद्येग प्राथमिक ऋण संस्थाओं से वित्तीय सहायतों और सिडबी से पुनर्वित के लिए पात्र नहीं थे। जैसे ही निषेधात्मक सूची समाप्त की गई, सिडबी ने मामले की पुनरीक्षा के बाद, सभी प्राथमिक ऋण संस्थाओं को सलाह दी है कि यदि प्रस्ताव भारत सरकार के अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधानों और पुनर्वित्त योजना के प्रावधानों के अनुरूप होंगे तो सिडबी से पुनर्वित उपलब्ध होगा।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइसं द्वारा विमान किरायों में वृद्धि

8503. डा० कृपासिन्धु भोई :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने विमान किराए में 20 प्रतिशत वृद्धि की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय की समीक्षा करने का है ;

(घ) बार—बार विमान किरायों में वृद्धि के क्या कारण है ; और

(ड) इस तरह बार–बार किराए में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। इस समय इंडियन एयरलाइंस की अपना अंतर्देशीय किराया बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ड). प्रचालनों के आदन लागत में वृद्धि के समायोजन के लिए वर्ष 1992-93 और वर्ष 1993-94 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के अंतर्देशीय किरायों में तीन बार वृद्धि की गई।

सऊदी अरब द्वारा भारतीय गोमांस और औषधियों से प्रतिबन्ध हटाया जाना

8504. श्री अंकुश राव टोपे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब (रियाद) सरकार ने भारतीय गोमांस और औद्याधियों से सशर्त प्रतिबंध हटाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लगाई गई शर्तो का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम्) : (क) और (ख). सऊदी अरब सरकार ने भारत से अत्यधिक ठंडे तथा प्रशीतित कच्चे गोमांस के आयात पर लगे प्रतिबंध को अभी नहीं हटाया है। यह प्रतिबंध भारत में पशुओं में रिंडरपेस्ट के होने के आधार पर लगाया गया था। तथापि, सऊदी अरब द्वारा भारत से संसाधित डिब्बे बंद मांस–उत्पादों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

जहां तक सऊदी अरब द्वारा भारत से औषधियों के आयात का सम्बन्ध है ऐसी कोई रोक नहीं है परन्तु सऊदी अरब का पंजीकरण सम्बन्धी मानदंड अत्यधिक कड़ा है जिनकों पूरा करना कुछेक भारतीय कंपनियों के लिए कठिन हो गया है। जिससे उनकी सऊदी अरब का निर्यात की सभावनाएं प्रभावित हुई है।

(ग) इन कठिनाइयों का हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन दोनों मामलों पर भारत–सऊदी अरब संयुक्त आयोग की बैठकों में विचार विमर्श किया गया है। इसकी पिछली बैठक दिसंबर, 1994 में रियाद में हुई थी। सऊदी अरब के प्राधिकारियों को आवश्यक स्पष्टीकरण दिए गए हैं जिन पर संक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट में संसाधनों का अभाव

8505. श्री पी० कुमारासामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट में संसाधन की कमी चल रही है जैसाकि, 9 मार्च, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "इकोनॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बताया है कि जनवरी–मार्च 1995 के दौरान कार्पोरेट धारकों से यूनिट योजना–64 के अन्तर्गत पुनः खरीद की बहुत अधिक मांग हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इस मांग का मुख्यतया मुद्रा–बाजार मे अल्पावधिक निवेशों का परिसमापन करके तथा इक्विटी को बेच कर पूरा किया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ऋण की अदायगी

8506. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्राकोष भण्डार की बेहतर स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के बकाया ऋण की अदायगी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानकों हेतु मार्गनिर्देश

8507. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गौण बाजार मे काम करने वाले प्रमुख डीलरों के लिए सख्त मार्गनिर्देश निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) इससे किन उद्‌दश्यों को पूरा किया जाएगा ; और

(घ) उक्त मार्गनिर्देशों को कब तक अधिसूचित, कार्यान्वित, लागू कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 मार्च 1995, को सरकारी प्रतिभुति बाजार में प्रमुख डीलरों की सूची के लिए मार्ग निर्देशी सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य रूप में मार्ग निर्देशी सिद्धान्त निम्नानुसार है :

(1) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को अर्थिक सहायता और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत शामिल की गई कम्पनी जो प्रतिभूति व्यवसाय में प्रभावी रूप से तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए समर्पित है और जिन्होंने न्यूनतम 50 करोड़ रूपय की निवल निधि संग्रहित की है वे प्राथमिक व्यापार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(2) प्राथमिक व्यापारी से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक स्थायी व्यवस्था किए जाने की अपेक्षा की जाएगी जो इस वचन पत्र के निष्पादन पर आधारित होगी, जिसमे अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल होंगे

(क) केन्द्रीय सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों और वर्ष के दौरान सरकारी हुडियों की नीलामियों में न्यूनतम राशि के लिए बोली लगाए लाने के लिए वचनबद्ध होना तथा क्रमशः 38.33 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का सफल अनुपात बनाए रख; (ख) अधिसूचित राशियों के विपरीत अंशदानो/स्वीकृत बोलियों में मन्द्री के पूर्व–निर्धारित भाग का दायित्व निर्वाह करना; (ग) सरकारी प्रतिभूतियों के लिए फर्म को द्विभागीय दरों के लिए प्रस्तावित करना; (घ) सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में 5 गुणा और सरकारी हुंडियों में 10 गुणा से कम वार्षिक कुल बिक्री नहीं प्राप्त करना; और (ङ) जोखिम भरित परिसम्पत्तियां पर आधारित न्यूनतम पूंजीगत मानकों को बनाए रखना।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "सिद्धान्त रूप में" स्वीकृत किए जाने के बाद और आवदेक द्वारा आवश्यक वचनबद्धता दिए जाने के बाद रिजर्व बैंक 31 मार्च, 1996 तक मान्य प्राथमिक व्यापार के लिए प्राधिकरण जारी करेगा जिसे वार्षिक समीक्षा के बाद बढ़ाया जाएगा

(4) रिजर्व बैंक चालू खाता/एस. जी. एल. खाता, बोली वचनबद्धताओं से संबंधित नकदी सहायता, मुद्रा बाजार लिखत पत्रों में व्यापार के लिए स्वंतत्रता और खुलेबाजार परिचालनों के लिए अनुकूल सुलभता जैसी प्राथमिक व्यापार सुविधाएं प्रदान करेगा।

(5) प्राथमिक व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन की शर्तो के अधीन होंगे। उनसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित सामायिक विवरण प्रस्तुत करने और रिजर्व बैंक को अपनी सभी प्रविष्टियों, खातों और यथा अपेक्षित दस्तावेजों को सुलभता प्रदान किए जाने की अपेक्षा की जाएगी।

(6) प्राधिकृत प्राथमिक व्यापारियों से यथोचित समय में स्वयं नियंत्रित संगठन गठित किए जोन की अपेक्षा की जाएगी जिसमें आचरण संहिता और प्रतिभूति संचालनों के लिए व्यवस्था को शामिल किया जाएगा।

(ग) प्राथमिक व्यापार स्क्रीम के मुख्य लक्ष्य है :–

1. सरकारी प्रतिभूति बाजार में आधारित संरचना को सुदृढ़ करना

2. उत्तरदायित्व के विकास और भारतीय रिजर्व बैंक से अलग इन प्रतिभूतियों के लिए बाजर निर्मित सुविधाओं को सुनिश्चित करना

3. गौण बाजार व्यापार व्यवस्था में सुधार करना और व्यापक स्तरीय आधार के निवेशकों के बीच इन प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक धरिताओं को प्रोत्साहित करना।

4. बाजार में नकदी प्रदान करना और कुल बिक्री में सुधार करना और,

5. खुले बाजार परिचालनों को आयोजित करने के लिए एक प्रभावी व्यवसाी के रूप में कार्य करना।

(घ) ये मार्ग निर्देशी सिद्धान्त 29 मार्च, 1995 को जारी किए गए और प्राथमिक व्यापार के लिए भावी आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र दर्ज करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आन्तरकि ऋण प्रकोष्ठ के मुख्य अधिकारी के पास 29 अप्रैल, 1995 से पहले अपेक्षा की गई। भारतीय रिजर्व बैंक आवेदन पत्र पर विचार करेगा और यदि आवेदन पत्र संतुष्टि पूर्व पाए गए तो "सिद्धान्त रूप" में अनुमोदन दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन पत्र में सहमति की शर्तो के संबंध में वचनबद्धता प्रस्तुत की जाएगी। आवेदनपत्रऔर वचनबद्धता पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक प्राधिकृत पत्र जारी किया जाएगा जो ३१ मार्च, १९९६ तक मान्य होगा। प्राथमिक व्यापारी के रूप में इसे जारी रखते हुए यह प्राधिकरण पत्र में उल्लिखित शर्तो और निबन्धनों के अनुपालन पर निर्भर करेगा। आगामी वर्ष के लिए प्राथमिक व्यापार के नवींकरण हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष में फरवरी के अन्त तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

रेशम उद्योग के श्रमिक

8508. श्री सी० पी० मुडला गिरियप्पा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में रेशम उद्योग में अधिकांश श्रमिक १० से १६ वर्ष तक के युवा लड़के और लड़कियां है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इन लड़के और लड़कियों को 10 रूपये से 20 रूपये तक की दैनिक मजदूरी मिलती है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

12-03 म० प०

सविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक के बारे में

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, हमें आज इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा पूरी कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद इस पर दूसरे सदन में विचार किया जाना है। इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने पर काफी समय की आवश्यकता होगी, अत महोदय मेरा आपसे और सभा से अनुरोध है कि इस मामले पर अभी चर्चा शुरू की जाये और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को कल तक के लिए स्थगित किया जाये और भोजनावकाश को भी छोड़ दिया जाये ताकि हम इस पर चार बजे तक अथवा इसके आस–पास लगभग चार घन्टों में चर्चा पूरी कर सकें। आपके विचारार्थ यही मेरा आपसे निवेदन है और इसके बाद इस पर दूसरी सभा विचार कर सकती है, क्योंकि उन्होंने सभा का समय आगे नहीं बढ़ाया है। राज्य सभा की बैठक कल नही होगी और इस पर चर्चा अधूरी रह जायेगी। इससे गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी। अतः मेरा माननीय सदस्यो से यह अनुरोध है

तत्पश्चात दो छोटे–छोटे मामले हैं पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधति है और दूसरा रूग्ण कपड़ा उपक्रमो से संबंधित है जो औपचारिक है और मैं समझता हूँ इन पर कोई विवाद नहीं है। यदि सम्भव हो सके, तो इन्हें बिना चर्चा के भी निपटाया जा सकता है। संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार के संबंध में और सदस्यों की उपस्थिति की समस्या को देखते हुए कई सदस्य आज सायंकाल तक चले जाना चाहते है मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस अनुरोध पर विचार किया जाये ताकि हम इस मामले विशेष पर और इसकी आकस्मिकता पर विचार कर सकें। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वह दोनों सभाओं के संसदीय कार्य मंत्री है विधेयक पर चर्चा के लिए जल्दबाजी करने के बजाय उन्होंने उस सभा से कल बैठक करने को क्यों नही कहा?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष, महोदय, सरकार एक बार फिर इस सदन के सामने ऐसा अनुरोध लेकर आयी है, जिसके बारे में पहले से विचार किया जा सकता था, निर्णय लिया जा सकता था, सबसे सलाह लेकर कोई फैसला हो सकता था। सरकार केवल यह सदन नहीं देखती, दूसरा सदन भी देखती है। संसदीय कार्य मंत्री का कम से कम यह दायित्व है कि जो भी विचाराधीन विषय आते हैं, उनकी रचना इस तरह से करें कि दोनों सदनों में संगति रहे और सदस्यों को इस तरह आखिरी वक्त पर किसी अनुरोध का सामना न करना पड़े।

जैसा मेरे मित्र श्री चेटर्जी ने कहा, दूसरा सदन एक दिन और बैठ सकता है। हमने अपने सदसयों को कल उपस्थित रहने क लिए ठिहप जारी किया है। संसदीय कार्य मंत्री उस महत्वपूर्ण विधेयक को आज ही लेना चाहते है, हम सब उसको पास कराने मे सहयोग देंगे। लेकिन यदि निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं हुई और विधेयक गिर गया तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपका भी हस्तक्षेप चाहता हैं। संसदीय कार्य मंत्री ऐन वक्त पर कार्य सूची में परिवर्तन का प्रस्ताव लेकर आते है। यह केवल संसदीय कार्य मंत्रालय का फूहड़पन प्रकट करता हैं और कुछ प्रकट नहीं करता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय वाजपेयी जी, जरा कार्य सूची देखे, उसमें परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है। आज की कार्य सूची में तो कौन्सटीटयूशन अमैडमैंट बिल निर्देशित है। कार्य सूची में परिवर्तन करने का प्रस्ताव नही है, प्रस्ताव केवल प्राईवेट मैम्बर्से बिल को आज क बदले कल करने का है ....**(व्यवधान)** नही तो इसको अभी शुरू कर देते हैं। यदि यह चार बजे तक खतम हो जाएगा तो चार बजे से प्राईवेट मैम्बर्स बिल शुरू कर सकते है। बाकी के काम जैसे कश्मीर का रैजोलूशन है, 2-3 छोटे–मोटे काम और बचे है, वे कल हो सकते है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे समाने लाचारी है इसलिए ये उस लाचारी का बार–बार फायदा उठाने की कोशिश कर रहे है। मंत्री जी ने कार्य सूची की बात की है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने राज्य सभा की आज की कार्य सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला रखा हैं? नहीं रखा है? क्यों नहीं रखा? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस संबंध में राज्य सभा के साथ चर्चा की गई है। इसे वहां अनुपूरक कार्य सूची में रखा जा सकता है। अनुपूरक कार्य सूची हमेशा जारी की जा सकती है।

श्री राम विलास पासवान : क्या इसे जारी किया गया है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने इस मामले में वहा चर्चा की है।

श्री राम विलास पासवान : हम अपने माथे पर किसी भी तरह का ब्लेम नहीं लेना चाहते। आपको जब पास करवाना हो, जब सदन में रखना हो, रखिए। हमने व्हिप जारी किया है, हमारे मैम्बर अधिकांश संख्या में है,आप अपने बैंच देख लीजिए। नही तो 1977-78 में कौन्सटीटयूशन अमैडमैंट की जो स्थिति हुई थी, वह गिर गया था और सारी बदनामी सदन के माथे पर आई थी। अनुसूंचित जाति, जनजाति का मामला है।

मैने सुबह सीताराम जी को टेलीफोन करके पूछा था कि आप क्या करने जा रहे है। आपने इसे राज्य सभा की लिस्ट में नही रखा है, लोक सभा की सूची मे रखा है यदि लोक सभा इसे इमीजिएट पास नही करती और राज्य सभा का समय नही बढ़ता

तो इसका क्या हश्र होगा। आज शुक्रवार का दिन है, यदि मैम्बर पूरे नही हुए तो उसकी क्या दुर्गति होगी ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब तक यह यहां पारित नहीं हो जाता है हम इसे वहां नही दिखा सकते है। इस पर राज्य सभा की कार्यमंत्रणा समिति पर कल चर्चा हुई थी, कि जैसे ही हम इसे यहां पारित कर लेंगे एक अनुपूरक कार्य सूची जारी की जा सकती है और इस पर चर्चा हो सकती है। जहां तक राज्य सभा का प्रश्न है उसकी कोई दृख्या समस्या नहीं है। हालांकि वे अपनी सभा का समय बढ़ाने पर सहमत नहीं हुए। परन्तु वे देर तक बैठना चाहते है और इसे निपटाना चाहते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या उन्होंने अपना गैर सरकारी सदस्यों का कार्य स्थगित किया है? .....**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हम प्रयास करें और 3.30 अथवा 4 बजे तक इस पर चर्चा समाप्त कर लें ताकि इसे राज्य सभा को भेजा जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके लिए तैयार है। सरकार उसे यहां से जल्दी पास करवाकर राज्य सभा में आज ही पास करवाने की व्यवस्था करे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, सरकार की काम करने की जो पद्धति बराबर देखने मे आ रही है, यह उसका नतीजा है। आप जानते है कि बिजनस ऐडवाईजरी कमेटी में भी बार–बार यह कहा गया कि बहुत से महत्वपूर्ण सवाल है जिनपर बहस ही नहीं हो पाती।

कृषि नीति पर नही हो पाई, जो हमारी संस्कृति नीति है, उसपर नही हो पाई, प्लानिंग के ऊपर नहीं हो पाई, महंगाई के ऊपर नहीं हो पाई ...**(व्यवधान)** *आप सुनिये।*

अध्यक्ष जी, मैं कल बंगलौर में था। मुझको इस बात की चिन्ता थी, मैं जानना चाहता था ताकि मैं अपने कार्यक्रम को उसी तरह से सुनियोजित करूं और इस बिल के समय यहां रहूं। मुझे इनके आफिस से बताया गया कि वह बिल कल आयेगा। मैंने बंगलौर से फोन किया तो मंत्री जी नहीं मिले, इनके आफिस से मुझे बंगलौर में बताया गया कि वह कल आयेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी सदन के लोग चाहते है, हम लोग तो शुरू से ही कहते थे कि आप इसको जल्दी ले आइये। यह कांस्टीट्यूशनल बिल है, मैं कहता हूं कि कांस्टीट्यूशनल एमेण्डमेंट बिल क ऊपर अगर अगर इस तरीके से बगैर सोचे समझे, बगैर राय मशंवरा किंये आप एकदम से सदन में आ गये कि अब आप आज सब बदल दीजिए, अपने प्राइवेंट मैम्बर्से का बिल बदल दीजिए, सारी बहस खत्म कर दीजिए, इसको पहले पास कर लीजिए और राज्य सभा में भी आपने वहां कोई एजेण्डा के ऊपर नहीं रखा और पहले आपने बात नहीं की तो मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं ....**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : देखिये, यह बिल्कुल गलत बात है। सोच समझकर, आप लोगों से पूछकर, बात करके किया है और आपको कारण मालूम है कि यहां पर इस विधेयक को लाने में क्यों इतनी देर हुई। यह कोई बात नही है कि आप लोगों से बात नही हुई। हमेशा आपसे बात होती आई है, आपसे पूछकर, आप लोगों से परामर्श करके, आप लोगों की सहमति लेकर यह सब काम किये जा रहे हैं। आज कहना कि केवल लंच आवर या जीरो आवार को बन्द करने के लिए या प्राइवेट मैम्बर्स के बिजनेस को कम करने के लिए कोई बहुत बड़ी कठिनाई है, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। केवल हम लोगों का निर्णय करना है कि आज इसको पूरा करना है। इस सब के जितने कारण है, वह सब आपको विस्तृत रूप से बता दिये है, आज सदन में खड़े होकर उन कारणों की विवेचना करना कोई उचित बात नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, यह बहुत क्लमजीनैस का नतीजा है, मै खाली उसपर ध्यान खीच रहा हूं। जिस क्लमजी तरीके से इसे किया जा रहा है, वह काम करना जरा छोड़ दीजिए और जरा साफ सुधरे ढंग से, अच्छे ढंग से समझकर करिये। हम कोई रास्ता निकालने के लिए इसके ऊपर सहमत हैं, क्योंकि यह बिल महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, आपने भी इसके साथ बहुत बड़ी खात रियायत की कि आपको जो नोटिस इन्हे देना चाहिए, वह सब भी नही था, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए आपने भी मेहरबानी करके अनुमति दे दी। हम तो चाहते है कि कोई रास्ता निकले, लेकिन आगे से ऐसी क्लमजीनैस नही होनी चाहिए, हमारा यह सवाल था।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, चुनाव सुधार पर सरकार कब बयान देने वाली है? पिछली बार जब बहस हुई थी तो आपने निर्देश दिया था कि सरकार चुनाव सुधार पर इसी सत्र में बयान दे। अब इस सत्र का कल आखिरी दिन है और आज *संसदीय कार्य मंत्री कह रहे है कि सब खत्म कर दीजिए।* इसका मतलब यह चुनाव सुधार नहीं चाहते। चुनाव सुधार पर यह कब *बयान देंगे? यह सरकार कब चुनाव सुधार पर अपने विचार प्रकट करेगी?* अध्यक्ष जी, आपके निर्देश का पालन नही हो रहा है, अब देख लीजिए, हम लोगों की तो बात मानी ही नही जाती, लेकिन आपके निर्देश का तो पालन होना चाहिए।

अध्यक्ष जी, इस पर तो आप जरा सरकार की कड़ी भर्त्सना करिये। इनको निर्देशित करिये, यह तो आपकी बिलकुल अवमानना कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझे करना भी है तो आपके कहने पर मैं नही करूंगा। यह बड़ी मुश्किल का काम हो गया है। असल में आज कांस्टीट्यूशन एमेण्डमेट बिल पास करना है, कश्मीर पर रैजोल्यूशन पास करना है और टैक्सआइल का बिल पास करना है। यह तीनों बिल बहुत अहम है, तीनो सबजैक्ट बहुत अहम् है और लास्ट मोमैण्ट पर आने के बाद हाउस में अगर

इसके ऊपर किसी ने बोलना चाहा और उनको बोलने के लिए अगर इजाज़त नही दी तो वह बात भी अच्छी नही है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा अगर नही हो तो अच्छा है और चेयर से हमको ऐसा बोलने की नौबत नही आये तो अच्छा है।

अब यह सैंशन खत्म होने जा रहा है और शायद हम दसवीं लोक सभा के आखिरी साल में भी है .....(**व्यवधान**)

कई माननीय सदस्य : आखिरी सत्र मे है।

अध्यक्ष महोदय : आखिरी सत्र में नही है, अखिरी साल मे है और मुझे यह बोलने में बड़ा दुख होता है, मगर नहीं बोलूं तो वह अनयाय हो जायेगा और इसलिए अगर ऐसी चीज हो संके तो बहुत अच्छा है। नही हो सके तो हम सब लोगों को दुख होगा। मै समझता हूं, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक हाऊस में जो बयान हुए है, सब की राय है यह है कि इसमे से कोई रास्ता निकलना चाहिए। किस प्रकार से रास्ता निकाला जा सकता है कि एक पहले कांस्टीट्यूशनल एमेंडमेट बिल ले लें, उसको पास करें, दो जो रैजोल्यूशन है, उसको भी आज पास कर सकते है ......(**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : कल।

अध्यक्ष महोदय : और रैजोल्यूशन पास करने के लिए लास्ट में करना है तो कर दे, अगर उसके ऊपर चर्चा होती है तो वह कल जा सकता है।

तीसरा टैक्सटाइल मिल का बड़ा और गम्भीर सवाल लास्ट मूवमेंट में हम पास करना चाहेंगे तो हम कितना न्याय कर सकेंगे यह बड़ा प्रश्नवाचक है। अगर हो सका तो हम उसको आज ले लेंगे, नही तो कल ले लेंगे। अगर आप सब की राय हो तो प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस कल ले लेंगे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : *आगे दो बार ऐसे हो चुका है।* एक दिन बलिदान कर चुके है। मैंन बिजनस एडवाइजरी कमेटी में *भी इस बात को उठाया था। उस समय भी कहा गया था कि हम* रास्ता निकाल रहे है। आगे के नेता लोग रोज बोलते है। प्राइवेट *मैम्बर्स बिजनस से हम को मौकामिलता है। अगर इसको हर बार* बंद कर दिया जायेगा तो हमे बोलने का मौका नही मिलेगा। जहां तक संविधान संशोधन का सवाल है, उसको आज ले लिया जाये लेकिन प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस को भी आज लिया जाना चाहिये। उसको किसी भी हालत में टालना नहीं चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उसे आज नही कल लीजिये। उसमे जो भी बोलना चाहे, बोल सकते है। ऐसा कोई विषय अगर हमारे समान है तो 1-2 दिन बैठने में यहां भी और दूसरी तरफ भी कोई दिक्कत नही होनी चहिये। अगर इसे करना जरूरी है तो वह इस हाऊस में तो शायद पास हो जायेंगा। मै उन 1-2 लोगों को जीरो आवार में बोलने की इजाजत दे दूंगा जिन का नाम मैंने बुलाया था। उसके बाद ऐक्सीडैंट वाला मामला भी उठाने दूंगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, सिक टैक्सटाइल मिलों के बारे में केवल इंट्रोडक्शन की बात आज के ऐजेडा मे है। दूसरा एक बिल कल के ऐजेन्डा में इंट्रोडक्शन के लिये दिखाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जैसा बताया है, वैसा ही ले लेंगे। आप उसको लम्बा मत कीजिये और कोआपेरेट कीजिये। 1-2 अहम विषय ले लेंगे। उसके बाद संविधान संशोधन बिल ले लेंगे। प्राइवेट मैम्बर्से बिसनस कल रखेंगे। इस बीच में जो काम हो सकता है, वह करेंगे। मै ऐसा समझता हूं कि इस सदन के सदस्य बहुत अच्दे ढंग से गवर्नमैंट के साथ कोआपरेट कर रहे है। गवर्नमैंट को उन्हें धन्यवाद देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उनका बहुत आभारी हूं। .....(**व्यवधान**) महोदय हम पूरे भोजनावकाश में बैठगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मै लंच आवर के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। आपसे गुजारिश है ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शाहबुद्दीन जी, आप इसे मत उठायें। आप ऐडजैस्ट कीजिये।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं एक रास्ता निकाल रहा हूँ। आप लंच को घटा कर आधा घंटा कर दीजिये। इसे सवा एक से पौने दो बजे तक कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप जाकर आ सकते है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मै भी इस पर बोलना चाहता हूं।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मै तीन दिन से *प्रयास कर रहा हूं लेकिन मुझ बोलने का मौका नहीं दिया* जा रहा है ......(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इसके बारे में देखेंगे

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : अपनी बात कहने का आपको पूरा मौका मिलेगा!

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : आपको कल बोलने का मौका दिया जायेगा। कल जितनी देर तक बैठना हो बैठ सकते है।

...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य को बोलने दें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रोहतक में 24 मई को कृष्णा फायरवर्क्स फैक्टरी में हुए दर्दनाक और भयावह विसफोट, जिसमें 26 लोग मारे गये है, के संबंध में गहन संवेदना दर्ज कराना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये।

...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैने कहा है कि असल में जब अधिवेशन समाप्त होने को होता है, तो हम सब लोगों को बोलने का मौका देते है और इसलिए मैंने इन्सिस्ट किया है कि हम कल यहां बैठ रहे है और सब लोगों को बोलने का मौका देंगे। कल आप यहाँ आ जाइए।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महादेय : जटिया जी, आप इस के बाद मत उठिएगा। कल मैं आपकी कविता भी सुनूंगा और आपका कहना भी सुनूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय रोहतक में कृष्णा फायरवर्कस फैक्टरी में 24 मई को भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें 26 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। मारे गये व्यक्तियों में अधिकांशत महिलाए और बच्चे थे। यह पता चला है कि इसमे अधिकतर तमिलनाडु में शिवकाशी के जहां बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों को फायरटाकस की फैक्टरियों मे नियोजित किया जाता है आप्रवाही श्रमिक थे। यह केवल ऐसा मामला नहीं है कि वहां बच्चे कार्य कर रहे थे, किन्तु सामान्यतः ऐसा होता है कि माताओं को कारखाना परिसर में अपने शिशुओं को ले जाने की अनुमति दी जाती है।

महोदय, यह विस्फोट उस समय हुआ जब नए पटाखे का परीक्षण किया जा रहा था मारे गये लोगों के अलावा कई लोग गम्भीर रूप से घायल हुए है और बच्चों ने अपने माता–पिता को खोया है। एक तेरह वर्षीय राघवाला नामक लड़की ने अपने अनुकरणीय साहस से कई लोगों का जीवन बचाया। किन्तु इस समय स्थिति यह है कि उस क्षेत्र की भाषा से अनभिज्ञ जीवित बच्चे लोगों ने अपने जीवन यापन के सारे साधन खो दिये है। वे अलग–अलग पड गये है और उनका उपचार नही हो रहा है और वे भुखमरी का सामना कर रहे है।

अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या फायरवर्कस् फैक्टरी को पटाखों जैसी आतिशबाजी का कठोर सामान बनाने का लाइसेंस प्राप्त था, क्या कार्यस्थल में सुरक्षा संबंधी विनियमों का पालन किया जा रहा था। वहां कितना शोषण हो रहा है। मजदूरी का भुगतान उन दलालो के माध्यम से किया जा रहा था, जो श्रमिकों को वहां लाये थे और कुल मिलाकर खतरनाक उद्योगों मे बिना कोई सुरक्षा सुनिश्चित किये ही बच्चों का नियोजन पूर्णत : अवैध अथवा आपराधिक है। इन बातों की जांच किये जाने की आवश्यकता है। सामान्य प्रशासनिक जांच ही पर्याप्त नहीं है। हम इस दुर्घटना की नयायिक जांच तथा तत्काल पुनर्वास के प्रयास किये जाने की मांग कर रहे है।

महोदय, श्रम मंत्री यहां पर उपस्थित है। उन्होंने राज्य सभा में खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम उन्मूलन का वचन दिया था और इसीलिए हमारी मांग है कि वह रोहतक में, जहां इस दुर्घटना से पहले अन्य दुर्घटनाएं और मौते हुई थी उन सभी फायरवर्कस फैक्टरियों में यह पता लगाने के लिए तत्काल जांच का आदेश दें कि वहां कितने बाल श्रमिक है और वे किन परिस्वितियों में कार्य कर रहे है। हम इस समय बाल श्रमिकों का उन्मूलन कर रहे है, बाल श्रम का नहीं। अतः श्रम मंत्री एक समुचित सर्वेक्षण कराये और बच्चों की मुक्ति तथा पुनर्वास और वहां कार्यरत श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करें। ...(**व्यवधान**)

महोदय, श्रम मंत्री इस पर वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : केवल बोलना है करके मत बोलिये। मैं श्रम मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहूंगा। क्या श्रम मंत्री कुछ कहना चाहते है।

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : अध्यक्ष महोदय, यह घटना रोहतक में हुई है। वस्तुत कानून राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। अतः यह मामला राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अतः यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है। मुझे जब तक हरियाणा सरकार से कोई जानकारी नहीं मिल जाती है मैं कुछ भी नही कह सकता हूं। किन्तु मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता में सहभागी हूं। मुझे कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षरों वाले पत्र भी मिले है। मैं व्यक्तिगत रूप से चिन्तित हूं। प्रधानमंत्री वयक्तिगत रूप से चिन्तित है और हमने इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है। किन्तु मुझे आशा है कि इस विशेष दुर्घटना पर हरियाणा सरकार से रिपोर्ट मिल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके लिए रिपोर्ट प्राप्त करना और उसकी एक एक प्रति माननीय सदस्यों तथा मुझे भेज पाना सम्भव होगा?

श्री पी. ए. संगमा : ठीक है महोदय मैं ऐसा की करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कल दो भयंकर रेल दुर्घटनाए हुई एक बिहार में घनवाद जिले में कालूबठान के निकट तथा दूसरी उड़ीसा में बोलनगीर में हुई।

कल कालूबठान के निकट जम्मू–तवी एक्सप्रैस की एक मालगाड़ी के साथ टक्कर हो गई, जिसके फलस्वरूप छः सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये और एक सौ से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई और अस्पतालों में भर्ती कराए गए 300 यात्रियों की हालात गम्भीर है। समाचार पत्रों में मृतकों की संख्या बहुत कम बताई गई है।

बोलगीर में हीराकुड एक्सप्रेस के अन्तिम तीन डिब्बे पटरी से उतर गये और लुढ़ककर पटरी से 15 फुट नीचे चले गये। समाचार पत्रों में 15 यात्रियों की मृत्यु का समाचार प्रकाशित हुआ है। परन्तु तीन डिब्बों के पटरी से लुढ़क जाने पर केवल 15 जानें ही कैसे जा सकती है? मृतकों की संख्या समाचार पत्रों में दी गई संख्या से अधिक हो सकती है।

महोदय, जब तमिलनाडु में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी तो उस समय सदस्यों ने इस सभा में रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी मुद्दा उठाया था और हमने कहा था कि भारतीय रेलवे में रेल डिब्बों और पटरियों के रख–रखाव के सम्बन्ध में कुंछ गंभीर समसयाएं आ रही प्रतीत होती हैं। महोदय, इसी कारण हाल ही में दुर्घनओं की संख्या बढ़ी है।

महोद्रय, उस समय हमने मांग की थी कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिये तथा आप इस संबंध में चर्चा करने की अनुमति देने पर सहमत भी हो गए थे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ये सब बातें याद नहीं हैं। कृपया इस बारे में मेरा संदर्भ न दें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपकों याद होगा कि आपने इस संबंध में उचित नोटिस मांगा था और हमने तत्काल नोटिस दिया था।

महोदय, यद्यपि समय की कमी है, तथापि हम चाहते है कि रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में इसी सत्र के दौरान चर्चा होनी चाहिये। आप इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे सकते है।

महोदय, इस सभा में यह परंपरा रही है कि जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है, माननीय रेल मंत्री स्वंयेव वक्तव्य देते है। **परन्तु इस बार कल 4.30 बजे रेल दुर्घटना हुई है और अभी तक रेल मंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है।**

महोदय, यह एक भयंकर दुर्घटना है जिसमें बड़ी संख्या में यात्री मारे गए है। अतः मैं मांग करता हूं कि रेल मंत्री इस विषय पर इस्तीफा दें। हल ही में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। पटरियों तथा चल स्टाकों का रख–रखाव नही किया जा रहा है। यही कारण है कि दुर्घटनाएं हो रही है।

हम यह मांग करते हैं कि इसी सत्र में सभा में इस सम्बन्ध में चर्चा होनी चाहिये। रेल दुर्घटनाओं पर चर्चा होनी चहिये क्योंकि दुर्घटनों मं वृद्धि हुई है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, ऐसा पहली बार नही हुआ है। कुछ ही दिनों पहले हमने इस विषय पर चर्चा की थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि वे कल एक वक्तव्य दें क्योंकि संभवतः वह घटनास्थल के दौरे पर गये हैं। हम उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, वह आज शाम देर तक वापस आएंगे।

अध्यक्ष महोदय : सौभाग्य से कल सभा की बैठक हो रही है। वे कल वक्तव्य देंगे। और यदि वह नहीं लौटते है, सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति सूचना एकत्र करके सभा को सूचित करेंगे।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, यह दुर्घटना कल अपराह्न 4.30 बजे हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी घटनास्थल पर गये थे।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, तब से कई घंटे बीत चुके है। इस सभा को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वास्तव में क्या हुआ है और ऐसी बातें क्यो कही जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ठीक यही बात कही है। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री दुर्घटनास्थल पर गये है। यदि वह वापस आते है तो वह हमें पूरी जानकारी देंगे। यदि वह नहीं भी लौटते हैं तो सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति जानकारी एकत्र कर सभा को सूचित करेगा।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, कृपया आप लोगों की चिंता को समझिये।

अध्यक्ष महोदय : वही तो में कह रहा हूँ। अब आप समझिये कि मैं क्या कह रहा हूँ।

...(**व्यवधान**)...

श्री बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, पिछले तीन दिनों से मुझे बोलेने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कल मैं आपको सभी को बोलने का मौका दूंगा। कल मैं आपको समय दे दूंगा बैठिए

[हिन्दी]

12.32 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

1 (एक) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 24 की उपधारा 4 और 25 के अंतर्गत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की (एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारण के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7883/95)

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) एअर इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एअर इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापारीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिश्वित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7884/95)

(5) (एक) त्रिवेन्द्रम अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन के बारे में श्री ए. चार्ल्स के अतारांकित प्रश्न संख्या 510 के 9 दिसम्बर, 94 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर मे शुद्धि करने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7885/95)

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और इसका वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय मैं, श्री जी वेंकटस्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंगेंजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7886/95)

(3) पूर्वातर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम, शिलांग के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्षाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंगेंजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7887/95)

(4) केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिम्रिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7888/95)

(5) भारतीय हस्ताशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंगेंजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7889/95)

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिसरचनाएं आदि

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय मैं श्री पी. ए. संगमा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 24 की उपधारा (२) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 239 (अ) जो 23 मार्च 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय शिक्षुता परिषद को तत्काल प्रभाव से पुनर्गठित किया गया है और केन्द्रीय श्रम मंत्री/केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री को उसका अध्यक्ष एव मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री/शिक्षा उप मंत्री को उसका उपाध्यक्ष और अधिसूचना में वर्णित व्यक्तियों को उसका सदस्य नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो १० मई, १६६५ की अधिसूचना संख्या का० आ० 433 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7890/95)

रबड़ बोर्ड कोट्टायम का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यक्रम की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय मैं. श्री पी. चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

1 (एक) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण)

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1993-94 की कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7891/95)

(3) रबड़ बोर्ड कोट्टायम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेंजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेक्षा

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7892/95)

(5) काफी बोर्ड बंगलौर के 1 जनवरी 1993 से 31 दिसम्बर, 1993 तक की अवधि के मूल निधि लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7893/95)

(7) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण* (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7894/95)

(8) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् ६ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंगेंजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7895/95)

*वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 26 मई 1995 को सभा पटल पर रखे गए थे।

केन्द्रीय राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अधिरचनाएं आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेंजी संस्करण)

(एक) सा० का० नि० 326 (अ) जो 3 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 मार्च, 1995 की अधिसुचना संख्या 35/95 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 326 (अ), जो 3 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च 1995 की अधिसूचना संख्या 36/95 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 332 (अ) , जो अप्रैल, १६६५ के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा १६ सितम्बर, १६६२ की अधिसुचना संख्या 83/92 के० उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सां का० नि० ३३३ (अ), जो 6 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसुचना संख्या 47/95 के० उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाचं) सां का० नि० ३३४ (अ),जो अप्रैल, 1995 के भारत के रापत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसुचना संख्या 35/95 के० उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ) सां का० नि० 352 (अ),जो 19 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। तथा जो मिष्ठान और अल्पाहार को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सां का० नि० 359 (अ),जो 24 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा उनके साथ संलग्न तालिका में दर्शाई गई अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7896/95)

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1992 की धारा 159 के अंतगर्त निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण) :–

(एक) सा० का० नि० 308 (अ) जो 31 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो निर्यात और आयात निति के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1995 को अथवा उसके बाद जारी किए गए मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के अधीन भारत में आयात किए गए माल पर, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 309 (अ) जो 31 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 अप्रैल, 1995 को अथवा उसके बाद जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के अधीन भारत में आयात किए गए माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 335 (अ) जो 7 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो निर्यात और आयात निति के अंतर्गत 16 अप्रैल, 1995 की अधिसुचना संख्या 50/94 सी०शु०में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि०342 (अ) जो 17 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र मेंप्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसुचना संख्या सा०का०नि० 442 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाचं) सीमा शुल्क (सरकार को शोधों की वसूली के लिए व्यक्तिक्रमियों की समपत्रि की कुर्की) नियम 1995, जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसुचना संख्या सा०का०नि० 442 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का० आ०380 (अ) जो 27 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयात का निर्धारण करनेके उद्देश्य कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में सपंरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का०आ० (अ) , जो 27 अप्रैल 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे मे हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयातित माल का पुन निर्यात (सीमा शुल्क की वापसी विनियम, 1995, जो 26 मई को भारत के राजपत्र अधिसुचना संख्या सा०का०नि० 440 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सीमा शुल्क की वापसी नियम, 1995, जो 26 मई को भारत के राजपत्र अधिसुचना संख्या सा०का०नि० 445 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सीमा शुल्क प्रतिदाय आवेदन (प्रपत्र) विनियम, 1995, जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 445(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) कुरियर आयात (निकासी) विनियम, 1995, जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र अधिसुचना संख्या सा०का०नि० 446 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 447 (अ) जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र मेंप्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में निर्यात के पक्षात उस माल को भारत में पुनः आयात करने के लिए शुल्क की दरें विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 448(अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मरम्मत, और पुनर्निर्यात के लिए भारत में आयात किए गये माल को विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 449(अ), जो मई 26 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें दर्शायी गई कतिपय अधि सूचनाओं को खड़ित किया था, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 450(अ), जो 26 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अनमें दर्शायी गई कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7897/95)

(3) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 55 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मचारी (आचरण विनियम, 1994 जो 3 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख का० आ० 77(अ) में प्रकाशित हुये थें, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्कारण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7898/95)

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (तीसरा संशोधन) विनियम, 1995 जो 25 मई 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का आ. 429(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्कारण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7899/95)

(5) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 जो 25 फरवरी 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/विधि 2658 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्कारण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7900/95)

(6) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1994, जो 31 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3916 में प्रकाशित हये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7901/95)

(7) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7902/95)

मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यरण की समीक्षा आदि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय पर्यटन विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : महोदय मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।(हिन्दी तथां अंग्रेजी संस्कारण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7903/95)

(ख) (एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7904/95)

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 7905/95)

12.33 म. प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचित से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 1 जून 1995 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 31 मई, 1995 को पारित किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक 1995 से बिना किसी संशोधन क सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 1 जून, 1995 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1995 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

12.33 1/4 म. प.

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय 1 जून 1995 को राज्य सभा द्वारा यथा पारीत प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1995 सभापटल पर रखता हूँ।

12.33 1/2 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के कार्यवाही सारांश

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या : महोदय मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विषेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई अड़तीसवी से तैतालीसवी बैठकों तक के कार्यवाही संरांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.33 3/4 म. प.

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति इकत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का इकत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.34 म. प.

गृह कार्य संबंधी समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन

प्रो. एम. कामसन (बाह्य मणिपुर) : महोदय मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1995 के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति के उत्रीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.34 1/4 म. प.

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति
तेइसवां चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां सत्ताईसवां तथा अठाइसवों प्रतिवेदन

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय मैं शिक्षा स्वास्थ्या संस्कृति, युवा कार्य और खेल, महिला और बाल विकास तथा परिवार कल्याण विभागों की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के संबंध में समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के तेईसवें, चौबीसवें, पच्चीसवें, छब्बीसवें सत्ताईसवें और अठाईसें प्रतिवेदनों की एक—एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) सभा पटल पर रखती हूँ।

12.34 1/2 म० प०

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित की जा रही विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास के बारे में याचिका

[हिन्दी]

डा लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय मैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित की जा रही विध्सचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास के बारे में विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास के बारे में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के शाहपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले गाँवों के श्री भगवान प्रसाद तिवारी तथा अन्य लोगों क द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विद्यार्थी कार्यो पर चर्चा करेंगी। श्री जी. वेंकट स्वामी विधेयक पुरस्थापित क़रेंगें।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं, नहीं जानता कि क्या मैं उनकी ओर से विधेयक पुरस्थाप्ति कर सकता हूँ। महोदय क्या मैंक यह विधेयक पुरः स्थापित कर सकता हूँ।

श्री राम नाईक : महोदय, मैंने उस विधेयक के सम्बंध में एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में नोटिस दिया है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय विधेयक की पुरःस्थापना के बारे में, मैने एक नोटिस दिया है। उन्हें विधेयक पुरःस्थापित करने दीजिए, तब मैं बोलंगा। लेकिन मै नही जानता कि क्या उन्हें इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आज संबंधित मंत्री उपस्थित नहीं है। महोदय क्या संसदीय कार्य मंत्री विधेयक पुरःस्थापित कर सकते है?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : 'यह औचित्य का प्रश्न है। वेंकटस्वामी अभी थे, अब नही है। उन्हें कागज भी रखने थे। उनकी जगह शुक्ल जी ने कागज रख दिये। अब बिल पेश करना है तो उनकी जगह शुक्ल जी बिल भी पेश कर रहे है। अब हम सबकी जगह वोट भी आप दे दीजिए, हम चले जाते है। अध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है। सदन के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मंत्री जी यहां मौजूद नहीं है और यह एक महत्वपूर्ण मसला है। इसलिए सवन की आज्ञा से मैं इसे करना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : उनको बुलाइये सर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शुक्ल जी, आप पेश नही कर सकते है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नही समझता कि यह होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मेरा एक सुझाव है। जो चर्चा इसके पहले हुई, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि इस बिल पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरा 41 नम्बर का टैक्सटाइल का बिल है। यह कल इंट्रोडयूस करने के लिए दिखाया गया है। दोनों पर चर्चा कल करनी है। तो पहली बात यह आयेगी कि हम लोगों को अमेंडमेट देना है क्योकि दूसरा जो 41 नम्बर का बिल है वह बड़ा विस्तृत बिल है। उस पर हमको अमेंडमेंट देने के लिए वह बिल कम से कम सदसन में तो आना चाहिए। अगर मिनिस्टर नही आए तो उनको स्पेशल परमिशन दीजिए। आने के बाद ४० नम्बर का बिल और 41 नम्बर का बिल दोनों वे इंट्रोडयूस करे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर संसदीय कार्य की व्यवस्था करने का दायित्व जिनका है उन्होंने इसे कैसे निभाया है। यह बजट सेशन है और बजट सेशन में डिमंड फार ग्रांटस दो ही डिस्कस हुई है। पांच संसदीय कार्य मंत्री है। वर्षो तक दो ही हुआ करते थे। इस समय पांच है और उसके बाद यह क्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार की तरफ से दोष ले लीजिए

श्री विद्याचरण शुक्ल : मै तैयार हूं। हम सबकों पता है कि समय किन–किन बातों में चला गया। अब मंत्रियों में दोष ढूंढा जाए तो मैं कुछ नही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पुरःस्थापित करने के समय माननी मंत्री के अनुपस्थित होने का कोई कारण नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय मंत्री के अनुपस्थित होने पर में सरकार की आरे से क्षमा मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब हम सब कुछ समायोजित कर रहे है और जब हम इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दे रहे है, माननीय मंत्री अनुपस्थित है। यह वास्वत में पूर्णतया गलत है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें अगली मद पर चर्चा करने दीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह एक पुरानी कहावत हैं जिसमें कई बार सिद्ध किया गया है जैसा कि कहा गया है कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम अर्थात एक अधिष्ठाता पर्याप्त होता है।

12.38 म. प.

(एक) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक***

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में संशाधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि राष्ट्रीय अल्पसंखक आयोग अधिनियम 1992 में संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये।"

*दिनांक 2-6-95 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सीताराम केसरी : मै विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हम उन सभी मदों पर कल चर्चा करेंगे जो आज के लिए सूचीबद्ध है जिसमें उस के अधीन मामले भी शामिल हैं कल का दिन सभी सदस्यों के लिए होगा। अब सभा विधेयकों पर विचार करेगी और उन्हें पारित करेगी पहले हम दिल्ली किराया विधेयक पर चर्चा करेंगे।

अब श्री गिरधारी लाल भार्गव बोलगें। .

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : पहले संविधान संशोधन विधेयक ले लें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : ठीक हैं, पहले इसे ही ले लें।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : भाषण हो चुके है, मंत्री थुंगन साहब जवाब दे देंगे।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : हम आपके पास बैठे हुए है, आप उनको कह रहे है जो यहाँ नही है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत गलत तरीके से सारे बिल हमारे समाने ला रहे है। हमें बहुत मुश्किल में डाल रहे है। उसके बाद भी हाऊस एडजस्ट कर रहा है, फिर भी आपको शिकायत हैं

श्री सीताराम केसरी : मुझे कोई शिकायत नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इसे जल्दी से निपटा देगे? मेरे विचार से हम इसे निपटा कर फिर अगली मद पर चर्चा कर सकते है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं कल बोल लूंगा। मंत्रीजी भी नही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप जोर देते है तो हम इस पर कल चर्चा करेंगे। हम अगली मद लेते है।

सीताराम जी बोलिए।

12.43 म. प.

सविधांन (छियासीवां सशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 16 में संशोधन)

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोत्रति में आरक्षण देने से सम्बन्धित संविधान के 86वें संशोधन बिल पर सदन द्वारा विचार किया जाये।

इंदिरा साहनी एवम् अन्य V/S यूनियन इंडिया एवम् अन्य केस में उच्चतम न्यायलय ने 16-11-1992 के अपने फैसले में नये पदों के अलावा यह भी कहा है कि पदोत्रतियों में आरक्षण लागू नही होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस निर्णय का पदोत्रतियों में आरक्षण लागू नही होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस निर्णय का पदोत्रतियों के मामले में तिथि से पांच साल तक कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

सर्वोच्च न्यायलय ने अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण को वैध ठहराया है। तदनुसार सरकार ने इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी कर दिये है। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं मे तथा केन्द्रीय सरकार की विभिन्न संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गो लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा चुका है और सभी सम्बन्धित भर्ती एजेंसीज तदनुसार कार्यवाही कर रही है। सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोत्रति में मिल रहे आरक्षण पर सवालिया निशान लगाया है। इस सदन में सभी दलों के सदस्यों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। सदन के बाहर भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विभिन्न संगठनों एवम् दूसरें लोगों ने इस पर अपनी चिता जाहिर की है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में इस सदन को आश्वासन दिया था कि सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए दृढ संकल्प है। मैंने यह भी कहा था कि इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हुआ तो संविधान संशोधन विधेयक भी लाया जायेगा। इंदिरा साहनी के मामले में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय से उत्पन्न बिन्दुओं पर विचार करने के लिए मैंने सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ 14-1-1995 को पहली बैठक बुलाई। चूंकि कुछ राज्यों में विधान सभा चुनाव होने थे इसलिए उस बैठक में अन्य पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती मे परीक्षाओं में भाग लेने के लिए तीन अतिरिक्त अवसर एवम् आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया ताकि सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन करने के इन्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन समय पर भेज सकें। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के समान पिछड़े वर्गो के उम्मीदवारों को भी सीधे भर्ती के लिए निर्धारित मानकों में छूट पहले से दे दी गई थी। चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए बाकी मुद्दो पर विचार विमर्श अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मैने पुनः 28 अप्रैल 1995 तथा 4 मई 1995 को सभी दलो के माननीय नेताओं के साथ बैठक की। मुझे खुशी है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पदों से आरक्षण से सम्बद्ध मुद्दे पर आम सहमति बन गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं ८६वें संविधान संशोधन विधयेक को इस सदन के समक्ष विचारार्थ रख रहा हूं। मुझे आशा है कि यह संविधान सशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा।

[अनुवाद]

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : श्री रूप चन्द मुरमु बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने लेट से भी मूव किया है, उसको लिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि संशोधन देर से भी दिये जाते है और और यदि वे स्वीकृत हो सकते है, तो उने स्वीकृत किया जायेगा।

श्री रूप चंद मुरमु (झाड़ग्राम)* : माननीय अध्यक्ष महोदय अपने दल की ओर से मैं कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी द्वारा प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा। मैं नही समझता कि भारत में कोई ऐसा राजनैतिक दल होगा जो अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों और समाज के उत्पीडित एवं वंचित वर्गो का कल्याण और विकास नहीं चाहता अथवा उसका समर्थन नहीं करता। यदि कोई ऐसा दल है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता तो मैं सभी राजनैतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वे मिलकर उस दल का विरोध करें जो उत्पीड़ित वर्गो की स्थिति में सुधार करने के पक्ष में नही है।

महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति में अथवा उनकी पदोन्नति में उनके लिए आरक्षण के मामले

---

*मूलत : बंगला में दिए गए भाषण अग्रेंजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

में बहुत सी खमियां है। इन खमियों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत से अवसरों और सुविधाओं से वंचित हो रहे है। मैंने देखा है कि नियोजक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए प्रायः संदिग्ध तरीका अपनाते है। वे इस संबंध में ईमानदारी में कोई प्रयास किए बिना विज्ञापन देने की खानापूर्ति करने के लिए ही विज्ञापन देते हैं और साक्षात्कार के बाद वे नियुक्ति के मामले को लम्बे समय तक लटका देते हैं इस बीच उपयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी के उपलब्ध न होने का दावा करके वे आरक्षित पद को सामान्य वर्ग वाले पद में बदल देते है। ऐसा कानून में त्रुटियां होने के कारण होता है। इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी खमियों को ओर त्रुटियों को दूर किया जाए। आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के पदों में बदलने वाले व्यक्तियों को भी दण्डित किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटे में केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ही लिया जाए। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा समय से नही भरा जाता। सरकार आरक्षित कोटा समय से भरने में असफल रही है। वे पदोन्नति के मामले में भी असफल रहे है। प्रथमतः तो वे यह दावा करते हैं कि प्रत्याशियों की कमी है और यदि कोई प्रतयाशी मिलता भी है तो उनका अगला बहाना यह होता है कि कोई उपयुक्त प्रतयाशी नहीं है। इसके कई कारण है इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि प्राधिकारियों के पास अपने प्रत्याशी रहते हैं और इसमें धन का मुद्दा भी शामिल है। इसलिए वे उस पद पर अपने प्रत्याशी को लाना चाहते हैं अथवा वे भारी रिश्वतें चाहते हैं। इन्हीं कारणों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा कभी भी भरा नहीं जाता। इस तरह की अनियमितता की जांच करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। इसलिए ससरकार से मेरा यह सुझाव है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के लिए समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें नौकरियों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। प्रत्याशियों के लिए लिए या तो विशेष शिक्षण अथवा समुचित प्रशिक्षण सुविधा होनी चाहिए ताकि उन्हें उस पद के लिए उपयुक्त बनाया जा सके जिनके लिए वे आवेदन करना चाहें जहां तक बकाया रिक्तियों का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक समय सीमा के भीतर विशेष नियुक्तियां की जानी चाहिए और ऐसा अविलम्ब किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त महोदय, यदि हमारा उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सर्वागोण विकास करना हैं तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियुक्तियों अथवा पदोन्नति में और अधिक आरक्षण करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सर्वागोण विकास के लिए भूमि सुधार किया जाना चाहिए हम बार–बार भूमि सुधार का मुद्दा उठाते रहे है। मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधारों का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया है। इसी कारण हमारे राजय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। उनके जीवन स्तर में बहुत उत्थान हुआ है। बड़े किसानों और जमीनदारों से अतिरिक्त भूमि लेकर इन लोगों को दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी खुद की भूमि पर खेती कर सकें। उन्हें सिंचाई सुविधाएं, बैंक ऋण इत्यादि भी दिए जाने चाहिए ताकि वे बिना किसी कठिनाई के खेतीबाड़ी कर सकें। यदि भूमि सुधार के क्रियान्वयन के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई सुझाव दिया जाता है तो उनका उत्तर यह होता है कि यह राज्य का मामला है किन्तु यदि केन्द्र सरकार की ईमानदार और निष्कपट राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो वह राज्यों को भूमि सुधार अधिनियम का कार्यान्वियन करने के लिए निर्देश दे सकती है जिससे कि हमारे समाज के उत्पीडित वर्गो का उत्थान हो सके। किन्तु इसमें संदेह है कि सरकार इस संबंध में ईमानदार और निष्कपट इच्छा शक्ति रखती है। यदि वे हमारे समाज के कमजोर वर्गो के सर्वागीम विकास और सुधार के प्रति वास्वत में ईमानदार है तो उन्हें राज्य सरकारों से भूमि सुधार नीति का अनुसरण ईमानदारी से करने के लिए कहना चाहिए। कम से कम वे कांग्रेस द्वारा शसित राज्य सरकारों से भूमि सुधारों का कार्यान्वियन करने के लिए कह सकते हैं क्योंकि वे यह कह सकते है कि कांग्रेस को छोड़कर अन्य राजनैतिक दलों द्वारा शासित राज्य सरकारें उनके निदेशों का पालन नहीं करेंगी। किन्तु कुछ राज्य तो कांग्रेस द्वारा शासित है। वे उन्हें भूमि सुधार का कार्यान्वियन करने के निर्देश दे सकते हैं। कांग्रेस अभी भी कुछ राज्यों में सत्ता में है। किन्तु निःसंदेह वह समय भी आ गया है जब उनके शासन का अन्त होने जा रहा है वे देश को ऐसी स्थिति में ले आए हैं कि उनके कुशासन का अन्त होने जां रहा है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका है और फिर से दोहरा रहा हूँ कि इसमें संदेह हैं कि सरकार गरीबों के सर्वागोण विकास के लिए भूमि सुधार का कार्यान्वियन करने के लिए कोई निष्कपट और निरछल इरादा रखती है।

महोदय, अलगावादी आंदोलन देश में सब जगह उठा रहा है। वे गरीबों और दबे हुए वर्गो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गरीबी का फायदा उठा रहे है। इन लोगों को खाने, कपड़े, शिक्षा और विकास की सुविधा नहीं है। कुछ राजनैतिक दल उनकी गरीबी का फायदा उठा रहे है और उन्हें गुमराह कर रहे है। इस तरह से पार्थम्यवादी आंदोलन हमारे देश में जोर पकड़ रहा है और धीरे–धीरे यह आंदोलन आतंकवाद में बदलता जा रहा है। निर्धनों, वंचित लोगों को यह समझाया जा रहा है कि अलगाववदी आंदोलन में शामिल इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और अन्तत आतंकवाद के रास्ते पर डाला जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश का सर्वोत्तम संसाधन अर्थात इसके निवासियों निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है। और उनकी हत्या की जा रही है। इसलिए यदि उनके सर्वागोण विकास की योजना का इन वंचित लोगों का उत्थान नहीं किया जाता, यदि समुचित रूप से कार्यान्वियन नहीं किया जाता तो अलगावादी आंदोलन उठ खड़ा होगा और हमारे देश की समृद्धि में रूकावट डालेगा सरकार को इन लोगों के उत्थान के लिए कुछ कारगार उपाय करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ और इस महत्वपूर्ण विधेयक की चर्चा में भाग लेने का अवसर मुझे प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

12.50 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : जानकारी के लिए मैं यह ज़ानना चाहूंगा कि यदि सभा को मतदान के अनुमानित समय के बारे में बता दिया ज़ाता है तो यहां उपस्थित सथियों का एकत्र हो पाना संभव होगा अन्यथा यह इसी प्रकार चलता रहेगा और सदस्य मतदान के समय पर उपस्थित नहीं होंगे यदि सही समय बता दिया जाता है तो सदस्यों को सुविधा होगी। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं शीर्घ ही आवश्यक जानकारी दे दूंगा थोड़े समय में ही आवश्यक जानकारी दे दी जायेगी।

श्री राम नाईक : नहीं। समय बताया जाना चाहिए अन्यथा सरकार को कठिनाई पेश आयेगी .....**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : हमें पता होना चाहिए कि मतदान किस समय होगा। ....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पांच–दस मिनिट के भीतर ही इसकी जानकारी सभा को दे दूंगा।

....**(व्यवधान)**....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मतदान के समय की घोषणा कर दूंगा। दस मिनट के भीतर मैं आपको बता दूंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हमें यह पता तो चलना चाहिए कि कितने बजे होगा। ...**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अभी शुक्ला जी ने 4 बजे के लिए कहा था। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, हमने भी संशोधन दिए हैं, हमारे नाम भी पुकारे जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें कांग्रेस दल से सूची प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : टाइम का तो बता दीजिए, क्या हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दस मिनट के भीतर सभाको बता दूंगा कि मतदान किस समय होने जा रहा है आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैं तीसरी बार यह बात दोहरा रहा हूँ शायद मेरी आवाज बहुत धीमी थी।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज संविधान के छियासीवें संशोधन पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वतंत्रता के समय पूना में बाबा साहब डा० अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक पैक्ट हुआ था जिसे पूना पैक्ट के रूप में ज़ाना जाता है। उसमे महात्मा गांधी ने अम्बेडकर को एक वचन दिया था कि हमें आजादी मिल जाएगी तो हम 10 साल के अंदर दलित वर्ग को, एस. सी., एस. टी. को विशेष सुविधाएं देकर समाज के समकक्ष ले आएंगे। संविधाान की रचना हुई और 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान के आधार पर 15 फसीसदी अनुसूचित जाति और 7.5 फीसदी अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था हुई। यह अलग बात है कि इनके उत्थान के लिए यह व्यवस्था की गयी, लेकिन कांग्रेस ने सदैव ही इस आरक्षण को अपना राजनैतिक माध्यम बनाया, तरह–तरह के भ्रम फैलाए। आरक्षण होते हुए भी जो आरक्षित सरकारी सीटे थी, वे नही भरी गई और आज भी काफी बैकलॉग पड़ा हुआ है। संविधान के लागू हाने के 45 वर्ष बाद भी सरकारी नौकरियों में उनके आरक्षित पदों को नही भरा गया है। 10 साल के स्थान पर हर 10 साल के बाद आरक्षण बढ़ाया जाता रहा और देश की जितनी भी राजनैतिक पार्टियों है उन्होंने अपना सर्मथन इन को दिया लेकिन काग्रेंस से संदन कोई म कोई मिसअण्डरस्टैण्डिग खडी करके इनको राजनैतिक गद्दी प्राप्त करने का साधन बनाया। कभी कह दिया कि अमुक पार्टी इसके विरोध में है। कभी दूसरी पार्टी के लिए कह दिया कि वह विरोध में है लेकिन इस संसद में आज तक रिजवेंशन में किसी पार्टी ने बाधा नहीं डाली और हर पार्टी ने इसका समर्थन किया और हर 10 साल बाद फिर 10 साल बढ़ाए।

अभी 15 मई को सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई उसमें यह तय हुआ कि इसको सर्वसम्मति से पास करके एक संवैधानिक संशोधन किया जाय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओ. बी. सी. के मामले में 1992 में एक व्यवस्था दे दी कि प्रमोशन में आरक्षण नही होगा और 1997 में यह समाप्त हो जाएगा। 1992 से लेकर 1997 तक इस सदन में कई बार चर्चा हुई तो यह विश्वास दिलाया कि सरकार संवैधानिक लाएगी और कांस्टीट्यूशन के नोवें शैड्यूल में लाकर इसका संशोधन कर देगी, ताकि इस पर किसी भी कोर्ट के आदेश का प्रभाव न पड़े। 1992 में सीताराम जी केसरी ने यही कहा लेकिन आज 1995 है। अब इसकी तरफ ध्यान गया है और यह अखिरी दिनों में लाया जा रहा है क्योंकि ये इस खोज में है कि इसका किस तरह से राजनैतिक फायदा उठाया जाय।

1.00 म. प.

कभी कुछ कह दिया जाता है कभी कुछ। कल्याण मंत्री जी के 15 मई के बाद कई बयान आये, कभी वे कह देते है कि अमुक पार्टी इससे सहमत है और अमुक पार्टी इससेँ सहमत नहीं है, जबकि वह सच नहीं हैं क्योंकि इसमें संविधान के संशोधन का सवाल है और यह ऐसा विषय है जिसे यद्यपि आज अखिरी दिनों में लाया गया है, फिर भी सभी दलों ने इसके महत्व को समझकर

इसमें अपनी सहमति प्रकट की है। हालांकि सरकार इस मामले में जल्दी कर रही है लेकिन फिर भी इसे आवश्यक मानते है। अन्य प्रक्रियाओं की अड़चन को अलग रखते हुये, हम सबने इस बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है।

अब चूंकि यह संवधिान संशोधन का मामला है, कल राज्य सभा नही है और इस विधेयक का दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, कुछ राज्यों में भी इसका पास होना जरूरी है, सब कुछ जानते हुये भी इसे आज आखिरी दिन सदन में लाया गया है ताकि प्रक्रिया संबंधी भी यदि कोई बात कहे तो उसका कैसे दुरुपयोग किया जाए। कल्याण मंत्री जी के 15 मई के बाद कई बयान आये। उन्होंने कहा कि अमुक पार्टी इसके पक्ष में है और अमुक पार्टी इसके पक्ष में नही है, जो सच नहीं है और शायद वे इसमें भी कुछ खोज रहे है। उन्होंने आरक्षण को सामाजिक उत्थान का साधन नहीं माना है बल्कि इससे राजनैतिक गद्दी कैसे बचाई जाये, उनकी गद्दी किस तरह बची रहे, उनका ध्यान इस तरफ है। इस देश में जो लोग पिछड़े है, पददलित है, जिन्हें न्याय नहीं मिला, जो अशिक्षित है, उनमें भ्रम कैसे फैलाया जाये, मंत्री जी शायद इस खोज में लगे है। वे बताना चाहते है कि इस दशे में आरक्षण का हामी यदि कोई है तो वह केवल कांग्रेस पार्टी है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के दिये उस वचन का यदि पालन किया होता, महात्मा गांधी जी ने डा. अम्बेडकर को जो वचन दिया था कि आजादी के 10 साल बाद हम सारे समाज को समकक्ष लाकर खड़ा कर देंगे, लेकिन इन्होंने उसे वोट की राजनीति का मुद्दा बना लिया और उस वचन पर कोई अमल नहीं किया। उस का परिणाम है कि आज भी सरकारी सेवाओं में अनेक आरक्षित स्थान खाली पड़े हुये है, हर श्रेणी में बैकलॉग है।

यदि आप आरक्षित पदों के आंकड़े देखें तो संविधान में किये गये प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 15 परसेंट और अनुसूचित जनजाति के लिये साढ़े सात परसेंट पद आरक्षित किये गये है लेकिन आज स्थिति यह कि क श्रेणी में, ए क्लास में, अनुसूचित जाति के मात्र 9.31 परसेंट पद भरे गये है और अनुसूचित जनजाति के 3.06 परसेंट पद भरे गये है। क्लास बी या ख के पदों में अनुसूचित जाति के 12.17 परसेंट और अनुसूचित जनजाति के 2.35 परसेंट पद भरे गये है और शेष बैकलॉग है। क्लास सी के पदों में अनुसूचित जाति और जनजाति के भरे गये पदों का परसेंटज क्रमशः 15 और 5.43 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते है कि आजादी के 45 सालों बाद आज आरक्षण की क्या स्थिति है।

अभी हमारे एक मित्र उधर से कह रहे थे कि आरक्षण के मामलें तरह तरह के बहाने बना दिये जाते है, कभी कह दिया जाता है कि उपयुक्त कैंडीडेंट नही मिलता यदि मिल भी जाता है तो कह देते है कि वह एबल नहीं है, ऐफिशियेंट नहीं है। अभी कुछ समय पहले तक, तीन साल तक प्रतीक्षा के बाद, आरक्षित पदों को जनरल कैटेगरी के लोगों से एडवर्टाइज करके भर लिया जाता था लेकिन 1989 से अब कानून बन गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये आरक्षित पदों का दूसरी कैटेगरी के लोगों से नही भरा जायेगा, उन्हे खाली रखा जायेगा।

यहां स्पेशल ड्राइव की बात चली। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कहा था कि हम स्पेशल ड्राइव करके सभी आरक्षित पदों को भरेंगे, वी. पी. सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी ऐसी ही कहा था लेकिन आज आरक्षण के संबंध में स्थिति क्या है, उसे मैने आपके सामने रखा कि आजादी के 45 साल बाद भी आरखित पदों को पूरा नही भरा गया है।

यदि आप बैंकिंग सेवाओं में आरक्षण को देखे तो उसमें ए कैटेगरी के 10.24 परसेंट पद अनुसूचित जाति के लोगों से भरे गये है और बी कैटेगरी में अनुसूचित जाति के 140 परसेंट और अनुसूचित जनजाति के 2.56 परसेंट लोगों की ही आरक्षण मिला है, शेष बैकलॉग है। मेरा निवेदन है कि जिस भावना से हमने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था, उस भावना से हम काम नहीं कर पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो नीति इन्होंने बनाई है उसकी पूर्ति नहीं हुई हैं इसका कारण यह है कि कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। इन्होंने अपने वोट प्राप्त करने का साधन बना लिया है। नियुक्ति के सम्बन्ध में एक प्रकरण कोर्ट मे गया था। इसमें यह निर्णय दिया गया कि प्रमोशन में भी आरक्षण होना चाहिए। इस आधार पर ओ. बी. सी. का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शेड्यूलड कास्ट्स में भी प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्ट के समाने शे. का कोई पार्टी नहीं थी और न उनको सुना गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नियुक्ति मे तो आरक्षण ठीक है, परन्तु पदोत्रति में आरक्षण नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि यदि पदोत्रति में आरक्षण नहीं होगा, तो अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति बड़ा अधिकारी नही बन सकेगा क्योंकि उनको बनाया ही नहीं जाएगा। यह दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस 45 वर्ष ने अपने शासन में देश की जनता का मन नहीं बना पाई है कि वह इन जातियों के लोगों को एक बड़े अधिकारी के रूप में देख सके। इन्होने दोनों तरफ से फायदा उठाया। इन जातियों के लोगों को कहते रहे कि हम तुम्हारा आरक्षण कर रहे है और सवर्णो को कहते रहे कि हमने इनको नाममात्र के पद दिए है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कभी यह नहीं चाहते कि यह आरक्षण सदा के लिए रहे। हम यह भी नही चाहते कि प्रमोशन में सदैव आरक्षण रहे, परन्तु हम चाहते है कि इन जातियों के लोगों को इनका पर्याप्त लाभ मिले। मैं कहना चाहता हूं कि यदि नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, तो किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ी जाति के व्यक्ति को नौकरी नही मिलती और न ही उनको पदोत्रति मिलेगी। क्योंकि कह दिया जाएगा कि वह योग्य नहीं है, एफीशियेंट नहीं हें उनकी सी. आर. खराब कर दी जाएगी। इस प्रकार से उनका प्रमोशन नहीं होगा। कई लोगों का शायद यह इसलिए ठीक नहीं लगता है कि वे समझेगे कि अब ये हमारे ऊपर आ जाएंगे या ये हमारे ऊपर थोपे जा रहे है। दरसल ऐसी बात नहीं है। इन जातियों के साथ हजारों वर्षो से

अन्याय किया जाता रहा है। उनके साथ बदसलूकी होती रही है। उनको इंसनियत के अधिकार भी नहीं दिए गए। इसलिए जब तक वे समकक्ष नही आएंगे, तब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसके लिए नियुक्ति और पदोन्नति दोनों जगह आरक्षण की व्यवस्था करनी जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह नाकामी तो सरकार की रही है कि वह 45 वर्षो की आजादी के बाद भी यहां खड़ी होकर कह रही है कि उनका पदोन्नतियों में भी आरक्षण होना चाहिए। हमें 1950 में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उसके लागू होने के 45 वर्ष के बाद भी हमें यह कहना पड़ रहा है कि इन जातियों को संविधान में वर्णित उनके अधिकारों को नही दिया जा सका। इसलिए नियुक्ति और पदोनति दोनों जगह उनको आरक्षण दिया जाए। यह सरकार उन को राहत नही दे पाई है क्योंकि कांग्रेस सरकार की जो दृष्टि रही है वह उनके वोटो पर रही हैं इसलिएं वह उन्हें शिक्षित नही कर पाई न उनकी इतनी उन्नति कर पाई कि उनको अपने पैरो पर खड़ा किया जा सके और वे स्वतंत्र होकर सोच सके और इन्होंने अपने वोटों की स्थिति का बरकरार रखा हे। कल भी मंत्री महोदय ने यही बताने की कोशिश की। अटल जी ने कहा कि आपकी पद्धति ठीक होनी चाहिए।

यह बहुत आवश्यक है तो सीताराम केसरी जी उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि आप तो इसके खिलाफ है, हम इसके खिलाफ नही है। हम तो कहते है कि यह बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। लेकिन मंत्री जी समाज को यह बताना चाहते है कि हम आपके पक्षधर है और यह आपके विरोधी है। जब ओ बी. सी की बात चल रही थी तो मंत्री जी ने कहा था कि कुछ लोग इसके खिलाफ है तब हमारे एक मित्र श्री जेना साहब खड़े होकर बोले कि आप बताइये कौन इसके खिलाफ है तो यह कहने लगे कि मैं यह नही कर रहा था। ये लोगों को गुमराह कर रहे है, ये केवल इसे गद्दी कायम रखने का साधन बनाये हुए है। अगर इन्होंने सही नीयत से चाहा तो आज तक यह बीमारी न रहती। हमें आरक्षण की आवश्यकता ही न होती। आज 47 साल हमें आजाद हुए हो गए है। कोई भी देश जो हमारे साथ आजाद हुआ हो या हमारे बाद आजाद हुआ हो, वहां के समाज की यह हालत हो रही हो।

इस समाज के 90 फीसदी लोग आज भी भूखमरी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे है। यह इसको एक लीलीपॉप की तरह इसतेमाल करते है, कभी खत्म कर देते है तो कभी लागू कर देते है ताकि ये लोग समझे कि कांग्रेसी ही उनका भला करने वाले है

लेकिन आज इस समाज के लोग समझ गये है कि आज हमारी जो स्थिति बनी हुई है, वह इन्ही लोगों के कारण बनी हुई है। अगर कांग्रेस चाहती तो आज वे हमारे समकक्ष खड़े होते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह संशोधन होना चाहिए क्योंकि मेरा यही विचार है, हमारी पार्टी का भी यही विचार है तथा लोगों का भी यही विचार है,

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : इन्होने मुलायम सिह को भी खत्म कर दिया है।

श्री कालकादास : इनके साथ जो लगेगा, उसका यही हाल होगा। शैडयूल्ड कास्ट्स इनके साथ लगे तो उनकी आज यह हालत है कि उनको रोटी तक नहीं मिलती। मेरा निवेदन यह है कि इस संशोधन की बहुत आवश्यकता है। सरकार ने इसके बारे में बहुत पहले वचन दिया था। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के बारे में कहा था कि यह होना चाहिए तो उस समय केवल गुलाम नबी आजाद जी ही थे। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नही क्योंकि सीताराम केसंरी जी यहां नही है। जब वे आयेंगे, तो वह ही बतायेंगे। जब सीताराम केसरी जी आये तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि यह कौन कहता है, यह तो हुआ ही नही है। मैंने कहा कि मैने खुद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखा है तो उन्होंने कहा कि हो गया होगा। मुझे नही मालूम क्योंकि अयोध्या में मस्जिद टूट गयी थी। हमने उनसे कहा कि मस्जिद का इसके साथ क्या संबंध है? जब मस्जिद की बात होती है तो हम उस पर बात करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वह इस मामले में सीरियस नहीं है। 15-20 दिन बाद वह दुबरा आये और फिर हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यह सही है लेकिन हम इसमें सवैधनिक संशोधन करेंगे। हमने उनके सामने एक मांग यह रखी कि संविधाान में संशोधन होना चाहिए और इसको नवें शैड्यूल में रखा जाये ताकि आदालत के निर्णय से यह प्रभावित न हो सके तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे।

महोदय, आज हम प्रमोशन में आरक्षण की बात कर रहे है और मंत्री जी यह जवाब देते है। यह 1992 की बात है और आज 1995 चल रहा है। इस हाऊस को चले हुए भी दो महीने हो गये है। ये इसे अब आखिरी दिन ला रहे है, यह अच्छा नही है। यहां इसकी प्रक्रिया पर विचार होगा, कुछ लोग कहेंगे की यह पहले क्यों नही आया तो यह कह देंगे कि वे लोग इसके खिलाफ थे। उनकी नीयत साफ नही है। 47 साल बहुत होते है। और आज लोग उनकी बातों से गुमराह होने वाले नही है। वही लोग आज यह कहते है कि यह सरकार हमको इतने दिन से बहकाती रही है और उस का परिणाम यह हो रहा है कि गुजरात जहां कांग्रेस कभी भी नही हारती थी, वहा आज वह हार गयी है। देश मे आज चारों तरफ इनकी हार हो रही है। जो लोग उनको वोट देते थे, उनके लिए उन्होन कुछ नही किया है, वे लोग समझ गये है कि ये गलत है, इनकी नीयत खराब है, यह केवल वोट के आधार पर हमारा इस्तेमाल करना चाहते है।

आज वे इनको ठुकरा रहे है। यदि देश के नक्शे पर देखें तो ये कही–कही छोटे तारे की तरह चमक रहे है। बहुत से प्रदेशों में तो ये विरोधी दल मे भी नहीं है। ये जिन लोगों को बहकाना चाहते थे, अब वे संभल गए है।

जैसा अटल जी ने कहा कि ये दबाव में आकर कर रहे है। वह सही है। इनका मनोबल टूट गया है, इच्छा शक्ति टूट गई है

ये असमंजस मे है कि लेना चाहिए या नही, होना चाहिए या नही। इसलिए अटल जी ने कहा था कि आपको तो जाना है लेकिन आप बिल तो लाइए।

सरकार ने अभी तक बैकलॉग भी पूरा नही किया है। कभी कहते है कि हम स्पैशल ड्राइव चला रहे है, कभी कुछ और कहते है लेकिन अब भी सरकार का कोई भरोसा नही है। अत्याचार बहुत बढ़ रहे है लेकिन यह जांच के अलावा कुछ नही कर सकते। देश में जो नई नीति लागू हुई है, उसके तहत निजीकरण हो रहा है। गवर्नमैंट अंडरटेकिंग्स में तो पहले ही आरक्षण था लेकिन जो दूसरी कम्पनियां आ रही है, वे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आरक्षण देगी या नही, यह कहा नही जा सकता। हमने यह मामला 1992 में प्रधानमंत्री के सामने रखा था। उन्होंने जवाब में यह बात कही थी कि निजीकरण हो रहा है लेकिन हम कोई ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगे जिस में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण कायम रहे। लेकिन वह अभी तक सवालिया निशान बना हुआ है और वह सवालिया निशान सरकार जाने के बाद भी बना रहेगा।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बात कई बार उठ चुकी है, निजीकरण हाने पर भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के आरक्षण के लिए जल्दी ही कोई कदम उठाएं और अपने विचारों को सदन में बताएं।

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : उपाध्यक्ष जी, जब अध्यक्ष जी ने मेरा नाम बुलाया था तब मैं राज्य सभा की बिजनस ऐडवाईजारी कमेटी में था। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बिल अभी इंड्रोडयूस कर दूं।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महादेय, मैने एक मुद्दा उठाया था और मैं चाहता हूं कि मंत्री उसे स्पष्ट करे। मैने सुझाव किया था कि यदि इस विधेयक पर चर्चा की जाती है तो कल की कार्य सूची में दिखाये गये विधेयक संख्या 41 को भी पुरःस्थापित किया जये और तब दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा कराई जा सकती है, अन्यथा हमें संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर नही मिलेगा। मैंने सुझाव दिया था कि जब वह इस विधेयक को पुरःस्थापित करते है, तो उन्हें आज ही विधेयक संख्या 41 को पुरःस्थापित करने पर भी विचार करना चाहिये, ताकि हम संशोधन प्रस्तुत कर सकें।

श्री जी. वेंकट स्वामी : नही, नहीं।

श्री राम नाईक : क्या आप विधेयक पर आज चर्चा करना नही चाहते है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं विधेयक पर आज ही चर्चा कराना चाहता हूँ।

श्री राम नाईक : और दूसरे विधेयक के बारे में क्या चाहते है?

श्री जी. वेंकट स्वामी : उस पर कल चर्चा हो सकती है, मैं नही जानता।

श्री राम नाईक : महोदय, वह नहीं जानते है। दोनों विधेयक एक ही प्रकार के है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : उनमे क्या समानता है। यह राष्ट्रीयकरण के बारे में है और ....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : 194A टैक्सटाइल मिल्स का सवाल है, मुम्बई की दृष्टि से ही नहीं, सारे हिन्दुसतान के टैक्सटाइल मजदूरों की दुष्टि से यह महत्वपूर्ण मामला है और जो काम्प्रीहेंसिव बिल है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे?

श्री जी. वेंकट स्वामी : मुझे इन्ट्रोडयूस करने दीजिये।

श्री राम नाईक : हम पूछ रहे है ......**(व्यवधान)**

डा० आर मल्लू (नगर कुरनूल) : पहले इन्ट्रोड्यूस करने दो।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय मेरे साथी ने एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा उठाया है। मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी जायें और अगले विधेयक को देखें। मेरे साथी का मुद्दा यह है कि विधेयकों में अन्तसंबंध है और यदि हम उन पर चर्चा करते है तथा हम यदि कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहते है तो दोनों विधेयक हमारे पास होने चाहिये। अतः मंत्री दोनों को आज ही पुरःस्थापित कर सकते है। कुल मिलाकर इस विधेयक को पुरःस्थापित करने मे विलम्ब हुआ है जब माननीय अध्यक्ष ने मंत्री का नाम पुकारा तो वे उपस्थित नही थे अतः मंत्री के लिए यह उचित होगा कि मेरे साथी के अनुरोध पर अमल करें ओर दूसरे विधेयक का अध्ययन करके ही सभा में आये तथा कोई निष्कर्ष निकालें। या तो वह आये और यह स्पष्ट करें कि दोनों विधेयकों को अलग–अलग क्यों पुरःस्थापित करें। इसमें क्या कठिनाई है?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मंत्री दोनों विधेयकों का अध्ययन कर सकते हैं और तब सभा में वापस आ सकते है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय मैं संसदीय कार्य मंत्री के साथ इस पर चर्चा करूंगा और वापस आऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि सभा यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है, कि मत विभाजन 4 बजे के आस–पास होगा।

1.22 म. प.

[अनुवाद]

संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)-जारी

डा. आर मल्लू (नगर कुरनूल) : मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधान मंत्री और कल्याण मंत्री को इस सत्र में इस विधेयक को लाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय जैसा कि आप जाजते है, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जिससे बड़ी संख्या में पिछड़े लोगों को समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाया जायेगा। यदि कोई स्वतन्त्रता से पूर्व और स्वतन्त्रता के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों की स्थिति को देखें तो इनमें अन्तर का पता आसानी से लगा सकता है। जब सरकारी सेवाओं में आरक्षण नहीं था सचिव से लेकर कलक्टर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक गुमास्ता स्वीपर आदि प्रायः सभी पदों पर विशेष सुविधा प्राप्त लोग और पारम्परिक रूप से महत्व प्राप्त लोग आसीन थे। सौभाग्य से हमारे देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान निर्माताओं डा. राजेनद्र प्रसादजी डा. अम्बोडकर, जवाहर लाल नेहरू और अन्य महान नेताओं ने सोचा कि शताब्दियों से कष्ट सह रहे अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बारे में भी विचार किया जाये ताकि वे भी प्रशासन और राजनीति में अपनी छोटी सी भागीदारी के लिए सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें। इसी कारण आरक्षण नीति का विचार संविधान में शामिल किया गया है।

महोदय, जैसा कि आप जानते है, आरक्षण की नीति को संविधान में शामिल किए जाने के बाद भी स्वतन्त्रता के 40 वर्षो के बाद भी निर्धारित आरक्षण कार्यान्वित नही किया जा रहा है।

अभी मेरे साथी, श्री कालका दास ने आकड़े भी दिए है। आरक्षण आदेश को भी सभी विभागों में समुचित रूप से कार्यन्वित नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों क लिए आरक्षित उच्च पदों को रिक्त रखा जा रहा है। किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियें के लिए आरक्षित पदों अर्थात् उच्च रेणी लिपिक और निम्न श्रेणी लिपिक, स्वीपर और अटेन्डेंट के पद को ही भरा जा रहा है, किन्त कार्यकारी अधिकारियों के पदों जिन्हों कमजोर वर्गो द्वारा भरे जाने का समुचित औचित्य है रिक्त रखे जाते है।

जैसा कि आप सभी जानते है, हर एक सरकार ने कई संकल्प पारित किए है। उन्होंने शत–प्रतिशत आरक्षण संबंधी आदेश के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों का कई सरकारी ओदश भी भेजे है, किन्तु दुर्भाग्यवश आज भी विभिन्न ग्रेजें अर्थात् ग्रेडक से लेकर निम्नतम ग्रेड में भारी संख्या में पद–रिक्तियां बकाया है। इस परिस्थिति में इसके लिए मैं किसी राजनैतिक दल को दोष नहीं देना चाहता हूं। इसीलिए यह विशेष विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग जो इस देश के पिछडे लोग है के लिए पदोननतियों में आरक्षण तक ही सीमित है। पदोन्नतियों में उनके लिए आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी जनता दल भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी, भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा कांग्रेस (इ) सहित सभी दलों द्वारा सकर्थन किया जा रहा है। अतः मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण के मसले पर सर्वसम्मति के लिए सभी दलों को भी धन्यवाद देता हूं।

यह विधेयक नवम्बर, 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के कारण सभा के समक्ष लाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते है कल सभा में इस पर भी चर्चा हुई थी। इस निर्णय को 1997 से लागू किए जाने की सभावना है। किन्तु दुर्भाग्यवश जैसे ही निर्णय आया अधिकांश विभागों के प्रमुखों ने इस लागू करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे के सभा के समक्ष आने पर भी माननीय कल्याण मंत्री ने इस पर तत्काल स्पष्टीकरण दिया। मैं इसके लिए एक बार फिर माननीय कल्याण मंत्री को धन्यवाद देता हूं। माननीय कल्याण मंत्री ने कार्मिक मंत्री की सहायता से सभी विभागों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय को 1997 तक कार्यान्वित न करने के लिए परिपत्र भेजे। दुर्भाग्यवश कल्याण मंत्री और कार्मिक मंत्री द्वारा दिए गये निदेशों के विपरीत परपित्र के विपरीत आदेश के विपरीत अधिकांश विभागों ने इसे कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति का एक सदस्य हूं। मैं कई विभागों में गया और मैने पाया कि उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था। इसका सामान्य कारण यह है कि सरकारी आदेश अथवा परिपत्र के अन्य जातियों के पक्ष में होने पर वे इसका तत्काल लाभ उठाएंगे और इसे कार्यान्वित करेंगे। यदि सरकारी आदेश अथवा परिपत्र अथवा निदेश कमजोर वर्गो के पक्ष में होंगे तो उच्च पदों पर आसीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्यान्वित न हो। सबसें निचले स्तर के अधिकारी से लेकर वे सैकड़ों प्रश्न चिन्ह लगा देंगे वे मुख्य मंत्रियों, कार्मिक मंत्री और कल्याण मंत्री से भी सैकड़ो स्पष्टीकरण मांगने का साहस करेंगे मैं इस मामले में किसी व्यक्ति को दोष नही दे रहा हूं। यह कई शताब्दियों से देश में प्रचलित स्वीकार्य परम्परा है। अतः इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किए जाने से पूर्व इन सभी बातों पर विचार किया जाना है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं श्री कालका दास ने कहा है कि इसमें विलम्ब के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं और इस सभा में यह बात कई बार बताई गई है कि 1978-79 में जब जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में थी उन दिनों हम छात्र थे और हम आरक्षण नीति को और दस वर्षो के लिए बढ़ाए जाने के संबंधी विधेयक पारित किये जाने लिए सरकार का बेसब्री से इन्तजार कर रहे थे परन्तु कुछ नहीं किया गया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा की अवधि 1980 में समाप्त होनी थी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचिंत जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा और दस वर्षो के लिए बढ़ाने की मांग

कर रहे थे। अतः उस समय केन्द्र में कांग्रेस पार्टी नहीं थी बल्कि जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में थी, जिसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा आगे बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित नही करवाया श्रीमती इन्दिरा गांधी जो 1980 में प्रधान मंत्री बनी इसके लिए तैयार होकर आयी उन्होने पहला और महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु और दस वर्ष के लिए आरक्षण की सुविधा बढ़ाने संबंधी विधेयक पुरःस्थापित किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को ओर दस वर्षो के लिए बढ़ाया अतः यह कार्य कांग्रेस पार्टी ने ही किया। मैं इसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही नहीं देता हूं। चूंकि मेरे मित्र श्री कालका दास जी ने यह मुद्दा उठाया था, इसलिए मैं केवल यह उदाहरण देना चाहता था। महादेय, यही नही बल्कि आरक्षण नीति को संविधान में शामिल किए जाने के बाद जब रस नीति का कार्यान्वयन किया गया, इन्दिराजी अथवा नेहरूजी औरजो कोई भी प्रधान मंत्री बना वे सभी इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करने के बारे में सोचते रहे। इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए समाज कल्याण हॉस्टलों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। उन्होने उन्हें सरकारी नौकरी में लाने के लिए छात्रहत्ति देना शुरू किया। उन्होंने अनुसूचित जनजाति वित्त निगम पिछड़ा वर्ग वित्त निमम और अल्पसंख्यक वित्त निगम तथा इस संसद के माध्यम से जा कुछ भी संभव हो सकता था, वह शुरू किया। किन्तु जैसा कि आप जानते है, क्षेत्र में इस प्रणाली को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी प्रणाली उनके हाथ में होती है और इसे कार्यान्वित करने में समय लगता है। मैं कम से कम अब खुश हूं कि हम अब भी पिछली प्रणाली को समाप्त करने का प्रयास कर रहे है। भारत में दो बातें है। एक लिखित संविधान है और दसूरा अलिखित संविधान है। इस देश अस्पृश्यता एक अपराध हैं किन्तु इसे गांवों में समुचित रूप से कार्यान्वित नही किया जा रहा है। जब हम गावों कस्बों शहरों और जहां कही भी जाते है, यह गुप्त रूप में वहां विद्यमान है। किन्तु अलिखित संविधान में पुराने परम्परावाही लोगों के कारण इसे मानना पड़ता है। वे समझते है कि यदि वे अस्पशता को नहीं मानेंगे तो ईश्वर उन्हें दंड देगा अथवा कुछ सांस्कृतिक भिन्नताएं पैदा हो जायेंगी तथा शताब्दियो और युगो से चली आ रही सभी पारम्परिक आस्थाएं समाप्त हो जायेंगी, वे केवल यह समझते है कि अस्पृश्यता मानना उनके जीवन का हिस्सा है और मैं इस मुद्दे पर किसी जाति अथवा व्यकित को दोष नही देना चाहता हूं इस सब का कारण देश में सदियों पुरानी प्रथा का विद्यमान होना है। चूंकि लोकतान्त्रिक देश हाने के नाते हम इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे है, हम इसे लोतान्त्रिक प्रणाली में बदलने का प्रयास कर रहे है। जैसा कि आप जानते है, भारत एक महान लोकतान्त्रिक देश है और एक लोतान्त्रिक देश में भागीदारी के लोकतन्त्र में जिसे हमने अपने संविधान में समाविष्ट किया है, एक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमने इस भागीदारी के लोकतन्त्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में अवसर दिया है।

अनुसूचित जन जाति के लोगों को सांसद विधायक आदि चुने जाने का अवसर दिया जाता है। उन्हें कार्यपालिका राजनीति तथा न्यायपालिका के क्षेत्र मे भी अवसर दिया जाता है। उन्हे ये सभी अवसर दिये जाते है जिसका सीधा सा कारण यह है कि यह देश हर व्यक्ति का है। इस देश की आजादी के लिए सभी ने लड़ाई लड़ी है और आजादी के बाद सबको अपना-अपना उचित हक मिलना चाहिये। ऐसी स्थिति में जहां यदि कोई इसमे व्यवधान डालना चाहता हो और पूरी व्यवस्था इसी प्रकार रखना चाहता हो, तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसे महसूस किया और आरक्षण देना आरंभ किया। उन्हें संविधान के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है । इसकी कारण यह विशेष प्रजातंत्र लागू हुआ है। में एक परिवार का छोटा-सा उदाहरण देना चाँहूगा। एक परिवार में 10, 5 या 6 भाई रहते है। उनमें सभी एक जैसे मेघावी नहीं होते है। उनमें से कोई एम. ए. में पढ़ रहा होता है, कोई दसवी कक्षा में पढ़ रहा होता है अथवा कोई पढ़ ही नही रहा होता है। परन्तु ये सभी भाई पैतृक संपन्ति के हकदार हैं। यही धारण है यदि आप उस मूलभूत धारणा की ओर जाते हैं। जहां हम है, किसी भी देश में परिवार मौलिक चीज होती है, खासकर भारत में परिवार का इतिहास महान है। क्योंकि यह प्रजातंत्र हमारे देश के मौलिक पारिवारिक स्वरूप प्रजातंत्र है। ऐसा यह हमारे संविधान के कारण नहीं है। ऐसा इसलिये नही हो रहा है क्योंकि ऐसा करने के लिये कोई आदेश दे रहा है और इसलिये भी नहीं कि कोई इसके लिये दिलचस्पी ले रहा है। ऐसा हमारी जीवन शैली और रहन-सहन के ढंग के कारण हो रहा हैं। हमारी पद्धति ही लोकतंत्र आधारित पद्धति ही लोक आधारित पद्धति है। यद्यपि हमारे धर्म, संस्कृति परंपरा में अस्पृश्यता आदि जैसी कुछ खामियां है परन्तु हम लोकतांत्रिक परपराओं को पसंद करते हैं क्योंकि लोकतंत्र हमारी परंपरा रही है। इन परिस्थितियों में यह संसद जिसमें देश के सभी वर्गों के प्रतिनिधि होने के नाते यह पितृ तुल्य है पदोन्नति मे आरक्षण दिये जाने संबंधी 86 वां संशोधान पारित करने की भरसक कोशिश कर रही है। जब पदोन्नति की बात आती है तो कुछ लोग तपाक से कह देते है कि इससे कार्य कुशलता प्रभावित होती है। महोदय, जब हम कार्य-कुशलता की बात करते है

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ मल्लू और भी बहुत से लोगों को बोलना है।

डॉ आर. मल्लू : महोदय, यह उन महत्वपूर्ण विधेयकों में से है जिसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता था काफी लंबे समय से यह बात हमारे दिमाग में संचित थी और जिसे हम व्यक्त नहीं कर सके थे। मैं सोचता हूँ कि यही अवसर है और यही विधेयक है जिसपर हम वस्तुतः बोल सकते हैं।

महोदय मैं कार्य-कुशलता की बात कर रहा था। उपाध्यक्ष महोदय के प्रति अत्यन्त आदर सहित मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कार्य-कुशलता एक सापेक्ष पद है। कार्य कुशलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एक समय से दूसरे समय और एक प्रद्धति से दूसरी प्रद्धति में भिन्न भिन्न होती है।

वर्तमान की तुलना में 1947 में कार्य–कुशलता काफी कम थी। अब वैज्ञानिक तथा अन्य विकास कार्यो यथा कप्यूटर आदि की वजह से आज कुशलता काफी आधिक है। आपका यह सोचना गलत है कि उस समय लोग देश का शासन करने में समर्थ नहीं थे और वे देश का शासन नहीं चला सके क्योंकि सभी बातें समय और स्थान पर निर्भर करती हैं उनके शासन काल के दौरान यही पद्धति थी।

कार्य–कुशलता एक सापेक्ष पद है। जैसा कि आप जानते हैं उन लोगों अर्थात् अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति के लोगों को जिनकी हम बात कर रहे हैं, अपने घरो में अखबार, पत्रिकाएं पढ़ने रेडियों सुनने टेलीविजन देखने आदि की कोई सुविधा प्राप्त नही थी। ये सारी सुविधाए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बच्चों के लिए तथा गांवों मे सुलभ नही थी अब आप उन्हे यकायक कहते हैं कि वे उन लोगों से प्रतियोगिता करें जिन्हें ये सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, जिन्हें अखबार पढ़ने, पत्रिकाएं पढ़ने, रेडियों सुनने दूरदर्शन देखने तथा अपने बुजुर्गो एवं परिवार के सदस्यों से सलाह आदि लेने की सुविधा है। अतः यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों और अन्य लोगों के बीच न्याय संगत तुलना नहीं है।

इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को इंजीनियरिंग मेडिकल आदि विभिन्न कालेजों में दाखिला लेने में भारी दिक्कत होती है। उन्हें न्यूनतम योग्यता क आधार पर महाविद्यालयों में लिया जा रहा है। उन्हे आयु और अंक आदि में कुछ छूट दी जा रही है, परन्तु नौकरी में आने से पहले उन्हें महाविद्यालयों मे दाखिला नयूनतम योग्यता पूरी करने के बाद ही दिया जाता है। नौकरी में आने के बाद पदोननति में उन्हें कोई आरक्षण नहीं मिलता।

मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। योग्य उम्मीदवारों के अभाव में अनेक पद रिक्त पड़े है। मान लीजिये कि क ख और ग पद हैं और पद ख में पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी उम्मीदवार को पद क में पदोन्नत किया जाना है और उसे इस पद पर पहुंचने में दस वर्ष लगते हों तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मामले में यदि उम्मीदार को आयु और योग्यता में भी कुछ छूट देते है तो इन खाली पड़े पदों पर वे व्यक्ति आ सकते हैं।

हाल ही में, सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरिक्षत खाली पड़े पद आगे ले जाए जायेंगे ताकि ये अर्हता प्राप्त उम्मीदवार से भरे जा सकें। परन्तु दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि 10-15 वर्षो से ये पद खाली पड़े है परन्तु योग्य उम्मीदवार नही मिल रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ मल्लू हर रोज हम यही अनुभव करते हैं कि आरंभ में बोलने वाले को पूरा समय मिल जाता और अंत में बोलने वाले अन्य माननीय सदस्यों को केवल दो दो या तीन –तीन मिनट का ही समय मिल पाता है। इसलिये वे बहुत उत्तेजित हो जाते है। पिछले एक दिन हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब एक माननीय सदस्य मेरे चैम्बर आकर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू इसलिये टपक रहे थे क्योंकि उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला। अतः हमारे माननीय सदस्यों के साथ सदन मे इस प्रकार का अन्याय नही होना चाहिये। जैसा कि आपने कहा यहां सभी बराबर है। अतः कृपया समय का ध्यान रखे।

डॉ आर. मल्लू : मैं दो या तीन मिनट में समाप्त करूँगा। अतः महोदय, जो लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के आरक्षण के विरूद्ध कार्य कुशलता का मुद्दा उठा रहे है, वे इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि उन्हे कार्य–कुशलता की चिन्ता है। वे इसलिए उठा रहे है कि सरकार के पास जो पद है उन्हें इन व्यक्तियों को वर्षो से दिया जा रहा है।

अब चूँकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जा रहा है वे सचिव मंत्रिमंडल सचिव तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी पहुँच रहे है। यही कारण है कि जो लोग सदियों से इन पदो का लाभ लेते रहे है उन्हे इस बात का भय है कि अब ये लोग इन पदों पर आ रहे है। इसलिये वे कार्य–कुशलता का नाम ले रहे हैं और यह इसलिए नहीं कि वे कार्य–कुशलता के बारे में सचमुच चिन्तित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पुराना नारा है। अब इसका कोई दावा नहीं करता। हरेक मे कार्य–कुशलता है।

डॉ आर. मल्लू : वे सभी दक्षता की बातें करते हैं। मैंने आपको यही बताना चाहा है इन लोगों को अवसर दिये जाने से वे अब निम्न स्तर से उठकर उच्च स्तर की ओर जा कर अच्छा काम कर रहे है। यह सभी स्तरों पर प्रमाणित हो चुका है। यही कारण है कि इस प्रकार की लोक तांत्रिक सरकार में आरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। यह एक सहभागी लोक हैं जहाँ सभी को अपनी आजादी तथा दक्षता के अनुसार अपना उचित हिस्सा मिलता है। अगर इसका ठीक से कार्यान्वयन भविष्य में नही किया गया, तो मैं सोचता हूँ कि पिछड़ा वर्ग जिसकों प्रशासन, राजनीति और अन्य सभी क्षेत्रों में अपना उचित हिस्सा पाने के अधिकार का अहसास हो गया है वह खामोश बैठने वाला नहीं है। यदि उनका उचित अधिकार उन्हें नही मिलता है तो यह लोकतंत्र के लिये अच्छा नहीं है तथा ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार चाहे वह किसी भी दल की हो, नहीं चल पायेगी। मेरा अंतिम अनुरोध है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं नीतीश कुमार को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

...**(व्यवधान)**...

श्री के. पी. रेड्डया यादव (मछलीपटनम) : महोदय मेरा क्या हुआ? .....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डया यादव आपको बोलने का अवसर अवश्य दिया जायेगा।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : महोदय अंत मे आप केवल आधा मिनट का समय देंगे ....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतिश कुमार के बाद मैं आपका नाम पुकारूँगा।

डॉ आर मल्लू : सरकार से मेरा अंतिम अनुरोध यह है कि सबंधित विधेयक पारित हो जाने के बाद सरकार संबाधित अधिकारियों को अनुदेश व निर्देश दे कि इस आरक्षण नीति का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जाए ताकि इस देश में हर व्यक्ति यह महसूस करे कि देश उसका और वह भी प्रशासन राजनीति और इसका हर स्थान पर एक अंग है। यह आरक्षण नीति किसी प्रकार की क्रांति या उग्रवाद से भी बचाव करेगी। ये सभी समस्याएं अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के आरक्षण के उचित कार्यान्वयन द्वारा सुलझायी जायेंगी।

मैं केवल एक वाक्य और कहना चाहूँगा महोदय संसद श्री निर्मित द्वारा तैयार की गई पंचायती राज व्यवस्था में भी आरक्षण नीति ने ग्रामीण लोगों के लिए दूसरी स्वाधीनता प्रदान की है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार को बोलने के लिये आमंत्रित करने से पहले मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करना चाँहूगा। हमारे कुछ भाई माननीय सदस्य गण जो हमारे साथ बैठे हैं उन्हें भी बोलने दिया जाय क्योंकि चार बजे यह बहस समाप्त होने वाली है। 4 बजे इस विधेयक पर मतदान होना है। इसके पूर्व माननीय मंत्री को बहस का जवाब भी देना है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी को घंटी बजाने का बध्य होना पड़ता है। आप यह ने समझे कि घंटी को बजना कोई प्रोत्साहन है। घंटी बजने का आशय आप प्रोत्साहन न समझे।

...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : जनता दल का क्या हुआ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : समता से जनता दल तक जाऐंगे।

[अनुवाद]

अब मैं श्री नीतीश कुमार को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 86वां संविधान संशोधन सरकार द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में कई बार इस सदन में चर्चा होती रही है। सन 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उसके बाद से ही यह सवाल सदन में बार–बार उठाया जाता रहा है कि चूंकिं प्रमोशंस में दिए जा रहे रिजर्वेशन के प्रतिकूल टिपण्णयां की गई है, इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन के सिलसिले को जारी रखने के लिए सरकार को आगे बढ़ कर संविधान में संशोधन करना चाहिए। लेकिन इस सरकार की काफी समय लग गया। कल भी एक प्रश्न के जरिए और शून्यकाल मे भी और इसके पहले जब बिल इंट्रोड्यूज किया जा रहा था, तब भी इस सदन मे काफी देर तक इस सवाल पर चर्चा हुई और बार–बार सरकार की तरफ से सफाई दी गई। सरकार द्वारा बताया गया कि सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत हुई, तीन मीटिगों का हवाला दिया गया और यह कहा गया कि उन मीटिंग्स से इस एक सवाल पर सर्वसम्मति थी, इसलिए हम ये संविधान संशोधन विधेयक ला रहे है। इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार सर्वसम्मति रही है, इसलिए अगर सरकार चाहती तो इसको पहले भी लाया जा सकता था, सभी पार्टियों के नेताओ से पहले भी बातचीत हो सकती थी, लेकिन जिस समय का चयन सरकार ने किया है, उससे कई प्रकार की गलतफहमियां उत्पन्न हुई है।

अभी जिन बैठको की चर्चा सरकार की तरफ से की जा रही है, उन बैठकों मे अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों को पदोन्नति मे आरक्षण देने की व्यवस्था जो आभी चल रही है, इसके साथ–साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी पदोन्नति मे आरक्षण दिया जाए, यह विचारणीय विषय था।

लगभग सभी पार्टी के लोगों ने इसके पक्ष में राय जाहिर की थी। कुछ लोगों का मतभेद हो सकता था लेकिन इस पर और भी चर्चा हो सकती थी और दोनों को मिलाकर एक बिल लाया जाना चाहिए था। इस सदन में जब बिल लाया जा रहा था तब भी चर्चा हुई लेकिन सरकार ने कुछ तथ्यों की मीटिग में छिपा लिया। जैसे OBC'S के लिए पहले से ही कुछ राज्यों मे आरक्षण है। इस तथ्य को सरकार ने छिपा लिया। इसलिए ऐसा लगा कि किसी नयी चीज की मांग हम कर रहे है। ओ. बी. सीज के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में पहले से ही है आरक्षण की जो व्यवस्था है वह पिछड़े वर्ग के लिए है। पिछड़े वर्ग का एक हिस्सा अनुसूचित–जाति और जनजाति कहलाता है। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग है उनकी चिन्ता सरकार को होनी चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था पहले की गई और ओ.बी.सीज के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है यह सब लोग जानते है। जब वी. पी. सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारियों को लागू किया तब कितना बवेला मचा था यह सब लोग जानते है।

हम लोग अपने दलों की बैठक में यही कहते है कि जो चीज इतने संघर्ष के बाद हासिल हुई है उसको छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए। आज अगर प्रोदन्नति में आरक्षण नही किय तो मुझे इस बात की आशंका है कि यह कितने वर्षो के लिए टल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं हें हम इस सदन के अन्दर और बाहर सभी राजनैतिक पार्टियों के लोगों से मिलते है लेकिन किसी न नही कहा कि हम इसका विरोध करते है या इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी इसके खिलाफ नही है। मै जानता

हूं कि कोई भी पार्टी इसके खिलाफ नही हो सकती है। तो फिर यह बात सामने आनी चाहिए कि फिर क्या व्यवधान था और जो सामाजिक न्याय के सिलसिले मे एक धारा बनी है उसको कौन तोड़ना चाहता है? जो सामाजिक लडाई के सिलसिले में एकता बनी है उसको कौन तोड़ना चाहता है।मैं इस बात के लिए सरकार पर दोषारोपण करना चाहता हूँ। अगर सरकार चाहती तो दोनों के लिए विधेयक ला सकती थी। इससे जाहिर होता है कि वह इन दोनों में बिखराव करना चाहती है। हमने जो इस विषय में अमेडमेट दी है उसको सरकार मंजूर कर ले तो हम दूसरी सारी अमेडमेंट्स वापिस ले लेंगे। सरकार अपनी तरफ से यह अमेडमेंट मान ले कि जो आपने अभी यह विधेयक पेश किया है उसकी जगह पर।

[अनुवाद]

इस अनुच्छेद द्वारा राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को राज्य की सेवाओं में किसी भी श्रेणी या श्रणियों के पदों पर प्रोन्नति के मामले के आरक्षण हेतु कोई प्रावधन करने से रोका नही जायेगा।

[हिन्दी]

इसकी जगह पर अगर आप दे दें सीधे "किन्तु में कोई भी पिछले वर्ग" जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अगर सीधे यहां पर शेडयूल्ट कास्टस और शैडयूल्ट ट्राइब्ज की जगह पर एमी बैकवडे क्लासिज ऑफ सिटिजन्स हम रख दें और इस अमेंडमेंट को आप मूव कर देते है तो जो सामाजिक न्याय की ताकतें है, दबे–कुचले लोग है उनके साथ न्याय हो पाएगा।

एससी और एसटी फोरम की बात की जाती है, वह स्वागत योग्य है, अगर वे संगठित होकर अपनी बात कहते है। इसका मतलब यह नही है कि ओबीसी के लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर वे लोग भी जितने भी यहां है, इकट्ठे होकर निर्णय ले ले तो आपकी हुकूम्मत एक क्षण चलनी भी मुश्किल में पड़ जायेगी। लेकिन हम सोचते है कि आप सब लोगों के साथ न्याय करंगे। आपके मंत्रालय द्वारा समय–समय पर पेपर सर्कुलेट होते है, उसमे हम लोग देखत है कि यह नही होता है। हम ओबीसी के लोग आपसे न्याय मांगते है। आपकी तरफ से जो है वह एनक्एपर के रूप में है:

[अनुवाद]

अनुबध के अ. जा. म. ज. जा के लिए ओर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 1994 को भार्ती वास्तविक स्तर का प्रतिशत दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति के लिए प्रोविजन है 15 प्रतिशत का, ए केटेगरी में 10.25 प्रतिशत है, बी केटेगरी में 12 प्रतिशत है, सी केटेगरी में 15.73 प्रतिशत का है, डी केटेगरी में 20-46 प्रतिशत है, इसका टोटल एवरेज 16.90 प्रतिशत होता है। ऐसे ही आपने जनजाति का किया है, वह 7.5 प्रतिशत अंडर प्रिजेटेशन है। ए केटेगरी में आपने जनजाति का किया है, वह 7.5 प्रतिशत अंडर रिप्रजेटेशन है। ए केटेटेगरी में 2.9 प्रतिशत किया है बी केटैगरी में 2.18 प्रतिशत किया है, 'सी' केटेगरी में 5.3 प्रतिशत किया हैं, डी केटेगरी के 6.18 प्रतिशत किया है, टोटल एवरेज 5.48 है। इसी तरह से ओबीस का 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। ए केटेगरी में 4.69 प्रतिशत है बी केटेगरी में 10.63 प्रतिशत है, सी और डी दोनों में मिलाकर 24.4 प्रतिशत है और टोटल एवरेज 12.55 प्रतिशत होता है। 27 प्रतिशत इनके लिए आरक्षण है और इनका प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में 12.55 प्रतिशत होता है। क्या इनका हक नही बनता, क्या इनको प्रोन्नति में आरक्षण नही मिलना चाहिए, क्या उनका कमजोर केस है? कितने संघर्ष के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और कितने संघर्ष के बाद अब तक एक आदमी को आप नौकरी दे सके? हम लोग बार–बार सवाल उठाते रहे है कि यूपीएससी में जितने लोगों को आरक्षण प्राप्त है उन सबके लिए चांस की आवश्यकता है, आयु सीमा में छूट की आवश्यकता है। जो लोग इसके लिए लड़ते रहे, उनका चांस नही मिला, बाद में आने वालों का चांस मिला। पहले वे लड़ते रह मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने केलिए और आयु सीमी मे छूट के लिए तो उनको मौका क्यो नही मिला? हमने कहा था कि पिछले साल से लागू किया जाये, आपने उसमे देरी की और न्याय में विलम्ब का अर्थ न्याय नही मिलाना है। इतना लड़ने पर आप डेढ़ साल बाद इसको कर सके। अगर ओबीसी छूट जायेगे तो क्या उनको प्रमोशन मिल जायेगा? चार–छ राज्यों मे यह सुविधा है, इसको केन्द्र सरकार अपने स्तर पर भी दे, हम यही अनुरोध आपसे करना चाहेंगे। हमने इसमे अपना संशोधन दिया है आप इसको स्वीकार करे या आप अपनी तरफ से संशोधन लाइये और इसको कम्प्रीहैसिव बनाये। आप बार–बार इस मामले में संविधान संशोधन लाते है उसके लिए समर्थन करते है, कोई भी कुर्बानी करने का तैयार रहते है। आप खुदड़े पर भी विघयेक लायेंगे तो उसका भी हम समर्थन करेंगे। आप हमारा संशोधन नही मानेगे तब भी हम इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हमे अपने कमिटमेट के मुताबिक समर्थन करना है। लेकिन आप न्याय करे। सिर्फ सेट्रल हाल में बैठकर बात करने से चांस नही मिलेगा या अखबारों में बयान देने काम नही चलेगा। आप लोक से हटकर राज्य सभा और लोक सभा में खड़े होकर बयान देते है, हम लोग भेजे थपथपाते है और आपका हौस्ला बुलंद करते है, इससे भी काम नही चलेगा। कहीं तो उठिये, कुछ तो रिस्क लीजिए। केबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा हुई जहां तक हमें जानकारी है उसमें आप दब गये। आपने वहां कहा कि कुछ लोग विरोध करते है। हमें बताये कि कौन विरोध करता है, वह सामने आना चाहिए। हर दल के सांसद हमसे मिलते है और कहते है कि हमारी पार्टी विरोध नही करती है, आप किसी षडयंत्र का शिकार न बनिये।

रिजर्वेशन के संबंध में एक काम्पिहेसिव बिल एक बार लाना चाहिये। अब तमिलनाडु में एडमिशन का कोटा बढ़ाना था तो एक

बार उसको नवे शेडयूल में डालने के लिये ले आये। आज इसको ला रहे है, ठीक है । हम सब लोग इसका समर्थन करते है। लेकिन कभी सम्यक् विधेयक तो आयेगा जिसमें इस बात का प्रावधान हो कि 50 प्रतिशत की जो सीमा निर्धारित की गयी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि पहले इसी सवाल पर जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला जेरे गौर नही था, प्रमोशन में आरक्षण का मामला उनके जेर–गौर नही था लेकिन उन्होने एक काम्प्रिहैंसिव फैसला दिया। बहुत सारे ईश्यूजा उन्होने कवर किये तो आप सारे ईश्यूज कवर करते हुये उसके लिये उसके मुताबिक अमेंडमेंट बिल में लायेंगे जिससे 50 प्रतिशत की सीमा खत्म हो। आज प्राइवेटाईजेशन हो रहा है तो रिजर्वेशन का बैनेफिट पब्लिक सेक्टर तक लायेग। माइनरटीज को आरक्षण दिये जाने, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए इसी के अन्तर्गत आरक्षण की व्यवस्था की बात होती रही है। उसी प्रकार से कभी काम्प्रिहैंसिव बिल आप लायेंगे? एक बार विचार–विमर्श करके यह करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैथ्मुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि सभी बैकवर्ड क्लासेज के लिए एक अमेंडमेट मूव करिये ताकि सभी वर्गो के साथ न्याय किय जाये।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के. पी रेड्डया यादव।

डा मुमताज अन्सारी (कोडरमा) : महोदय मेरे नाम का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था से अवगत है

डा मुमताज अन्सारी : व्यवस्था यहां है।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय अपना धैर्य मत गैंवाइये। आपकी सूची मेरे पूछने के पश्चात अभी प्राप्त हुई है। विपक्ष अपनी बात कह चुका है अब सत्तापक्ष को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैने गलती कहाँ की है?

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहेब, आपकी बात में दम नही है।

श्री के. पी. रेड्डया यादव : इस विधेयक में न सिर्फ एक दल ने बल्कि इस सभा के अधिकांश कांग्रेसी सदस्यों ने प्रोन्नति हेतु आरक्षण सुविधा में अन्य पिछड़ी जातियां को सम्मिलित करने के लिए इस खण्ड मे संशोधन प्रस्तुत किए है। इस सन्दर्भ के मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि मान लिजिए यदि इस देश मे अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 15 प्रतिशत है जिनकी वित्तीय आर्थिक राजनीतिक और शैक्षिक स्तर बहुत की कम है और कीमी लेयर में यह पिछड़ी जातियों 10 से 15 प्रतिशत है। अन्य 37 प्रतिशत का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर अनुसूचित जातियों से भी कम है। सभा इस तथ्य का भूल रही है। पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग शिल्पकारों आदि अत्याधिक निर्धन है और उनकी हालत अनुसूचित जातियों के लोगों से भी बदतर है। इस सभा के सदस्यगण इस बात को भूल रहे है।

अतः इस सन्दर्भ में, मैं इस तथ्य की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। स्वतन्त्रता के समय देश के समक्ष एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी थी जब कि भारत की जनसंख्या का बहुत कम प्रतिशत सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे था और अधिकांश लोग पिछड़ी जातियों से थे जो सामाजिक ओर शैक्षिक रूप से पिछड़ थे। कोई समुदाय पिछडा था या नही यह सुनिश्चित करने हेतु एक दोहरा मानदंड अपनाया जाता रहा है, अर्थात् सामाजिक और शैक्षणिक परिपेक्ष्य में उनका पिछडापन देखा जाता है।

2.00 म. प.

पिछड़े वर्गो के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जतियों के लागों के साथ विशेष प्रकार की अपागता का व्यवहार किया जाता था क्योंकि सदियों तक अनुसूचित जातियां के लोगों के साथ अस्पृश्यता अमानवीय और निष्ठुर व्यवहार किया जाता रहा है ओर एकान्त जीवन व्यतीत करने के कारण अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समाज की मुख्य धारा से अलग रहना पड़ा था। स्वतन्त्रता से पूर्व इन सभी वर्गो को पिछड़े वर्ग कहा जाता था। इस तथ्य को संविधान में भी समाहित किया गया था।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जो पिछड़े वर्गो का ही एक भाग है परन्तु जिन्हें इस प्रकार की सामाजिक अपागता का सामना करना पड़ रहा है, को उचित न्याय मिल सके के भारत सरकार ने पी. सी. आर अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बनाया है।

अधिकांश राज्यों में सभी पिछड़ी जातियों अर्थात अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो को सुविधाये प्रदान कर जैसे सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों आदि में आरक्षण प्रदान कर आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान किया गया है ताकि सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र में अन्य सभी लोगों के साथ उनकी समानता का स्तर सुनिश्चित किया जा सके।

यद्यपि 50 के दशक से ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भारत सरकार के अधीन सरकारी सेवाओं ओर शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, अन्य पिछड़े वर्गो को जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की ही भाँति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जिन्हें हमारे संविधान द्वारा पिछड़े वर्गो का ही एक भाग करार दिया गया है, एक लम्बे समय से केन्द्र सरकार के अधीन रोजगार के अवसरों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण की सुविधा से वंचित थे।

अतः जब केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो की 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई तो हमने सही दिशामें सही कदम लेने के लिए इस कार्य की सराहना की। परन्तु हमने आशा की थी कि उन्हें और सुविधा प्रदान करने की घोषणा की जायेगी और सरकार द्वारा जल्द से जल्द इसे लागू किया जायेगा जो कि उनका वैद्यानिक अधिकार है और जिससे वे अगड़ी जातियों के समकक्ष आ जायेंगे। इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठ रहे अन्य पिछड़े वर्गो के प्रत्याशियों को आयु में छूट दिए जाने के सरकार के प्रस्ताव का यहां उपस्थित सभी सदस्यों ने स्वागत किया था। मैंने आयु में छूट का प्रस्ताव लाने के लिए श्री सीताराम केसरी जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी थी, वे शायद भूल गए होंगे।

सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गो को आयु में छूट देना आवश्यक समझा, इस बात से इस तथ्य की पुनरावृत्ति होती है कि यदि हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे अन्य लोगों के समकक्ष हो जाए तो उनके पक्ष में बहुत से सकारात्मक प्रोत्साहन कदम उठानें होंगे।

सभी पिछड़े वर्गो का कल्याण और विकास सुनिश्चित करने के लिए इस सम्मानीय सभा द्वारा अनुच्छेद 16(4) लाए गए प्रथम संशोधन के अनुसार राज्य को पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नही है, नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण के लिए उपबंध करने की अनुमति है।

अतः यह स्पष्ट है कि ऐसे सभी पिछड़े वर्ग जिनका सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम है, उन्हें सेवाओं में आरक्षण सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

श्री सीताराम केसरी जी के अधीन आने वाले कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो में, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व के आंकड़े निम्नानुसार है। पिछड़े वर्गो को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह केवल श्रेणी ग और श्रेणी घ सेवाओं में ही आते अटेंडेंट के पदों और लिपिकीय पदों पर ही दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारती पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व मात्र तीन से चार प्रतिशत है। अटेंडेंट, चपरासियों और श्रेणी घ कर्मचारियों के रूप में दिया गया प्रतिनिधित्व बारह से चौदह प्रतिशत होगा। अनुसूचित जातियों के लिए प्रथम श्रेणी की सेवाओं अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में 15 प्रतिशत आरक्षण किया गया है किन्तु इस संबंध में उपलब्धि लगभग 12 प्रतिशत ही है तथा श्रेणी–ग और श्रेणी–घ के पदों मे उनकी संख्या उनके आरक्षण कोटे से कहीं अधिक है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सीताराम केसरी जी द्वारा दिए गए आंकड़े हैं।

किन्तु अनुसूचित जनजातियों के संबंध में स्थिति बहुत खराब है हालांकि उनके लिए 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित हैं किन्तु भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनकी संख्या दो प्रतिशत से भी कम है।

इसलिए उन्हें अटेंडेंटो के कुछ और पद तथा श्रेणी घ और श्रेणी ग सेवाओं में कुछ पद दे दिए जाने चाहिए इसका अर्थ यह नहीं है कि इन सभी पदों की संख्या को जोड़ कर वे यह कह दें कि उन्होंने इतने प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ऐसा करना गलत है।

अतः यह स्पष्ट है कि अन्य पिछड़े वर्गो जो जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत भाग हैं और जिन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गई है, का सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व सभी पिछड़ी जातियों में कम है। अतः यह भी स्पष्ट हैं कि जब संवैधानिक रूप से पदोन्नतियों में आरक्षण व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो ऐसे प्रयास में अन्य पिछड़े वर्गो को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में, मैं इस सम्माननीय सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रस्तांबित संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना हैं जो मंडल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण उठ खड़ी हुई हैं।

इन कठिनाइयों का सामना न केवल केन्द्रीय सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को भी करना पड़ रहा है। अतः इस संवैधानिक संशोधन से केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों दोनों की ही समस्याओं का निवारण हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इत्यादि जैसे राज्यों में वे पहले से ही पदोन्नति में आरक्षण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अतः उन्हें अब इस सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ पिछड़े वर्गो के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए सभी पिछड़े वर्गो को मिलकर संघर्ष करना चाहिए। यदि हम ऐसा संवैधानिक संशोधन लाते हैं जिसमें पिछड़े वर्गो के किसी भाग की आरे ध्यान न दिया गया हो तो ऐसा कदम उठाने से पिछड़े वर्गो में ही सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जायेगा अतः मैं भारत सरकार को इस बारे में आगाह करता हूँ और यह आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया जाए :

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान पर सभी पिछड़े वर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग होने चाहिए।" मेरा यही अनुरोध है। मैं किसी दल विशेष को संबोधित न करते हुए इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूँ कि वे इस चुनौती को स्वीकार करें और दबाव डालने वाले गुटों का विरोध करें। अभी–अभी श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसका आशय यह नहीं है कि दबाव डालने वाले हथकंडों का इस्तेमाल करके पिछड़े वर्गो को एक साथ खड़ा नहीं किया जा सकता। यदि भारत सरकार या अन्य किसी दल के नेता इस तरह की बात सोच रहे है तो यह उनकी भूल है।

सामान्यतया पिछड़े वर्ग के लोग और उनके नेता इतने संयमी है कि आगे आकर दबाव डालने का तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। किन्तु यदि वे एक बार दबाव डालने का मार्ग अपनाने का निर्णय ले लेते है तो मुझे ऐसा लगता है कि वे सारे समाज पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखते हैं। पिछड़े वर्गो और मुसलमानों की शक्ति के आगे सरकार कुछ भी नहीं है यदि मुसलमान और पिछड़े वर्ग एक साथ मिल जाते हैं तो निहित स्वार्थ रखने वाले लोग इस देश की सम्पत्ति को नहीं लूट सकेंगे।

अतः मैं भारत सरकार और सभी राष्ट्रीय नेताओं से यह आग्रह कर रहा हूँ कि वे ऐसा संशोधन लाए जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अन्य पिछड़े वर्ग भी लाभन्वित हों।

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० मुमताज अन्सारी की बारी है। किन्तु श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस विषय पर अभी बोलने के लिए अनुरोध किया है। यदि डा० मुमताज अन्सारी सहमत हों तो उन्हें बोलने क लिए पांच मिनिट का समय दे दिया जायेगा।

डा० मुमताज अन्सारी : जी हां, मैं सहमत हूँ महोदय।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय मुझे बोलने हेतु देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में बोलूंगी हालांकि यह ऐसा विषय है जिस पर वास्तव में विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहती हूँ कि कुछ वर्ष पहले मैं श्री अनादि चरण दास की अध्यक्षता में गठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति की सदस्य थी। पदोन्नति में आरक्षण का मुददा तो एक तरफ आरम्भिक चरण में ही इन जातियों के लिए आरक्षित इतने अधिक बकाया पद रिक्त थे कि अनुसूचित जतियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित बहुत से पद रिक्त हैं और यह हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है हमें पहले इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए।

दूसरे पदोन्नति के संबंध में मैं एक बात कहना चाहती हूँ जब पदोननतियें में आरक्षण के मामले पर विचार किया गया था तो संस्थागत प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया था क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकती हूँ कि कितने प्रतिष्ठान उन लोगों को संस्थागत प्रशिक्षण दे रहे है? जहां तक मुझे जानकारी है, कोई भी प्रतिष्ठान व्यवहारिक रूप से इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दे रहा है ऐसे अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता जिन्हें पदोन्नत किया जाना है? संस्थागत प्रशिक्षण से सबको और विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों के हमारे भाइयों को मदद मिलेगी। अतः मैं आग्रह करती हूँ कि संस्थागत प्रशिक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

मैं इस पदोन्नती के मुद्दे के अलावा एक विशेष मुददा उठाना चाहती हूँ। मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहती हूँ किन्तु, महोदय सत्ता पक्ष के सदस्य मेरी बात नहीं सुन रहे है और वे लोग आपस में बातें कर रहे हैं।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंग्का बालू) : महादेय, मैं सुन रहा हूँ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैने उनहें देखा नहीं था।

उपाध्यक्ष महादेय : वह सजग भी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां, वह सजग है। मैने उनकी ओर ध्यान नही दिया था।

श्री के. वी. तंग्का बालू : आप मुझे इसलिए नही देख पाई क्योंकि मैं पीछे की बैंच पर बैठता हूँ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी नही; आप किसी भी मामले में पीछे रहने वालों में से नही हैं।

श्री आर. अन्वारासु (मद्रास मध्य) : वह सजग भी हैं और सक्रिय भी हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महादेय, जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए नौकरियों के आरक्षण के मामले का संबंध है, मैं यह मांग करती हूँ कि प्रत्येक वर्ग में 50 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। ऐसा करना बहुत आवश्यक है क्योंकि देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का ५० प्रतिशत यही मेरी मांग है। मैं आशा करती हूँ कि सभा इस मांग का समर्थन करेगी तथा हमारे भारत की महिलाओं को उनकी वर्तमान स्थिति से कहीं बेहतर स्थिति में लाने में मदद देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, वस्त्र मंत्री दो विधेयक पुरःस्थापित करेंगे और तत्पश्चात हम उन पर चर्चा करेंगे।

2.10 म. प.

(दो) रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक*

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रूग्ण क्रपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि रूगण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1986 में संशोध न करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में दिनांक 2-6-95 को प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

2.12 म. प.

(तीन) कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक*

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र और सूत के उत्पादन और वितरण में वृद्धि करने की दृष्टि से जिससे कि जनसाधारण का हित साधन हो सके, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों का और ऐसे कपड़ा उपक्रमों के संबंध में स्वामियों के अधिकार और हित का अर्जन और अंतरण करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुशंगिक विषयों का अपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : " कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र और सूत के उत्पादन और वितरण में वृद्धि के करने की दृष्टि से जिससे कि जनसाधारण का हित साधन हो सके, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों का और ऐसे कपड़ा उपक्रमों के संबंध में स्वामियों के अधिकार और हित का अर्जन और अंतरण करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जायेगी।

2.131/2 म. प.

संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक-जारी

(अनुच्छेद 16 में संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक पर पुनः चर्चा करेंगे अब डा० मुमताज अंसारी बोलेंगे।

डा० मुमताज अंसारी (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपने दल जनता दल की ओर से संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ।

2.14 म. प. (श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)

महोदय, यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारी विस्मय और चिन्ता का विषय है क्योंकि उनके लिए पदोन्नति में आरक्षण सन् 1955 से लागू हो गया था। किन्तु उच्चतम न्यायलय द्वारा दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप इस देश में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने वाले शासकीय तंत्र में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आरक्षण को सन् 1997 तक लागू और प्रभावी रहना था। किन्तु देश के प्रत्येक कोने में कार्यानवयकारी तंत्र द्वारा कुछ भ्रान्तियां पैदा कर दी गई थी।

महोदय, अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की नीति को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही कार्यन्वित कर दिया गया था और इसी नीति का अनुसरण सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उन लोगों ने किया था जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। किन्तु इस सब के बावजूद कुछ भ्रान्तियां हैं। देश के बहुत से भागों में अधिकारियों की मनमानी के कारण इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। भर्ती और पदोन्नति दोनों के संबंध में बैकलाग क्यों है? हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? यह समाज के सभी वर्गो तथा सभा के लिए भी चिन्ता का विषय है। सरकार की ओर से नेकनीयती, इरादों, निष्कपटता और ईमानदारी की कमी रह जाती है। भले ही कोई भी सरकार हो और कोई भी उस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, मेरा यही मानना है। किन्तु इन सब चीजों की कमी रही है। इन नीतियों का कार्यान्वयन ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है।

महोदया, कांग्रेस सरकार का व्यवहार बिल्कुल उस नेत्रहीन व्यक्ति और हाथी की तरह है जिसके बारे में मैने अपने स्कूल के समय में एक नेत्रहीन व्यक्ति और एक हाथी की कहानी में पढ़ा था। इसी तरह कमी तो कांग्रेस सरकार हाथी की पूंछ पकड़ती है, कभी उसकी टांगें और कभी उसके कानों को पकड़ती है। इस तरह देश में संश्य की स्थिति व्याप्त है। उन्हें एक व्यापक आरक्षण विधेयक रखना चाहिए था। किन्तु वे इन आरक्षण संबंधी कानूनों को टुकड़ों में और चयनित आधार पर ला रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, संविधान के उपबन्धों के अनुसर पिछड़े वर्ग भी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो में शामिल हे। तो आप इन दोनों विधेयकों को एक साथ क्यों नही जोड़ देते? आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए अलग से एक विधेयक रख रहे है। किन्तु आप इसमें अन्य पिछड़े वर्गो के लिए पदोन्नति में आरक्षण का मामला क्यों नही जोड़ देते? इस प्रकार के भेदभाव पूर्ण रवैये और सरकार की इस लापरवाही के कारण देश भर में लोगों के दिलों में संशय उत्पन्न हो रहे हैं और वे परेशान हो रहे है। इसी कारण दलित वर्ग इतना अधिक शोर मचा रहे है। वे डरे हुए है क्योंकि आप जो भी नीतियां बना रहे हैं उनका कार्यान्वयन ईमानदारी से नही हो रहा है। आप जो भी कानून ला रहे हैं हम उसके लिए आपको अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं इस बात में कोई संशय

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खण्ड 2 में दिनांक 2-6-95 को प्रकाशित।

नही है। किन्तु कई बार आप यह कहते है कि अन्य पिछड़े वर्गो के संबंध में सर्वसम्मति नही है ऐसे शक की गुंजाइश कहा है और सभा का कौन सा वर्ग इस बात पर आपत्ति कर रहा है? सभा का कोई भी दल अन्य पिछड़े वर्गो को शामिल किए जाने पर आपत्ति नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि आपको ही आपत्ति है। स्वयं कांग्रेस के ही कुछ लोगों को ही आपत्ति है।

भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि वे इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते है और हम भी अन्य पिछउे वर्गो के लिए संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखा गया हैं। इन्हें मिलाया नही गया है। अतः इसमें कुछ भ्रान्ति है। आपकी ओर से भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो सकती है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको यह निश्चित रूप से बता रहा हूँ। श्री सीताराम एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है। इसीलिए मैं उन पर आरोप नही लगा रहा हूँ। किन्तु उनके हृदय में भी अन्य पिछड़े वर्गो के संबंध में किसी प्रकार की कोई भ्रान्ति और आपत्ति हो सकती है। इसीलिए वे इस दोनों विधेयकों को एक साथ नही रख रहे है। माननीय मंत्री जी, महोदय इस महान सभा के सभी वर्गो में और विभिन्न दलों के सदस्यों ने आपको कुछ भी करने की छूट दी थी लेकिन इन आश्वासनों के बावजूद और पूरे समर्थन के बावजूद आप इन दोनों विधेयकों को एक साथ नही ला रहे है दरअसल अन्य पिछड़े वर्गो के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 86वें संविधान संशोधन विधेयक के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाना चाहिए था। अतः आप अन्य पिछड़े वर्गो के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव क्यो बरत रहे है?

महोदया मेरी राय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की 16 नवम्बर 1992 की घोषणा से यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई है। और हम उन सभी अधिकारियों के और तन्त्र के मन से सभी प्रकार के संदेश और भ्रान्ति दूर करने के लिए तेयार हैं जो देश में इन आरक्षण नीतियों को कार्यान्वित कर रहे है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कठोर दंड के लिए प्रावधान किया ही जाना चाहिए समूचे देश में संकरण पद–रिक्तियाँ क्यों रहे? जब वी. पी. सिंह सरकार सत्ता में आई तो वह यह देखने के लिए सभी प्रकार की समीक्षाएँ कर रहे थे कि यह बकाया पद–रिक्तियां कयों है अब इस बकाया पद–रिक्तियों को भरा जाना चाहिए और इन बकाया पद–रिक्तियों को किस प्रकार पूरी तरह भरा जाए। हमारा दृष्टिकोण यह था लेकिन हम लम्बे समय तक सत्ता में नही रह सकें अन्यथा हम सब कुछ पूरा कर देते और आपके पास कुछ करने को नहीं होता। आप केवल तुच्छ राजनीति के लिए और केवल वोट प्राप्त करने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और इसलिए आप इस विधेयक को ऐसे समय लाने की जल्दबाजी कर रहे है जब यह सत्र समाप्त होने को है।

जहां तक पिछड़े वर्गो का सम्बंध है आपको एक ऐसा विधेयक लाने का प्रयास करना चाहिए और हम उस विधेयक का समर्थन करने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि हम नही समझते कि इस के बाद सभा के सभी सदस्यों को ऐसा अवसर मिलेगा। इसीलिए मैं आप से यह गभीर और विनम्र अपील कर रहा हूँ। मैं पूरी विनम्रता के साथ आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि उस विधेयक को भी इस विधेयक के साथ मिला दिया जाए और इस माननीय सभा के सभी वर्ग इसका समर्थन करने के लिए तैयार है।

इसी प्रकार आंकड़ो से संबंधित जो भी जानकारी आपको दी गई है, मैं उसे तोते की तरह दोहराऊंगा नहीं। आँकड़ों संबंधी जानकारी के अनुसार जहाँ तक पिछड़े वर्गो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का संबंध है पिछड़े वर्गो का केवल 12 प्रतिशत आरक्षण दिया गया हैं, अनुसूचित जन जाति को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तथा अनुसूचित जाति के लोगों को 14 या 15 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जहाँ तक आरक्षण नीति का संबंध है उसकी स्थिति यह है। इसीलिए यदि आप उन्हें इस देश में रह रहे अन्य समुदायों के बराबर लाना चाहते है तो आपको यह संविधान (संशोधन) विधेयक पारित करना होगा; बल्कि आपको इसे बहुत पहले पारित करना चाहिए था। केवल इस कानून को पारित करना ही पर्याप्त नही है। यदि आपका तन्त्र और आपके नौकरशाह बेईमान और कपटी हैं, तो वे पदोन्नति के संबंध में इस आरक्षण नीति को कार्यानवत करने की स्थिति में नही हो सकते। अतः दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। उन सभी अधिकारियों को कठोर और निवारक दण्ड दिया जाना चाहिए जिससे कि भविष्य में ऐसा कोई बैकलॉग न हो। पदोन्नति के सम्बध में इस आरक्षण नीति को कार्यान्वित करने के दौरान तन्त्र की और से किसी प्रकार की ईमानदारी की कमी नही होनी चाहिए अन्यथा अधिकारीगण तुच्छ आधारों पर उपयुक्तता के आधारों पर किसी न किसी अन्य अनेक गुणों के आधारों पर या अन्य आधारो पर यह आरक्षण नीति कार्यान्वित नही होने देंगे।

कभी कभी आप ऊपरी सीमा 50 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात करते है। आप एक व्यापक विधेयक क्यों नही लाते और आप इन सब बातों को हमेशा के लिए एक साथ क्यों नही मिला देते? यह मेरा आपसे अनुरोध है।

जहाँ तक दलितों का सम्बंध है ये दलित लोग मुस्लिम और ईमाई समाज में भी हैं। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि ये दलित लोग ये कोई भी हो वे मुस्लिम समाज के हो सकते है, ईसाई समाज के हो सकते है, वे बौद्ध समाज के हो सकते है यदि वे उस सीमा क्षेत्र में आते है, यदि वे उस श्रेणी में आते है, यदि वे दलित श्रेणियों से संबंधित है, तो उन्हे ये सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसे बहुत से मुस्लिम महलाल खोर हैं ऐसे बहुत से मुस्लिम धोबी हैं ऐसी बहुत सी मुस्लिम नर्से है ऐसे बहुत से मुस्लिम फकीर है ऐसे बहुत से मुस्लिम हज्जाम है, मुस्लिम समुदाये में भी ऐसी बहुत सी श्रेणियां है। अतः इन लाभो के साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। यदि आप आस्था और धर्म के आधारों तथा पंथ और रंग के आधारों पर भेदभाव करते है तो यह कोई समानता नहीं है, वे इन आरक्षण लागों को प्राप्त कर रहे है। उनके साथ यह अन्याय है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि चाहे वे मुस्लिम, ईसाई या बौद्ध लोग हैं, यदि वे दलित वर्गो से संबंधित है यदि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में उन्हे भर्ती, रोजगार और पदोन्नति के सम्बन्ध में इस आरक्षण नीति

के सीमा क्षेत्र के अर्न्तगत भी लाया जाना चाहिए। ये सभी सुविधाऐं उन्हें दी जानी चाहिए और वैघानिक उपबंधों की दृष्टि से कानून के समक्ष समानता होगी।

इसी तरह बार–बार आप देश में यह दृष्टिकोण दर्शाते है कि मुसलमानों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण होगा। यदि आप सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करें यदि आप मुस्लिम समाज की आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखे तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि मुसलमनों की हालत इन दलितों कि अपेक्षा यहाँ तक कि पिछड़े वर्गो से भी बदतर है। अतः आप समुदाय के लिए आरक्षण देने के बारे में एक विधेयक क्यों नही लाते?

इनके लिए अलग से आरक्षण होनी ही चाहिए। आपने कई बार यह वायदा किया है। समाज का और समूचे राष्ट्र का और एक हिस्सा हाने के कारण इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती और सभी लोग कठिनाई का सामना कर रहे है और इसके लिए चिल्ला रहे है। इसीलिए इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। केरल में भी मुस्लिम समाज के लिए कुछ इस प्रकार का आरक्षण दिया गया है। वयोवृद्ध लोग यहाँ उपस्थित है। वे भी कहते हैं कि यहां इस प्रकार का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए। समाज के लिए भी आरक्षण की घोषणा की जानी चाहिए। आप वयोवृद्ध है और आपने पार्टी के लिए सरकार के लिए समाज के लिए और इस देश में रह रहे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्य किये है।वे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। न्याय से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक आरक्षण नीति का सम्बंध है इसमे उनहें भी समायोजित किया जाना चाहिए।

इसके लिए अब खतरा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शासन काल में निजीकरण, उदारीकरण पारस्परिक होड और अनतर्राष्ट्रीयकरण यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक बार सभी सरकारी उपक्रमों बिखराव से, क्या नौकरी के अवसर रह जाएंगे। मिलेगें? आरक्षण का क्या अर्थ और मायने रह जाएंगे? इसीलिए मैं आपसे इस कानून को पारित करने और कुछ कानूनी प्रावधान कुछ संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ ताकि कुछ आरक्षण नीति बनी रहे जिसका गैर सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा पालन किया जाए।

मैं अपनी आरे से और अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। यही हमारी नीति और हमारा सिद्धान्त है कि जब कभी आप ऐसे विधेयकों को लाये तो हमें ऐसे विधेयकों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन आप यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में लाये हैं इतनी जल्दबाजी में कि हम इसे समझ नहीं सके इन सब कमियों, त्रुटियों और तमाम दोषो के बावजूद मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूँ।

इंन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदया, यह बिल जो हमारे समक्ष अया है, इसका मै पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूँ। 16 नवम्बर 1992 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी विचार करके इसे लाए है। सभी दलो के अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यो के फोरम में यह बात हईु। मैं इस बात के लिए सबको बधाई देना चाहता हूं कि सब इसे खुशी से पास कर रहे है। यह बिल इसलिए आया है क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों के मन ने यह भावना पैदा हो गई थी कि 50 साल से बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है। सभी दलों ने इसकी सराहना की है।

अनुसूचित जाति, जनजाति कमिशन भी है लेकिन उसका काम अधूरा है, उसकी कोई भी रिपोर्ट अभी तक डिस्कशन के लिए नहीं आई है। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, उनमें पहले रिजंवेशन का कोटा था लेकिन अब वह खत्म हाने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उनमें पहले की तरह ही रिजर्वेशन का कोटा होना चाहिए। बाहर से जो लोग यहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए आएंगे, उनमें भी हमारे लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए।

उसमें भी 15 परसेण्ट है लेकिन स्वीपर और नीचे के सफाई मजदूरों में भी कई दूसरे लोगों को शामिल कर लिया जाता है। हमारे देखने में आया है कि कई राज्यों में इस तरह से चला आ रहा है कि वहां पर रिजर्व कोटा का कोई भी आदमी नहीं लिया जाता है और रिजर्व कोटे का लिया जाता है तो लेशमात्र लिया जाता है। मैं यहां भारत सरकार के मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सारे देश के अन्दर अगर डम्प्लमेंटेशन कराना है तो इसके लिए आवश्यक है कि आप राज्य सरकारों को हिदायत करे। इसकी मोनिटरिग होनी चाहिए कि कितने आदमी उन्होंने रिजर्व कोटे वाले रखे है और नही रखे तो उनके लिए क्या पनिशमेंट करना है।

राजीव गांधी जी ने एक फैसला किय था कि अगर रिजर्व कोटे को पूरा नही करेगे तो हम उन आदमियों को पनिश करेंगे तो तब थोड़ा सा एक्शन हुआ था। उन्होने सभी संसद सदस्यों को पत्र भी लिखा था, जिसका मैं मोटे तौर पर हवाला दे रहा हूं। मै समझता हूं कि उनकी कोन्फीडेशिलय रिपोर्ट भी खराब कर दी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति या बैकवर्ड का कहना यह है कि जब किसी को पता लग जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या बैंकवर्ड का आदमी है तो उसकी CR खराब कर दी जाती है, क्योंकि अधिकारी नही चाहते कि इस तरह के कानून को इस इमप्लीमेट करें। यही कारण है कि इतने सालों मं यह इम्लीमेंट नही हुआ है।

सरकार की जब नजर गई तो सरकार ने बड़ा भारी काम किया, लेकिन कई भाईयो ने कांग्रेस को दोष दिया है। मैं उसकी इसलिए सराहना करता हूं कि जिस आदमी को काला टीका लगता है, वह काला टीका हमारे उसके ऊपर असर नही करता। छोटे बच्चे को भी माँ इसलिए काला टीका लगती है! ऊपर यह आषेक्ष करना कि कांग्रेस ने आक्षेप कुछ नही किया ठीक नही है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश को आजाद करायाँ कांग्रेस ने हमको इस काबिल बनाया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को गांव से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचाया। यह सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है, लेकिन इसमे भी माननीय मंत्री जी बड़ा भारी फर्क हो

गया है, क्योंकि यहां तो हमारे लिएं कोटा रिजर्व है, लेकिन राज्य सभा जो दूसरा हाऊस है, उसमे कोटा नही हें यह जो रिजर्व कोटे की बात है, यह वहां राज्य सभा में भी पूरी होनी चाहिए, ताकि हमारे लोग यह समझे कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए लोक सभा मे जगह है और राज्य सभा मे नही है इसलिए इसको भी पूरा किया जाना चाहिए।

एक बात मै यह कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के हाई कोर्ट के जज अभी तक बहुत कम है। उनके लोग हाई कोट के जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज नही है, तो मैं यह कहना चाहता हू कि इसके लिए खास तौर पर अब तो काफी लोग एल. एल. बी हो गये है। वकील हो गये है। यहां पर जिक्र चलता है कि 15 साल प्रैक्टिस करने के बाद कोई वकील हाई कोट का जज बन सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे जो वकील साल साल तक वकालत करता है, वह सैंशन जज बन सकता है। हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग है, उनको कम से कम उस आहदे पर पहुंचाया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ मैं यहां यह कहना चाहत हूं कि बहुत भारी बाते इस देश के अन्दर होती है।

अगर कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का आदमी है तो उसका ट्रांसफर बहुत दूर कर दिया जाता है, जहां उनसे नफरत की जाती है। गांवों मे कई जगह हमारे देखने में आया है कि उनको वहां मकान नही मिलता है। उनको दूरदराज के क्षेत्रों में बदला जाता है और इसलिए बदला जाता है कि उनके अन्दर बदले की भावना होती है । वह नही समझते है कि एक अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी ने बड़ी मुसीबतों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाया है। उनको कभी शहर की तरफ नही आने दिया जाता है, इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए।

सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि सर्किल में उनके साथ जयादती तो नही हो रही है। अगर उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेट की शैडयूल्ड/SC ट्राइब्स की कमेटी सारे देश मे घूमती है। इस कमेटी के जो सदस्य बन जाते है, वह सब इस हाऊस के इलीक्टिड मैम्बर्स होते है, जब वह सारे देश के अन्दर घूमते है, भ्रमण करते है और देखते है कि बैको में क्या हो रहा है, पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स में क्या हो रहा है तो सारी जगह बैकलॉग नजर आता है और यह नजर आता है कि वह लोग अपनी अगर एसोसिएशन बना रहे है तो उसमे उनको कोई TA,DA नही मिलता है, उसके लिए अलग यूनियन है, जो उनको पीछे रखती है। मैं समझता हूं कि यह ज्यादती भी खत्म होनी चाहिए ओर जो शैडयूल्ड कास्ट्स शैडयूल्ट टाइम्स के फोरम है, उनको पूरा मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी बात निर्भय होकर कह सके।

प्रमोशन के बारे मे तो मैंने कह दिया है, प्रमोशन की मुझे खुशी है। इसके साथ–साथ एक बात मुझे और कहनी है। मकान बनाने क लिए जो कर्जा शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों को ट्राइब्स के लोगों को दिया जाता है,

उनको मकान बनाने के लिए कर्जा नही मिलता है। अगर आप आंकड़े देखे कि किस–किस डिपार्टमैंट ने उन लोगों को कितना कर्जा दिया तो सारी वस्तु स्थिति आपके सामने आ जायेगी। अगर वे मकान बनाने के लिये दरख्वास्त करते है तो उसे रिजैक्ट कर दिया जाता है। यह ज्यादती उनके साथ होती है। इसके कारण उनमे दुर्भावना पैदा होती है। सरकार की मंशा चाहे कितना भी साफ क्यों न हो लेकिन काम करने वाले अधिकारियों की भावना ठीक नही होती है।

इन्दिरा जी ने अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को जमीन के पट्टे दिये थे। वह गरीब लोगों को भूमि देना चाहती थी। कई राज्यों में तो उन लोगों को जमीन मिली लेकिन कई राज्य इस काम में बहुत पीछे रहे। वे भी इन्सान है और इन्सान की तरह जिन्दगी व्यतीत करना चाहते है। अगर कोई नीचे की कौम होती है तो उसके लिये पानी का अलग से इंतजाम किया जाता है। इस ज्यादती को दूर करने के लिए अगर गरीब लोग इकट्ठे होते है ता उन पर जुलम किये जाते है।

आज समाज में दो ही कौमे है गरीब और अमीर। आज गरीब पिसता जा रहा है और अमीर आगे बढ़ता जा रहा है। आज गरीब वर्ग की तरफ खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। सरकार जो कानून लेकर आई है, उनमें अच्छी बाते होते हुए भी कुछ लोगों को इसमें ऐतराज है।

अभी किसी माननीय सदस्य ने अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के प्रमोशन की बात की। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। बम्बई में एअरलाइन्स में किसी लड़की ने परीक्षा दी तो उसमें अपनी कास्ट बाते दी तो उसकी नियुक्ति नही हुई। जब उसने दूसरी किसी परीक्षा में अपनी कास्ट नही बतायी तो उसकी नियुक्ति हो गई। वह अच्छे स्कूल की पढ़ी हुई थी। उनके साथ जो ज्यादती होती है,उसे दूर किया जाना चाहिये।

राजीव जी ने हम लोगों को एक मीटिग मे कहा था कि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जो आरक्षित कोटे को नही भरते है। आज भी आरक्षित सीटों को भरा नही जाता है। जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये जाते है, उनमें बड़ा भारी फर्क होता है। इसका कारण यह है कि अधिकारी आदेश का पालन नही करते है।

आज हाई कार्ट और डिस्ट्रिक कोर्ट में अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के खिलाफ जितने मुकदमें चल रहे है। उनका निर्णय नहीं किया जाता है। मुकदमा चलते कई साल लग जाते है। उनका मुकदमा लडने के लिए कोई भी वकील आगे नहीं आता है। उनकी तरफ से कोई भी वकालत करने के लिए तैयार नहीं होता है।

अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिये चलायी जा रही योजनाओं के लिये जो पैसा दिया जाता है, उनका भी विवरण आना चाहिये। जितने भी अनुसूचित जाति और जन जाति के संसद सदस्य है चाहे वे ऑपोजिशन के हो, उनके पास इस बात कें

आंकड़े आने चाहिये कि फलां राज्य को इतना पैया दिया। इससे उन सब को पता चल जायेगा कि कितना उन पर पैसा खर्च किया जा रहा है। और कहां—कहां उनके साथ ज्यादती हुई।

यदि कोई अनुसूचित जाति या जन जाति का व्यक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज ही नही की जाती है। अगर बहुत शोर लगाने पर एफ आई आर दर्ज हो जाती है तो निर्णय लेने में देरी की जाती है। इस तरफ सरकार को खास तौर पर ध्यान देना चाहिये।

विभिन्न राज्यों में हाऊसिंग बोर्ड बने हुए है। वहाँ भी अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों का कोटा फिक्स होना चाहिये। दिल्ली, शिमला, बम्बई में जो सरकारी मकान बनाये जाते है, उसमें भी अनुसूचित जाति और ज़न जाति के लोगों को 15 परसैंट और साढ़े सात परसैट रिजर्वेशन मिलना चाहिये।

यह नहीं होना चाहिए कि उनको मकान ही न दे। अगर आप इनकी सहायता करना ही चाहते है, तो कम से कम उनको मकान बनाने दे, ताकि वे डंडा खान से बच जाये।। गांवों में तो इन लोगों की बहुत बुरी हालत है। मैं आपको गुजरात के बारे में बताना चाहता हूं। गुजरात के महसाना जिले में मैने देखा कि वहां से बहुत से लोग अहमदाबाद आ गए है। मैं वहा कमेटी के कंवीनर की हैसियत से गया था, वहां बताया कि उन लोगों के साथ बहुत ज्यादतियाँ हो रही है मैने कालका दास जी से भी कहा कि इन लोगों के एड्रैस करे। हमने कहा कि मुख्यमंत्री को बुलाओं। हुआ यह कि एक अनुसूचित जाति के आदमी को मार कर रेल की लाइन पर लाश डाल दी गई, जिससे लगे कि कोई दुर्धटना हुई है। जब यह मामला आगे बढ़ा, चूंकि किसी ने देख लिया था, इस लिए केस रजिस्टर हुआ और फिर लोग गिरफ्तार हुए। मैं कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है।

महोदय, मैं अधिक समय नही लेना चाहता हूं। मैं सरकार का आभारी हूं कि वह यह बिल सदन में पास करने के लिए लाई है। कहने को तो कहा जा रहा है कि सरकार जल्दी में यह बिल लेकर आई हैं हमारे भाई चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, जनता दल के हो समता पार्टी के हो और चाहे झारखण्ड के हो या तेलगू देशम के हो, सभी लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है। इस पर यादव जीने और नीतीश जी ने भी अपने विचार व्यक्तकिए है। मंत्री जी ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग कानून आएगा और मैं कहना चाहता हूं कि सदन मे सदस्य ऐसे बिल पर दो भागों में नही है और सब उसका भी समर्थन करेंगे। मैं पुनः मंत्री जी का आभारी हूं कि वे इस बिल को लेकर सदन में आए है और इसके साथ ही मै आशा करता हूँ अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जन जाति का जो नौकरियों में बैकलॉग चल रहा है, उसको भी पूरा करने के लिए कदम उठायेंगे।

इसके अलावा मंत्री जी इस श्रेणी में अब बुद्धिष्ट भी आ गए है। उनको भी कोटा नही दिया गया है। मैं कहूंगा कि उनको भी कोटा देना चाहिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बालने के लिए समय दिया।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, सभी पक्ष के प्रतिनिधियो ओर लीडरों ने इस बिल को पास करने के लिए सहमति दी है, इसलिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कोई बात नही थी, कोई चर्चा नही थी, फिर भी इस निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया। इस देश के अन्दर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे है, जो पहले से ही अनुसूचित जाति और अनूचित जनजति के विपरीत मानस रखते है। कानून तो बहुत अच्छे होते है, लेकिन उन पर अमल करने वाला दिल और दिमाग अनुसूचित जाति और अनुसूचिज जनजाति के प्रति सही नही है। ऐसी कोई भी जगह नही है, जहां पर इनके साथ अन्याय नही होता है। इस कानून पर अमल होने वाला था, इन लोगों को प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही निर्णय आया तो प्रमोशन को रोक दिया गया। फिर उसी निर्णय के आधार पर हर जगह प्रमोशन पर रोक लगाने लगी। तीन—चार साल पहले अनुसूचिज जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन लोगों को प्रमोशन मिलने वाला था, जो प्रमोशन पाने के योग्य थे लेकिन पा नही सके, इसके परिणामस्वरूप इन लोगों को लाखों रूपये का नुकसान हुआ है। इसके साथ—साथ उनको मानसिक आघात पहुंचा है। जहां—जहां भी मौका मिलता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। नौकरियाँ देने में उनके साथ अन्याय किया जाता है। अभी सुल्तान पूरी जी बता रहे थे, रिजर्वेशन में जो साढ़े प्रन्दह परसेट और साढ़े सात परसेंट है लेकिन जो फर्स्ट क्लास आते है। अच्छे नम्बर पाते है, उनको भी रिजर्वेशन में गिनकर इन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है।

वहां जो फर्स्ट क्लास पास होते है उनका रिजर्वेशन में गिनते है, यह गलत है। उनको जनरल केटेगरी में लेना चाहिए और जिसके कम परसैटेज होते उनका रिजर्वेशन में गिनना चाहिए इसके साथ—साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर जगह कोई न कोई बात कह कर प्रमोशन रोक दिया जाता है। हमने बार—बार कहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की सीआर बिगाड़ दी जाती है। उनका कोई गुनाह नहीं होता है, उनका सीआर बिगाड़ करके प्रमोशन रोक दिया जाता है। इतना ही नहीं, कभी—कभी तो उनका इनक्रीमेंट भी रोक दिया जाता है और फिर उसके बाद बरसों तंक लड़ाई करने के बाद भी इनक्रीमेट नही मिलता है। मैं खुद बैंक के कर्मचारियों के लिए लड़ा था जब बैंक के क्लर्क का इनक्रीमेंट रोका जाता है तो उनको कितना धाटा होता है, इसको आप समझ सकते है।

मैंने कल ही प्रश्नकाल में एक सवाल उठाया था कि आज तक बैकलॉग पूरा नही हुआ, रिजर्वेशन पूरा नही हुआ। हर साल बैकलॉग बढ़ता ही जाता है। इसको पूरा करने के लिए स्पेशल भती तो की जाती है लेकिन उसका सही परिणाम नही आता है। इसलिए यह हो रहा है कि हर साल बैकलॉग इतना ज्यादा होता जाता है। आज सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नाराज है। इसलिए यह बैकलॉग जल्द से जल्द भरने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार कों निर्देश

देना होगा। इसके साथ–साथ ट्रांसफर का भी अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सवाल है। इनका ट्रांसफर ऐसी जगह दूरदराज किया जाता है कि जहां रहने के लिए इनको कोई सुविधा नही होती। इनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता और इनके लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग जब कभी इसके लिए कहते है तो अधिकारीगण कहते है कि नौकरी लेते वक्त बताते नही हो। भई, नौकरी की किस को आवश्यकता नही है। ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का जब ट्रांसफर होता है तो उनको रेलवे स्टेशन के नजदीक या किसी शहर नजदीक के गांव में ट्रांसफर करना चाहिए। उनको परेशान करने के लिए दूसरी जगह रख देते हे।

महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि एक बैंक की सर्विस थी। उसमें अहमदाबाद वाले को पोरबंदर भेज दिया और पोरबंदर वाले को अहमदाबाद भेज दिया। ऐसा करने की क्या जरूरत है? उनको कही नजदीक नौकरी के लिए सुविधा देनी चाहिए। इसके साथ–साथ मैं यह कहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए रिजवेंशन नही है। अभी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स मे ही रिर्जेवेंशन पूरा नही हुआ है अभी उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उसका रिजवेंशन कैसे रहेगा। उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

महादेय, गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिग याड है। वहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए स्पेशल रिजवेंशन था। उसके लिए पहले ढाई सौ रूपया फीस थी, उसको बढ़ा कर पांच लाख कर दिया गया। इतना रूपया ये लोग कहां से लाऐगे? इसको रोकने के लिए हमेशा प्रयत्न किया जाता है। इनके साथ अन्याय हो रहा है। इनके प्रति ध्यान रखने के लिए स्पेशल कमिशन तो है लकिन वह भी ठीक से काम नही करता है। मेरे बार–बार प्रश्न करने और लिखने के बावजूद भी इसका कोई हल नही निकला है। ये लोग अत्यंत दुखी हो जाते है, इनके दिल को ठेस पहुंचती हें उस वक्त इनको ऐसा लगता है कि इनकी आवाज कौन उठाएगा। हम लोकसभा में बार–बार यह प्रश्न उठाते है इनको कहीं–कही न्याय मिला है लेकिन अभी भी इसमें कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को जब नौकरी मिलती है तो इनको बहुत दूर ट्रांसफर नही करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होते हुए भी कहीं–कही अधिकारोगण इस बात को मामले नही है। और उनको दूर रख देते है। यदि किसी अनुसूचित जाति क कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाती है इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे केसों में उन्हें मूल स्थानों पर नौकरी दी जाए। मैं अहमदाबाद का एक उदाहरण दूंगा। वहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी का अहमदाबाद से बड़ौदा में नौकरी देने का प्रयत्न कर रहे है। इसलिये मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण जो लोग प्रमोशन से रूके हुए थे उनको तुरंत ही जल्दी प्रमोशन देना चाहिए। उनका हक उनको मिले इसके लिए यहां से निर्देश जाना चाहिए। हर जगह इन लोगों के साथ नौकरी में, जमीनों में मकानों में अन्याय हो रहा है। इसलिये मेरा कहना है कि जहां रिजवेंशन नही है वहां रिजवेंशन निश्चित करके इनको लाभ मिलना चाहिए, जिससे इनको भी लगे कि हमारी बात सुनने वाला भी कोई है और हमारे दुख में शामिल होने वाला भी हर कोइ है और जिससे इनका विश्वास भी बना रहे।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब माननीय श्री सैयद शहाबुद्दीन बोलेंगे। इसके बाद श्री एम. एच. गावीत बोलेगे। मैं सभी से बहुत संक्षेप में बालेने का अनुरोध करता हूँ क्योंकि विधेयक को दिये गये समय के अन्दर पारित करना होगा और अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है।

श्री. पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : मेरा क्या हुआ?

सभापति महोदया : जी हों, अब मैं आपको बालेने के लिए कहता हूँ। आपके बाद श्री सैयद शहाबुद्दीन बोलेगे। यदि मुझसे गलती हुई तो कृपया क्षमा कीजिए।

.....(**व्यवधान**)....

सभापति महोदया : मै आप सब को एक साथ बोलने के लिए नही कह सकता। कृपया हम जल्दी और संक्षेप में बोले जिससे कि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्री पी. जी. नारायणन : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता के समय इस राष्ट्र ने एक विशेष परिस्थिति का सामना किया जहां हमारी भारतीय जनसंख्या का छोटा सा प्रतिशत सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे था और बहुसंख्यक लोग जिनका हमारे संविधान में पिछड़े वर्गो के रूप में ठीक ही उल्लेख किया गया था, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई समुदाय पिछड़ा है अथवा नही द्विपक्षीय मानदंड है अर्थात् सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में उनको सापेक्ष पिछड़ापन।

पिछड़े वर्गो में कई शताब्दियों से अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अस्पृश्यता की क्रूर और माननीय प्रथा के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूतिच जनजातियों को विशेष रूप से शक्तिहीन बना दिया और अधिकांश अनुसूचित जनजातियों अलग–थलग रहने के कारण समाज की मुख्य धारा के साथ नही जुड पाई।

अधिकांश राज्यों में सभी पिछड़े वर्गो अर्थात् अनुसूचित जातियों कनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सामाजिक शैक्षिक और अर्थिक रूप से शेष जनसंख्या के बराबर आ जायेंगे, सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण जैसी सुविधा को प्रावधान करके आवश्यक सहायता तथा समर्थन दिया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छठे दशक से ही भारत सरकार के अधीन सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की तरह ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े है और जो संविधान में वर्णित पिछड़े वर्ग

का एक भाग भी है, ने भी जहां तक केन्द्र सरकार के अधीन शैक्षिक संस्थाओं में नौकरियों और प्रवेश का संबंध है, बहुत लम्बे समय से अपने को वंचित महसूस किया। अतः जब अन्य पिछड़ा वर्ग को केन्द्र सरकार की सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, तो हम सभी ने सही दिशा में सही कदम के रूप में इसका समर्थन किया। हमे आशा है कि सरकार शीघ्र ही उनके लिए ऐसी अन्य रियायतों की धोषणा करेगी और उन्हें कार्यान्वित करेगी जोकि उनका वैघ अधिकार है और जिससे वे अन्य अगड़े वर्गो के बराबर आ जायेंगे। इसी भावना के अनुरूप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आयु में छूट देने संबंधी सरकारी प्रस्ताव का यहां उपस्थित सभी सदस्यों ने स्वागत किया था।

इस माननीय सभा द्वारा राज्य के सभी पिछड़े वर्गो के कल्याण और विकास क लिए पहली बार अनुच्छेद 16(4) में लाया गया संशोधन राज्य को "किसी पिछड़े वर्ग के ऐसे नागरिकों, जिनका राज्य की राय में राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है, के पक्ष में पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है।

महोदया अतः यह स्पष्ट है कि ऐसे सभी पिछड़े वर्गो के लिए जिन्हे राज्य के अनुसार सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है सेवाओं मे आरक्षण का प्रावधान होना चाहिये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति भी उच्चतम स्तर तक नही पहुंची है। तथापि, प्रायः चार दशकों से उन्हें आरक्षण उपलब्ध कराये जाने के कारण सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत बढ़ा है। मेरा कहना है कि यह अभी पर्याप्त नहीं है।

यह स्पष्ट है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो जनसंख्या का 52 प्रतिशत हैं और जिन्हे 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया हे यह सभी पिछड़े वर्गो में से सरकारी सेवाओं में न्यूनतम प्रतिनिधित्व है। अतः यह स्पष्ट है कि संवैधानिक रूप से जब पदोन्नति में आरक्षण का संरक्षण का प्रयास किया जाता है तो ऐसा ही प्रयास अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल करने हेतु किया जाना चाहिये।

इस संदर्भ में मैं इस माननीय सभा को यह स्मरण कराता हूं कि प्रस्तावित संविधान संशोधन का आशय मंडल मामले में उच्चतम न्यायलय के निर्णय से पैदा हुई व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है। यह कठिनाई न केवल केन्द्रीय सरकार की लिए बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी पैदा हो गई है। अतः इस संविधन संशोधन से केन्द्र और राज्यों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए पदोन्नति में आरक्षण पहले से ही है यदि इस प्रस्तावित संशोधन में अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल नहीं किया जाता है, तो इन राज्यों में अन्य पिछडा वर्ग को जो सुविधाए पहले से ही प्राप्त है, वे समाप्त हो जायेंगी। इस सभा को कमजोर तबके के एक वर्ग को पहले से ही प्राप्त सुविधाओं को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहिये।

महोदया, सभी पिछड़े वर्गो को सामाजिक न्याय प्राप्त करने के अपने संघर्ष में एक जुट हो जाने की आवश्यकता है। यदि हम एक ऐसा संविधान संशोधन लाते है जिसमें पिछड़े वर्ग के एक समूह का ध्यान नहीं रखा गया तो ऐसे कदम से स्वयं पिछड़े वर्गो में ही खतरनाक तनाव पैदा हो जायेगा। अतः मैं विधेयक में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करना चाहता हूं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान पर सभी पिछड़े वर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्ग होना चाहिये मेरी सभी राजनैतिक दलों से अपील है कि इस संशोधन का समर्थन करें।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) : सभापति महोदया, पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के अपने अधिकारों की प्रप्ति के लिए लम्बे और ऐतिहासिक संघर्ष में लगा हुआ है। आज हम इस लम्बे संघर्ष के ऐतिहासिक चरण में है।

मैं यहां पर न केवल इस विधेयक का समर्थन करने बल्कि माननीय मंत्रीसे यह अनुरोध करने के लिय खड़ा हुआ हूँ कि पिछड़े वर्गो की एकता के साथ खिलवाड़ न करें जिसके बिना यह लम्बा सघर्ष कभी भी सफल नही हो सकता हे। हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वस्तुतः सारे आरक्षणों आज चाहे वे राज्यों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा दिए जा रहे है, सविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) से शुरू होते है। वास्तव में यह एक सुस्थापित कानून है कि अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्द पिछड़े वर्गो के नागरिक की वही अर्थ है जैसा कि अनुच्छेद 16(4) में प्रयोग किया गया है। उच्चतम न्यायालय के 1992 के निर्णय के बाद अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा पिछड़े वर्ग जिन्हें इसके बाद "अन्य पिछड़ा वर्ग" कहा गया है, को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

3.00 म. प.

अब मुझे इस तर्क पर वास्तव में आश्चर्य होता है कि जब अनुसूचित जातियां अनूसूचित जनजातियें और अन्य पिछड़े वर्ग जिन्हें मिलाकर पिछड़ा वर्ग बनता है, आज संविधान के उसी अनुच्छेद से सरकारी नौकरी मे आरक्षण के रूप में लाभ रियायतें और सुविधाएं प्राप्त कर रहे है, तो पदोन्नति में आरक्षण के विषय पर एक वर्ग तथा दूसरे वर्ग के बीच भेद-भाव क्यो बरता जाये? वस्तुतः समस्या इसलिए पैदा हुई है क्योंकि उच्चनम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि नियुक्ति शब्द का अभिप्राय पहली अथवा प्रारम्भिक नियुक्ति से होना चाहिये और इसमे पदोननति पर नियुक्ति शामिल नही है। निस्सन्देह उन्होंने जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है उन्हे रियायत दी क्योंकि उन्हें पहले से ही रियायत मिल रही है, उन्हें अगले पांच वर्षो अर्थात् नवम्बर, 1997 तक यह रियायत मिलनी चाहिये। मेरी समझ में नही आता कि सरकार ने उच्चतम न्यायलय के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने

तथा समूचे पिछडे वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण की परिधि में लाने के लिए तीन वर्ष क्यों लगाये। इसमें अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें तीन वर्ष नहीं लगने चाहिये थे। उन्हे विधेयक लने में तीन महीने से कम समय लगना चाहिये था। अब वे विधेयक लाये हैं जिसने पिछड़े वर्गो में असन्तोष के बीज बो दिये है। इस विधेयक से उन अन्य पिछड़े वर्गो की आशाओं पर पानी फिर जायेगा, जिन्हें इस समय आरक्षण का लाभ मिल रहा है इस विशेषाधिकार अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियें की ही तरह पदोन्नति में आरक्षण का विशेषधिकर उन्हें मिल सकता है। अत यह बात मुझे बिलकुल भी तर्कसंगत नही लगती है कि जिनके अधिकार समाप्त हाने का खतरा पैदा हो रहा है, उनका संरक्षण किया जा रहा है और जिन्हें इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है उन्हे उसी स्थिति में छोड़ा जा रहा है।

अतः मैं आपका ध्यान कानून के सिद्धान्त की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कानून का सिद्धान्त यह है कि सामान्य कानून सभी पर लागू होता है किन्तु कोई विशेष कानून है तो यह किसी अन्य पर लागू नहीं होता है। इसका अभिप्राय यह है कि आप जब यह संशोधन लाते है तो उसके तत्काल बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछडे वर्ग जहां कहीं भी आरक्षण का विशेषधिकार प्राप्त कर रहे है, वे इससे वंचित हो जायेंगे। यह केवल केन्द्र सरकार का प्रश्न नहीं है। संविधान राज्य सरकार के अन्तगत आरक्षण समान रूप से लागू करता है। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश जैसे कम से कम आधे दर्जन राज्य है जहां अन्य पिछड़े वर्गो को आज पदोन्नति मे आरक्षण का लाभ मिल रहा है। मुझे मालूम नही है कि और कौन सा राज्य है। शायद बिहार भी है।

श्री सीताराम केसरी : यह सच नहीं है। मैं आपको सही स्थिति बताऊगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : यह व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश में नही है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : ठीक है। मुझे यही जानकारी है। श्री नारायणन ने अभी तमिलनाडु का मामला सभा के समक्ष रखा है। कल को यह उन राज्यों में प्रभावी नहीं रह सकता है, जहां यह व्यवस्था पहल से ही है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा विचार करने पर यह पता चलेगा कि आप आज जिस संशोधन पर कार्य कर रहे हैं, उच्चतम न्यायलय उसे इस आधार पर निष्प्रभावी कर सकता है। कि यह भेदभाव पूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत आप जनसंख्या के सभी तीन वर्गो को आरक्षण दे रहे है और अनुच्छेद 16(4क) में आप से केवल दो वर्गों के लिए सीमित कर रहे है। इसलिए तीसरे वर्ग का कोई व्यक्ति कुछ कह सकता है कि यह भेदभाव क्यों? आप यह तर्क दे सकते है कि पदोन्नति में आरक्षण सिद्धान्त सही है अथवा गलत। किन्तु एक बार आप कहते है कि यह सही है और एब बार आप कहते है कि यह संवैधानिक है और एक बार आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करते है और इस सर्वोच्च संसद के निर्णय को मानत हैं तो इस मामले में आप विभिन्न वर्गो के व्यक्तियें सरकारी नौकरी और पदोन्नति में आरक्षण प्राप्त कर रहे के बीच भेदभाव कैसे कर सकते है।

अतः यह बात सिर्फ तर्कहीन ही नही है बल्कि इसे असंवैधानिक भी ठहराया जा सकता है। और यह निश्चित तौर पर राज्य स्तर पर पदोन्नति में पहले से ही आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे इन वर्गो के हितों के प्रतिकूल है। मैं इन तीन बातों को सभा और माननीय मंत्री के समक्ष रखना चाहता हूं।

इसीलिए मैंने एक मामूली संशोधन करने का सुझाव दिया है कि अनुच्छेद 15(4) में प्रयुक्त वही वाक्य "नागरिकों का कोई पिछड़ा वर्ग" उस संशोधन में पुनः रखा जाये जिसे आपका लाने का प्रस्ताव है। उस स्थिति में यह उन सभी वर्गो पर स्वतः ही लागू हो जायेगा, जो सरकारी नौकरी में आज आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे है। अथवा भविष्य में यह लाभ प्राप्त कर सकते है। इनके लिए पदोन्नति में स्वतः ही आरक्षण का प्रावधान हो जाएगा। यह स्वतः ही हो जाएगा। कोई टूटेगा नहीं। इस संबंध में जिन्हें पहले से आरक्षण का प्रावधान हो जाएगा। यह स्वतः ही हो जाएगा ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है उन्हे यह लाभ मिलता रहेगा और जिन्हे कल इनका लाभ मिलेगा उन्हें भी इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है। जिस प्रकार अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का लाभ स्वत ही मिला है, उसी प्रकार अनुच्छेद 16(4क) के अन्तर्गत आरक्षण की परिधि के अन्तर्गत आने वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

अतः मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूँ कि सरकार पिछड़े वर्गो की एकता के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर समानता के नाम पर और संविधान क नाम पर एक पिछडे वर्ग तथा दूसरे पिछड़े वर्ग के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न करे।

[हिन्दी]

मुझे एक कहांनी याद आती हैः

मादरे वत, जिसे हम कभी कभी भारतमाता कहते है, अपने तीन बच्चों की तलाश में थी। दो बच्चे उसे मिल गये। मैल–कुचैले थे, नहीस नजार थे। उनकी उंगलियां पकडकर उन्हें तारीखी रोशनी की तरफ ले जा रही थी कि उसे फिर कही से तीसरा बच्चा भी मिल गया। उसे भी गोद में उठा लिया। आप कह रहे है कि नहीं, तुम दो ही बच्चों के साथ आगे बढ़ोगी, तीसरे को यहां छोड दो। मैं नही समझता कि यह इन्साफ की बात है। तीनों बच्चो को मां को अपने साथ ले जाने दीजिये।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, मुझे सिर्फ एक ओर छोटी–सी बात कहनी है। आपने कहा हे कि चूँकि आरक्षण की नीति के विभिन्न पहलुओं पर अभी तक कोई सहमति नही हो पाई है। इसलिए आप इस सम्बन्ध में व्यापक विधेयक लाने की स्थिति मे नही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में दोगुना प्रयास करें जैसा कि

हम अंतर्राष्ट्रीय संकल्पों में सदैव कहते हैं इस सम्बन्ध में अधिकाधिक प्रयास करें, कड़ी मेहनत करें और यदि आप चाहें तो हम सभी को प्रति दिन बुला सकते हैं ताकि आरक्षण नीति के अन्य अनेक पहुँलओं पर सहमति हो सके जिन पर अभी तक सहमति नहीं हो पाई है।

मैं असहमति वाले पहलुओं का पुनः नाम-वार उल्लेख करता हूँ 1 अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिए जाने का प्रश्न 2 गैर सरकारी रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना 3 शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण जोकि बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना आप कभी भी आरक्षण के अधिकार का पूर्ण उपयोग नही कर सकते।

महोदय मैं क्रीमी लेयर की एकरूपता के प्रश्न पर भी सहमति चाहता हूँ। इसे यथासमव अत्यन्त निर्बन्धात्मक अर्थ में परिभाषित किया जाना चाहिए हमं उच्चतम न्यायलय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की मनमानी सीमा को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय सहमति के लिये कार्य करना चाहिए। इस संबंध में एक राज्य की स्थिति दूसरे राज्य से भिन्न है। यह स्थिति पूरे देश और विभिन्न राज्यों के लिये भिन्न भिन्न है। अत कुछ वैज्ञानिक विधि होनी चाहिये, एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग के प्रत्येक समूह को उसकी जनसंख्या एवं उसके पिछड़ेपन के स्तर के अनुसार उनका कोटा बढ़ाया जाए और तब प्रत्येक राज्य और पूरे देश का कोटा जोड़ा जाए। इसमें कोई शक नहीं कि यह योग हमेशा 50 प्रतिशत से अधिक होगा।

महोदय मेरा यह भी प्रस्ताव है कि इस सम्बन्ध में हर दस साल बाद सर्वेक्षण कराने हेतु राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए जिससे हमें आरक्षण में कमी लाने में सहायता मिलेगी ताकि भविष्य मे एक दिन ऐसा भी आए जब हमारे देश के सभी वर्गो के लोग समान स्तर पर हो। सभापित महोदय हमें किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नही पड़ेगी। परन्तु इसमें समय लगेगा। इस बीच, आरक्षण के कुल कोटे को युक्तिसंगत बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर और केन्द्र स्तर पर कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त होना चाहिए।

हमें पूर्व रिक्तियों तथा खाली पदों के प्रश्न पर कानून बनाना होगा। यह बात उन लोगों के लिये प्रस्तुत अत्यन्त कष्टकर है जिन्हें सिद्धान्ततः तो यह लाभ दिया गया है, परन्तु व्यावहारिक रूप में उन्हे इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है।

अंत में यह प्रश्न उठाया गया है और मैं इस दृष्टिकोण का समर्थन करता हूँ कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति जब अपने धर्म-परिवर्तन के मौलिक अधिकार का प्रयोग करता हैं तो इससे उसका सामाजिक दर्जा तत्काल नहीं बदलता है। अतः उसे आरक्षण का लाभ सदा के लिये नही तो कम से कम उसके और उसकी संतान के जीवनकाल तक तो अवश्य मिलना चाहिए। यदि आप इस सामान्य बात को मानने के लिये तैयार नही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव किये बिना अनुसूचित जाति में में कोई भी व्यक्ति आ सकता है तो कम से कम यह सुविधा उसके जीवन काल में और उसकी संतान के जीवन काल में तो उसे मिलनी ही चाहिए। इस सुविधा को केवल उससे इसलिए ही नहीं छीना जाना चाहिए क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया है। परन्तु ये सभी ऐसे प्रश्न है जिनपर वाद-विवाद हो सकता है। हम इस पर बहस नहीं कर रहे है। मैं केवल इसे सभा के समक्ष और माननीय मंत्री के ध्यान में ला रहा हूँ कि हमें अभी लंबी दूरी तय करनी है। आपको बहुत कार्य करना है। हम सभी को अभी बहुत कार्य करना है और राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करनी है।

महोदया, अब इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह विधेयक कुल मिलाकर ठीक है, परन्तु यह पूर्ण रूपेण त्रुटिहीन नहीं है। यह व्यापक विधेयक नही है। यह भेदभावपूर्ण है ओर मुझे आशंका है कि इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधनिक मान कल उच्चतम न्यायालय कहीं इसे रद्द न कर दें। पिछड़े वर्गो की एकता के नाम पर एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि इस संशोधन को, जिसे अनेक माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार कर लिया जाऐ। प्रस्तुत किये गये सभी संशोधनों का एक ही अर्थ है कि पदोन्नति पर आरक्षण के अधिकार क्षेत्र में सभी पिछड़े वर्गो को शामिल किया जाये जो आज तीन समूहों अर्थात् अनुसूचित जातियाँ, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो में विभाजित हैं।

कहीं मैं भूल न जाऊ मैं यह भी करना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी हमें उन अत्यन्त पिछड़े वर्गो जो सचमुच सामाजिक स्तर पर सबसे नीचे है, चाहे वह राजनीतिक स्तर हो चाहे आर्थिक स्तर हो चाहे शैक्षिक स्तर हो या सामाजिक स्तर हो के लिए एक विशेष व्यवस्था करनी होगी।

महोदया, इन्हीं राष्ट्रों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूँ और मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस सभा के मत का सम्मान करें और प्रस्तुत किए गए संशोधनों को स्वीकार करें।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस 86 वां संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : सभापति महोदय, पहले हमें बुलाइए फिर उधर मौका दीजिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, आपकी समय-सीमा है और यह आप पर है कि आप संक्षेप में बोले।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में अपने विचार रखना चाहता हूं। पहले मैं अपने प्रधान मंत्री जी आदरणीय राव साहब और कल्याण मंत्री केसरी जा का आभार मानता हूं। सभी दलों के अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों

को जो फोरम है, उस मीटिंग में हमने यह तय किया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग है इनके प्रश्न बहुत ही अलग है। मैंने सब लोगों के विचार सुने। जब संविधान लिखा गया तो परमपूज्य बाबा साहेब डा भीमराव अम्बेडकर ने इसमें उल्लेख किया कि इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बहुत पिछड़े हुए है, उनको पढ़ने—लिखने के अवसर नही है और आदिवासी तो इस देश के पूर्व निवासी है। पूर्व निवासी होते हुए भी उनकी दश देश में ऐसी हालात है। इसको दूर करने के लिए मैं सभी दलों के नेताओं का आभार मानता हूं कि उन्होंने एकमत से इस बिल को लाने के लिए सहमति दी। यहां पर उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति ओर जनजाति के लोगों के जो सवाल है, उनको भी समझ लिया है, ऐसा मैं समझता हूं। इसमें बताया गया है कि पहले सरकारी सेवाओं पदौन्नती में आरक्षण था लेकिन 15 नवम्बर 1992 मे जब उच्चतम न्यायलय ने इसमे थोड़ी बाधा डाली है, तब से हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कर्मचारी और अधिकारी है उनका प्रमोशन से जो आरक्षण था वह रूक गया था। अभी भी हमारी अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 7.5 प्रतिशत है।

लेकिन हमने यह भी देखा है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का जो 17 व 7.5 प्रतिशत आरक्षण है, वह भी नही भरा जा रहा है। कही एक परसेंट, कही दो परसेंट भरा जाता है तो कही बिलकुल भी नहीं भरा जाता। हमने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समिति के दौरों में ऐसा देखा है। यह देखकर और भी दुःख हुआ कि संबिधान में इन वर्गो के लिए जो आरक्षण दिया हुआ है उसको भरने में भी बाधाएं डाली जाती है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हाराव जी व सीताराम जी केसरी को ये बाते बताने के बाद सरकार यह संविधान संशोधन विधेयक लायी है।

अब नौकरियों में प्रमोशन के मामले में रिजर्वेशन तो दिया जाएगा, लेकिन जो सी. आर. देखी जाती है उसमें एस. सी, एस. टी, के अधिकारियों, कर्मचारियों की सी. आर. मैं बैड रिमार्क्स लिख दिए जाते है, फलस्वरूप उनका आगे का प्रमोशन रूक जाता हैं। इसलिए इसको भी सरकार को देखना चाहिए और ऐसी प्रवृति को रोकना चाहिए।

जिस व्यक्ति का जन्म अनुसूचित जाति या जनजाति में हुआ हो, उसी को मालूम है कि उनकी क्या कठिनाइयाँ है, उन पर क्या—क्या अत्याचार व अन्याय होते है। अभी गुजरात में अनुसूचित जाति के करीब 100 मकान व दुकाने जला दी गयी। अन्य राज्यों में भी कहीं ऐसे वर्गो की महिलाओं पर अत्याचार होते है, उनको जलाया जाता है। संविधान में उनको संरक्षण दिया हुआ है, फिर भी ऐसा हो रहा है। बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ ऐसे अत्याचार नही होते। इतना फर्क तो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए संविधान में जो अधिकार व संरक्षण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को दिया हुआ है, वह मिलना चाहिए।

यहां पर बैकलॉग भरने के लिए सरकार ने काफी कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ अधिकारी या हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स यह मानने को तैयार नही है। कभी यह कह दिया जाता है कि कोई रिजर्वेशन नही है तो कभी यह कह दिया जाता है कि इन वर्गों के प्रत्याशी उपलब्ध नहीं है।

मैं इन पर अत्याचारों व अन्य बातें और भी कहता लेकिन आपने घण्टी बजा दी है, इसलिए अंत में एक मिनट और लेते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां सभी नेताओं व माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए बड़ी सहानुभूति दिखायी है, उसके लिए मैं उनका बहुत—बहुत आभारी हूं।

मैं यह भी विनती करना चाहता हूं कि हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो कठिनाइयां है, वे अंदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों की कठिनाईयों जैसी नही है बल्कि उनसे भिन्न है। उनके लिये अलग से आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया गया है लेकिन यहां कुछ माननीय सदस्य इसी आधार पर वर्तमान संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, जिस देखकर मुझ अफसोस होता है। फिर भी, सभी पार्टियों के नेताओं ने एकमत होकर इस संशोधन विधेयक को मंजूर करने का फैसला किया है, अपनी सहमति जताई है, जिसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं।

वैसे तो पैट्रोल पम्प ओर गैस की एजेंसी देने के मामले में अनुसूचित जाति और जनजति के लोगों के लियं आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इसमे भी बाधा खड़ी करने की कोशिश की जाती है। कही उन्हें लाइंसेस मिल जाता है और कही मिलने में कठिनाई आती है। दूसरी जातियें के लोग ऐसा समझते है कि इन लोगों को बहुत कुछ मिल गया है, जबकि ऐसा नही है। इसलिये मैंने कहा कि जो आदमी जिस जाति में पैदा होता है, वह उसकी कठिनाइयां जानता है। अभी हमारे एक मित्र ने गोवारी जाति के बारे मे कहा कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में शामिल कर लेना चाहिये, लेकिन मैं उनके विचारों से सहमत नही हूं। मैं मानता हूं कि वे पिछड़े होंगे लेकिन वे आदिवासी नही है। में विनती करता हूं कि मैने जो सुझाव यहां रखे हे, सऱकार उन पर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं सदन में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और सभापति जी, समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. सी. बालयोगी (अमालापुरम) : महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 1992 से ही संसद का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंच कल्याण मंत्री, श्री सीताराम केसरी जी से उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय, जिसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के मन में खासकर नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में, संशय पैदा कर दिया है को ध्यान में रखकर एक विधेयक लाने का अनुरोध करता रहा है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : सभापति जी, मेरा नाम भी है?

सभापति महोदय : मैने पहले ही बोल दिया कि आपका नाम हे, आप टाइम क्यों लेते है। जल्दी काम क्यों नही होने देते।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. सी बालयोगी : महोदय बहरहाल कम से कम सरकार ने विधेयक तो प्रस्तुत किया है। मैं भी छियासिवें संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। आजादी के 46 वर्षो के बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरी है। अभी भी समाज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। पर ऐसी परिस्थिति की कामना हमारे पुरखों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतीय संविधान के जनक डॉ भीम राव अम्बेउकर ने नही की थी। उन्होंने कामना की थी आजादी के दस वर्ष बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियें की स्थिति सुधर जाएगी। इसी कारण उन्होंने भारतीय संविधान आरक्षण का प्रावधान किया था। आप ही सोच सकते हैं, कि अभी भी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के भी पद रिक्त पड़े हुए हे। आंकड़े देखने पर आप पायेंगे कि प्रथम श्रेणी के पदों में 2.1 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी के पदों में 3.2 प्रतिशत और तृतीय श्रेणी के पदों में 6 प्रतिशत पद रिक्त पड़े है जबकि चतुर्थ श्रेणी में रिक्त पड़े पदों का पूरा प्रतिशत भरा जा चुका है। यह सरकार की नीयत दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियें के उत्थान के लिये आरक्षण का कार्यान्वयन कर रही है। सिर्फ कानून को लागू करना ही काफी नहीं है, वरन् इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के उत्थान के लिये कानून के कार्यान्वय हेतू सरकार की प्रतिवद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश में अनुसुचित जातियों और जन जातियें के उत्थान के लिये शैखणिक सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही भूमि सुधार भी बहुत महत्वपूण है। यदि अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के बीच अतिरिक्त भूमि का वितरण किया जाय तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वे समाज की मुख्यध ाारा में भी आ सकेंगे। तभी समाज की स्थिति अच्छी हो सकती है। क्योंकि देश की एकता और विकास भी अनुसुचित जातियों अनुसूचित जन जातियों पिछड़े वर्गो एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर निर्भर करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।

मेरा दूसरा निवेदन निजी क्षेत्र के बारे में है। अब सरकार की नीति प्रत्येक उद्योग का निजीकरण करना है।

सभापति महोदया : मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूँ कि वे उन बातों को न दोहरायें जिनकों कई माननीय सदस्य पहले ही उल्लेख कर चुके है, यदि आपको कुछ खास कहना हो, तो कृपया कहिये।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी : इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि गैर सरकारी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियें को पदोन्नति में आरक्षण जारी रहना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान कुछेक बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ। वे सभी केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, सरकारी उपक्रम, निजी क्षेत्र के संस्थान एजेन्सियां जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा विहत पोषित अथवा सहायता प्राप्त है, और जो आरक्षण कोटे का कार्यान्वयन करने में असफल रहते हैं, वे इस अधिनियम क अंतर्गत दंडनीय होंगे। इसके कार्यान्वयन नही किये जाने पर भर्ती और विभागीय पदोन्नति समितियों को जिम्मेदार ठहराया जायेगा तथा उनपर इस अधिनियम अथवा भारतीय दंड सहिता के प्रावध ाानों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जायेगा।

भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा निदेशक स्तर पर आरक्षण का कडाई से कार्यान्वयन किया जायेगा।

आरक्षण कोटे के कार्यान्वय में असफल रहने वाली सभी भर्ती एजेन्यिों और विभागीय पदोन्नति समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इस संबंधमें अधिकारयों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो में टिप्पणी की जाएगी।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण कोटे का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है अतः इन एजेन्सियों के अधिनियम के उपबन्धों को सख्ती से पालन करने हेतु विस्तृत मार्ग निर्देश दिए जायेंगे।

इस अधिनियम के उपबन्ध न्यायिक सस्थाओं में न्यायधीशों और निचली अदालतों उच्च न्यायलयों तथा उच्चत न्यायलय के गैर–न्यायिक पदों में नियुक्ति और पदोन्नति में भी लागू होंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के परेशान किए जाने संबंधी जो भी मामले ध्यान में आएंगे उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाएगा और इस प्रकार के व्यवहार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न निवारण अधिनियम कें अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर मुकद्दमा चलाया जाएगा।

विभाग के सचिव चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अथवा निगम के प्रबंध निदेशक अथवा अन्य सभी मामलों में स्थान्नतरण अधिकारी के निगम की कर्मचारी संख्या अनुपात के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकरियों को महत्वपूर्ण पदों पर नही लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उपबन्धों का सख्ती से पालन किए जाने हेतु सभी विभागाध्यक्षों अथवा सरकारी सस्थों के विस्तृत मार्गनिर्देश किए जाने चाहिए और यदि किसी मामले में इनका अनुपालन नही किया जाता है तो इसके लिए उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। विभागीय पदोन्नति संबंधी सभी समितियों की बैठक में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिर्पोट शामिल किए जाने से पूर्व उनकी पूर्ण समीक्षा संबंधी कार्य केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। विभागीय पदोन्नति समितियों से अनुसूचित अधिकारियों को शामिल न करने की घटनाएं बढ़ रही हे इसीलिए यह उपबन्ध आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद 16 खण्ड (4) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो हेतु आरक्षण की गांरटी भी दी गई है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वे उन अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों हेतु एक व्यापक विधान लाएं जिन्हें भर्ती और पदोन्नति के मामलें में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं

अनुसूचित जाति के भाईयों की एक मांग काफी समय से लम्बित हे। संविधान द्वारा दी गई गारंटी का लाभ वे इसलिए नही उठा सकते क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। अतः अनुसूचित जाति के उन व्यक्तियों को भी ये सुविधाए मिलनी चाहिए जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है।

मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से मेरे राज्य के धोबी और मछआरों की दयनीय स्थिति की और दिलाना चाहूंगा। कुछ राज्यों में इन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है जबकि कुछ राज्यों में ऐसा नही किया गया है मेरी राज्य में इनकी स्थिति काफी शोशनीय है ये दोनों ही पिछड़ी श्रेणियों मे आते है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार से धोबी को अनुसूचित जाति की श्रेणी में और मछआरों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का अनुरोध किया है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण बहुत जरूरी है। महोदया, राज्य सभा और विधान परिष्दों में अनुसूचित जातियेां और अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी प्रकार के राजनैतिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं है जबकि मेरे राज्य में हमारे नेता श्री एन. टी. रामाराव ने बिना किसी केन्द्रीय विधान के ही अन्य सभी समुदायों के लिए संविधान के दायरे से बाहर स्थानीय निकाओं मे राजनैतिक आरक्षण की व्यवस्था ही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वे उपरोक्त जाति के व्यक्तियेां के लिए भी राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था करें केवल तभी समाज सही ढंग से चल सकता है।

सभापति महोदया : अब मै भी छेदी पासवान को बोलने के लिए बुला रही हूं। इसके बाद मैं श्री सूरज मंडल को अवसर प्रदान करूंगी। चूंकि आप को पता है कि समय बहुत कम है अतः मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदया, मैं अपनी बात कम समय में ही कहूंगा। माननीय मंत्री श्री सीता राम केसरी जी, भारत के संविधान का संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाये है, मैं उसके समर्थन मे बोलेन के लिए खड़ा हुआ हूं। वह देर से आये लेकिन दुरुस्त आये, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। 16 नम्बर 1992 में उच्चतम न्यायलय में जो फैसला हुआ, उस फैसले को लेकर सम्पूर्ण देश में एक बावेला उठ खड़ा हुआ। इस फैसले से देश भर में अनुसूचित जाति–जनजाति के अधिकारयों में एक संशय पैदा हुआ। संश्य पैदा हाने का मुख्य कारण यह था कि इस दरम्यान देश के मनुवादी विचारधारा के जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, उन्होंने देश में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों को प्रमोशन में जो आरक्षण दिया गया था उसे खत्म कर दिया गया हें इससे पूरे देश में एक बावेला उठ खड़ा हुआ।

माननीय मंत्री ज़ी पर मैं यह आरोप लगाना चाहूंगा कि वे जिस बिल को लेकर आये हैं, इस देश के हरिजनों, आदिवासियों को इससे यह संदेश देना चाहते है कि हम ही आपके हिमायती है। यह बात गलत है। आप जो बिल लेकर आये है, उससे हम यह समझते है कि एक ही धारा और संविधान के एक ही अनुच्छेद के तहत जो आरक्षण दिया गया है, वह चाहे अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े वर्गो का हो लेकिन उसमे OBC को भी साथ लेना चाहिए था, आपने उनको साथ न लेकर गलती की है। आप देश में फूट डालना चाहते है। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि आप देश के हरिजनों को जो यह बताना चाहते है कि केवल हम ही आपके हिमायती है, उस बात के बहकावे में वे आने वाले नहीं है। देश में जो अनुसूचित जाति–जनजाति, OBC व अल्पसंख्यको का जो समीकरण बना हुआ है उसको हम लोग टूटने नही देंगे। इस बात को आप पक्का मानकर चलिये कि आपके प्रलोभन से यह जातियां टूटने नही जा रही है। आप जो यह समझते हैं कि कि हमने इनको नयी चीज दी है, तो वह गलत है। मैं सदन के माध्यम से पूरे देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि 1955 से जो अधिकार चला आ रहा था, उसे सिर्फ रेस्टोर किया गया है, कोई नयी चीज नही दी गयी।

सभापति महोदया, यदि सरकार की मंशा साफ होती तो उसे पहले यह बिल लाना चाहिए था। आप इतने दिनों तक हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे रहे? इतने बड़े संवेदशील मामले को क्यों दबा कर रखा गया? इसके साथ आपको OBC का भी मामला लाना चाहिए था। बैकलॉग के बारे मे मैं यह कहूंगा कि जो मनुवादी विचारधारा के पदाधिकारी है, जो इस सरकार में बैठे हुए है, वे नही चहाते कि देश में अनुसूचित जाति–जन जाति के लोग, जिनकी अपेक्षा ढाई–तीन हजार वर्षो से की जा रही है, उनको इस अधिकार से वंचित रखा जाये। जब उनका अधिकार देने की बात आती है तो वे लोग विरोध करते है। मैं सरकार को एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जो पदाधिकारी प्रमोशन में आरक्षण के विरोधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कारवाई की जाये। इसके लिए भी आपको बिल लाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि (यूजीसी के माध्यम से) में व्याख्याताओं/लेक्चरार की नियुक्ति के लिए 55 प्रतिशत मार्क्स फिक्स कर दिये गये है। चाहे वे सामान्य जाति के हो या अनुसूचित जाति–जन जाति या दूसरी जातियों के लोग हो, जब तक उनके पास 55 प्रतिशत मार्क्स नहीं होंगे तब तक उनकी नियुक्ति नही होगी तब फिर आरक्षण नीति का पालन

कहा से हो रहा है आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे बिहार में 16 जार व्याख्याता है और इन १६ हजार व्याख्याताओं मे से केवल ३ अनुसूचित जाति जनजाति के व्याख्यात हैं यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा लेकिन मेरी यह बात शतप्रतिशत सही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मानव संसाधन मंत्री, श्री माधवराज सिंधिया से सम्पर्क कर UGC में जो गड़बडडी है, उसको सुधारने का काम करें। कल भारतीय जनता पार्टी के एक साथी बोल रहे थे कि अनुसूचित जाति–जन जाति के जो पदाधिकारी IAS या IPS बन गये हैं, उनको आरक्षण वंचित कर दिया गया है।

हमें भाजपा की सोच पर तरस आता है। श्री जगजीवन राम इसी सदन में थे, जीवन से मरण तक लगातार मंत्री पद पर बने रहे। आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से राजनैतिक रूप से उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। लेनिक जब बनारस के सम्पूर्णानन्द मंदिर का शिलान्यास जगजीवन राम द्वारा हुआ तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। आपको देश की व्यवस्था और मानसिकता पर भी गौर करने की जरूरत है। देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग हरिजनों में जो फूट डालना चाहते है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए, इस बहकावे में कभी नही आना चाहिए। ...**(व्यवधान)** आपके ही एक साथी कल कह रहे थे कि जो लोग नौकरी में ऊंचे पदो पर पहुच गए है, उनको आरक्षण से वंचित कर दिया जाना चाहिए। मंत्री जी, आपको इस भुलावे में आने की जरूरत नही हैं। संविधान के निर्माताओं द्वार एस. सी., एस. टी के लोगों को आरक्षण देने की बात इस आधार पर स्वीकार की गई थी ताकि हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के लिए सुरक्षात्मक आरक्षण हो। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वे सामाजिक, आर्थिक, राजनैति और सांस्कृतिक शोषण के शिकार हुए थे। एस. सी., एस. टी. के लोगों के लिए आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक वे देश के सामान्य समुदाय के बाराबर नही आ जाते।

इन्ही शब्दों के साथ मंत्री जी जो बिल लाए है, मैं उसका समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द, ज़य भारत। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब श्री सूरजमंडल बोलेंगे। यहा सैंकड़ो नाम है। मैं सभी सौ सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान नही कर सकती।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) : सभापति महोदया, मंत्री जी द्वारा आरक्षण में पदोन्नति का जो बिल लाया गया है। मैं उसका समर्थन करता हूं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मेरे सिवाय कोई भी सदस्य ऐसा नही है जो केवल चार मिनट तक बोला हो, ताकि सभी ने इससे अधिक समय लिया हैं मैं यही कहूंगी कि श्री छेदी पासवान ने समय लिया है। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : मंत्री जी इस बिल को अति उत्साहित होकर लाए है। मंत्री जी के मन में दुनिया त्यागने से पहले कुछ अच्छा काम करने की धारणा है। ये कभी कभी बोलते है कि जाने से पहले अच्छा काम करके जाना चाहिए। ....**(व्यवधान)**

पदोन्नति का जो सवाल उठाया गया है, वह नीयत और नीति का सवाल है। आपकी नीति बहुत अच्छी है लेकिन आपके ही दल में लोगों की नीयत ठीक नही है। ....**(व्यवधान)**

सभापति महोदया : आपका ही सदन है, आप ही बोलते है और आप ही सुनते है, फिर भी ऐसा करते है। ऐसा करने से तो और भी समय बर्बाद होगा।

श्री सूरज मण्डल : आपकी नीयत कुछ देने की नही है बल्कि पब्लिसिटी करने की है। छेदी पासवान जी ने थोड़े शब्दों में कहा कि यदि कोई रिजवेंशन पॉलिसी को लागू नही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। बिहार में जब मैं एस. सी., एस. टी का चेयरमैन था तो मैंने कौगनीजेबल लाईसैंस के लिए रिकमैड किया था। आज यह बनाया गया है कि जो पदाधिकारी रिजवेंशन पॉलिसी को फौलो नही करेगा, उसके खिलाफ संघीय अपराध का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसा केरल में भी है, उसी को देखकर हमने बिहार में उसकी अनुशंसा की थी। बिहार सरकार ने उसे 1991 में ऐडॉप्ट किया। मैं आपसे मांग करता हूं कि उसी तरह के संघीय उपराध का एक बिल इस सदन में लाएं और जो पदाधिकारी आरक्षण देने में लापरवाही करता है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस करके उसे जेल में डाले, तभी यह कार्य हो सकता है।

मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कैसे लोगों को प्रमोशन से वंचित किया जाता है। मैं इण्डियंन एयरलाइंस का उदाहरण आपको देता हूं। इण्डियन एयरलाइसं में छह आदमियों में से चार आदमियों को चीफ जनरल मैनेजर बनाना था, मंत्री, जी ध्यान से सुने। एक नम्बर पर एक मि. जैन थे, दो नम्बर पर एक मि. दिनेश गुप्ता थे, तो छह आदिमियों में से आपको चार लेने है। पैनल में दह का नाम था, उनमें से एक नम्बर जैन का है,दो नम्बर गुप्ता का है, जब इण्टरव्यू बोर्ड बनाया गया तो तीन विशेष मनोवृति के लोगों को उस इण्टरव्यू बोर्ड में लिया गया, जब वह चेयरमैन बना तो चेयरमैन बनने के बाद उसने एक नम्बर और दो नम्बर का छोड़ दिया और तीन से लेकर छह नम्बर तक लोगों को प्रमोशन दे दिया। मेरे पास चिट्ठी आई, मैने गुलाम नबी आजाद साहब को चिठ्ठी लिखी,

मैने सिविल एक्शिशन के सैक्रेटरी को लिखा, सब कुछ हे। उनके लिए क्या कहा गया कि इण्टरव्यू में उनके मार्क्स कम आये। लेकिन इण्टरव्यू में मार्क्स देने वाला कौन था? उनकी नीयत ठीक नही थी, इसलिए उनका प्रमोशन नही हुआ।

आज हरिजन और आदिवासियों का इसी तरह से पूरे देश के अन्टर मैंटल टोर्चर करके रखा गया है। उनको प्रमोशन नही देते है। क्या आदिवासी इण्टेलीजेंट नही है? आपके सामने पी. ए. संगमा को खड़ा कर दिया जाय तो इस हाऊस के अन्दर उसके सामने कौन टेलेंट है? लेकिन आज आपकी नीयत ठीक नही है। देश को आजादी के कितने साल के बाद एक आदिवासी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, वह भी तकलीफ से। क्या दो आदिवासी कैबिनेट मिनिस्टर नही बन सकते।? लेकिन एक को ही बनाया हैं

आज शैड्यूल्ड कास्ट की स्थिति तो कुछ अच्छी है, लेकिन शैड्यूल्ड ट्राइब्स की इस देश के अन्दर यह हालत है कि सब कुछ होता है, लेकिन वह मुखर नही है ......

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : आप सूरज मंडल को मिनिस्टर बना दीजए, फिर देखिये,क्या हालत बना देते है।

श्री सूरज मण्डल : आपने ओ. बी. सी. के बारे में पूरे हिन्दुस्तान में कानून बनाया कि सारी स्टेट्स में 27 परसेण्ट आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इनके राज्य में बैकवर्ड क्लास के लोगों को पांच परसेण्ट आरक्षण दिया है। वहां सर्वहारा की सरकार है। ओ. बी. सी. की 14 जातियों को आपने पांच परसेण्ट आरक्षण दिया है।

मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदिवासी, हरिजन का यहाँ कही कोई पक्का है क्या? अगर में यहां हूं तो मै हरिजन हो जाता हूं ओर बंगाल में जैसे ही बोर्डर क्रास करता हूं तो मै। बैकवर्ड के अनैक्स्चर दो में आ जाता हूं। आप इस देश में कोई ऐसा कानून बनाइये कि जो एक स्टेट में रहे, वही पूरे हिन्दुस्तान में हो। झारखण्ड एरिया के 45 लाख आदमी असम के टी गार्डस में काम करते है। जब वह बिहार से गये तो वह आदिवासी थे, लेकिन अब वह असम में आदिवासी नही रहे। हम लोगों ने कितनी बार इस बात को कहा कि कम से कम ऐसा बिल लाये, लेकिन आदिवासियों के बारे में कोई बोलने वाला नही है तो यह नहीं हो रहा है। यह होना चाहिए और उनके ऊपर हमें देखना चाहिए। आप रिजर्वेशन की बात करते है* यह सब बिल लाये है ...**(व्यवधान)** अभी संतोष मोहन देव जी चले गये।

मैं स्टील प्लांट के बारे में, पब्लिक अंडरटेकिग के बारे में कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अभी नये पाइण्ट में मत जाइये कई और सदस्यों को अभी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : स्टील प्लांट की बात लिखकर दीजिए।

श्री सूरज मण्डल : मैं स्पेशली इस बात को पब्लिक अंडरटेकिग के बारेमें, स्टील प्लांट के बारे में कहना चाहता हूं। आदिवासी छोड़िये, मैं स्टील प्लांट के बारे में कहना चाहता हूं। बोकारों स्टॉल प्लांट के अन्दर। ....**(व्यवधान)**

सुन लीजिए, अच्छी बात है।

सभापति महोदय : कैसे सुन लीजिए, और भी स्पीकर है।

श्री सूरज मण्डल : अच्छा नहीं लगता। सुनिये, मेरी भावना को कहने दीजिए। वहां पर एडहाक में बहाही होती है, वहां जनरल आदमी की क्लास तीन में बहाही होती है, पांच वर्ष के अन्दर वह मैनेजर बन जाता है। आप बताइये कि स्टील प्लांट में कितने आदिवासी काम करते है, जिनको वहां आपने मैनेजर और जनरल मैनेजर बनाया है, दिखाइये।

स्टील प्लांट कोल इंडिया को दिखाये कि कहां इतनी जगहे है? चौथी और तीसरी श्रेणी से भी जगह नही है। बेलचा मांरने वाला ट्राइबल और हरिजन ओर कुर्सी पर बैठने वाला ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया नया प्रश्न मत उठाइए। वरन् मैं आपको बैठने के लिए कहूंगी। कृपया ऐसा न करें

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : आज आरक्षण की पालिसां हर स्टेट में अलग–अलग है। तमिलनाडु में यह 70 परसैट हो गई और बिहार के कुर इलाकों में 50 परसैंट हो गई है। झारखंड इलाके में वर्ल्ड क्लास को और मुसलमानों को रिजर्वेशन नही मिलता है। वह इसलिये कि ट्राइबल्स की पापुलेशन ज्यादा है। वहां 45 परसैंट रिजर्वेशन ट्राइबल्स के लिये और 5 परसैंट शेडयूल्ट काट्स के लिये है। बाकी किसी को रिजर्वेशन नही मिलता है। इसलिये रिजर्वेशन पालिसी देश के सभी जगहों में एक जैसी होनी चाहिये।

अब मैं जुडिशिअरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदया : इसके बारे मे पहले कहा जा चुका है।

श्री सूरज मंडल : मैं एक भी प्वाइंट किसी के द्वारा उठाया हुआ नही बोल रहा हूं। मैं सब नई बातें बता रहा हूं।

कुछ एरियाज में पूर्वी कास्ट होती है। छोटा नागपुर में यह अनैक्सचर वन में है ओर संथाले परगना मैं अनैक्सचर टू में है। इस चीज को कौन देखेगा और यह कैसे लागू होगी।

---

*सभापति के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तात से निकाल दिया गया है।

आपने जिस दिन विरोधी दल के नेताओं की मीटिंग बुलायी थी तो उसमें मैं भी शामिल हुआ था। आपने यह प्रस्ताव नही रखा कि बैकवर्ड क्लास का प्रमोशन के समय भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आपने कहा कि इलैक्शन का वक्त है, जो करना है, चुपचाप कर लो। आप बैकवर्ड क्लास के साथ क्यों अन्याय कर रहे है? इनके बारे में इस बिल में ही प्रावीजन हो सकता था। इसलिये मै कहता हूं कि आपकी नीति तो ठीक है लेकिन नीयत ठीक नही है। .....(**व्यवधान**)

सभापति महोदया : बहुत हो गया है, अब आप बैठ जाये।

श्री सूरज मंडल : मैं खत्म कर रहा हूं। जवाहर लाल नेहरू जी चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते है और आप चाचा केसरी के नाम से थोड़े-थोड़े प्रचलित है। आप अभीय यह काम कर दीजिये क्यों कि अगले चुनावों में आप सरकार नही बना पायेंगे और आपको मौका नही मिल पायेगा। इसलिये अभी बैकवर्ड क्लास को इसमें इनक्लूड कर दीजिये ताकि चाचा केसरी के नाम से आप फेमस हो जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अभी कई सदस्यों ने बोलना है जबकि समय बहुत ही कम बचा है। मेरे पास चार नाम हैं और नाम शामिल कर पाना संभव नही है। अन्यथा आप मेरे स्थान आ जाइए, आप आसन ग्रहण करें और सभा की कार्यवाही चलाएं। आपको समय का भी ध्यान रखना है।

श्री श्रीकान्त जैना : महोदया, यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदया : मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सभी इस बात पर सहमत थे कि इस विधेयक पर चर्चा चार बजे तक पूरी हो जाएगी।

श्री श्रीकांत जैना : हम देर तक बैठने के लिए तैयार है।

सभापति महोदया : यदि आप चाहते हैं कि चर्चा चार बजे तक पूरी न हो केवल तभी अन्य सदस्यों को समय दिया जा सकता है। अन्यथा यह सम्भव नहीं है।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदया हमें इस पर चर्चा चार बजे तक समाप्त करनी है। अन्यथा इसे दूसरी सभा से पारित कराना संभव नही होगा सकेगा और इस सभा की बैठक आज से स्थगित हो रही है।

श्री श्रीकांत जैना : आपने यही कहा था कि दूसरी सभा भी देर तक बैठ सकती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : चार बजे के लिए सहमति हुई थी।

सभापति महोदया : हां, यही सहमति हुई थी।

श्री श्रीकांत जैना : इस प्रकार की कोई सहमति नही हुई थी।

सभापति महोदया : नही, यही सहमति हुई थी। जब यह सहमति हुई थी तब मैं यही थी।

....(**व्यवधान**)....

श्री श्रीकांत जैना : यह सहमति नहीं हुई थी कि ज्यों ही चार बजेंगे, चर्चा पूरी कर ली जाएगी।

सभापति महोदया : यही सहमति हुई थी। जब अध्यक्ष महोदय ने कहा था तब आप सभी सहमत थे। अब श्री ए० सी० दास बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति महोदय, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक, 1995 का समर्थन करते हुए दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। जिस तरह से यह बिल लाया गया है, वह बहुत ठीक है। आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भी आरक्षण के बारे में हमारी लड़ाई जारी है। हजारों साल पहले जो हमारी स्थिति थी, वही स्थिति आज भी है। चूंकि हमारा जन्म इस जगह पर हुआ है, इस लिए हम पर यह लांछन लगाया जाता है और यह लांछन आज से नही, जब से इस देश में मुगल आए, तब से ही है। आज भी अगर आप देखे, शैडयूल्ड कास्टस में 97 प्रतिशत लोग लैडलैस है। जो थोड़े बहुत पढ़े-लिखे हैं ओर उनको नौकरी मिल जाती है, उन लोगों में थोड़ा सा सुधार हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक मां के बच्चे का प्रापर्टी में जितना शेयर मिलता है, उतना शेयर तो हम लोगों को मिलना चाहिए। हम अनुसूचित जाति के छोटे-छोटे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है ऐसी स्थिति होने पर ही आरक्षण की जरूरत होती है और जहां पर जिसको नौकरी मे मौका मिल जाता है, उसी परिवार का इम्पूवमेंट होता है और दूसरे का किसी का नही हुआ है। इसी प्रकार OBC में 50 प्रतिशत लैडलैस है और ट्राइबल के अन्दर भी 75 प्रतिशत लैंडलैस है। जो जमीने इन लोगों को देने के लिए निकलती है, उन पर दूसरे लोग ही कब्जा कर लेते है।

मैं बिल के बारे में यह कहना चाहता हूं, यह तो मंदिर की पहली सीढी है और अगर वे सीढी पर आगे नही जायेंगे, तो वे स्टैग्मैंट करेंगे। जब ऐसी स्थिति होगी तो नीचे वाला कैसे पदोन्नति होगा। पदोन्नति की आवश्यकता थी ओर वह आर्डर चलता था, लेकिन पता नही सुप्रीम कोर्ट ने किस कारण से ऐसा तर्जुमा किया। यह तो बिल लाया गया है, उसमें भी मैं देखता हूं कि कुछ कमिया है। इसमे लिखा है

[अनुवाद]

"इस अनुच्छेद में राज्य के अधीन सेवाओ में किसी भी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पदों में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के लिए उपबन्ध करेन हेतु राज्य को कोई रूकावट नही होगी, जहां राज्य के विचार में यह हो कि इन्हे राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।"

[हिन्दी]

16(4) में जो था, वे बैकवर्ड क्लासेस के बारे में था ओर इसमें सब लोग आते थे। रिजवेंशन का खास कर के धारा 335 में है। इसको भी ले आइए, नही तो सुप्रीम कोर्ट उसमें चली जाएगी कि परिवर्तन नही हुआ।

ऐसे माफिक आर्टिकल 341-342 में जों प्रावधान है, क्या इसके लिए सूची बनाएंगे? इसके लिए कौन सूची बनाएगा? इसके लिए जो प्रावधान किय गया है उसमें OBC के लिए नही है। जिस तरह से सब लोग कहते है उससे हम भी राजी है कि एक कॉम्प्रीहैसिव बिल जरूर लाना चाहिए, जिससे कि बाद में इसमे कोई गड़बड़ न हो। एससी, एसटी, को उनके अधिकार मिलने चाहिए। इसमें ओबीसी के लिए सूची बनाने क लिए अभी तक नही लिखा है, इसमें लिखना चाहिए। आप आर्टीकल 341-342 को देखिए। उसके साथ इसको जोड़ना चाहिए। ओबीसी के लिए कौन सूची बनाएगा? अगर हाउस इसको नही मानेगा तो फिर इस पर कभी भी पाबंदी लग सकती है, इसलिए इसके लिए एक कॉम्प्रीहैसिव बिल लाना चाहिए। इसके साथ मेरा यह कहना है कि यह जो आपने एडीक्वेटली रिप्रेजंटेड शब्द रखा है इसको आप हटा दीजिए ओर इसकी जगह एससी, एसटी, रख दिया जाए, क्योंकि उसके रखने से फिर कभी भी कोई कोर्ट में चला जाएगा और वह बोलेगा एडीक्वेटली हो गया है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नही है।

महोदय, आज मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन मै नही कहूंगा, क्योंकि इस विधेयक पर बोलना है। इस वजह से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको आप कम से कम रख लीजिए और ओ बी सी के लिए तुरन्त 16(4) लाइए, क्योंकि वहां बैकवर्ड क्लास लिखा गया था, एस सी, एस टी नही लिखा गया था। इसलिए अच्छा किया कि आपने एसीसीएसमटी डिफाइन कर दिया। इस तरह ओ बी सी का वहां बैकवर्ड क्लासिस था, उसमें हम सब लोग आते थे। उनके बारे में अभी–अभी जो आया है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। यह लोग जो पीछे पड़े थे वे भी अब हमारे साथी हो गए हैं। इसलिए हमारा जो हक है इसको देने का राष्ट का कर्तव्य है, इसको आपने निभाना है, इसलिए यह जो अमेडमेंट लाए है, जहां पर आपने लिखा है

[अनुवाद]

"जिन्हें राज्य की राय में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही मिला है।

[हिन्दी]

इसको हटा देने से सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट को मौका नही मिलेगा। इतना कहते हुए इसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बोलने का अवसर मिला है जबकि जनता दल के भी दो सदस्य ही बोले है। आज यह देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सदस्य संख्या कितनी कितनी है?

सभापति महोदया : पहले वाली सूची मेरे से पूर्व सभापति ने तैयार की थी मैंने नही की थी और मैंने वही किया है जो उन्होंने लिखा हुआ था। इसके बाद सूची में तैया कर रही हूं। अब मैं यह कह ही रही हूँ कि मैं आपको बोलने का अवसर प्रदान करूंगी।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : सभापति महोदय, आरक्षण में, मैं इस विधेयक का तहदिल से स्वागत करता हूं, किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मेरे विचार से मंत्री महोदय अपने उस वायदे से पीछे हट रहे हैं जो उनहोने पूर्व में उच्चतम न्यायलय के निर्णय के संबंध में आ रही अड़चनों के चार–पांच बातों के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक के दौरान किया था।

4.00 म. प.

ये चार बातें हैं अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत नियुक्ति में आरक्षण आरम्भिक नियुक्ति तक ही सीमित रहेगा और पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्रदान करने हेतु यह वयवस्था लागू नही होगी। दूसरी बात यह कि अनुच्छेद 16(4) में अभिकल्पित आरक्षण व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तीसरे, उन सेवाओं और पदों को आरक्षण की परिधि से बाहर रखना उचित होगा जिसमें कार्यो के स्वरूप में मेरिट का विशेष महत्व हो। ओर चौथे अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की बात उच्चतम न्यायल द्वारा संवैधनिक रूप से सामन्य कर दी गई है।

4.01 म. प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय सरकार से मेरी शिकायत यह है कि उसने इन चार पहलुओं में से केवल एक ही पहलु अर्थात् अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियें के लिए पदोन्नति में आरक्षण की बात पर ही ध्यान दिया है। इस भाग का हम स्वागत करते हैं और संशोधन किये तक में 50 प्रावधान का हम समर्थन करते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से शेष तीन पहलुओं के बारे में जान सकता हूं? मेरा यह सुझाव है कि शेष तीन पहलुओं पर भी आम सहमति बनाई की जाए और सरकार को देश के संविधान में उपयुक्त संशोधन करते हेतु आगे आना चाहिए। क्या वह हमे इस सम्बंध में आश्वासन देंगे? यदि वह हमें यह आश्वासन दें तो मेरे विचार से यह सभा इस विधेयक को आम सहमति से पारित करने पर सहमत हो जाएगी।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन शेष तीन पहलुओं से अलग, कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी वाद–विवाद के दौरान उठाए गए हैं। मैं उनका उल्लेख नही करना चाहता। किन्तु मैं इस समस्या के केवल दो पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा। पहला प्रश्न संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 में संशोधन करने के बारे में है। महोदय, इस संशोधन को लाए जाने के कारण अनुसूचित जातियों के उन लोगों को इन जातियों को मिलने वाले लाभ नही मिल पा रहे है। जिन्होंने इसाई अथवा अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है। यह संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950 में संशोधन करने से ही संभव हो सकता है। यह अत्यन्त आवश्यक है। अनुसूचित जातियों के अनेक लोगों जिन्हों ने इसाई अथवा अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है अब उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वे हकदार हैं। महोदय, मेरे विचार से इस मामले पर स्पष्टीकरण दिए बिना ही मंत्री महोदय इस समस्या को अच्छी तरह से समझते हैं। और इस पहलु के साथ–साथ अन्य तीन पहलुओं पर भी ठीक ढंग से गौर किया जाना चाहिए।

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण पहलु यह है कि उन्होने सर्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि मुस्लिम समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को एक बड़ा वर्ग भी आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मेरा यह दृढ मत है कि उन्हें भी धर्म के आधार की अनेदखी करके अनुच्छेछ 16(4) के अंतर्गत लाना चाहिए। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं जिससे धर्म निरपेक्ष ताकते इसका साम्प्रदायिकता के आधार पर विरोध न करें और यह न सोचें कि यह सरकार अथवा हम लोग साम्प्रदायिक बातों का समर्थन कर रहे है और वास्तविक धर्म निरपेक्ष ताकतों को मज़बूत नही कर हरे है। यहा धर्म के आधार पर नही किया जा रहा है किन्तु पिछडेपन के आधार पर किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग आर्थिक, सामाजिक, सांसकृतिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस पर गौर किया जाना चाहिए। अतः इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए और इस उद्देश्य हेतु संशोधन पेश किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बंध में आश्वासन देगी और मेरा यह मानना है कि इसे इस सभा का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसा करके हम अपने समाज के अत्यधि दलित वर्ग के प्रति अपना वायदा पूरा कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मुझे आपसे एक बात स्पष्ट करनी है। मुझे यह बताया गया है कि इस विधेयक को पांच बजे से पहले राज्य सभा में भेजा जाना है। हम इसे तभी कर सकते है जब माननीय सदस्य, सहयोग दे अथवा राज्य सभा के विधेयक पारित नही होगा आप कौन सी बात चाहते है?

कई माननीय सदस्य : महोदय, विधेयक पारित होना चाहिए।

श्री चन्द्र जीत यादव (आजमगढ़) : महोदय सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि इस विधेयक को पारित किय जाना चाहिए। इसलिए, हम यहाँ पर इस चर्चा के समय में कमी कर इसे राज्य सभा में जाने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक के पारित हो जाने के बाद इसीबीच कुछ औपचारिकतऐ पूरी करनी होगी। कुछ पत्र तैयार किये जाने है, उन पर हस्ताक्षर किये जाने है और उन्हें भेजा जाना है। मैं समझता हूं कि सभा का यह विचार है कि इसे पारित किया जाए। इसका अभिप्राय है कि सभा की यह राय है कि जो माननीय सदस्य अभी बोलना चाहते है उन्हें अपने बोलने के अवसर को छोड़ना होगा।

***श्री श्रीकान्त जेना** : कृपया मुझे दो मिनट का समय दें दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, : यदि मैं आप मे से प्रत्येक को दो मिनट का समय देता हूँ तो मैरे विचार से मुझे कम से कम 40 मिनट का समय देना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आप उन्हें दो मिनट का समय दे दीजिए बेशर्ते वे पहले कही जा चुकी बातों मुद्दे को नही दोहराये। बार–बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सच है, आप ठीक कह रहे है। लेकिन हर बार पीठासीन अधिकारी को यह कहना पड़ेगा कि यह कोई नई बात नही है।

श्री श्रीकान्त जेना : कृपया मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए। मै। एक नई बात कहना चाहता हूँ।

कई माननीय सदस्य : महोदय, इस विधेयक का पारित किया जाना चाहिए ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं तीन सदस्यों को केवल दो–दो मिनट के लिए बोलने का समय दूंगा। श्री याइमा सिंह युमनाम।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारी मन से इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्योंकि इस संशोधन में पिछड़े वर्गो के लोगों के हितों का प्रस्ताव नही किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि इस विधेयक को पारित किया जाता है तो राज्य सरकारे अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियें के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रावधान कर पायेंगी। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब सरकारे इसके

सम्बन्ध में कानून बनाती है तो कानून ऐसे बनाया जाना चाहिए कि इस से अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कनिष्ट लोग प्रभावित न हो। यह हमारा अनुभव है कि पदोन्नति कोटा भरते सभा पिछड़े वर्ग के बहुत से कनिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड दिया जाता है और वे उससे प्रभावित होते है जिसके कारण अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित बहुत से अधिकारी हताश हो जाते है। और इससे प्रशासन भी प्रभावित होता है; इसके कारण प्रशासन की कार्य कुशलता प्रभावित होती है। अतः यह एक नई बात है।

महोदय, मणिपुर राज्य में अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों के हितों को नही देखा जाता है यद्यपि केन्द्रीय सेवाओं में इस बात का ध्यान रखा जाता है। राज्य सेवाओं में इसे अभी लागू नही किया गया है। इसे अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों के हितों के लिए लागू नहीं किया गया है। अतः महोदय मैं माननीय मंत्री से अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित लोगों के हितों की ओर ध्यान देने का अनुरेध करता हूँ। उन्हें कोई सुविधाएँनही मिल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बारे में बात न करो। इसके कार्यान्वयन के बारे में बात करे। विधेयक के बारे में बात करें।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय मैं मंत्री जी से उनके हितों की ओर ध्यान देने का और केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को ही समयोजित करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गो के अधिकारियों को प्रभावित न करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री कमला मधुकर मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्षजी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन बहुत जोरदार शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने यह बिल पेश करते हुए ओबीसी को भी आरक्षण देने समन्धी संशोधन इसमें नही जोड़ा है। जबकि यह सदन की आम राय है कि उसको भी इसके साथ लाया जाना चाहिए था। इसके जरिये पता चलता है कि आपकी नीति कूटनीति की है, विभेदीकरण की है। जो पिछड़ी जातियां है उनमें आप आपस में भेदभाव फैलाना चाहते है। मुझे महाभारत की कहानी याद आती है।

अध्यक्ष महोदय : यह समय कहानी के लिए नही है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी ....(**व्यवधान**)*

[अनवाद]

अध्यक्ष महोदब : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से नियम का हवाला दे रहे है? बिना किसी नियम के कोई व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं यह कहना चाहता था

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : जनता दल के दो सदस्य बोले है, बीजेपी का अभी कोई नही बोला है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे विषयों के ऊपर आपको बहुंत समय देते है। अब आप बैठ जाये।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय मैं, इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह मुद्दा पहले से ही माननीय मंत्री और सदन के नोटिस में लाया जा चुका है।

मैं अनुच्छेद 16(4) में किए गए उपबन्ध को पढ़ना चाहता हूँ :–

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्य राज्य की राय में राज्य अधीन सेवों में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निकारित नहीं करेगी।"

आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक और अनुच्छेद 4 (क) शामिल कर रहे है और आप अन्य पिछड़े वर्गो को छोड रहे है। सेवाओं मे इन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है। लेकिन मुद्दा यह है

जहाँ तक अन्य पिछड़े वर्गो का संबंध है उनकी स्थिति यह है यह आकड़े आपने परिचालितं किये गये है इनके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है, उनकी जनसंख्या 52 प्रतिशत है तथा प्रशासन में इनका प्रतिनिधित्व केवल 12.26 प्रतिशत है।

अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत तथा सेवाओं में उनके जैसा कि आपने कहा है 16.90 प्रतिशत हें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 7.5 प्रतिशत तथा सेवाओं में उनका प्रतिनिधितव 5 प्रतिशत है।

इस विधेयक के खिलाफ कोई भी कमी उच्चतम न्यायल में जा सकता है ओर इस प्रावधान विशेष के आधार पर चुनौती दे सकता है कि इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए हम संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आक्षण देने हेतु यह प्रावधान कर रहे है। जिसका हम सब समूची सभा समर्थन करती है। यदि आप अन्य पिछड़े वर्गो को इससे अलग रखते और यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायलय में जाता है तो आप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जितो की रक्षा नही कर रहे है। और इससे भेदभाव का यह मामला अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए आप को अन्य पिछड़े वर्गो को इसके अधीन लाना होगा। अन्यथा अ जन और अ जन जनजातियों सम्बन्धी प्रावधान को खतरा हो सकता है। इसे उच्चतम न्यायलय में ही समाप्त किया जा सकता है। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए मैं आप से यही निवेदन करता हूं कि ऐसे संशोधन पहले से ही है तथा सरकार को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अनय पिछड़े वर्गो के हितों रक्षा के की लिए स्वतः ही संशोधन आना चाहिए। अन्यथा मुझे डर है कि यदि कोई कांग्रेस उच्चतम न्यायलय मे इस विधेयक का विरोध करता है तो गम्भीर समस्या हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन माननीय मंत्री श्री सीता राम केसरी इस बिल को देर से लाये है और दुरूस्त भी नही लाये है। जैसाकि हमारे साथियों ने कहा कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन 22.5 प्रतिशत मिला है और सुप्रमी कोर्ट का हिस्टारिकल डिसीजन मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आया है।

अध्यक्ष महोदय : ये सारी बातें हमारे साम्मने है, इसे रिपीट करने की बिलकुल जरूरत नही है। आपको कोई नयी बात कहनी हो तो कहिये।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि आपसे उस विषय को सदन के समक्ष लाने की आशा नही की जाती है जो पहले से ही ज्ञात है। आपको इसे दोहराने की भी आवश्यकता नहीं हैं

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय जो कुछ मेरी पार्टी का विचार है मैं वही कहूंगा। क्या मैं सभा के समक्ष अपनी पार्टी के विचारों को नही रख सकता?

अध्यक्ष महोदय : कृपया वही रखिए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अब मैं वही बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नही जो पहले ही कही जा चुकी हैं

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अन्य दलों ने ये बातें कही हैं। मेरी पार्टी के नही कही है।

अध्यक्ष महोदय : आप को वही बातें बार–बार कहने की आवश्यकता नही है। कृपया सीधे मुद्दे पर आईये।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : यदि आप मुझे बोलने नही देना चाहते तो मुझे बैठना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं नही चाहता कि आप इन बातों को दोहराएं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैंने अभी अपना भाषण शुरू भी नहीं किया है। आपने स्वयं कहा कि आप मुझे बोलने के लिए समय देंगे।

[हिन्दी]

अगर यह काम्प्रिहैसिव बिल लाया जाता तो हमारे सभी साथियों को पूरा समर्थन मिलने की संभावना है। यदि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ ओ. बी. सी. को भी मिलाकर यह बिल लाया जाता तो देश की जनता को ओबवियस सिग्नल पहंचते। इस ईश्यू के बारे में सभी पार्टियों का समर्थन दलगत भावना से ऊपर है लेकिन इसमें सरकार की मंशा ठीक नही है सरकार की नीयत ठीक नहीं है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जो स्ट्रेटजी दो गयी है, मैं भी वहीं स्ट्रेटजी अपनाऊंगा कि एस. सी. एस. टी. के आरक्षण की पालिसी पब्लिक सेक्टर में अभी तक नहीं की जा रही है। मैंने इस संबंध में मंत्री जी को भी लिखकर दिया है। सी. एम. सी. में वहाँ के एम. डी ने कहा है कि हमारी पालिसी अगल है, इसलिए मै नही करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं आप को अलग–अलग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : बात यह है कि कार्यान्वयन भलीभांति नही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। अब आप बैठ सकते है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : कृपया मुझे बोलने का एक मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जो समय आपको दिया गया है यह उसका दुरूपयोग है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : आप वहां नहीं थे। आप नहीं जातने कि यहां क्या–क्या कहा गया था। ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन आप मुझसे कह रहे हैं कि मै। समय का दुरूपयोग कर रहा हूँ। यहां तक कि यहां कहानियां भी कही गई हैं लेकिन मैने तो अपनी बात भी नहीं कही है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कहानियों भी कही बताई गई होगी। लेकिन अब आप भी वैसा ही न करें।

श्री दत्तात्रये बंडारू : मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ, कृपया मुझे बोलने का अवसर दीजिए मैं केवल कुछ मिनट का समय लूंगा। मैं दो मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंडारू, मैं आप से बिना बात तर्क वितर्क नही कर सकता, कृपया मेरी भावना को समझिये।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों हेतु पदोन्नति के सम्बध बोल रहा हूं। पदान्नति में बड़ा भेदभाव किया जा रहा है ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम कार्यान्वयन संबंधी पहलू पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कानूनी पहलू पर बात कर रहे है। कृपया इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप सी. एम. सी पर नही बोल रहे हैं। आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर नही बोल रहे है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं शीघ्र अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, रोसटर चैक करने के बारे में मैनुपलेशन चल रहा है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि लाईजन आफिसर का रोस्टर बनाते समय इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाइेजन आफिसर भी बनाये जाये। जैसा कि अभी श्री श्रीकांत जैना जी ने बताया है, ऐसा की अमेडमेंट OBC के लिए भी हमारे दल BJP ने दिया है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि BJP इस रिजर्वेशन के खिलाफ है लेकिन हमारी पार्टी इस रिजर्वेशन के खिलाफ नही है। हमारे आगरा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह पालिसी डिसीजन लिया है और में दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमने भी OBC के लिये यह अमेंडमेंट दिया है। इसलिये आप OBC के साथ भेदभाव मत करे। अतः मैं मंत्री जी से रिक्वेसट करूंगा कि इसे बराबर लागू करने के लिये संविधान संशोधन करके इस बिल को पास करें तो अच्छा होगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, पिछड़े लोगों पर अभी तक बहुत जुल्म हुए है, जबर्दस्ती हुई है ऐसा हम मानते है। लेकिन हम किसी को न्याय देना चाहते है तो किसी दूसरे पर अन्याय नही होना चाहिए यही सदन को सोचना चाहिए। डा. बाबा साहेब अंबेडकर ने भी कहा था कि हम पिछड़े वर्गो के लोगों को फेसेलिटीज देने जा रहे है। लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए, 15-20 वर्ष तक ही होनी चाहिए और उसके बाद उस फेसेलिटी को बंद करना चाहिए। आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आप लेते है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इन लोगों को लाचार नही होना चाहिए। उनके दिल मे जो कामप्लैक्स है वह दूर होना चाहिए। उनके पास क्वालिटी होनी चाहिए मगर मगर इस बिल के लाने से दूसरे लोगों में फ्रस्ट्रेशन आएगा अगर किसी को उसकी मेरिट पर और उसकी क्वालिटी पर प्रमोशन नही मिलेगी। कोई दस वर्ष सर्विस करे या 15 वर्ष सर्विस करे, लेकिन अगर किसी दूसरे को दो तीन साल मे ही प्रमोशन मिल जाएगा तो उसके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि उसे पता ही है कि उसे प्रमोशन मिल जाएगी। दिल्ली मं ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में इसके कारण बहुत ऐजिटेशन हुआ था और वहाँ लोगों ने खुद को जला दिया था। इससे जो आपसी झगड़े होते है, जो आपस में दुश्मनी होती है, वह दुश्मनी नही होनी चाहिए, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा चित्त बसु जी ने कहा कि हमें इकोनोमिक बैकवर्ड क्लास को यह फैसिलिटी देनी चाहिए। कोई बैकवर्ड क्लास में अमीर है, कोई मंत्री है, राजनेता है तो उसके बच्चों को यह सुविधा नही मिलनी चाहिए। हमें इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में सोचना चाहिए और उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज तथा बैकवर्ड क्लास के लोग सचमुच मे गरीब है उनको इसमें इनक्लूड करना चाहिए।

अध्यक्ष महादेय, हमारे यहां कालेजों में लेक्चरार, प्रोफेसर या टीचर्स की स्पेशल अपोइंटमेंट होती है और वहां योग्य व्यक्ति नही मिलने से वह पोस्ट वैसे ही खाली रह जाती है। इसलिए उस नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में क्वालिटी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए यह जो प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात की गई है, मैं उसका विरोध करता हूं। बैंक में, इंडियन एयरलाइन्स में एल. आई. सी में जहां पब्लिक सैक्टर है, अगर वहाँ प्रमोटैड अधिकारियों में क्वालिटी नही होगी उसे कुछ वही आता होगा तो वह क्या काम करेगा? वह जूनियर क्लर्क से ही पूछता रहेगा। इस प्रकार दूसरे लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगा मैं इस बिल का विरोध करता हूं और साफ–साफ बताना चाहता हूं कि हम पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के खिलाफ नही है, लेकिन सरकार की जो पोलिसी है, सरकार राजनीति के कारण आज जो बिल यहां पास करा रही है, उसका मैं शिव सेना पक्ष की तरफ से विरोध करता हूं।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा मगर अपने सम्माननीय सदस्यों को कहूंगा और निवेदन करूंगा कि उनका अधिकार है हमारी नीयत पर शक करने का। मगर मैं कहना चाहता हूं कि मेरी नीयत गलत नही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल हम लाये है वह एक मीटिंग में विभिन्न विपक्षी दलों की आम सहमति के आधार पर लाये है।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : क्या OBC के सवाल पर आम सहमति नही बनी थी यह बताइए। क्या जो बिल आप लाए है उसी पर आम सहमति थी? .....**(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : शास्त्री जी, आम मेरी बात सुन लीजिए। जहां तक यह प्रश्न है कि ओबीसी के आरक्षण के संबंध में एक ऐप्रिहेन्शन जो हमारे जेना साहब ने उठाया है, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि ऐप्रिहेन्शन की आवश्यकता नही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अनुसूचित जाति और जनजाति को इनक्लूड कर लिया, मंडल कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेन्स था OBC के बारे में, इसकी वजह से यह सारी परिस्थिति बनी और अनुसूचित जाति और जनजाति के दिमाग पर भयंकर प्रभाव पड़ा। इसी वजह से जब कभी यहां पर यह प्रश्न उठा हमने आपको आश्वस्त किया, रामविलास बाबू ने कई बार प्रश्न उठाया, आपने भी कहा, मैने हमेशा कहा कि हम लोग अनुसूचिज जाति व अनुसूचित जनजाति के हित में दृढ़प्रतिज्ञ है और तदनुसार बहुत कुछ विचार–विनियम करने के बाद यह बिल आपके सामने उपस्थित किया है।

जहां तक पिछड़े वर्गों का प्रश्न है, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आम सहमति के आधार पर जिस तरह से हमने यह किया है, उसी आधार पर सभी लोगों से बात करके निश्चित रूप से ....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी, यह कोई बात नही है। सब पार्टियों के लोग तैयार है। आप आज की ही प्रोसिडिंग उठाकर देख लीजिए, हम लोगों को खबर है, प्रधानमंत्रीजी को एतराज नही है, आपको पता नही क्यों एतराज हे। यह बात हमारी समझ में नही आती। कोई पार्टी नही बची, सब पार्टियां मदद कर रही है। ये एकदम गुमराह कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अगर दूसरों का बोलने के लिए टाइम नही दिया, आपने यह कहा कि पास करना है और आप ही ऐसा कर रहे है

....(व्यवधान)....

श्री नीतीश कुमार : में यह कहता हूं कि आज अभी इसको कर सकते है। ....(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : पूरे सदन को एतराज नही है, किसी की एतराज नही है ....(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : यहा शैड्यूलड कास्ट्स का मामला है, पिछड़े वर्ग का तो मामला ही नही है। आप इसको पिछड़े वर्ग का मामला बनाकर यह कह रहे है। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते जा रहे है। मिनिसटर साहब, आप बैठिए, आपकी पार्टी के लोगों को 5 बजे तक शायद पास नही करना है। उनको बोलने दीजिए। या तो आप अपनी पार्टी के सदस्यों पर नियत्रंण रखिये या आप उन्हें ऐसे वक्तब्य देने से रोकिये।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मैं आज इस सदन में यह आश्वासन देता हूं कि पिछड़े वर्गो के हिता को दृष्टिगत रखते हुए और सहमति से निश्चित रूप से जैसा मैने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, यह संशोधन किया ......(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी मैं आप से बीच में बाधा न डालने का अनुरोध करता हूं

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : जो जरूरत है, आरक्षण के लिए यह 50 प्रतिशत की सीलिंग है, उस सम्बन्ध में या एजिटेशन के सम्बन्ध में, आम सहमति से निश्चित रूप से मैं आश्वासन देता हूं कि इस विषय पर जब आम सहमति हो जाएगी तब में लाऊंगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी फिर सभा को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी का क्या दृष्टिकोण है। आपका क्या दृष्टिकोण है (व्यवधान) आपकी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने हम पर कंट्रोल के लिए तो कह दिया लेकिन इन पर कंट्रोल कौन करेगा ...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आम सहमति क्या हे? ..(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप ओ. बी. सी. का बिल लाइये, हम उसका स्वागत करते है। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो भी इस प्रकार से कह रहा है उसके बारे में लोग समझेंगे कि उनका बिल पास नही होने देना है ....(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हम पूछते है कि आम सहमति का मतलब क्या है? ....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आम सहमति का राइडर लगाकर इस सवाल को टालना चाहते है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप कृपया अपनी बात जारी रखिये।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : आम सहमति हमारा स्टैण्ड है। जिस तरह से भी विपक्षी दलों को बुलाकर विचार–विमर्श किया उसी तरह से सभी विपक्षी नेताओं से विचार–विमर्श करके निश्चित रूप से इस बिल को लाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपका आश्वासन है।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : एश्योरेंस है, आश्वासन है। ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप पार्लियामेटरी नाईसिटीज को समझिये। वे कह रहे है कि यह मेरा एश्योरेंस है।

श्री नीतीश कुमार : आप अमैंडमैंट देने वालो के नाम पढ़िये, सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल है। सभी पाटियों के लोगों के नाम उसमें है, रूलिंग पार्टी और अपोजीशन सभी पार्टियों के लोगों के नाम उसमें हें यह नाईसिटीज का सवाल नही है।, मंत्री जी यहां एश्योरैंस दे रहे है, उसका कोई मतलब नही है क्योंकि उसमें वे आम सहमति का राईडर लगा रहे हैं इसलिये हम लोग कह रहे है कि एकसाथ इसे अभी कर दे, मंत्री जी अपनी तरफ से अमैंडमैंट मूव कर दे, हम लोग अपने सारे अमैंडमैंट वापस ले सकत है वर्ना यह बात सदा सर्वदा के लिये टल जायेगी। इस सवाल पर दूसरे किसी का एतराज नही है, सिर्फ मंत्री जी को एतराज है।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, इस हाउस मे बहुत सी पार्टियों के लोग है, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी के लोग इस प्रकार के विचार प्रकट कर रहे है। दूसरी किसी पार्टी की तरफ से ऐसे विचार नही आये है।

श्री नीतीश कुमार : यही तो हम आपसे अनुरोध कर रहे है। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप अमैंडमैंट देने वालों के नाम देख लीजिएये। संशोधन देने वालो में सभी पाटियों के लोग शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे लोगों की तरफ से आने के बाद फिर हो जायेगा, अगरं सभी पार्टियों का ऐसा विचार होगा।

श्री नीतीश कुमार : इस बात पर हाउस को डिवाइड करने से क्या फायदा। ये आप सहमति को बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको ही बोलने का अधिकार है।

श्री नीतीश कुमार : हम ऐसा नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर उनको बोलने दीजिये।

श्री नीतीश कुमार : वे तो बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

मंत्री जी, क्या आपने अपना भाषण पूरा कर लिया है? यदि आपने अपना भाषण पूरा कर लिया है तो मैं मतदान कराऊं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मैंने कम्पलीट कर दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं विधेयक को मतदान के लिए रखने से पहले यह कहना चाहता हूं कि एक संविधान (संशोधन) विधेयक हाने के नाते इस पर मत दान मत–विभाजन प्रणाली से होगा।

दीर्घाऐं खाली कर दी जायें

अध्यक्ष महोदय : अब दो दीर्घाऐं खाली कर दी गई हैं । प्रश्न यह है: "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

4.40 म. प.

[मत विभाजन संख्या 7]

पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइंल जान (अलणी)

अंसारी, डा० मुमताज

अकबर पाशा, श्री बी०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अजित सिंह, श्री

अन्बारासु, श्री आर०

अब्दुल गफूर, श्री

श्री अयूब खां

अरूणाचलम, श्री एम०

अशोकराज, श्री ए०

अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा

अहमद, श्री ई०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

इन्द्रजीत, श्री

इम्चालम्बा, श्री

इस्लाम, श्री नुरूल

उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी०

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्ब्रे, श्री लाईता

उरांव, श्री ललित

ओडियार, श्री चनैया

कनौजिया, डा० जी० एल०

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी

कामत, श्री गुरूदास

कालकादास, श्री

कालियापेरूमंल, श्री पी० पी०

कुमार, श्री नीतीश

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुमारासामी, श्री पी०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केवल सिंह, श्री

केसरी लाल, श्री

कैनिथी, डा० विश्वानाथम

कोंताला, श्री राम कृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

खन्ना, श्री राजेश

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र,

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री सुखेन्दु

गंगवार, डा० परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गगोई, श्री तरूण

गजपति, श्री गोपीनाथ

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गुडाडिनी, श्री बी० के०

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गमांग, श्री गिरिधर

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चाको, श्री पी० सी०

चिदम्बरम, श्री पी०

चेन्नित्तला, श्री रमेश

चौधरी, स्क्वैड्न लीडर कमल

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री रूद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री चेतन पी० एस०

छोटे लाल, श्री

जंगबीर सिंह, श्री

जसवन्त सिंह, श्री

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जावाली, डा० बी० जी०

जेना, श्री श्रीकान्त

टाईटलर, श्री जगदीश

टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ती

टोपे, श्री अंकुशराव

डामोर, श्री सोमजी भाई

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहन एस०

डोम, डा० राम चन्द्र

तिरिया, कुमारी सुशीला

तीरकी, श्री पीयूष

तोपनो, कुमार फ्रिडा

तोमर, डा० रमेशचन्द्र

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि

थोरात, श्री संदीपन भगवान

दलबीर सिंह, श्री

दादाहूर, श्री गुरूचरण सिंह

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री द्वारका नाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दिघे, श्री शरद

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र

देव, श्री संतोष मोहन

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

धर्मभिक्षम, श्री

नाईक, श्री राम

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री जी० देवराय

नायक, श्री मृत्युंजय

नायक, श्री सुबाष चन्द्र

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री पी० जी०

नेताम, श्री अरविन्द

पांडियन, श्री डी.

पटनायक, श्री शरत

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री बृशिण

पटेल, श्री रामपूजन

डा० (श्रीमती) पद्मा

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री विजय एन.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पात्र., डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पाल, श्री रूपचन्द

पालाचौला, श्री वी. आर. नायडू

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री बलराज

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पेरूमान, डा. पी० वल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रकाश, श्री शशि

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

प्रमाणिक, श्री आर. आर

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंड़लिक

बंसल, श्री पवन कुमार

बर्मन, श्री पलास

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बालयोगी, श्री जी. एम. सी.

बालियान, श्री नरेश कुमार

बीरबल, श्री

बूटा सिंह, श्री

बैठा, श्री महेन्द्र

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ

भक्त, श्री मनोरंजन

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भारद्वाज, श्री परसराम

भार्गव, श्री गिरधारी लाल,

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा० कृपासिंधु

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मधुकर, श्री कमला मिश्र

मनफूल सिंह, श्री

मरबनिआंग, श्री पीटर जी.

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मल्लिकार्जुन, श्री

मािल्लकारजुनय्या, श्री एस.

मल्लू, डा० आर०

महतो, श्री बीर सिंह

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती

माथुर, श्री शिव चरण

मीणा, श्री भेरूलाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री प्रमथेश

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुजाहिद श्री बी. एम.

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र

मुरलीधरन, श्री के.

मुरगेसन, डा. एन.

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री रामलखन सिंह

यादव, श्री राम शरण

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, श्री सूर्यनारायण

यादव, श्री शरद

युमनाम, श्री याइमा सिंह

राज रविवर्मा, श्री बी.

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रकुमार, श्री एस. एस. आर.

राजेश कुमार, श्री

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा

राठवा, श्री एन. जे.

राणा, श्री काशीराम

राम, श्री प्रेमचन्द्र

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बदन, श्री

राम बाबू, श्री ए. जी. एस.

राम सिंह, श्री

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री राम निहोर

राय, श्री हाराधन

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री डी. वेंकटेश्वर

राव, श्री पी. वी. नरसिंह

राव, राम सिंह कर्नल

राव, श्री वी. कृष्ण

रावल, डा० लाल बहादुर

राही, श्री राम लाल

रेड्डय्या यादव, श्री के. पी.

रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन

रेड्डी, श्री एम. बागा

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा

रेड्डी, श्री एम. जी.

रोशन लाल, श्री

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

लालजान बाशा, श्री एस. एम.

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, कुमारी विमला

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव

वासनिक, श्री मुकुल

विलियम्स, मेजर जनरल आर. जी.

वीरेन्द्र सिंह, श्री

व्यास, डा० गिरिजा

शंकरानन्द, श्री बी.

शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री जीवन

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

शास्त्री, श्री विश्वनाथ

शाह, श्री मानवेन्द्र

शिवप्पा, श्री के. जी.

शिवरामन, श्री एस.

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शेल्के, श्री मारूति देवराम

शैल्जा, कुमारी

श्रीधरण, डा० राजगोपालन

संगमा, श्री पूर्णो ए.

संघानी, श्री दिलीप भाई

सईद, श्री पी. एम.

सरस्वती, श्री योगानन्द

साय, श्री ए. प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगला, श्री संतराम

सिंधिया, श्री माधवराव

सिदनाल, श्री एस. बी.

सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. तारादेवी

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री देवी बक्स

सिंह कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंह श्री सत्यदेव

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह, श्री हरि किशोर

सिंहदेव, श्री के. पी.

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुर, श्री मनोरंजन

सुलतानपूरी, श्री कृष्ण दत्त

सैकिया, श्री मुहीराम

सोडी, श्री मानकूराम

सौंलकी, श्री सूरजभानु

सौन्दरम, डा. (श्रीमती) के. एस.

स्वामी, श्री जी. वेंकट

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

विपक्ष में

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर

श्री मोहन रावले

अध्यक्ष महोदय : #शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है

पक्ष मे 281

विपक्ष में : 2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडंकर विचार करेगी।

खंड 2 अनुच्छेद 6 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष कुमार गंगवान् और श्री शहाबुद्दीन। आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे है?

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री की उपस्थिति में सभा में दिए गये आवशसन को देखते हुए और इस तथ्य का देखते हुए कि आपने विशेष रूप से माननीय मंत्री से आश्वासन लिया है ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : और यह देखते हुए कि कार्यवाही वृतान्त में जो शामिल किया गया है। ....(**व्यवधान**)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं संशोधन प्रस्तुत नही करना चाहता।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इसलिए मैं समझता हूं कि वे इसका पालन करेंगे। अतः मैं अपने संशोधन को विचार के लिए प्रस्तुत नही कर रहा हूं और मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसमें समय–सीमा निर्धारित करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे है?

श्री पी. जी. नारायण (गोबिचेट्टिपालयन) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 1 पक्ति 7 और 8-

"अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों" के पश्चात "और अन्य पिछड़े वर्गों" शब्द अन्तः स्थापित किए जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री के. पी. रेड्डय्या यादव।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, अपना संशोधन वापस लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं।

---

*विपक्ष में गलती से मतदान किया गया।

#निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

पक्ष में

सर्व श्री के. वी. तंग्का बाबू, डी० बी. शिंगडा, येल्लैया नन्दी जे. चौक्का राव, कोडीकुमील सुरेश, सुखराम, प्रो० पी. जे कुरियन, सर्व श्री अशोक गहलोत, ए० चार्ल्स, बी० एस. विजयराघवन विश्वेश्वर भगत, श्रीमती सन्तोष चौधरी, सर्वश्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर, किरिप चालिठा, भवानी लाल वर्मा, इब्राहिम सुलमान सेट, नाघू राम मिर्धा, प्रो. के. वी. थामस, प्रो. एम. कामसन, सव्रश्री धर्मण्णा नोंडया साहुल, के. टी. वान्डायर, प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु, श्री सूरज मंडल प्रो. सुशान्त चक्रवती, सर्वश्री तेज नारायण सिंह सब्रत मुखर्जी, उद्धव वर्मन, डा० आर. के. जी. राजुलु सर्वश्री रूपचन्द मुरमु, सैकुद्दीन चौधरी, सैयद शहाबुद्दीन, मोहन सिंह (देवरिया) हन्नान मोल्लाह, सैयद मसूदल हुसैन, देवेन्द्र प्रसाद यादव, डा. सर्तयनारायण जटिया, सर्वश्री जायनल ऊबेदिन, लाल बाबू राय, प्रो. रासा सिंह रावत, श्रीमती सरोज दुबे, सर्वश्री प्रताप सिंह, राज नारायण, प्रो० प्रेम धूमल, सर्वश्री मंगल राम प्रेमी, भगवान शंकर रावत, राजेन्द्र कुमार शर्मा, शिव लाल नागजी भाई, वेकारिया, विनय करियार, दत्तात्रेय बंडारू, छत्रपाल सिंह, अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे है?

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री यहां बैठे हुए है और हम जानते है कि उन्होंने पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जातियें के संबंध में आन्ध्र प्रदेश में जो कुछ किया हैं अतः माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पूर्व में दिए गये आश्वासन पर मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए वापस लेने का प्रश्न नहीं है।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : हां, महोदय। मैं संशोधन प्रस्तुत नही कर रहा हूं। माननीय मंत्री ने "आम सहमति" की पूर्ति रखी है। इन शर्तो से पिछड़े वर्गो को अथाह कष्ट और कठिनाइयां होंगी, अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि ऐसी कानूनी शर्ते नही रखे।

अध्यक्ष महोदय : श्री दलबीर सिंह।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको लम्बा वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं हे। आप केवल यह कह सकते है 'प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं'। यही काफी है।

श्री दलबीर सिंह : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुमारी फ्रिडा तोपनो –संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रही है।

श्री खेलसाय सिंह – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री अनादि चरण दास – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री लाईता उम्ब्रे – संशोधन प्रस्तुत नही कर रहे हैं।

श्री डी. वी. शिगड़ा – संशोधन प्रस्तुत नही कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

श्री एन. जे. राठवा – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा – प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान।

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 1 पक्ति 9-

"सेवाओं में शब्दों के पश्चात "सम्बन्धित पदो पर शब्द अन्त स्थापित किए जाए। (5)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनादि चरण दास।

श्री अनादि चरण दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पक्ति 8 और 9-

"जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नही है शब्दों का लोप किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री दलबीर सिंह संशोधन –प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल सिंह – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

कुमारी फ्रिडा तोपनो – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

श्री खेलसाय सिंह – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

श्री अनादि चरण दास – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

श्री लाईता उम्ब्रे – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

श्री डी. बी. शिगड़ा – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

श्री सुधीर सावंत – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

श्री एन. जे. राठवा – संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा – प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं

श्री राम विलास पासवान।

श्रीराम विलास पासवान : जी, महोदय

अध्यक्ष महोदय : 'जी' का कोई मतलब नहीं होता है। "हां" अथवा "नहीं" कहें

श्री राम विलास पासवान : हां, महोदय। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 पक्ति 9-

"राज्य" शब्द के पश्चात "के सरकारी उपक्रमों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और वित्त पोशित निजी संगठनों" अन्त स्थापित किया जाए। (7)

अध्यक्ष महोदय : श्री के. पी. रेड्डय्या यादव प्रस्तुत नही कर रहे है।

श्री नीतीश कुमार

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसमें तर्क का भी सवाल है और भावना का भी सवाल हैं आप हमेशा घड़ी का ख्याल रखते है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल रखने की बात नही है। आप सब लोगों की मांग पर डिसाईड किया है।

[अनुवाद]

क्या करना है और क्या नही, इस बात पर स्वयं ही निर्णय लेकर मेरी बातों को गलत साबित न करें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात को सुना जाये। अभी शाहाबुद्दीन साहब ने जैसा कहा कि मंत्री जी के एश्योरेंस के आलोक में हम मूव नही भी कर सकते तो आपने कहा कि कार्यवाही वृतान्त में क्या दर्ज किया गया है।

[अनुवाद]

एश्योरेंस हो गया लेकिन मंत्री जी बिल्कुल गोलमोल की भाषा का प्रयोग कर रहे है। आम सहमति होने पर जबकि आम सहमति अभी भी है। एक बात यह भी है कि वे इस अमैंडमैंट को मानकर अपनी तरफ से मूव करके इस बिल को ठीक कर सकते है लेकिन इसके बाद भी वे इसको टालने की बात कर रहे ह तो हम यह चाहेंगे कि इस समय प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए है, उनकी तरफ से इस सवाल पर कुछ आश्वासन आ जाये। हम नहीं चाहते कि इस सवाल पर हाउस को डिवाईड किया जाये। हमारी हाउस को डिवाईड करने की कोई इच्छा नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इस बात को समझे कि यदि किसी मंत्री अथवा मंत्री–परिषद के किसी सदस्य द्वारा आश्वासन दिया जाता है तो यह सरकार की ओर स दि गा आश्वासन होता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार ठीक है, हम मूव नहीं कर रहे है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृष्ण कोंताला –संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

डा० मुमताज अंसारी	संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।
डा विश्वेश्वर भगत	संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।
श्री वी. एस. विजयाराघवन	संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।
श्री दत्तात्रेय बंडारू	संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।
श्री पी. सी. थामस	संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।
श्री राम कृपाल यादव	संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।
श्री चन्द्रजीत यादव	संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकान्त जेना।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पक्ति 11, के पश्चात निम्नलिखित जोड़े–

"(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अन्य पिछड़े वर्गो के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं हें राज्य के अधीन सेवाों में किसी वर्ग यह वर्गो के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निकारित नहीं करेगी?" (10)

[हिन्दी]

मुझे एक बात कहनी है। आम सहमति का जो शब्द लगाया गया है, यदि मंत्री उसे वापस ले लें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। आम सहमति तो है ही।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : हां।

संशोधन संख्या-10, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार पुनः श्री पी. जी. नारायण से पूछता हूं।

श्री पी. जी. नारायणन : महोदय यदि माननीय प्रधान मंत्री आश्वासन दें तो मैं अपना संशोधन प्रसतुत नहीं करूंगा। हमें तमिलनाडु राज्य में पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा प्राप्त है और यदि यह विधेयक प्रभावी होगा तो

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपने सभा में श्री नीतीश कुमार द्वारा कही गई बातों के संबंध मे मेरा उत्तर नहीं सुना। यह वही मामला है।

श्री पी. जी. नारायणन : महोदय, मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 3, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनादि चरण दास, मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूं।

श्री अनादि चरण दास : महोदय मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : हां।

संशोधन संख्या 6, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री राम विलास पासवान।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरे संबंध में कोई ऐश्योरेंस नहीं दिया गया है। मैं इनकी भलाई के लिए कहना चाहत हूं क्योंकि आप देख रहे है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो एक–एक शब्द की बात की खाल निकाली जाती है। इसलिए संविधानसंशोधन करना पड़ा। यदि ये हमसे पहले बात करते तो यही लाकर रख देते इनको प्रैस्टिज नही बनाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, आप प्लीज थोडे शब्दों में कह दीजिए।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : इन्होंने लिखा है "सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नही दिया गया हैं"

[हिन्दी]

हमने उसमें रिस्पैक्टिव पोस्ट कह दिया है क्योंकि क्लास 4 में तो 50 प्रतिशत हो जाता है लेकिन क्लास 1 से 5 प्रतिशत भी नहीं होता। जब आप रिस्पैक्टिव पोस्ट कहेंगे तो वह बाइंडिग हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही है। इसमें कोई ऐसा मामला नही है, आप इसे ऐक्सैप्ट कर सकते है। **(व्यवधान)** जरा उठकर कुछ कह दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उठने में एक सैकड भी नहीं लगेगा।

श्री सीताराम केसरी : ठीक हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, दे दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सर्विसेस में रिजर्वेशन समझ में आता है, पोस्ट पर रिज़र्वेशन की बात समझ में नही आती।

श्री राम विलास पासवान : पोस्ट में ही तो रिजर्वेशन होता है, और कहां होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रिजर्वेशन का सिद्धान्त पहले सर्विसेस के बारे में लागू किय जाता है फिर वह पोस्ट पर कार्यान्वित किया जाता है। यहां सिद्धान्त की बात हो रही है, एक–एक पोस्ट की चर्चा नहीं हो रही हैं

श्री राम विलास पासवान : हम कह रहे है कि चार कैटेगरीज है। इन्होने ऐश्योरैंस दिया है तो मैं एक के बजाए अपने दोनों अमैंडमैंट वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महादेय : क्या अपने दो संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है।

कई माननीय सदस्य : हां।

संशोधन संख्या 5 और 7, सभा की अनुमति से वापस लिए गये।

अध्यक्ष महोदय : खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान (संशोधन विधेयक हाने के नाते इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाए खाली कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाए खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह हैं :

" कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 8

पक्ष में **4.57 म० प०**

अंसारी, डा० मुमताज

अकबर पाशा, श्री बी०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अजित सिंह, श्री
अन्बारासु, श्री आर.
अनवर, श्रीमती के. पद्माश्री
अब्दुल गफूर, श्री
अयूब खां, श्री
अशोकराज, श्री ए०
अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा
अहमद, श्री ई०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
आचार्य, श्री बसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्रजीत, श्री
इम्चालम्बा, श्री
इस्लाम, श्री नुरूल
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी०
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्ब्रे, श्री लाईता
उम्मारेड्डी, वेंकटस्वरलु, प्रो०
उरांव, श्री ललित
ओडेयार, श्री चनैया
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन
कटियार, श्री विनय
कनौजिया, डा० जी० एल०
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
कामत, श्री गुरूदास
कामसन, प्रो० एम०
कालकादास, श्री
कालियापेरूमल, श्री पी० पी०
कुमार, श्री नीतीश
कुमार, श्री वी० धनंजय
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुमारासामी, श्री पी.
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
केवल सिंह, श्री
कैनिथी, डा० विश्वनाथम
कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह
कोंताला, श्री रामकृष्ण
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खन्ना, श्री राजेश
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री सुखेन्दु
गंगवार, डा० परशुराम
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गगोई, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपीनाथ
गमांग, श्री गिरिधर

गहलोत, श्री अशोक

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव

गुडाडिन्नी, श्री बी. के.

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चाको, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चिदम्बरम, श्री पी०

चेन्नित्तला, श्री रमेश

चौधरी, स्क्वैड्रन लीडर कमल

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री रूद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी० एस.

छोटे लाल, श्री

जंगबीर सिंह, श्री

जटिया, डा० सत्यनारायण

जसवन्त सिंह, श्री

जांगडे, श्री खेलन राम

जाखड, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जावाली, डा० बी० जी०

जायनल अबेदिन, श्री

झा, श्री भोगेन्द्र

टाईटलर, श्री जगदीश

टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति

टोपे, श्री अंकुशराव

डामोर, श्री सोमजी भाई

डेनिस श्री एन०

डेलकर, श्री मोहन एस०

डोम, डा० राम चन्द्र

तंग्का बालू, श्री के० वी०

तिरिया, कुमारी सुशीला

तीरकी, श्री पीयूष

तेजनारायण सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण

त्रिपाठी श्री लक्ष्मीनारायण मणि

थामस, प्रो० के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरात, श्री संदीपन भगवान

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री द्वारका नाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दिघे, श्री शरद

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र

देव, श्री संतोष मोहन

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव

द्रोष, श्री जगत बीर सिंह

धर्मभिक्षम, श्री

धूमल, प्रो० प्रेम

नंदी, श्री येल्लैया

नाईक, श्री राम

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री जी० देवराय

नायक, श्री मृत्युंजय

नायक, श्री सुबास चन्द्र

नायकर, श्री डी० के०

नारायण, श्री पी० जी०

नेताम, श्री अरविन्द

पांडियन, श्री डी.

पटनायक, श्री शरत

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री बृशिण

पटेल, श्री रामपूजन

पटेल, श्री हरिलाल ननजी

डा० (श्रीमती) पद्मा

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाटील, श्री प्रकाश वी०

पाटील, श्री विजय एन.

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पाल, श्री रूपचन्द

पालाचौला, श्री वी. आर. नायडू

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री बलराज

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पेरूमान, डा० पी० वल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रकाश, श्री शशि

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

प्रमाणिक, प्रो आर. आर

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा

प्रेमी, श्री मंगलराम

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक

बंडारू, श्री दत्तात्रेय

बंसल, श्री पवन कुमार

बरार, श्री जगमीत सिंह

बर्मन, श्री उद्धव

बर्मन, श्री पलास

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बालियान, श्री नरेश कुमार

बीरबल, श्री

बूटा सिंह, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भारद्वाज, श्री परसराम

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा० कृपासिन्धु

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मधुकर, श्री कमला मिश्र

मरबनिआंग, श्री पीटर जी.

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मल्लिकार्जुन, श्री

माल्लिकारजुनय्या, श्री एस०

मल्लू, डा० आर

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्री राजकिशोर

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मीणा, श्री भेरूलाल

मुखर्जी, श्रीमति गीता

मुखर्जी श्री प्रमथेश

मुखर्जी, श्री सुब्रत

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुजाहिद श्री बी. एम.

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरूगेसन, डा. एन.

मुरमु, श्री रूप चन्द

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री रामलखन सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, डा० एस. पी.

यादव, श्री सूर्यनारायण

यादव, श्री शरद

युमनाम, श्री याइमा सिंह

राजनारायण, श्री

राज रविवर्मा, श्री बी.

राजुलु, डा० आ. के. जी.

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रकुमार, श्री एस. एस. आर.

राजेश कुमार, श्री

राठवा, श्री एन. जे.

राणा, श्री काशीराम

राम, श्री प्रेमचन्द

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बदन, श्री

रामबाबू, श्री ए. जी. एस.

राम सिंह, श्री

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री राम निहोर

राय, श्री लाल बाबू

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री डी. वेंकटेश्वर

राव, श्री जे. चोक्का

राव, श्री पी. वी. नरसिंह

राव राम सिंह, कर्नल

राव, श्री वी. कृष्ण

रावत, श्री भगवान शंकर

रावत, प्रो. रासा सिंह

रावल, डा० लाल बहादुर

राही, श्री राम लाल

रेड्डय्या यादव, श्री के. पी.

रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन

रेड्डी, श्री एम. बागा

रेड्डी, श्री एम० जी०

रेड्डी, श्री बी. एन

रोशन लाल, श्री

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री

लालजान बाशा, श्री एस. एम.

वर्मा, श्री फूलचन्द

वर्मा, श्री भवानी लाल

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, प्रो० रीता

वर्मा, कुमारी विमला

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव

वान्डायार, श्री के. टी.

वासनिक, श्री मुकुल

विजयराघवन, श्री वी. एस.

विलियम्स, मेजर जनरल आर. जी.

वीरेन्द्र सिंह, श्री

वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई

व्यास, डा० गिरिजा

शंकरानन्द, श्री बी.

शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री जीवन

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

शास्त्री, श्री विश्वनाथ

शाह, श्री मानवेन्द्र

शिंगडा, श्री डी० बी०

शिवप्पा, श्री के. जी.

शिवरामन, श्री एस०

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शेल्के, श्री मारूति देवराम

शैलजा, कुमारी

श्री धरण, डा० राजगोपालन

संगमा, श्री पूर्णो ए.

संघानी, श्री दिलीप भाई

सईद, श्री पी. एम.

सज्जन कुमार, श्री

सरस्वती, श्री योगानन्द

सादुल, श्री धर्मण्णा मोंडयया

साय, श्री ए. प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

साही, श्रीमती कृष्णा

सिगंला, श्री संतराम

सिंधिया, श्री माधवराव

सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. तारादेवी

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, डा० छत्रपाल

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री रामनरेश

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंह, श्री सत्यदेव

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह, श्री हरि किशोर

सिंहदेव, श्री के. पी.

सुख राम, श्री

सुखबंस कौर, श्रीमति

सुर, श्री मनोरंजन

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान

सैकिया, श्री मुहीराम

सोढी, श्री मानकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

सौन्दरम, डा० श्रीमती

स्वामी, श्री जी. वेंकट

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हरचन्द सिंह, श्री

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

श्री मोहन रावले

अध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में	**326**
विपक्ष में	**001**

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एंव मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड दिया गया

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

पक्ष में :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया, श्रीमती बासवा राजेश्वरी, सर्वश्री एस. बी. सिदनाल, मतफूल सिंह, महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर, गोविनद चन्द्र मुंडा, धर्मपाल सिंह मालिक, रामशरण यादव, मगुन्टा सुब्बाराम, रेड्डी, सूरज मंडल, जी. एम. सी बालयोगी सैयद शहाबुद्दीन, मोहन सिंह (देवरिया), श्रीकान्त जेना श्रीमती सरोज दुबे, डॉ रमेश चन्द तोमर, सर्वश्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, राजेन्द्र कुमार शर्मा

खंड-1 सक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3-

"छियासिवां के स्थान पर"

"सतहतरवां, प्रतिस्थपित किया जाय।" (1)

(श्री सीताराम केसरी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक मे जोड दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है "कि अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री सीता राम केसरी : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं इस संशोधित विधेयक के परित करने के प्रस्ताव को सभा में रखू, क्योंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा

5.00 म. प.

दीर्घाए पहले ही खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह है "कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या 9

पक्ष में **5.01 म० प०**

अंसारी, डा० मुमताज

अकबर पाशा, श्री बी०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अजित सिंह, श्री

अन्बारासु, श्री आर

अब्दुल गफूर, श्री

अयूब खां, श्री

अरूणाचलम, श्री एम०

अशोकराज, श्री ए०

अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा

अहमद, श्री ई०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहिरवार, श्री आनन्द

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

इन्द्रजीत, श्री

इम्चालम्बा, श्री

इस्लाम, श्री नुरूल

उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी०

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्ब्रे, श्री लाईता

उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो०

उरांव, श्री ललित

ओडियार, श्री चनैया

कटियार, श्री विनय

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी

कामत, श्री गुरूदास

कामसन, प्रो० एम०

कालकादास, श्री

कालियापेरूमल, श्री पी० पी०

कुमार, श्री नीतीश

कुमार, श्री वी० धनंजय

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुमारासामी, श्री पी०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केवल सिंह, श्री

कैनिथी, डा० विश्वनाथम

केरो, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोतांला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

खन्ना, श्री राजेश

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री सुखेन्दु

गंगवार, डा० परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गगोई, श्री तरूण

गजपति, श्री गोपीनाथ

गमांग, श्री गिरिधर

गहलौत, श्री अशोक

गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव

गुडाडिन्नी, श्री बी० के०

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

घंगारे, श्री रामचन्द्र मारोतराव

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चाको, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चिदम्बरम, श्री पी०

चेन्नित्तला, श्री रमेश

चौधरी, स्क्वैड्रन लीडर कमल

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री रूद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी० एस०

छोटे लाल, श्री

जंगबीर सिंह, श्री

जटिया, डा० सत्यनारायण

जसवन्त सिंह, श्री

जांगडे, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जावाली, डा० बी० जी०

जायनल अबेदिन, श्री

जेना, श्री श्रीकान्त

जोशी, श्री दाऊ दयाल

टाईटलर, श्री जगदीश

टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डामोर, श्री सोमजी भाई

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहन एस०

डोम, डा० राम चन्द्र

तंग्काबालु, श्री के० वी०

तिरिया, कुमारी सुशीला

तीरकी, श्री पीयूष

तेजनारायण सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

तोमर, डा० रमेशचन्द

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि

थामस, प्रो. के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरात, श्री संदीपन भगवान

दलबीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री द्वारका नाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दिघे, श्री शरद

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र

देव, श्री संतोष मोहन

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह

धूमल, प्रो० प्रेम

नंदी, येल्लैया

नाईक, श्री राम

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री जी० देवराय

नायक, श्री मृत्युंजय

नायकर, श्री डी० के.

नारायणन, श्री पी० जी०

नेताम, श्री अरविन्द

पंवार, श्री हरपाल

पटनायक, श्री शरत

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री बृशिण

पटेल, श्री रामपूजन

डा० (श्रीमती) पद्मा

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री विजय एन.

पांणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पाल, श्री रूपचन्द

पालाचौला, श्री वी. आर. नायडू

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री बलराज

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पेरूमान, डा० पी० वल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रकाश, श्री शशि

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

प्रमाणिक, प्रो आर आर

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा

प्रेमी, श्री मंगलराम

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

बंडारू, श्री दत्तात्रेय

बंसल, श्री पवन कुमार

बर्मन, श्री उद्धव

बर्मन, श्री पलास

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बालयोगी, श्री जी. एम. सी.

बीरबल, श्री

बूटा सिंह, श्री

बैठा, श्री महेन्द्र

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा० कृपासिन्धु

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रहमानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मंडल, श्री सूरज

मधुकर, श्री कमला मिश्र

मनफूल सिंह, श्री

मरबनिआंग, श्री पीटर जी

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस..

मल्लू, डा० आर.

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्री राजकिशोर

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मीणा, श्री भेरूलाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री प्रमथेश

मुखर्जी, श्री सुब्रत

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुजाहिद, श्री बी. एम.

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र

मुरलीधरन, श्री के.

मुरूगेसन, डा. एन.

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री रामलखन सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, डा० एस. पी.

यादव, श्री सूर्यनारायण

यादव, श्री शरद

युमनाम, श्री याइमा सिंह
राजनारायण, श्री
राज रविवर्मा, श्री बी.
राजुलु, डा० आर. के. जी
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेन्द्र कुमार, श्री एस. एस. आर
राजेश कुमार, श्री
राठवा, श्री एन. जे
राणा, श्री काशीराम
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम बाबू, श्री ए. जी. एस.
राम सिंह, श्री
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री राम निहोर
राय, श्री लाल बाबू
राय, श्री हाराधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री डी. वेंकटेश्वर
राव, श्री जे. चोक्का
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
राव राम सिंह, कर्नल
राव, श्री वी. कृष्ण
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावल, डा० लाल बहादुर
सही, श्री राम लाल
रेड्डय्या यादव, श्री के. पी.
रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन
रेड्डी, श्री मगुंन्टा सुब्बारामा
रेड्डी, श्री एम. जी.
रेड्डी, श्री बी. एन.
रोशन लाल, श्री
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री भवानी लाल
वर्मा, श्री रतिलाल
वर्मा, प्रो० रीता
वर्मा, कुमारी विमला
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
वान्डायार, श्री के. टी.
वासनिक, श्री मुकुल
विलियम्स, मेजर जनरल आर. जी.
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई
व्यास, डा० गिरिजा
शंकरानन्द, श्री बी.
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री जीवन
शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

शास्त्री, श्री विश्वनाथ

शास्त्री, श्री मानवेन्द्र

शिंगडा, श्री डी. बी.

शिवप्पा, श्री के. जी.

शिवरामन, श्री एस.

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शेल्के, श्री मारूति देवराम

शैलजा, कुमारी

श्रीधरण, डा० राजगोपालन

संगमा, श्री पूर्णो ए.

संघानी, श्री दिलीप भाई

सईद, श्री पी. एम.

सज्जन कुमार, श्री

सरस्वती, श्री योगानन्द

सादुल, श्री धर्मण्णा मोंडय्या

साय, श्री ए. प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगला, श्री संतराम

सिंधिया, श्री माधवराव

सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. तारादेवी

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, डा० छत्रपाल

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री रामनरेश

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंह, श्री सत्यदेव

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंहदेव, श्री के. पी.

सुख राम, श्री

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्णदत्त

सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान

सैकिया, श्री मुहीराम

सैयद, श्री शहाबुद्दीन

सोडी, श्री मानकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

सौन्दरम, डा० श्रीमती

स्वामी, श्री जी. वेंकट

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

श्री मोहन रावले

अध्यक्ष महोदय : *शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष में 319

विपक्ष में 1

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम नायक : महोदय, अब शाम के ठीक 5 बजे है।

अध्यक्ष महोदय : हमने ठीक समय पर किया।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी) : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, इसलिए टैक्स्टाइल वाला बिल अभी ले लिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा विधेयक पारित करने के लिये सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

....**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी चाहते हैं कि सदन में आज पेश किये गये विधेयक पारित किय जायें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 120 मिल्स बीमार है। इससे हजारों नही लाखों मजदूर बेकार हुए है। जमीन बेचने का इसमे प्रावधान है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करना चाहेगे और हमारे जो सुझाव है, उनको सरकार के सामने रखने का वक्त है। कल सारी जमीन बेची जाएगी और हमारे पास कुछ नही रहेगा। इसलिए बिना चर्चा विधेयक मंजूर करने के लिए हम तैयार नही है। इस पर आज करेंगे, तो कल बात देश के ससामने जाएगी कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर बिना चर्चा पास कर रहे है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय, यह टैक्सटाइल वर्किंग क्लास का सवाल है और मैं जानता हूं कि हर सदस्य जानता है। NTC मिल्स है, जो सिक है, उनके तकरीबन एक लाख 76 हजार वीर्किंग क्लास का सवाल है और मुसलसल तीन साल से उनकी आइडल वेज के लिए बजट से पैसा जा रहा है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसका माड्रनाइजेशन नई मशीनों के साथ करके टैक्सटाइल मशीने फिर चलाने का प्रस्ताव आपके सामने आया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सारे के सारे तैयार है और अब आप इसमें रोड़ा अटका देंगे, तो तीन साल और चले जायेगे। जैसी आपकी मर्जी, जो आप चाहें।

श्री राम नाईक : यह सरकार इतने साल तक कुछ नही करती रही और हम पर आरोप लगा रहे है। हम यह कह रहे है कि यह विधेयक हम पास करने के तैयार है, लेकिन बिना चर्चा करके मनजूरी नही हो सकती है। यह हम कल करेंगे ओर जैसा मैने कहा, सैक्शन 37 ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आशा है, आप इससे सहमत होंगे। वे यह कह रहे हैं कि वे इसे कल पारित करेंगे ठीक है। हर बात के लिये हम जिम्मेदार नही हैं। अब चर्चा का मौका दिये बिना मैं सदस्यों से इसे पारित करने का आग्रह नही करूँगा। इतना बड़ा विधेयक इस प्रकार पारित नही हो सकता। आपने अंतिम समय में इसे पेश किया है और आप इसे पारित कराना चाहते हैं। वे कुछ संशोधन देना चाहते हैं। मैं उससे सहमत हूँ। यदि आप सभी सहमत हैं तो मुझ कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : **अध्यक्ष महोदय, इस पर थोड़ा माननीय सदस्यों के विचार आ जाये, कल पास करेंगे। महत्वपूर्ण बिल है लोगों की बात सुन लीजिए।**

अध्यक्ष महोदय : यह मैं कहना चाहता हूँ, यह हाउस में बिल पास होने वाला हैं।

[अनुवाद]

आप जैसे चाहे, इसके लिए व्यवस्था कर ले। परन्तु अभी 5 बजे शाम को चर्चा किये बगैर इस प्रकार के विधेयक को पारित

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया

पक्ष में

श्री एम वी. चन्द्रशेखर मूर्ति, श्रीमती बासवा राजेश्वरी, सर्व श्री एस. बी. सिदनाल, डी० पांडियन, विजय कृष्ण हान्डिक, वी. एस. विजयराघवन, राम शरण यादव, सुभाष चन्द्र नायक, राम बदन भोगेन्द्र झा, मनोरंजन सुर, धर्मभिक्षम, प्रेम चन्द्र राम, रूप चंद मुरमु, हरि किशोर सिंह, श्रीमती सरोज दुबे, सर्व श्री नरेश कुमार बालियान, डॉ जी. एल. कनजिया सर्वश्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, पांडुरम पुंडलिक फुंडकर, प्रकाश नारायण त्रिपाठी।

करने के लिये मैं सदस्येां से अनुरोध नही करूँगा ओर वह भी तब जब माननीय सदस्य इस पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : राज्य सभा का सत्र एक और दिन के लिये बढ़ा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था करना हमारे अधिकर क्षेत्रमें नही है।

[हिन्दी]

हम पास कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं यह बात सरकार के कान में डाल देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार का ही काम नहीं है। इसका निर्णय माननीय सदस्यों और अन्य लोगों को भी करना है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस विधेयक का हम स्वागत करते है। परन्तु कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। परन्तु कुछ अन्य विधियें की सहायता से हमें इस दिशा में मदद करने का प्रयास करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप की बड़ी कृपा है कि आप मुझे हर चीज का अधिकार दे रहे है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी नही, मैं आपको नही दे रहा हूँ। मै। सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह ऐसी कोई व्यवस्था करे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसे कल पारित किया जा सकता है। यदि आप कुछ कर सकते हैं। तो ठीक हैं आप कीजिए। परन्तु इसके बाद हम सांविधिक संकल्प लेंगे इस पर आज चर्चा करेंगे और इस पर कल भी चर्चा जारी रखेंगे।

5.04 म. प.

(चार) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक*

सचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तार अधिनियम में और संशोधन करते हेतु विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अनुमति देने में कोई एतराज नही है। सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं हो तो। परन्तु, यदि हर बार हर विधेयक इसी प्रकार लाया जाता हैं

...(व्यवधान)....

*भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में दिनांक 2-6-95 को प्रकाशित।

श्री सुख राम : यह बहुत ही साधारण विधेयक है।

अध्यक्ष महोदय : इसे पेश करने दिया जाए। हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता हैं

श्री सुखराम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 में ओर संशोधन करनें वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : राजमग असाधारण भाग–2 **खण्ड–2 में** "प्रकाशित कि भारतीय तार अधिनिम, 1885 में और संशोधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्वात स्वीकृत हुआ

श्री सुख राम : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा करने का हमें अवसर मिलेगा। इसे स्थायी समिति आदि सभी को भेजा जाएगा।

...(व्यवधान)...

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : दिल्ली किराया विधेयक का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : यही मेरी परेशनी है। मुझे मालूम नहीं कि क्या लिया जाये। मुझे मालूम नहीं कि क्या लिया जाना है। मुझे पता कस्ने दीजिए कि क्या लिया जाना है मुझे खेद है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता मुझे पता होना चाहिए कि आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं। ....(व्यवधान)

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : कल अधिकांश सदस्यों ने दिलली किराया विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया था। इसे पारित किया जाने वाला ही था कि सभा में आधे घंटे की चर्चा शुरू हो गई और इसी कारण इसे स्थगित किया गया। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह सारा काम पालिमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह केवल संसदीय कार्य मंत्री का काम नहीं है। अन्य कई बातें भी है। इसके लिये केवल सरकार नहीं, बलिक हम भी जिम्मेदार है।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप कहते है तो हम मान लेते है। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस तरह से कार्य नहीं करेंगे हम पहले संकल्प कर लेते है। और संकल्प पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद हम कल विधेयक पर विचार करेंगे।

5.09 म. प.

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने संबधी उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय मैं निम्नलिखत संकल्प पेश करता हूँ "कि यह सभा जम्मू–कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई 18 जुलाई 1990 की उदघोषण को 18 जुलाई 1995 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि इस माननीय सभा को जानकारी है, जम्मू–कश्मीर की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए 18 जुलाई 1990 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 356 के अंतर्गत एक उदघोषणा की गयी। चूंकि पाकिस्तान द्वारा राज्य के कुछ भागों में हिंसा, विध्वस और आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने के कारण राज्य में कानून और व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, अतः 18 जुलाई 1990 की उद्घोषणा को जारी रखने के लिए समय–समय पर संसद की दोनों सभाओं की स्वीकृति ली जाती रही है। पिछली बार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन को 2 मार्च, 1995 से आगे बढ़ाए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, तो मैंने इस माननीय सभा में उल्लेख किया था कि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों और उसके परिणामस्वरूप राज्य में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप स्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था और राज्य में राजनैतिक प्रक्रिया और लोक तांत्रिक संरचनाओं की शीघ्र बहाली के लिए जनता में व्यापक विचार–विमर्श चल रहा था। मैने यह भी कहा था कि आगामी समग्र स्थिति और रूख को देखते हुए सरकार को यह विश्वास था कि आगामीं महीनो में राज्य में लोक तांत्रिक प्रक्रिया की शुरूआत करने की दृष्टि से स्थिति को ओर मजबूत बनाना संभव होगा।

इस पृष्ठभूमि में सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को 17 जुलाई 1995 तक बढ़ाने के लिए सभा की स्वीकृति मांगी थी। जब कि विद्यमान सवैधनिक स्थिति के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पाँच साल की अधिकमत अनुज्ञेय अवधि समाप्त हो जाएगी। मैने यह भी कहा था कि सरकार स्थिति की निरंतर समीक्षा करेगी और राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराने की अपनी इच्छा का अनुसरण करते हुए, सुरक्षा संबंधी जरूरी आवश्यकताओं के विषय में समझौता किए बिना आगे कदम उठाएगी।

इसी बीच जम्मू कश्मीर में पिछले एक वर्ष के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा लगातार और तीव्र आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप, आतंकवाद पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। इसी तरह विकास कार्य की गति को भी अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए इस उपाय और अन्य उपायों से स्थिति में मग्र रूप से सुधार हुआ है। लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। जिससे पता चलता है कि आतंकवादी गतिविधियों के प्रति उनका मोह भंग हो गया है और अब वे शांति और सामान्य स्थिति चाहते है।

चुनाव कराने से संबंधित कुछ प्रक्रियात्मक पहलुओं, अर्थात् मतदाता सूची में संशोधन और निर्वाचन क्षेत्रों के प्ररिसीमन से संबंधित पहले शुरू किए गए कार्य को पूरा कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन कानून के अंतर्गत आवश्यक अन्य कदमों को भी समय पर चुनाव करने के लिए उठाना शुरू कर दिया गया है। चुनावों के लिए आवश्यक सुरक्षा और प्रचालन व्यवस्थाओं की यथोधित व्यवस्थी करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

पिछले तीन महीनों में राज्य में राजनैतिक प्रक्रिया में गति आई है। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक नेताओं से चर्चाए की है, और जम्मू–कश्मीर के कुछ नेताओं से भी चर्चा की है। प्रधान मंत्री ने भी राष्ट्रीय और राज्य दोनो स्तरों पर राजनैतिक दलों के नेताओं साथ चर्चाए की है। राजनैतिक दल भी चुनावों के लिए तैयार होने लगे है। इस स्थिति में सरकार ने विचार किया कि 17 जुलाई 1995 से पहले राज्य में लाकतांत्रिक और उत्तरदायी सरकार लाने के लिए चुनाव कराने का कार्य करना व्यावहारिक होगा। यद्यपि हम कोई समय सीमा निर्धारित करना नही चाहते थे, परंतु हमने सोचा कि 17 जुलाई जिस दिन राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि समाप्त होती है एक मील का पत्थर हो सकती है, जिसके आधार पर योजना तैयार की जा सकती है।

स्थिति मे होते निरंतर सुधार, घाटी में चुनावों की चर्चा और राज्य में चुनाव कराने के सरकार के निश्चय से सरकार को बदनाम करने वाले और सीमा पार उनके सलाहकार हतोत्साहित हुए है और उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में हर प्रकार से विघ्न डालने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। अभी हाल ही में इस संबंध मे उनकी हताशा उनके इस जघन्य कार्य से स्पष्ट हुई जब पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त आतंकवादियों ने चरार–ए–शरीफ़ के पूरे शहर, जिसमे कश्मीर के संरक्षक संत हजरत शेख नूरूद्दीन नूरानी जिनके प्रति कश्मीरी समुदाय के सभी वर्ग समान रूप से श्रद्धा रखते है, की दरगाह भी शामिल थी को मई के दूसरे सप्ताह में जला डाला। कश्मीरियों की अत्यधिक सम्मान्य दरगाहों को अपन्वित्र करने के प्रयास पहले भी किए गए हैं। रिर्पोटों से पता चलता है कि राज्य में अव्यवस्था और मतभेद फैलाने और सांप्रदायिक दगे भड़काने के उद्देश्य, से ये तत्व विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक स्थलों को हानि पहुचाने अपवित्र करने या उनका दुरूपयोग करने का फिर से प्रयास कर सकते हैं।

प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक रोक का प्रयोग करते हुए आतंकवादियों द्वारा हताशा के किसी ऐसे कार्य को रोकने की कोशिशो के बावजूद चरार–ए–शरीफ की पवित्र दरगाह को जला दिए जाने से राज्य की जनता को, विशेषकर घाटी में बहुत गहरा संताप और ठेस पहुँची है। इस घटना से राज्य सरकार का ध्यान भी शहर के यथा शीघ्र पुनर्निर्माण और पुनर्वास की ओर चला गया। इस घटना से एक धक्का लगा था और इस घटना के उत्तरवर्ती प्रभाव खत्म होकर पुनः विश्वास प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा।

राज्य में इन गतिविधियों के तुरंत बाद एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्य का दौरा किया, जहाँ उसने जनता के विभिन्न वर्गो से बातचीत की। इस प्रतिनिधि मंडल से प्राप्त जानकारी के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय दलों के नेताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राज्य का दौरा किया और राज्य स्तरीय दलों के साथ हुई बातचीत से इस सामान्य मत का पता चलता है कि राज्य में एक चुनी हुई सरकारी आनी चाहिए, यद्यपि ज्यादातर ने यही महसूस किया कि हमें चुनाव कराने के लिए और कुछ समय की आवश्यकता होगी ओर चुनावों को 17 जुलाई से पहले करवाना व्यवहारिक नहीं होगा।

यह कहते हुए भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि यह देश पाकिस्तान और उसके भाड़े के सैनिको द्वारा भारतीय क्षेत्र में अपनाए जा रहे आक्रामक तरीको और हिसात्मक गतिविधियों को निष्फल करने के अपने निश्चय से नही हटेगा और राज्य में सामान्य स्थिति लाने और राजनैतिक प्रक्रिया जारी रखने में सरकार के प्रयासों में कोई कमी नही आएगी।

हाल ही में राज्य में तेजीं से बदल रहे हालात और हताश की स्थिति में आतंकवादियों द्वारा अपनाई जाने वाली गतिविधियों को देखते हुए, सरकार को पूर्णतया सावधान रहना होगा कि कहीं राज्य में संवैधानिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न न हो जाए क्योंकि निकट भविष्य में राज्य में लोक तान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार लाने के उद्देश्य में कोई ह्रास नहीं होगा। इस पृष्ठभूमि में एहतियाती तौर पर और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 17 जुलाई, 1995 को समाप्त हो जाएगी और संसद का सत्रवसान 2 जून 1995 को हो जाएगा। काफी सोच विचार और चर्चा के बाद एक निर्णय लिया गया कि जम्मू–कश्मीर के संबंध में संविधन की धारा 356 में संशोधन किया जाए ताकि 18 जुलाई 1990 को जारी की गई राष्ट्रपति की उदघोषणा को 17 जुलाई 1995 के पश्चात एक साल की अवधि के लिए आगे जारी रखा जा सके।

इस निर्णय के अनुपालन के उपर्युक्त प्रावाधन करते हुए 31 मई, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 (1) घ के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की सहमति से एक संविधान संशोधन आदेश जारी किया गया।

जैसा कि मैंने ऊपर कहा, यह केवल एक समर्थक उपबंध है। सभा के समक्ष प्रस्तुत संकल्प में 18 जुलाई 1995 से केवल छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार घाटी में बंदूक की राजनीति जिसको भाड़े के सैनिक बनाए रखना चाहते है ; के विपरीत एक प्रतिनिधि और लोकतात्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की स्थापना के माध्यम से वहाँ राजनैतिक प्रक्रिया बहाल करने और शांति की स्थापना करने के कार्य को प्राथमिकता देगी। इस उद्देश्य के लिए हम जल्द से जल्द एक उचित समय पर चुनाव करांएगे। राष्ट्रपति शाासन की वर्तमान में बढ़ाई गई अवधि का उद्देश्य प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाना है, न कि उसे पीछे धकेलना है।

सामने लाई गई परिस्थितियों और राज्य तथा देश की जनता के व्यापक हितों को देखते हुए, मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वे संकल्प को स्वीकृति दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

" कि यह सभा जम्मू–कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई 18 जुलाई 1990 की उद्घोषणा को 18 जुलाई 1995 से ओर छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

श्री जसवंत सिंह (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रारंभ मे ही इस संकल्प, जिसको कि जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि और छह महीने के लिए बढ़ाने हेतु स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है, के तरीके ओर समय से संबंधित एक टिपण्णी करना चाहता हूँ।

महोदय, साधारणतया तथ्य से कि सरकार ने हमारी चेतावनी और सलाह को स्वीकार किया है हमें संतुष्टि होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार को सावधान कर रही थी कि उनके मूल्याकंन के अनुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य मे विशेषकर झेलम की घाटी में स्थिति अभी चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे अनुसार चुनाव अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है। अगर हम उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन के बीच में ही भ्रमित हो जाएंगे, तो हम चुनावों की प्रक्रिया का ही इतना महत्व देने लगेंगे कि ऐसा प्रतीत होगा कि चुनाव करवाने से ही जम्मू और कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी, जो कि नहीं होगी। इसी प्रकार के चुनाव करवाने का अनुभव हमें है उदाहरण के लिए असम राज्य में विशेषकर ब्रह्मपुत्र की घाटी में और हमने सरकार को सावधान किया है कि जब तक निष्पख ओर स्वतंत्र चुनाव न कराए जा सकते हों उस अभ्यास को न दोहराएं। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव तब तक नहीं कराया जा सकता है जब तक कि ग्राम स्तर पर प्रशासन प्रभावी न हो। ओर उसे सुदृढ न किया गया हो। अगर आप उस प्रशासन को सुदृढ़ नहीं कर सकते है। तो राजनैतिक प्रक्रिया को सुदृढ बनाने की बात का कोई महत्व नहीं है।

माननीय प्रधानमंत्री जो जम्मू कश्मीर के मामलें से संबंधित कार्यभारत संभाल रहे है ने कहा कि यह तथ्य कि जम्मू कश्मीर राज्य में अब चुनाव कराने की बात की जा रही है, अपने आप में एक राजनैतिक प्रक्रिया है। शायद ऐसा ही है ; पर शायद नही क्योंकि चुनाव कराने या न कराने की चर्चा की प्रक्रिया से ही अगर यह सरकार संतुष्टि प्राप्त करती है और कहती है कि एक राजनैतिक प्रक्रिया शुरू हो गई है तो यह घाटी की समस्याओं का समाधन नही है और न ही उस राजनीतिक प्रक्रिया का विकल्प है जिसके द्वारा वैध तरीके से चुनाव होगा और जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

हमने यह भी कहा था कि हमने चुनाव का विरोध इस लिए किया था क्योंकि घाटी में रहने वाले भारत के 3,00,000 से भी अधिक नागरिक अपने घर वापस नहीं जा सके है, जिससे वे वहां पर बिना किसी भय के अपना वोट डाल सके, अतः क्या ऐसे में चुनाव करवाने और लोगों द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। परिसीमन प्रक्रिया से संबंवित अपनी आशंकाओं से भी हमने अवगत करा दिया है। परिसीमन की प्रक्रिया में पूर्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी यह पाया था यदि मेरा सोचना सही है तो यहां स्थिति "खराब" ही है। हमें वहां जाकर यह देखना होगा कि जम्मू ओर कश्मीर क्षेत्र के बीच जो असंतुलन पैदा किया गया है इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में जो कठिनाईयाँ विद्यमान हैं और उन्हें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, वे सरकार के दृष्टिकोण और काम करने के ढ़ग के बारे में है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जान के संबंध में आने वाली कठिनाइयों के बारे मे सरकार को निरन्तर सावधान किया गया अैर 11 मई को चरार–ए–शरीफ की घटना हो गई। एक घटना के बाद मैं उस बात की चर्चा यहां नहीं करूंगा, जिसके बारे में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा है, फिर भी प्रश्न यह पैदा होता है कि वहां चुनाव कराए जाने चाहिए अथवा नही। इस सभा को माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने आश्वसान भी किया है और यह बताया है कि अब वहां चुनाव होंगे। उन्होने यह भी कहा है, हम समय पर चुनाव करवाने क लिए कृत–संकल्प हैं, और हमें राष्ट्रपति शासन की अवधि बढाए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न यह है कि यदि मैं यहां चरार–ए–शरीफ की बात उठाता हूँ जहाँ हमने परेशनियाँ भुगती हैं, तो यह ठीक नही होगा किन्तु यह बताना आवश्यक ही है कि इस सरकार के भीतर भी लोगों के विचार अलग अलग है। 11 मई के दिन भी इस सरकार का मूल्यांकन यही था कि वे जम्मू कश्मीर राज्य में और विशेष रूप से घाटी में तो चुनाव करवा ही सकते हैं। तब सरकार ने आज 2 जून को अर्थात् जिस दिन सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी और इस सभा अर्थात मानसून सभा के बाद हमारी बैठक हो भी पाए अथवा नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है और क्या हमने 11 मई से लेकर 2 जून क बीच में ही अपन मन बदल लिया है हम सरकार को अपना मन, एक ऐसे शनिवार को जिस दिन हमारे राष्ट्रपति महोदय चार देशों की दो सप्ताह की यात्रा पर जा रहे हैं, बदलते हुए देख रहे हैं। शनिवार तक भी सरकार के मत में यह स्पष्ट नही है कि क्या किया जाए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने अचानक बैठक बुलाई जिसमें सरकार यह कहती है कि हमने एक विशेष दूत को मिनिहाड भेजा है जिससे वह राष्ट्रपति की अधिसूचना का हासिल कर सके और हम चाहते है कि हम सभा में तभी चर्चा करवांए इस प्रकार का संशय बनाकर रखने और थोड़ा सा कार्य करने हेतु ही अधिक विलम्ब से हर कदम घटना के घटित होने पर उठाए जाने से हमेशा इस ढंग से कार्ब करने से जिससे संसद के लापरवाही बरते जाने जैसी अनुभूति हो, कार्य करेन का एक ऐसा ढंग जिससे सरकार के बारे में संशय पैदा हो सरकार इसी ढंग से कार्य कर रही है और सरकार जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी दुलमुल नीति अपना रही है और बिना विचार किए ही चल रही है जैसा कि शुक्रवार को 5 बजे के बाद हुई घटना से परिलक्षित होता है ...**(व्यवधान)** महोदय मेरा यही मानना है। आपने मुझे चेताया था किन्तु इसी में मेरा प्रश्न निहित है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। जब आप मुझसे यह कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो यही मेरा प्रश्न है जो मैं कहना तो चाहता था किन्तु केवल तभी जब आपने मुझे चेताया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गागर में साकर समझें

श्री जसवंत सिंह : यह गंगार इतनी खाली है इसमे इतने छेद हो गए हैं कि जितनी कोशिश करो यह भरे उतनी ही तेजी से यह गागार खली होती है, दुविधा यही है।

[अनुवाद]

हमारी चेतावनी तो यही है कि अब इसकी क्या हालात हो गई है। मैं जम्मू कश्मीर में जो कुछ गलत हो रहा है उसक बारे में चर्चा नही करना चाहता। मुझे इसी बात का डर है कि यदि इस समस्या का हल सत्ता पक्ष की चिकनी चुपडी बातों में होता उन बातों अथवा शब्दों में होता जो जिन्हे सक्षम सिविल कर्मचारियों अथवा गृह मंत्रालय अथवा प्रधान मंत्री कार्यालय के नौकरशाही ने तैयार किया है तो जम्मू और कश्मीर की समस्या का हल निकल चुका होता। इस समस्या का हल इन शानदार शब्दों में निहित नहीं है।

आवश्यकता इस बात की है कि सरकार का उद्देश्य साफ हो ओर उसमें सदा कार्य करने की प्रतिबद्धता है और हमशा वह समय पर कार्य करे तथा उसमें विचारों और दृष्टिकोणों की स्पष्टता से उत्पन्न दृढ संकल्प हो।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जो जम्मू कश्मीर संबंधी कार्यभार भी संभाल रहे है से यह कहना चाहूँगा कि वे निम्न तीन में से कम से कम किसी एक प्रश्न का जवाब दे :

मेरा पहला प्रश्न यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराये जाने से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी एक माँगे विभिन्न दलों द्वारा लगातार की जा रही है। वह मांग है स्वायत्तया की। माननीय

प्रधान मंत्री ने इस संबंध में हल ही मे कहा है "जी हां, स्वायत्तता के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं और जम्मू–कश्मीर राज्य को स्वायत्तता देने के बारे में हम विचार–विमर्श जारी रखेंगे।"

मैं यह जानना चाहूंग, इस सभा को और इस देश को भी यह जानने का हक है, कि प्रधान मंत्री जिस स्वायत्तता की बात कर रहे हैं वह क्या है? इस स्वायत्ता के प्रावधन के अन्तर्गत क्या–क्या बातें हैं? इस स्वायत्तता की बात कर रहे हैं वह क्या है? इस स्वायत्तता की दिशा क्या है इस स्वायत्तता के प्रावधन के अन्तर्गत क्या–क्या बातें है? इस स्वायत्ताता में कितनी गहनता है? क्या माननीय प्रधान मंत्री १९५३ की बातें कर रहे हैं अथवा वह 1953 से पूर्व की स्थिति की बातें कर रहे है? सभा को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्द स्वायत्तता पर सरकार के विचार जानने का हक है कि वह इस संबंध मे कौन–सा विकल्प तलाश रही है, किस प्रकार का मोल–तोल करना चाहती है। यह बहुत ही खतरनाक रास्ता है।

माननीय प्रधान मंत्री एक अनुभवी व्यक्ति हैं वह लम्बे समय तक लोक सेवा का चुके हैं अतः मैं उन्हें क्या चेतावनी दूँ, परन्तु यह एक खतरनाक रास्ता है और हम निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं करते कि सरकार ने स्वायत्तता के प्रश्न पर भली भांति विचार कर लिया है क्योंकि जम्मू–कश्मीर के मामले पर वह जिस प्रकार से कार्यवाही करते रही है, उसे अगर उदाहरण मानें तो यह इस बात को साबित नहीं करता कि वस्तुतः स्वायत्तता के बारे में सरकार का दृष्टिकोण हमें मान्य होगा।

मेरा दूसरा प्रश्न है : सरकार ने राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाने की बात की है। जो एक प्रकार का सहारा है। वे सहारे की तलाश कर रही है। सरकार यह बताये कि वह अभी और 17 जुलाई के बीच क्या–क्या काम करेगी ताकि इस सहारे का पूर्ण रूपेण उपयोग किया जा सके?

मेरा तीसरा प्रश्न है कि सरकार इस बात का क्या आश्वसान देगी कि वह 18 जुलाई माह के मानसून सत्र में इसी प्रावधान के अंतर्गत और छः माह की अवधि बढ़ाने को आग्रह हमसे पुनः नहीं करेगी?

इस संकल्प पर आगे कुछ कहने के पूर्व मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन की रेकमेंडशन्स पर जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव फिलहाल रोक दिया है और राष्ट्रपति शासन को और छः महीने तक कायम रखने के लिये सरकार यह संकल्प यहां पर लायी है।

सरकार संविधान के अनुसार चले तब तो काई दिक्कत नही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब सरकार देश की कांग्रेस पार्टी समझ लेती है तो दिक्कत हो जाती है। जो सारा मामला कश्मीर का डील हो रहा हैं, वह पार्टी के समान डील हो रहा है। देश के एक रंग के समान उसको डील नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि आज तक कश्मीर के संबंध में जितना देश अंधकार में रखा गया, मैं नही समझता हूं कि किसी दूसरे सवाल पर इतना अंधकर में रखागया है। अभी भी हमें कश्मीर की सही स्थिति मालूम नही है। वहां चरार–ए–शरीफ की घटना घट गई, वहां चरार–ए–शरीफ को जला दिया गया लेकिन उसके बाद भी हमारी जानकारी में कुछ नही आया सिवाय इसके कि गलती हो गई। उसके पहले भी जब हम सदन में बैंठे थे तो हम कह रहे थे कि वहां क्या हो रहा है हमें बताया जाए। उस समय भी कुछ नहीं बताया गया। हम भी समझते है कि वह देश की बहुत नाजुक जगह है और उस जगह को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाती होगी, और इसलिए हम लोग भी बार–बार उसी पर जोर नही देना चाहते है कि वहां शुरू से आखिर तक क्या हो रहा है। लेकिन मेरा सरकार पर चार्ज है कि न तो किसी विपक्षी दल को को नाफिडेन्स में लिया गया और न कभी देश को का नफिडेंन्स में लेने का काम किया गया।

अभी माननीय सदस्य ने चरार–ए–शरीफ का जिक्र किया। मैं अभी तीन दिन जम्मू में था और कटरा भी गया, उधमपुर तथा नगरौता भी गया। वहां मीटिंग भी हुई और बड़ी से बड़ी मीटिंग वहां डुई। लेकिन एक दो बातों के बारे में हमारे दिमाग को जवाब नहीं मिलता है। सबसे पहली बात यह है कि आजादी के चालीस साल बाद भी जो कश्मीर के लोग है, उनका कोनफिडेन्स हमारे ऊपर क्यों नही जग रहा है? वह चुनाव का क्यो विरोध करते है और कश्मीर की बात छोड़िये, जम्मू के इलाके में भी आदमी चुनाव के लिए तैयार नहीं है जबकि जम्मू पीसफुल एरिया है। हम लोग लेह भी गए थे लेकिन वहां के लोग भी चुनाव के पक्ष में नहीं हे। क्यों उनको इस देश की सरकार पर विश्वास नही हो पा रहा है?

5.33 (श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

इसलिए मैंने कहा कि जो सारी चीजों को हम इस तरह से डील करते है जैसे संविधान नाम की कोई चीज नही है, कोई रूल ऑफ लॉ नही है। हम जिस तरीके से चाहते है चलाने का काम करते है। जो चरार–ए–शरीफ की घटना घटी है, हम लाख तकरीर देने का काम करे कि पाकिस्तान का हाथ है, मगर जितना जोर से हम तकरीर देते है, उतना ही जोर से पाकिस्तान और विदेशी मंडिया हमारे ऊपर अंगुली उठाने का काम करता है, हमारी सेना को बदनाम करने का काम करता है, हमारी सेना के मनोबल को गिराने का काम करता है। विदेशी पत्रकार वहां आए मगर विदेशी पत्रकारों को वहां जाने की इजाजत नही दी गई यदि विदेशी पत्रकार वहां पर चले जाते और देख लेते तो क्या बिगड़ जाता? वह संसार के सामने यही कहता कि वहां अग्रवादी घुसे हुए है। आज हम चिल्लाते फिरते है और हम पार्टी बनकर चिल्लाते फिरते है, लेकिन वहां पर हम कुछ नहीं कर पाये। कांग्रेस सरकार के समय में तीन बड़ी घटनाएं घटी। हमने हर मंदिर साहिब को बदनान किया, हम बाबरी

मस्जिद को नही बचा पाए, हम चरार–ए–शरीफ को नहीं बचा पाए। महात्मा गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जैसे तीन महान नेताओं की जान भी गई। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम आपके दुश्मन नही हैं हम एक सदन में है। हम एक परिवार के सम्मान है। हम अपोजीशॅन में है लेकिन देश की चिन्ता जितनी आपको है, उससे कम चिन्ता हमें नही है। हम यह भी कहना चाहते कि जो गांवों में, खेतों में, खलिहानों में लोग काम कर रहे है वह भी कोई हमसे कम देशभक्त नहीं है। लेकिन कम से कम उमके सामने सही स्थिति लाने का काम तो करें।

अब गवर्नर का मामला है। अभी हम गए तो एक आदमी भी नहीं मिला। जिसने उसको हटाने की मांग न की हो। हम पहले सोचते थे कि जनरल होगा, बहुत ही एफिसियंट आदमी होगा एक भी आदमी इंटेलैक्चुअल से लेकर गांव का आदमी नही मिला जो गवर्नर की ताईद करता हो। पूरा का पूरा पिपूल चैनल खत्म हो गया है, पब्लिक रिलेशन खत्म हो गया हे। कश्मीर की बात तो छोड़िए, कश्मीर में तो जब भी कोई जाता है तो लगता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बारे में शेषन साहब को भी कहना पड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जब सारा हाउस कहेगा तो उनके दिमाग में कुछ नहीं घुसता लेकिन जब उनके दिमाग में अपनी बात आ जाती है तो फिर ठीक हैं हम कह रहे थे कि चुनाव नहीं होने चाहिए। क्या वहां चुनाव कराने की स्थिति है? यदि है तो सरकार बता दे, गृह मंत्री बता दे कि किस आधार पर चुनाव की घोषणा करना चाहते है लोगों का पार्टिसिपेशन होगा या नही? हम लोग कभी चुनाव के विरोध में नही रहे है। मेरे जैसा आदमी तो वर्स्ट से वर्स्ट जो डेमोक्रेसी है वह ब्यूरोक्रेसी से अच्छा है। हम इस बात को मानते है ओर इसमें पूरा विश्वास है, लेकिन कश्मीर हमारा कोई मामूली अंग नहीं है।

कश्मीर में आप चुनाव कराने जा रहे है। आपने कभी सोचा कि वहां पीपुल्स का पार्टिसिपेशन होगा या नही होगा। किस आधार पर वोट लेंगे? क्या आप वहां पर असम या त्रिपुरा के समान वोट कराना चाहते है या पुलिस अथवा आर्मी के बल पर वोट कराना चाहते है? लोग वहां निकलने को ही तैयार नहीं है। कश्मीर से एक–दो सीट नही है, 47 सीट है। जम्मू में 37 सीट है, लद्दाख में 4 सीट है। कुल मिलाकर 88 सीट है। आपने 10 सीट बढ़ाई और गृह मंत्री जी पर मेरा चार्ज है कि आप वहां टैररिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे है या घटाने का काम कर रहे है? क्या आपको मालूम है कि जम्मू में कितने परसेंट ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। अकेले गुर्जर बकलवार की जनसंख्या 20 प्रतिशत है और 37 सीटों में से एक भी सीट ट्राइब्स के लिए रिजर्व नही है। जो सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त है, सबसे ज्यादा लड़ने का काम करते है उनके साथ ही ऐसा भेदभाव किया जाता है?

हम अधमपुर में गए थे। हमारा वहां जिलाध्यक्ष है, उसके पूरे परिवार के लोगों को कहा जा रहा है कि ये मिलिटेंट है। उनका कसूर इतना ही है कि वे कहते है कि भारत सरकार जितना पैसा दे रही है वे सारा पैसा मिसयूज हो रहा है। वहां 88 व 20 के अनुपात में बंटा हुआ है। कुछ अफसरों के पास जाएगा ओर कुछ बैकडोर से मिलिटेंट्स के पास जाएगा या किसी और के पास जाएगा। वहां पैसे का कोई हिसाब–किताब नही है कि कहां खर्च हो रहा है। जो उसके खिलाफ बोले उनको मिलिटेट्स के नाम पर बंद करने का काम करो, उनको मारने का काम करो। इसलिए मैंने कहा कि आपकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके सहयोगी है। आप हम लोगों के सामने कोई बात रखेंगे तो हम आपको पूरी सलाह देंगे, लेकिन ऐसा नही हो रहा है। यह मेरा चार्ज है और यही कहना है कि वहां दिनोदिन स्थिति खराब हो रही है।

अभी सीतारामजी केसरी यहां बैठे हुए थे कश्मीर को पुनः मुख्यधारा में लाने की जरूरत है, पूरे देश को मुख्यधारा में लाने की जरूरत है। हमने मण्डल कमीशन लागू किया। देश की सभी पिछड़ी जातियों के लोगों को इससे लाभ मिल रहा है लेकिन जम्मू कश्मीर की पिछड़ी जातियों के लोगों को यह लाभ नही मिल रहा है। उनका लड़का कलक्टर, एस.पी. बन जाएगा, दूसरी जगहों पर वे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, देश में घूमना शुरू कर देगे तो वे मुख्यधरा से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज तक वहां 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नही हुआ है। उनको कुछ अलग से नही देना है बल्कि जो 27 प्रतिशत है उसी में से मिलना है। वहां कौनसी सरकार है? वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट रूल है। आपने वहां जो गवर्नर बैठा रखा है वह किसी लायक नही है। इसलिए आप वहां तत्काल लोगों के साथ बातचीन का रास्ता खोले, आम लोगों के साथ में पब्लिक रिलेशन बढ़े इसके लिए सबसे पहले आप जनरल को हटाइये औा वहां किसी पोलिटिकल आदमी को भेजा जाय जिससे वह पोलिटिकल लोगों के साथ बातचीत कर सके।

यदि जनरल को ही भेजना हो तो किसी पोलिटिकल जनरल को भेजिये ....(**व्यवधान**) जो वहां जाकर कम से कम गरीबों के दुख–दर्द को सुन सके यहां से जो बजट का पैसा जाता है, उस पैसे को ठीक से यूटिलाइज कर सके, जो टैररिस्ट्स के साथ डील कर सके लेकिन जो गरीब लोग है, इन्नोसैंट लोग है, उन्हें टैररिस्ट बनाने का काम न करे। आज तक यही होता रहा है। आज टाडा को क्यों अंडर प्रेशर रिपील करना पड़ा, उसका कारण यही है कि एक परसेंट भी उसका यूज नही हुआ, यदि एक परसेंट यूज हुआ तो ९९ परसेंट उसका मिस–यूज हुआ। कुल 88 हजार लोगों में से साढ़े सत्तासी हजार निर्दोष लोगों को आपने टाडा के तहत बंद कर दिया जिसके कारण टाडा को रिपील करना पड़ा।

मै कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर की समस्या है, कश्मीर हमारे देश का नग है, नगीना है लेकिन आज जब हम कश्मीर की तरफ देखते है तो हमारी आंख से आंसू गिरने लगते है। जिस कश्मीर मे कभी हथियार लेकर कोई नही चलता था, भाला तक लेकर नही चलता था, यदि कोई खेल भी खेलता था, लड़ाई भी करता था तो रूमाल से लड़ने का काम करता था, जिसके पास कभी छुरी तक नहीं होती थी, लेकिन आज कश्मीर की स्थिति इतनी बदतर हो गयी है कि वह धू–धूकर के जल रहा है। सवाल है कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? कभी न कभी हमें छाती पर हाथ रखकर इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं यहां भूत में जाना नहीं चाहता। भूत में जिन लोगों ने कश्मीर के लिये बलिदान किया,

उन्हें हमेशा सजा मिली और जिसने कश्मीर के साथ देश के साथ गद्दारी की, जिसने सहयोग नही दिया, उसे हमेशा पुरस्कार दिया गया। यदि गद्दारों को हमेशा पुरस्कार दिया जाता रहेगा और राष्ट्रभक्तों का हमेशा अपमान होता रहेगा तो राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों में नही बन पायेगी।

आप जब कभी वहां चुनाव कराये, हमने कहा कि वहां एक्सटर्नल ओब्जर्वर को बुलाया जाये, लोग कहेंगे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर में एक्सटर्नल ओब्जर्वर की क्या जरूरत है, चूंकि हमारी साख कश्मीर के मामले में इतनी गिर गयी है कि कल यदि वहां निष्पक्ष चुनाव भी हुये तो भी माना जायेगा कि चुनावों में धांधली हुई है।

जैसे पाकिस्तान ने जब वहां चुनाव कराये थे तो एक्सटर्नल ओब्जर्वर को बुलाया था। उसी तरह कि जब भी वहां चुनाव कराये जाये तो एक्सटर्नल औब्जर्वर को अवश्य बुलाया जाये। चुनाव कराने से पहले वहां उपयुक्त माहौल बनाया जाये। चुनाव हो तो फेयर चुनाव हो, फार्स चुनाव न हो, आर्मी या पुलिस के बल पर यदि चुनाव कराने की कल्पना की गयी या किसी पार्टी क स्वार्थ में कोई ऐसा निर्णय लिया गया कि कश्मीर में 47 सीटे है, उन पर किसी तरह से कब्जा कर लो तो सारे जम्मू–कश्मीर पर कब्जा हो जायेगा, जम्मू की 37 सीटों में क्या रखा है, यदि इस दृष्टि से काम किया जायेगा, तो मैं समझता हूं कि न तो कश्मीर के प्रति हम न्याय कर पायेंगे न देश के प्रति हम न्याय करेंगे।

आपने यह रिजौल्यूशन लाकर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का काम बहुत अच्छा किया है लेकिन इसके साथ आपको जो समय मिला है, उसका आप सदुपयोग कीजिये और सही निर्णय लेने में हिचकिये मत। जो भी अच्छा निर्णय हो, उसे ले लीजिये। सड़क पर वही जानवर मरता है जो समय पर कभी सही निर्णय नहीं कर पाता। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा दुर्भग्य यह है कि वह कोई निर्णय नही कर पाती। घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है फिर कहते है कि गलती हो गयी, विश्वासघात हो गया। यहां प्रधानमंत्री जी बैठे है ....**(व्यवधान)** हां, सड़क पर आदमी भी वही मरता है जो जल्दी से दायें या बांये जाने का निर्णय नही कर पाता। इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि भूत में हमारे माथे पर जो कलंक लगा है, उसके पीछे क्या खामी नही थी? हमारे प्रधानमंत्री जी की विद्धता में कोई कमी नहीं है, इनके एक्सपीरियेंस में कोई कमी नही है लेकिन निर्णय नही ले पाते, बैठे रहते है और बाद मे कहते है कि गलती हो गयी, विश्वासघात हो गया। मैं कहता हूं कि आप निर्णय लिया कीजिये। हमारे साथी ने यहां ठीक कहा, गृह मंत्री जी एक बार आप समझ लीजिये कि देश दिल और दिमाग से चलता हैं दिमाग हमारे पास हो लेकिन दिल न हो तो देश नही चल पाता है। जितने बड़े से बड़े राजनेता हुये है, शासक हुये है, मुगल शासक कोई ज्यादा पढ़े–लिखे नही थे लेकिन शेरशाह ने रोड़ बना दी, दूसरे शासक ने ताजमहन बना दिया। हमारे नेताओं के पास दिल रहना चाहिये। यदि आपके पास दिल है तो दिमाग को खरीदा जा सकता है लेकिन आपके पास यदि दिल नही है तो दिल को खरीदा नही जा सकता।

सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि आम कश्मीर को दिल की नजर से देखें, आंख की नजर से न देखें और संसद को, विपक्ष को, देश को विश्वास में लेकर चलिए। सबसे पहला काम आप वहां से गवर्नर को हटाने का कीजिए और ऐसे आदमी को वहां गवर्नर बनाइए जो पालिटिकल आदमी हो, जो जनता के साथ डील कर सके और जो यहा से फंड जाता है उसका उपयोग हो सके जिससे लोगों के मन में विश्वास का वातावरण पैदा हो। वहां के लोग हमारे जैसे ही है। वे सब मिलिटेंट नही है। ये हमारे परिवार के ही सदस्य है। वे हमारे ही भाई है। उन्हें भी यदि समझाने–बुझाने की जरूरत है, तो उन्हें समझाया जाए और वहां ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे वहां नार्मलसी आए, डैमोक्रेसी कायम हो सके और सरकार बता सके कि हम वहां चुनाव कराने की स्थिति मे है।

सभापति महोदय, इस समय चुनाव न कराने ओर वहां राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का जो रिजोल्यूशन आया है उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महेदय मैं समझता हूँ इस सभा में शायद हम में से भी इस संकल्प का समर्थन करके प्रसन्न नहीं है। जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि अब ग्यारहवीं बार बढ़ायी जा रही है। राष्ट्रपति शासन वहा 18-7-1990 को लागू किया था जिसकी अवधि इस बार भी इस दलील के साथ बढ़ायी जा रही है। कि वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने अथवा निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार वापस लाने क लिये इस बार राश्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना आवश्यक है। पहले भी इसी प्रकार की उद्घोषणा होती रही है और हमने देखा है कि हमारे पास उपलब्ध समय का सदुपयोग जम्मू–कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु किसी सार्थक दिशा में नही किया गया।

अब हालांकि हम वहाँ कि विद्यमान स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने का समर्थन करते हैं फिर भी हम यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस छः माह की अवधि का इस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए कि घाटी की जनता में हमारे देश ओर राष्ट्रीयता की मुख्य–धरा में शामिल होने का उत्साह पैदा हो सके। हम सभी कठिनाईयो को समझते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि किस प्रकार विदेशों से सहायता प्राप्त आतंकवादी किसी राजनीतिक प्रक्रिया को आरंभ करने के हर अवसर को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो वे लगातार ऐसा करते रहेंगे। वे हताश हैं। इस बार भी जब वहाँ चुनाव कराये जाने की चर्चा जोरों पर थी, हमने देखा कि उन्होंने चरार–ए–शरीफ को ही नष्ट कर दिया।

यह तो उनके मनसूबे का एक भाग है। इसके पहले भी हमने देखा है कि कई बार जब हमें लगा कि वहाँ स्थिति सामान्य हो रही है, तो उन्होने इस प्रक्रिया को विफल करने का दुःसाहनिक

कार्य किया। ऐसी स्थिति में घाटी में लोकतंत्र की बहाली के बरे में विचार करते वक्त हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।

अब जहां तक घाटी में लोकतंत्र की बहाली का संबंध है मैंने वहां की विद्यमान स्थिति में ओर चरार–ए–शरीफ नष्ट किये जाने के बाद जब हमने वहाँ का दौरा किय तो हमने वहां जो अनुभव प्राप्त किया उसमें अन्तर पाया है। मैं वहाँ तीन या चार साल पहले भी गया था और उस समय मैंने महसूस किया कि हर कोई इतना कटा–कटा सा था कि देश के भीतर रहने के बारे में उनसे बातचीत करना भी काफी मुश्किल था। परन्तु इस बार चरार–ए–शरीफ के नष्ट हो जाने के बावजूद जब हमने उनसे बातें करना आरंभ किया तो हजारों लोग जमा हो गये। उन्हें लोहे के तार लगाकर रोकने की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु उन अवरोधों को तोड़ दिया गया और वे हमारे बिल्कुल निकट आ गये। आरंभ में वे सभी प्रकार की भारत–विरोधी बातें कर रहे थे। इस विध्वंस के लिये वे हमारी सेना और हम लोगों पर ही आरोप लगा रहे थे। परन्तु जब हमने उनसे तर्क–वितर्क करना शुरू किया, तो हमने महसूस किया कि वे भी इस विचार से सहमत थे कि वे पाकिस्तान नहीं जा सकते और उन्हें देश के भीतर ही रहना है। परन्तु वे कितने अच्छे ढंग से यहां रह सकते हैं यह उन्हें कोई नहीं बताता। उन्हें कोई समझाता ही नहीं है।

आम हमेशा सेना और सुरक्षा बलों से घिरे रहते हैं। वहां जन–समूह के पास जाकर बात करने ओर उन्हें समझाने का जाखिम उठाने के लिये कोई तैयार नहीं होता और पिछले तीन या चार वर्षो से घाटी के लोगों के बीच यही एकतरफा अभियान चलाया गया कि वे इस देश में नही रह सकते। फिर आतंकवादियों ने उनके मन मलिन करने के लिये सब कुछ किया। तो फिर ऐसी स्थिति के लिये कौन जिम्मेदार है इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है?

आप घाटी में लोकतंत्र की बहाली की बात करते हैं। इस विषय पर मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि वहां के वर्तमान राज्यपाल से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। परन्तु वे भिन्न पेशे के व्यक्ति हैं। वह अपनी उस पृष्ठभूमि को नहीं भूल सकते। मैं उनकी निन्दा नहीं कर रहा हूँ। परन्तु अभी जो वहां स्थिति है, उसके लिये वह राजनीतिक दृश्टि से उपयुक्त नहीं है। हमें वहां किसी ऐसे राजनीतिक नेतृत्व की व्यवस्था करनी होगी जो लोगों के पास जाने, उनसे बात करने उनके साथ रहने का जोखिम उठा सके ओर ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे वहां कटुता समाप्त की जा सके।

अन्यथा, यह संभव नहीं है। और इस मुद्दे पर मैं वर्तमान राज्यपाल के प्रति बिना किसी द्वेषभाव के प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे राजनीतिक राज्यपाल के बारे में सोचें। अन्यथा, एक स्वीकार्य राजनीतिक व्यक्तित्व वाले राजयपाल के बिना आप राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ नहीं कर सकते। यही पहला मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूँ।

दूसरा मुद्दा यह है कि लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के लिये कुछ सार्थक कदम उठाने होंगे। चरार–ए–शरीफ के दौरे के दौरान हमने वहीं ऐसे इश्तहार पर्चे देखे जिसमें लिखा था कि उन्हें फर्ज़ी प्रतिनिधि नहीं चाहिये, उन्हे वास्तविक प्रतिनिधि चाहिये। लोगों में यह भ्रम है कि जब चुनाव कराए जाएंगे तो ढंग से नहीं कराये जायेंगे उनमें धांधली की जायेगी, वे फर्जी चुनाव होंगे। मेरे विचार में इस तरह की धारणा दूर की जानी चाहिये। उनके मन में, सारे देश में लोगों के मन में, जो इस बात से चित्तित है कि चुनाव स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष नही होंगे, पर्याप्त विश्वास पैदा करना होगा कि बीत गया सो बीत गया, यह भारत द्वारा कश्मीर क लिए की जाने वाली एक शुरूआत है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं।

तीसरी बात यह है कि आर्थिक पैकेज के संबंध में आपको कुछ बातें करनी होंगी। आपको उन बातों पर निगरानी रखनी होगी ताकि भ्रष्टाचार का आरोप आए तो उस पर वास्तव में रोक लगायी जा सके तथा लोगों को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके।

चौथी बात स्वायत्तता की है, इस संबंध में हम क्या करने जा रहे है? प्रधान मंत्री ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को कुछ स्वायत्तता दी जायेगी। मैं नही जानता कि इस स्वायत्तता का वास्तविक स्वरूप क्या होगा। किन्तु मैं इसे समझ सकता हूं। कई लोग 1953 की स्थिति की बात करते है, कई लोग 1975 की स्थिति की बात करते हैं, किन्तु हम जानते हैं कि विगत में उन्हे वर्षो से मिली स्वायत्तता समाप्त हो गई थी। अतः पहली बात तो यह है कि उनकी समाप्त की गई स्वायत्तता बहाल करना है और इससे उनके मन में विश्वास पैदा करने में सहायता मिलेगी।

और पांचवीं बात यह सुनिश्चित करना है कि वे धर्म निरपेक्ष भारत का अंग बने रहें और धर्म निरपेक्षता की अवधारणाओं के प्रति वचनवद्ध रहें और आपको कश्मीर के लोगों को यह ठोस संकेत भेजना है कि जो गलतियां हुई हमें उसकी सजा मिल चुकी है और हम अपने राजनैतिक जीवन के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नष्ट करने के लिए विखंडनकारी साम्प्रदायिक तत्वों को किसी प्रकार की अनुमति नहीं देंगे। इससे कश्मीर घाटी में बेहतर स्थिति बनाने में सहायता मिलेगी।

इन प्रयासों से समस्या का बेहतर ढंग से समाधान हो सकता है। मेरे विचार में इसमें कुछ और समय लग सकता है किन्तु इससे स्थिति सुधर सकती है और लोगों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में वापस लाया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गोपीनाथ गजपति (बहरामपुर) : धन्यवाद, सभापति महोदय।

11 मई 1995 की सुबह कश्मीरी सूफी सन्त, शेख मूरूदीन नूरानी की 535 वर्ष पुरानी चरार–ए–शरीफ दरगाह को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया जो कश्मीर के मुसलमानों और हिन्दुओं के

लिए समान रूप से तथा सभी धर्म निरपेक्ष विचारधारा वाले लोगों के लिए निःसन्देह, एक दुखद घटना थी। यह दरगाह सच्ची कश्मीरियत और कश्मीरी सूफीवाद की महत्वूपर्ण प्रतीक थी जिसमें घाटी के अधिकांश हिन्दू तथा मुसलमानों का विगत सात शताब्दियों से विश्वास रहा है।

इस दरगाह को जलाने का यह वीभत्स निन्दनीय और शर्मनाक कृत्य एक अफगान नागरिक मस्तगुल ने सम्भवतः या पकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर किया। पाकिस्तान सरकार तथा आई. एस. आई. इस कृत्य के लिऐ प्रत्यक्षरूप से जिम्मेदार है। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि इस दरगाह और चरार–ए–शरीफ कस्बे का पुन निर्माण किया जायेगा। यह एक अच्छा कदम है और इसे शीर्घ कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस कार्य पर निगरानी रखने हेतु कश्मीरी हिन्दुओं और मुसलमानों की एक समिति गठित की जानी चाहिये। यह दरगाह कश्मीरी सूफीवाद और धर्म निरपेक्षवाद की एक प्रतीक थी और इसका यह स्वरूप बनाए रखना होगा।

जम्मू और कश्मीर में 17 जुलाई, 1995 के बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में सरकार का निर्णय अशान्त राज्य में स्थिति के वास्तविक मूल्यांकन का परिणाम है। आतंकवादियों द्वारा चरार–ए–शरीफ का जलाया जाना चुनाव करने के बारे में सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाना एक तात्कालिक कारण हो सकता है किन्तु विपक्षी दलों की राय की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है जो कुल मिलाकर इस समय चुनावों के लिए उत्साही नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा श्रीनगर की हाल ही की यात्रा के दौरान घाटी की वास्तविक स्थिति के बारे में किये गये आकलन से भी विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता था। सरकार ने राज्य में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने के अन्तिम लक्ष्य को त्यागकर जबरन चुनाव कराये जाने की सम्भावना पर भी विचार किया होगा। सभी राजनैतिक दलों के समर्थन को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया ठीक होगी, जिससे सरकार को चुनाव कार्यक्रम की योजना बनाने हेतु अधिक समय मिल जायेगा। प्रशासनिक हलकों तथा अन्य स्थानों पर यह भावना बड़ती जा रही है कि जब कभी भी चुनाव होंगे, उनमें बाधा डाली जायेगी जिसका अभिप्राय है सरकार की और अधिक समय मिलना चाहिए।

यह कहने की बात नहीं है कि चुनाव कराना आतंकवादियों के जिन्होंने यह आशा की थी कि सूफी सन्त की दरगाहर को नष्ट करने से कश्मीर तथा देश में अन्य स्थानों पर हिंसा भड़केगी नायाक इरादों का सही उत्तर होगा इससे उनके इन दावों का भी पर्दाफाश हो जायेगा कि वे जनता, जिनकी वरीयता निर्वाचित सरकार हो जायेगी, जिसके साथ वे आसानी से संबंध स्थापित कर सकते है, की ओर से बोल रहे है। अतः सरकार के समक्ष चुनाव कराने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने की चुनौतियां है। राजनैतिक बन्दियों की रिहाई सही दिशा में सही कदम था और इसका समुचित रूप से अनुकरण करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकार के लिए कश्मीर समस्या की बेहतर समझ रखने वाले और बेहतर राजनैतिक जानकारी रखने वाले लोगों को राज्य सरकार के शीर्षस्थ पदों पर रखना आवश्यक हो सकता है। इससे राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने में सहायता मिल सकती है।

केन्द्र सरकार को चुनाव कराने की कार्य विधि पर भी राष्ट्रीय सहमति बनानी होगी।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करने में कितना समय लेंगे?

श्री गोपीनाथ गजपति : दो मिनट और।

सभापति महोदय : क्या हम सभा की बैठक कुछ और समय के लिए बढ़ाये क्योंकि श्री अहमद चाहते हैं कि उन्हें आज ही बोलने की अनुमति दी जाये, क्योंकि कल वे सभा में उपस्थित नही रहेंगे?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : मुझे भी बोलने की अनुमति की जाये।

सभापति महोदय : क्या हम तीन या चार माननीय सदस्यों के बोलने देने के लिए सभा का समय बढ़ायें?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : श्री गोपीनाथ गजपति अपना भाषण जारी रखें।

6.00 म.प.

श्री गोपीनाथ गजपति : सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। कश्मीर मुद्दे की नाजुकता के परिदृश्य में आई जागरूगता के कारण सरकार के लिए ऐसी आम सहमति बनान कठिन नहीं होगा। इस समय विद्रोह की रीढ को तोड़ने के लिए आतंकवादियों के विरूद्ध अभियान तेज किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरसिंह राव को जम्मू और कश्मीर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना तथा वहां चिर प्रतीक्षित लोकतान्त्रिक सवतन्त्रता देने में उनके दृढ निश्चय के लिए बधाई देनी होगी। इसमें प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता और राजनैतिक सूझ–बूझ स्पष्ट रूप से झलकती है यह दृड़ निश्चय सही दिशा में सही कदम है। और इसीलिए केन्द्र सरकार की समूची शक्ति तथा उसके नियन्त्रण में सारे संसाधनों के साथ इन कदमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

अभी समय है। जब तक समय है भारत की जनता को जागरूक हो जाना चाहिये और राष्ट्रीय हित में इस समस्या के समाधन के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावकारी बनाना चाहिये। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान भारत में हमारे अपने संसाधनो से तथा पाकिस्तान के साथ युद्ध किये बिना ही हो सकता है। हिंसा से हिंसा का जन्म होता है। युद्ध से हमेशा समस्याओं का समाधन नहीं होता है। अनुभवों से पता चला है कि विगत में कई उलझे हुए मुद्दों का समाधन शन्तिपूर्ण द्विपक्षी वार्ताओं से हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कई विकसित राष्ट्रों ने भारत के प्रति सही दृष्टिकोण के रूप मे द्विपक्षीय वार्ताओं

का सुझाव दिया है। भारत के विदेश मंत्री और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच हाल ही में वाशिंगटन में हुई बातचीत का परिणाम ऐसी कार्य प्रणाली अपनाने हेतु भारत के लिए आधात है। हमारे केन्द्रीय मंत्री, माननीय प्रणव मुखर्जी बाबू के इस संबंध में बचाव के प्रयास प्रशंसनीय हैं। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि इस मुद्दे पर हमारा सतत, दृढ रूख भविष्य में पाकिस्तान को बातचीत करने के लिए मजबूर कर देगा, निःसन्देह ईरान के राष्ट्रपति रफसन्जानी जी की इस वर्ष पूर्वार्ह में भारत यात्रा के दौरान उनके रख तथा भारत में अमरीकी राजदूत के वक्तव्य, जैसा कि प्रकाशित हुआ है, कि कश्मीर भारत संघ का एक विशेष भाग है से इस मुद्दे पर अटूट रूख अपनाने के लिए भारत के प्रति अत्यधिक विश्वास बढ़ा है।

अन्त में मैं हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री, माननीय श्री एस. बी. चव्हाण द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में 17 जुलाई, 1995 के बाद और छः माह के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने हेतु लाये गये संकल्प की प्रशंसा करता हूं और इसे अपना पूरा समर्थन देता हूं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : पहले मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 6 बजे म. प. बोलने के लिये मुझे आमन्त्रित किया। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

जब कभी मैं कश्मीर के बारे में बोलता हूँ, भारी मन से बोलता हूँ। कश्मीर में हो रही घटनाएं वस्तुतः न तो देश के हित में हैं और न ही राज्य की जनता के हित में है। परन्तु दर्भाग्य से ये घटनाएं हो रही है।

जहां तक हमारे देश का संबंध है, राज्य मे निर्वाचित प्रजातांत्रिक सरकार बहाल करने के लिये हम अंतरर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति वचनबद्ध हैं। परन्तु हमारे सामने सवाल यह है कि क्या चुनाव के लिये यह समय उपयुक्त है? मैं कहता हूँ कि चुनाव होना चाहिये परन्तु इसके लिये यह उचित समय नहीं है। यदि चुनाव अभी कराये जाते ह। तो वहाँ के बहुत कम लोग इसमें भाग लेंगे जैसा कि मेर माननीय मित्रों द्वारा बताया गया है कश्मीर में जो हुआ है ओर जो हो रहा है वह समूचे देश के लिए चिन्ता का विषय है। वहां जो भी हा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। यह मानना पड़ेगा कि कश्मीर को लोगों और वहाँ के प्रशासन के बीच एक अदृश्य दीवार है। जो कुछ वहां कहा जाता है और किया जाता है, प्रशासन लोगों के मन में यह बात बैठा नहीं पाता कि आखिर क्या करना चाह रहे हें। सरकार के सामने सवाल यह है कि क्या हम स्थिति से समझौता करने के लिये तैयार हैं विशेषकर चरार–ए–शरीफ के हादसे के बाद वहाँ कुप्रचार किया जा रहा है। चरार–ए–शरीफ का हादसा ऐसे समय में हुआ जब हम लोगों को मुख्य धारा में जाने तथा वहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने के प्रयास कर रहे थे। चरार–ए–शरीफ की घटना ऐसी घटना है जिसने कश्मीर के लोगों को पूरी तरह हम से अलग कर दिया है।

एक ओर सरकार लोगों को स्थिति समझाने का प्रयास कर रही है दूसरी ओर जैसा कि मेरे विद्वान मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी ने कहा कि चरार–ए–शरीफ की घटना से कश्मीर की जनता प्रशासन से बिलकुल कट गई है। आम आदमी को प्रशासन से निकट लाने का कोई कार्य नहीं हो रहा है जिसका उल्लेख किया जाए। नागरिक प्रशासन पूरी तरह विफल रहा हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया हैं। कि जब हम संसदीय शिष्टमंडल के साथ वहां दौरे पर गये थे वहां यह भृहिम जारी थी और लोगों का यह मत था कि वहां के लोग भारत विरोधी और सरकार विरोधी हैं। वस्तुतः वे शांतिपूर्व ढंग से जीना चाहते है।

परन्तु वहां स्थितियां ऐसी नहीं हैं। कश्मीर दौरे पर जाने वाले शिष्ट मंडल में मैं भी था। लोगों ने वहाँ दो प्रासंगिक प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था कि चरार–ए–शरीफ की घेराबंदी क्यों की गई? दूसरा प्रश्न था कि चरार–ए–शरीफ की दुखद वारदात के दो दिन पहले भारी संख्या में मकानेां को आग लगाकर उन्हे ध्वस्त करने के लिये कौन जिम्मेदार हैं। हजारों मकानों के जलाने के लिये कौन जिम्मेदार हैं। वहां के कौन–से स्थानीय लोग थे जिन्होने ऐसा किया? निस्संदेह आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं। उनमे नेतिकता नहीं है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कुछ भी कर सकते है। स्थानीय लोगों के अपने विचार हैं। परन्तु कश्मीरी लोगों के मन में हमारे सुरक्षा बलों के प्रति गलतफहमी पैदा की गई है। आम कश्मीरी आदमी किसी भी खाकी वर्दीधारी को चाहे वह सी. आर. पी. एफ का हो अथवा बी. एस. एफ का अथवा अन्य किसी सुरक्षा बल का उसे वे सेना का आदमी ही समझते है। उसका प्रश्न होता है कि सेना ऐसा काम क्यों करेगी। उसे कुछ नहीं मिलने वाला। और उसे सब कुछ खोना पड़ेगा। परन्तु दूसरी तरफ पाकिस्तान को कुछ नुकसान नहीं होगा, उसे इससे पूरा लाभ मिलेगा निश्चय ही हमारी सेना को ऐसा करने की बिलकुल आवश्यक्ता नहीं है और हमारी सेना वैसा करेगी भी नहीं। इसकी अपनी प्रतिष्ठा और नाम है। परन्तु समूची घाटी में यह अंफवाह कैसे फैल गयी? लोगों को इसका जबरदस्ती विश्वास कराया जा रहा है। हमारे प्रशासन ने इस कुप्रचार को क्यों नहीं रोका गया? इसके लिये हमारा प्रशासन ऐसा होना चाहिए जिसका वहां के स्थानीय लोगों से सम्पर्क हो। यह एक बात है जिसे कहने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि मुझे जानकारी मिली है कि सैंकड़ो व हजारों ऐसे परिवार हैं जो पिछले कई वर्षो से उग्रवादियों से परेशान है। खूंखार आतंकवादियों ने कई परिवारों के पालनकर्ताओं को मार डाला है। लोग आतंकवादियों ने खिलाफ हैं। वे आतंकवादियों की भर्त्सना करते हैं। परन्तु स्थानीय प्रशासन और सरकार उन्हें राहत या मदद देने के लिये आगे नहीं आती है। हाँ अलबता कहती बहुत कुछ दिया जाता है, पर वास्तविक में कुछ नहीं किया जाता अतः एक ओर आम व्यक्ति इन आतंकवादियों से परेशान है, दूसरी तरफ उसे प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिलती। अतः नागरिक प्रशासन को सुदृढ बनाया जाय। प्रशासन के लोग आम आदमी के साथ घुले मिलें। वहाँ राजनीतिक दलों से भी सम्पर्क रखा जाना चाहिये। उन्हे भी विश्वास में लिया जाना चाहिये।

केंद्र सरकार को नेशनल कांफ्रेन्स द्वारा दिए गये प्रस्तावों पर विचार करना चाहिए। हमें एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि नेशनल कांफ्रेन्स घाटी में एक धर्म निरपेक्ष संगठन है और वह आतंकवादियों से लड़ता रहा है। बेशक, उसकी अपनी समस्याए है परन्तु उन्होने सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे हैं। उनका एक प्रस्ताव आर्थिक और राजनीतिक पैकेज के बारे में हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने साहस के साथ कहा है कि सरकार संविधान के ढांचे के अंतर्गत वहाँ स्वायत्तता प्रदान करेगी। इस प्रकार के वक्तव्य से बहुत से आम लोगों को सरकार की वास्तविक मंशा समझने में सहायता मिली है। परन्तु दुर्भाग्यवश, हम इस मामले में कुछ नही कर पाये हैं।

फिर इसमें काफी देर हो चुकी है क्योंकि चरार–ए–शरीफ की घटना हो गयी। अतः कश्मीर के लोगों को स्वायत्तता प्रदान करने तथा इसकी घोषणा करने के लिये सरकार को गंभीर होना चाहिये ताकि लोग चुनाव का महत्व समझ सकें और राज्य में निर्वाचित सरकार बना सकें।

केंद्र का इस प्रकार का रवैया नही चलेगा। हमने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता दिया है कि हम चुनाव में विश्वास करते हैं, हिंसा में नही अतः हमारा अभी भी ऐसा ही विश्वास हैं वहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल का निर्माण करने के लिये हमें कुछ तत्काल और कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हमारे पास अभी कुछ माह बचे है। हमें सीधे चुनाव के समय यह नहीं कहना चाहिए कि हम अमुक–अमुक काम करना चाहते हैं हम जो भी काम करना चाहते है, उसे हम तत्काल करें। अब प्रश्न है कि यह सब काम कौन करेगा? अब इस पर सरकार को सोचना है। यह सरकार के सोचने का विषय है कि इस काम को करने के लिये वर्तमान प्रशासन सक्षम है अथवा सरकार प्रशासन में फेर–बदल करना चाहेगी। मै। इसपर और अधिक विस्तार से नहीं जाना चाहता।

सभापति महोदय मैं एक और बात अनुच्छेद 370 के बारे में कहना चाहूँगा इसका अपना एक इतिहास है। जम्मू कश्मीर की लोकप्रिय निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधि तथा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे लोकप्रिय नेताओं के साथ विचार–विमर्श और समझौते के बाद अनुच्छेद 370 को संविधान में शमिल किया गया था अनु अ० के बारे में किये गये समझौते पर कोई आंच नहीं आने दी जायेगी। हम ऐसे किसी भी प्रयास की इजाजत नहीं देंगे।' हमें अनुच्छेद 370 इसकी पवित्रता और लोगों को दिये गये वचन की रक्षा करनी है। देश की जम्मू व कश्मीर के लोगों के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि हमने जम्मू व कश्मीर के लोगों को जो वचन दिया है हम उससे किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा लाये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, धन्यवाद। आज हम एक दफा फिर जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने क प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इस प्रकार से 11वीं दफा हम लोग काम कर रहे हैं। आज इस समय यह जो प्रस्ताव आया है इसमें कुछ अन्तर है। सरकार की पहले जो स्थिति थी और पहले जिस वजह से आप लोग यहां पर आत थे जहां तक साढ़े तीन साल का मेरा जो अनुभव है वह यह है, सरकार कहती थी कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नही है। इसलिए इस अवधि को बढ़ाना चाहिए जब स्थिति सुधर जाऐगी उसके बाद हम लोग चुनाव कराएंगे। लेकिन इस दफा सरकार पिछले–चंद महीनों से बड़ी बहादुरी से कह रही थी कि हम इलैक्शन करवाने वाले हैं, चाहे जो भी हो हमको इलैक्शन कराना है।

महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा है कि आज भी आप इस अवधि को थोड़े महीने के लिए बढ़ा रहे हैं। आपकी जो चुनाव की घोषणा है उस पर यह आप मानने को तैयार नहीं है। कि स्थिति में सुधार नहीं है। चुनाव कब होगा इसको शायद अभी आप स्पष्ट नहीं कर सकते है। आप जो पिछले 3-4 सप्ताह से यहां पर बराबर कह रहे थे और अभी जैसे जसवंत जी ने कहा कि 11 मई तक आप लोग कह रहे थे कि हमें चुनाव कराने हैं और आज 2 जून को अचानक कह रहे हैं कि 17 जुलाई से पहले चुनाव नहीं करा पाएंगे। इसकी क्या वजह है? क्या आप एक चरार–ए–शरीफ की वजह से इतना घबरा गए है कि आपने जो चुनाव कराने का मन बनाया था वह आपने बदल दिया है या आप चरार–ए–शरीफ को सिर्फ बहाना बन कर इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में आपको मालूम था, ये सारी बात आप पहले से जानते थे कि आप इलैक्शन करवा नही पाएंगे। लेकिन आप अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से याहं पर बराबर कहते रहे और आप वास्तविकता से मुंह मोड़ते रहे। आप कह रहे हैं कि आप चुनाव कराएगे तो आप क्या सोचते हैं? अलगे 3-4 सप्ताह का जो आप समय दे रहे है तो उस समय आप करवा पांएगे, आप जो पिछले 5 सालों में नही कर पाए। आप जो आतंकवाद को खत्म करने की स्थिति में चुनाव कराने करे लिए आए हैं, आप जो इतने साल मे नही करवा पाए तो अब आप क्या सोचते हैं कि अब आप इतने समय में करवा लेगे। आप कैसे चुनाव कराएंगे, अगर आप उस स्थिति को ठीक नही करवा पाएंगे। वर्ल्ड बैंक की जो रण नीति है और जो घुटने टेक नीति है, क्या उसमें आप कोई परिवर्तन लाने वाले हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप चुनाव के लिए जो अंदाज ले रह हैं कि आप शीर्घ चुनाव कराएंगे तो क्या आप कोई नयी रणनीति बना रहे हैं। जब 4 साल में आपकी रणनीति सफल नही हुई है, आप 5 साल में नही करवा पाएं हैं ता क्या अब आप कोई नयी सोच कर रहे हैं। अगर कोई नयी सोच है तो हमे बताइए कि आप क्या करने वाले है या फिर थोड़े दिन बाद दोबारा आप यहां पर आ जायंगे और आखिरी समय पर यही कहेंगे कि आप चुनाव नही करा पा रहे है। आज पार्लियामेंट का इस सच का आखिरी दिन था, वह बढ़ाया जा रहा हैं

महोदय, राष्ट्रपति विदेश में है। आप 3 दिन पहले नहीं सोच पाए कि आप क्या कर रहे है और अब एक आई एस अधिकारी चिट्ठी लेकर विदेशों में जाकर उनसे दस्तखत करा रहा है। विदेश वाले भी हंस रहे होंगे कि इनकी किस प्रकार की सोच है। इनकी क्या प्लानिग है कि यह किस प्रकार से इतनी बड़ी–बड़ी समस्याओं

का समाधन कर रहे है। इनकी नींद तब खुलती है जब इनके राष्ट्रपति विदेश में चले गए है, क्या पहले यह काम नहीं हो सकता था? यह पूरे राष्ट्र के लिए ऐसी स्थिति है, जहां राष्ट्र की इज्जत खराब होती है कि यहां पर इस प्रकार की सरकारे चलती है, यह अच्छी बात नही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई रणनीति कर रहे है या आप सिर्फ यही आटोनोमि वाली बात कर रहे है। क्या आप 1953 से पहले वाली स्थिति में लाने की बात सोच रहे है? क्या आपने उसके इम्लीकेशंस को सोचा है कि उससे क्या होगा? इस प्रकार की आपकी घुटने टेक नीतियों से पाकिस्तान जो आतंकवाद चला रहा है, क्या यह आपको छोड़ देगा। पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है और यह आतंकवाद क्यों पैदा हुआ, कृपया इस पर आप ध्यान दीजिए। जो असल वजह है, अगर आप इसको मन से सोचे तो आज जो कश्मीर में स्थिति है वह इस प्रकार की नहीं है। जैसे अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि 370 का रिवीजन हो गया। आप अपना दिमाग थोड़े साल पहले ही स्थिति मे ले जाइए, जब वहां पर भष्टाचार पनपा तब यह स्थिति हुई। आप जम्मू-कश्मीर की कोई बात नहीं कर रहे थे। आपने 370 को क्यों कम कर दिया? सब लोग खुश थे। यह ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है।

भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली इन दो चीजों के वजह से यह स्थिति पैदा हुई है और इसके लिए आपकी पार्टी और आपकी सरकार जिम्मेदार है। आप यदि कश्मीर को 1953 की स्थिति में जाना चाहते है तो क्या पाकिस्तान आपको छोड़ देगा? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तब तक समाप्त नहीं करेगा, जब तक यह हमारे देश को खंडित नही कर देगा। इसलिए कोई इस तरह की नीति बनाइए, जिससे आतंकवाद समाप्त हो सके। पाकिस्तान को इस तरह का संदेश देने की आवश्यकता है, जिससे पाकिस्तान को कुछ समझ में आ सके। तुष्टीकरण की नीती से आप यहां तो वोट प्राप्त कर सकते है, पाकिस्तान को नहीं बहला सकते, नही समझा सकते। पाकिस्तान को समझाने की नीति में दुर्भाग्य से यह सरकार असफल रहीहै। जब तक कोई नई रणनीति नहीं अपनाई जाएगी, कोई नतीजा निकलने वाला नही है। पहले की तरह फेग इलेक्शन करवाने से समस्या का हल नही निकलने वाला है। इस बारे में सरकार कोई नीति अपनाने पर विचार कर रही है या इसी तरह से बार बार एक्सटेंशन लेती रहेगी।

एक चीज और मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी जब हम लोग संसदीय दल में चरारे शरीफ गए थे, उस समय गवर्नर महादेय ने बताया था कि चुनाव के लिए इस समय स्थिति ठीक है और आने वाले समय में यह स्थिति और बिगड़ने वाली है। हम यह जानना चाहते है कि आप यह जो स्थिति में सुधार की आशा लगाए बैठे है, इसका क्या आधार है, इसको स्पष्ट करने का कष्ट करें। आपके गवर्नर कहते है कि आगे स्थिति और बिगड़ने वाली है ओर आप 4-5 हफ्तों में स्थिति सुघरने की आशा लगाए बैठे है ओर चुनाव करवाना चाहते है। इस तरह से आपकी तरफ से कुछ और बात कही जा रही हैं कुछ और बात कही जा रही है और आपके गवर्नर की तरफ से कुछ और बात कही जा रही है। इस तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह से समस्या का समाधान होने वाला नही है। मेरा निवेदन है कि सरकार की नीति और यथास्थिति को स्पष्ट करने का कष्ट करें।

अंत में मैं एक और बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने आर्मी को वहां पर इनवाल्व किया हुआ है, पेरा-मिल्ट्री फोर्सेस लगाई हुई है, लेकिन उसको अधिकार कुछ नही दिए हुए है। वहां पर किसी प्रकार का को आर्डिनेशन नहीं है। हमने वहां पर गवर्नर साहब से पूछा कि यहां पर यूनिफाइड कमांड कांसेप्ट क्या है। हमे सुनकर आश्चर्य और दुख हुआ जब मुझे वहां पर यूनीफाइड कमांड फोर्स की परिभाषा समझाई गई, वह कोई यूनीफाइड कमांड नही है। प्रदेश स्तर पर कोई यूनीफाइड कमांड नही है, यह ठीक नही हे। नीचे के स्तर पर कोआर्डीनेशन को यूनीफाइड कमांड कहा जा रहा है, यह कौनसी परिभाषा आप बना रहे है, किस प्रकार की बातें कर रहे है किस प्रकार से यह समस्या सुलझेगी? दुनिया में जहां पर भी आतंकवाद और इस प्रकार की घटनाएं हुई है, वहां यूनीफाइड कमांड की वजह से ही सफलता मिली है। जब आपके ऊपर के लोग, गवर्नर आदि ही इस बात को नही समझ रहे है तो आप समस्या सुलझाने में कभी सफल नही होंगे, यह मैं बताना चाहता हूं। यूनीफाइड कमांड रखने में क्या परेशानी है। बदनाम करने के लिए आर्मी को आगे कर दिया जाता है। अभी जब हम चरारे शरीफ गए तो वहां पर आर्मी के खिलाफ और बिगेडियर के खिलाफ खूब कस कर नारे लगाए जा रहे थे। बलि का बकरा बनाने के लिए आर्मी को आगे कर दिया जाता है, लेकिन अधिकार उनको कोई नही दिया जाता। तो इस प्रकार से समस्याएं सुलझने वाली नही है। मैं आपसे दोबारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप असली जड़ को पहचानिए। जब तक आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, जब तक चुनाव प्रक्रिया को जनता के मन में नही बिठाएंगे, तब तक वे पुराने घाव भरने वाले नहीं है। जब तक आप यह नही समझेगे कि इस समस्या की जड़ पाकिस्तान में है, समस्या की जड़ जम्मू कश्मीर में नही है ओर जब तक आप पाकिस्तान को ठीक नहीं करेंगे तब तक यह समस्या सुलझने वाली नही है। इसलिए आपने यह तो प्रस्ताव दिया है, उसका समर्थन करता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि समस्या को ठीक तरह से समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक और अनुरोध श्री अकबर पासा को बोलने की अनुमति का है क्योंकि वे कल उपलब्ध नहीं रहेंगे। क्या मैं उन्हें इजाजत दे दूँ

श्री अकबर पाशा।

श्री बी. अकबर पाशा (वेल्लोर) : माननीय सभापति महोदय मैं जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का समर्थन करता हूँ।

महोदय, वहाँ राष्ट्रपति शासन की अवधि इस वर्ष 17 जुलाई को समाप्त हो रही है। माननीय राष्ट्रपति जो अभी चार देशों की यात्रा पर हैं ने संविधान के अनुच्छेद 371 (घ) के अंतग्रत इस

अवधि को छह माह के लिए ओर बढ़ाने की अनुमति दे दी है। राज्य सभा ने भी इसे पारित कर दिया है। मेरे विचार से इस सदन में भी इसको पारित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

महोदय, मैं जम्मू–कश्मीर संबंधी समिति का सदस्य हूँ। दो साल पहले हमारे माननीय मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में सीमति ने श्रीनगर ओर बारामला का दौरा किया था उसी दिन सोपों में, जो बारामुला जाने के रास्ते में पड़ता है चार हत्याएं हुई। स्थिति इतनी खराब थी। हमे बुलेट प्रुफ कारों में ले जाया गया अैर पूरे रास्त में सड़क के दोनों तरफ काफी पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मचारी खड़े थे। 20 से 25 फीट की छोटी सी दूरी पर हमने सुरक्षा कर्मचारियों को खड़ा देखा। उस वक्त यही स्थिति थी। हम वापस आए और हमने आने माननीय प्रधानमंत्री को सारा हाल बताया कि चुनाव कराने के अनुकूल स्थिति वहाँ नहीं है। यह दो साल पहले की बात है।

दूसरा दौरा हमने अपने माननीय गृहमंत्री श्री पी. एम. सईद के नेतृत्व में किया। इस बार हम दूसरी तरफ गए और जम्मू लेह और कारगिल का दौरा किया। इस क्षेत्र में ज्यादा परेशानी नहीं है ओर श्रीनगर से बेहतर स्थिति है। इसके उपरांत, जम्मू शहर में मुझे अशांति के उदाहरण मिले।

हमने यह पाया कि जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों में लगभग तीन दर्जन आतंकवादी समूह सक्रिय है। इनमें से अधिकांश समूह कश्मीर को पाकिसतान के साथ मिलाना चाहते है जबकि जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ओर कुछ अन्य समूह जिनके जन्मदाता मकबूल बट और मोहम्मद यासीन मलि हैं इसे एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते है।

प्रमुख गुरिल्ला समूहों में हिजबुल मुजाहिदीन विशेष स्थान रखता है। वे अत्याधुनिक शास्त्रों से लैस हैं। मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन उसका सर्वोच्च कमांडर है।

हरकत उल अंसर एक अनय शक्तिशाली समूह है जिसमे काफी संख्या में विदेशी है जिन्हे अतिथि आतंकवादी कहा जाता है। चरार–ए–शरीफ में सक्रिय अफगान आतंकवादी भी कथित रूप से यही अतिथि आतंकवादी थे। अल–जेहाद पाकिस्तान समर्थक पीपुल्स लीग का एक आतंकवादी भाग है। अल–जेहाद विभिन्न समूहों में बंट गया है। अल–फताह फोर्स एक अन्य समूह है। हिजबुलला, अल उमर मुजाहिदीन , इक्वानुल मुसलिमीन, स्टुडेंट्स लिबरेशन फ्रट शबीर अहमद शाह के नेतृतव में पीपुल्स लीग हिजअुल मोमीन जो कि एक ओर पाकिस्तान समर्थक समूह है मुस्लिम मुजाहिदीन तहरीक उल मुजाहदीन जो कि एक पाकिस्तान समर्थक समूह है, कुछ प्रमुख आतंकवादी दल है जो जम्मू–कश्मीर में सक्रिय है। श्रीलंका में लिट्टे के तमिल टाइगर्स की तरह ही यहाँ भी एक समूह है जिसका नाम अल्लाह टाइगर्स है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं का एक आतंकवादी समूह भी है जिसका नाम दुक्थराने मिलात है। श्रीमती अंद्राही नाम महिला इसकी नेता हैं। वह पहली कश्मीरी महिला है जो दो साल से जेल में है। सूफी संत शेख नुरूद्दीन की 535 साल पुरानी दरगाह, हरकत–उल–अंसर ओर हिजबे इस्लामी समूहों के आतंकवादियों द्वारा नष्ट कर दी गई। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि इन दो समूहों की पहचान धर्मान्ध समूहों के रूप में की जाती हे जो उन मस्जिदों पर हमला करने से नही हिचकेगे जो उनके अपने पंथ की न हो।

हमारे दौरों के दौरान, हमें वे शस्त्र ओर गोला बारूद दिखाए गए जो पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से पकडे गए थे। हमने देखा कि उन मशीनगनों और अन्य गोला बारूद पर पास्तिान का नाम अंकित थां। हमने भड़काने वाले भाष्णों से भरे हुए कैसेटों के कुछ अंश भी सुने जिसके द्वारा पाकिस्तानी एजेंट भोले भाले कश्मीरी लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते है जिसके फलस्वरूप वे आतंकवाद का रासता अपना लेते है। मुझे आज श्रीनगर के वातावरण में इतनी अधिक भिन्नता नजर आती हे।

जब मैं काफी समय पहले अपने हनीमून के लिए वहाँ गया था तब वह जगह वास्तव में स्वर्ग थी। हम एक होटल में ठहरे थे जो एक महल था जिसे पंचतारा होटल में परिवर्तित किया गया था। आज यह देखकर बहुत दुःख होता है कि वे जगहें ओर महल अब सेना के कब्जे में है। वहाँ सुंदर हाउस बोट होते थे, जिनमे लकड़ी पर सुन्दर नक्काशी, गलीचे और सभी सुख–सुविधा की उन चीजों का अब उपयोग नहीं हो रहा है। वह इन लोगों की आय का साधन थीं। आज श्रीनगर में टैक्सी चालक और हाउस बोटो के मालिक रो रहे है। क्योंकि उन्हे अब पर्यटक नहीं मिलते है। मैं इटली में वेनिस और डेनमार्क में अैमेस्तरडेम जैसी जगहों में भी घूमा हुआ हूँ। विश्व में यह दो शहर समुद्र पर स्थित है परंतु ये जगहे भी हमारी सुदर कश्मीर की घाटी के मुकाबले कुछ नही हैं। लोगों का यह मानना है कि कश्मीर स्वर्ग है। फारसी मे एक शब्द है बहिश्त, जिसका अर्थ है स्वर्ग। कश्मीर राज्य की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुःख होता है। वहाँ की जनता भी आतंकवाद से तंग आ गई है। वे शांति से रहना चाहते हैं। वे अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं।

मैने डा. फारूख अब्दुल्ला सहित कश्मीर के नेताओं के भाषण सुने हैं। वे सभी घाटी में इस खत्म न होने वाली अशांति से तंग आ गए हैं। वे चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार वहाँ चुनाव कराने से पहले एक राजनीतिक पैकेज़ लाए। हम एक सामान्य स्थिति आने की प्रतिक्षा करने की स्थिति में नहीं है। यह अनिश्चित कालीन है। हम यह नहीं कर सकते कि प्रतीक्षा करते रहे और देखें कि बंदूक की आखिरी गोली की आवाज सुनाई न पड़े। हमें कही न कहीं से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। हमारी सरकार वही कर रही थी ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे गृहमंत्री श्री एस. बी. चव्हाण का यही विचार था। वे वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना चाहते थे। हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी. एन. शेषन ने कश्मीर का दौरा भी किया। परंतु चरार–ए–शरीफ की इस घटना के कारण मुझे नहीं पता कि यह कश्मीर में आतंकवादी समूहों द्वारा जानबूझकर किया गया था या नहीं सरकार को वहाँ चुनाव

स्थागित करने पड़े। मस्तगुल एक अफगानी आतंकवादी जो चरार–ए–शरीफ में दो महीनों तक फसा रहा था शहर की नाकाबंदी के बावजूद सही सलामत भाग निकला। इस स्थिति में हमें चरा–ए–शरीफ की घटना से पहले जैसी सामान्य स्थिति की प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा समय आने तक वहां राष्ट्रपति के शासन की अवधि का आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया है और इसी लिए यह संकल्प लाया गया है। मैं पूरे दिल से इसका समर्थन करता हूँ। इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, इसके पहले कि सदन कल तक के लिए स्थगित हो, मैं सदन का ध्यान, इस समय लखनऊ में जो कुछ हो रहा है, उसकी ओर खीचाना चाहता हूं। आपको पता है कि वहां राजनैतिक परिस्थिति में अचानक परिवर्तन हुआ है। वहां पर बसपा–सपा काम रही थी लेकिन बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब सपा वहां पर अल्पमत मे रह गयी है लेकिन अभी अभी समाचार मिला है और ऐसा लगता है कि बसपा विधायकों की जान खतरे मे है। उनके विधायकों को गैस्ट हाऊस में धेर लिया गया है और हमारी जानकारी में पांच विधायक घायल हो चके है। कुमारी मायावती का दरवाजा तोड़कर उप्रट्रवकारियों ने अंद घुसने की कोशिश की है जब इस बात की और प्रदेश अधिकारियों का ध्यान खींचा गया तो वे अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे है। मैं नही समझता वहां रात में क्या स्थिति होगी? समर्थन वापस लेने के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसका निराकरण लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए लेकिन अगर इस तरीके से जबरदस्ती मारपीट की जायेगी और विधायकों को डरा–धमका कर अपने पक्ष में लेने की कोशिश की जायेगी तो फिर न लोकतंत्र चलेगा और न ही संविधान के अनुसार व्यवस्था का संचालन होगा।

मैं चाहता हूं कि गृहमंत्री जी और श्री राजेश पायलट जी यहां मौजूद है, वे तत्काल लखनऊ से संपर्क स्थापित करे और देंखें कि वहां उपद्रव रोका जाय और बसपा के विधायकों को पूरा संरक्षण दिया जाये। अगर विधायकों को जान की रक्षा नही हो सकती है तो आम आदमी का वहां क्या हाल हो रहा होगा, इसका सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस संबंध में आश्वासन दें और रात क लिए प्रबंध ा करें अनयथा यह मामला कल बड़े पैमाने पर लोकसभा की बैठक में उठेगा।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा और लखनऊ में प्राधिकारियों से विशेषकर राज्य पाल मुख्य सचित और अन्य से बात करूंगा और पूरा ब्यौरा लूंगा। मैं हमारे विपक्ष के माननीय नेता से सहमत हूँ कि चाहे वह कानूनी लड़ाई हो या राजनीतिक लड़ाई हो इसे सभा में ही लड़ा जाना है न कि इस तरह से लड़ा जाना है। हम सभी आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेंगे तीकि हिंसा और न बढ़े और ऐसे किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा न हो जो किसी विशेष रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हो।

सभापति महोदय : कश्मीर से सम्बाधित संकल्प पर चर्चा कल जारी रहेगी। अब सभा कल 3 जून 1995 को 11 बजे समवेत होने के लिए स्थागित होती है।

6.38 म. प.

तत्पश्चात लोकसभा शनिवार, 3 जून, 1995/13 ज्येष्ठ, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।